ादश माला, खंड 33, अंक 28

FOR REFERNCE ONLY.

शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2003
5 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(तेरहवी लोक सभा)

PARLIAMENT L...
No. ...55
Date ...20/1/04

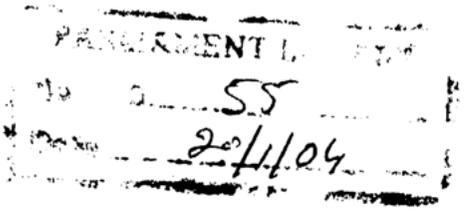

(खण्ड 33 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द्र मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला खंड 33, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)

अंक 28, शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2003/5 वैशाख, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 502–505	5-53
प्रश्नों के लिखित उत्तर	53-433
तारांकित प्रश्न संख्या 506–522	53-81
अतारांकित प्रश्न संख्या 5013–5242	81-433
सभा पटल पर रखे गये पत्र	433-452
प्राक्कलन समिति	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	453
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	453
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
चालीसवां, इकतालीसवां, बयालीसवां, तैंतालीसवां और चवालीसवां प्रतिवेदन	453-454
परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
अड़सठवां, उनहत्तरवां और सत्तरवां प्रतिवेदन	454
सभा का कार्य	454-457
अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2003-2004	460-474
विनियोग (संख्यांक - 3) विधेयक, 2003 - पारित	475-479
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	475-476
श्री जसवन्त सिंह	475, 476-479
खंड 2 से 4 और 1	479
पारित करने के लिए प्रस्ताव	479

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा निवेदन	
झारखंड में बोकारो जनरल हॉस्पिटल में मानव अंगों की बिक्री के कथित रैकेट के बारे में	480-482
वित्त विधेयक, 2003 - विचाराधीन	492-523
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जसवन्त सिंह	492-503
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	503-518
श्री रूपचन्द पाल	518-523
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प	
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए नितियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	523-548
श्री रामदास आठवले	523-527
श्री शिवराज वि. पाटील	527-532
प्रो. रासासिंह रावत	533-538
श्री रामजीलाल सुमन	538-545
डा. वी. सरोजा	545-548

लोक सभा

शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2003/5 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना आपको दी है। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री के द्वारा मेरी हत्या का प्रयास कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक अपराधी मंत्री ...*(व्यवधान)* हम लगातार चार दिन से आपको कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे रहे हैं। जब मेरी हत्या हो जाएगी, क्या तब मेरी बात सदन सुनेगा इसलिए मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि हमने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, आप हमारी बात सुन लें। उसके बाद आप जो भी फैसला देंगे, वह हमें शिरोधार्य होगा, लेकिन कम से कम हमारी बात तो सुनी जाए।

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश जी, आप जो प्रश्न यहां उठाना चाहते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी सदस्य को यदि ऐसा लगता है कि उसे खतरा है तो मैं इस विषय को गृह मंत्री जी के ध्यान में ला सकता हूं और मैं उनसे कहूंगा। वे इस बारे में जो ध्यान देना है, जरूर देंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह : जिस अपराधी मंत्री को मेरी हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कल ही माननीय उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। जिन जमीनों पर उस मंत्री ने अवैध रूप से कब्जा किया था, माननीय मार्कंडेय काटजू की अदालत के द्वारा उन जमीनों पर अवैध कब्जों को खाली कराकर पीड़ित पक्ष को देने की बात कही गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस सदन के माननीय सदस्य हैं, मैं जरूर इस पर गौर करूंगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : जब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने एक बच्चे के अपहरण के मामले में उस मंत्री को मंत्रीमंडल से बर्खास्त किया था।

अध्यक्ष महोदय : सोमवार को मैं यह विषय उठाने की आपको इजाजत दूंगा और मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस पर ध्यान दें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ क्योंकि उस दिन आपने हमें रक्षा तैयारियों के मुद्दे को उठाने की अनुमति दी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं आपका आभारी हूं क्योंकि उस दिन आपने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी। मैं सरकार का भी आभारी हूं क्योंकि उन्होंने तत्काल विचार किया और समाचार पत्रों में यह बताया गया था कि उप–प्रधान मंत्री ने कल स्थिति का जायजा लेने के लिए तीनों सेवाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। यह अधिक विवेकपूर्ण और उचित होगा क्योंकि मामले को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में सभा में उठाया गया था – इसलिए उप–प्रधानमंत्री सभा को विश्वास में लें और हमें आज अथवा सोमवार को, जो भी समय उन्हें उपयुक्त लगे रक्षा तैयारी की वास्तविक स्थिति और रिपोर्ट के परिणाम के बारे में बतायें। हम यह महसूस करते हैं और महोदय, आप इस संबंध में सरकार को भी बता सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नकाल आरम्भ कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि प्रश्न काल में इसे उठाने की इजाजत नहीं है।

श्री रामजीलाल सुमन : आप एक मिनट मेरी बात सुन लें। हिन्दुस्तान की सरकार ने गेहूं खरीदने के लिए केन्द्र स्थापित नहीं किए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। पहले अकाल से और बाढ़ से किसानों को काफी क्षति हुई है, अब खरीद केन्द्र न खुलने से उसको भारी नुकसान हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव के लिए अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने उन सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है। प्रश्न काल का निलम्बन करने की सूचना को भी मैंने अस्वीकार कर दिया है। अब मैं प्रश्न–काल आरम्भ करता हूँ। प्रश्न संख्या 502, डॉ. एम.वी.वी.एस. मूर्ति – उपस्थित नहीं।

दूसरा नाम है। श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : आप सरकार को निर्देशित करें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यहां हैं, वे नोट करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फाइनेंस बिल पर होने वाली चर्चा के समय आप ये बातें रख सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : पहले गन्ना किसानों को भारी नुकसान हुआ, उसके बाद आलू किसानों की फसल बेकार गई और अब गेहूं के किसान मारे जा रहे हैं। आप सरकार को निर्देशित करें कि वह इस पर तत्काल ध्यान दे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कीर्ति आजाद जी, आप भी बैठिए। आपका प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, मंत्री जी इसको नोट करेंगे।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहीं पर भी गेहूं खरीदने के लिए केन्द्र स्थापित नहीं किए हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप सरकार को निर्देशित करें ... *(व्यवधान)* आज किसान बहुत परेशान है। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब फाइनेंस बिल पर आपने स्पीच करनी है, तब दोबारा इस विषय को उठाइयेगा। गवर्नमेंट ने आपकी बात नोट कर ली है। गवर्नमेंट जानती है कि यह विषय महत्वपूर्ण है। आप बैठ जाइये।

श्री रामजीलाल सुमन : गेहूं की खरीदारी का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। आप सरकार को निर्देशित कीजिए कि गेहूं खरीद के लिए केन्द्र स्थापित करे।

अध्यक्ष महोदय : हर दिन ऐसा करना अच्छी बात नहीं होती कि आप प्रश्नकाल का समय दूसरे विषयों में खर्च करने लगें। कुंवर अखिलेश जी का विषय महत्वपूर्ण था। मैंने कहा कि मैं खुद होम–मिनिस्टर जी से इस बारे में कहूंगा, लेकिन यह कहना कि हर विषय महत्वपूर्ण है, उसके लिए यहां प्रश्नकाल डिस्टर्ब करना, यह बात बिल्कुल गलत है। ऐसा करने की कोशिश आप मत कीजिए। मैं अगले हफ्ते इसकी इजाजत देने वाला नहीं हूं। दूसरे माध्यम से इस तरह के प्रश्न उठाइये, मैं जरूर इजाजत दूंगा।

श्री कीर्जि झा आज़ाद (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, मैं कल कुछ बातों का पर्दाफाश करने वाला था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई नोटिस नहीं है, आप कैसे कवैश्चन उठा सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष जी, गेहूं खरीदारी के मामले में आप केन्द्र सरकार को केन्द्र खोलने के लिए निर्देशित करें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नोट करने के लिए सरकार को कहा है, सरकार ध्यान देगी।

श्री कीर्ति झा आज़ाद : अध्यक्ष जी,

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

[अनुवाद]

श्री कीर्ति आजाद ने जो भी कहा है, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया है।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी माननीय सदस्य ने कहा है मैंने उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया है।

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, कृपया मुझे आधा मिनट बोलने की अनुमति दीजिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बोलना चाहते हैं तो बोलते क्यों नहीं हैं। आप बोलिये नहीं तो बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मुझे आपसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। आप यहां खड़े होकर बोलना आरम्भ कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। माफ कीजिए, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में समय मिलने पर अनुमति दूंगा लेकिन अभी नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे प्रश्न–काल आरम्भ करने दें।

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : महोदय मैंने सूचना दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न–काल को निलम्बन करने का कोई सवाल नहीं है।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

'मिनरल वाटर' के लिए बी.आई.एस. के मानदंड

+

***502. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**

डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सर्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक गैर सरकारी संगठन विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा यह रहस्योद्घाटन किए जाने के बाद कि भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा प्रमाणित दिल्ली, मुंबई और अन्य नगरों में बेचे जा रहे बोतल बंद पानी में बहुत ही हानिकारक कीटनाशी मौजूद होते हैं, सरकार ने इस मामले की जांच करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की थी और उसे तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या कुछ बोतलबंद पानी बेचने वाली कंपनियों को दिए गए बी.आई.एस. प्रमाणन को वापस ले लिया गया है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या बोतलबंद पानी वाले इन ब्रांडों की बिक्री बिना जांच जारी है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ज) एक विवरण सभा–पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने 15 फरवरी, 2003 को उपभोक्ता मामले विभाग में अपर सचिव की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी। प्रारंभ में समिति को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया था। इस अवधि को बाद में 26 मार्च, 2003 तक बढ़ा दिया गया था। समिति ने 25 मार्च, 2003 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी दी है कि पैकेज में रखे पेय जल और पैकेज में रखे प्राकृतिक खनिज जल के लिए मानक उपयुक्त हैं। रिपोर्ट की प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें अनुबंध में दिए गए हैं। रिपोर्ट की संबंधित विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है। इस बीच भारतीय मानक ब्यूरो ने पैकेज में रखे गये पेय जल और प्राकृतिक खनिज जल के लिए भारतीय मानकों में संशोधन पहले ही तैयार कर लिए हैं ताकि उन्हें पेस्ट नाशी अवशिष्टों के लिए विश्व के सार्वोत्तम नार्मों के अनुरूप बनाया जा सके। उनको खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में शामिल कर लिए जाने के बाद कार्यान्वित किया जाएगा जिसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।

(ङ) और (च) बोतल बंद पानी में पेस्टनाशी अवशिष्टों के पाये जाने के कारण अब तक किसी भी बी आई एस लाईसेंस को रद्द नहीं किया गया है। यह पाए जाने के बाद पैकेज में

रखे प्रेप जल/प्राकृतिक खनिज जल के 28 विनिर्माताओं पर केवल स्टॉप मार्किंग लगाया गया कि वे संगत भारतीय मानकों में निर्धारित विनिर्देशनों का पालन नहीं कर रहे हैं। स्टॉप मार्किंग की स्थिति में विनिर्माता को अपने उत्पाद पर तब तक बी आई एस मार्क लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्माता द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों का विधिवत सत्यापित न कर दे।

(छ) और (ज) जी, नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो अपनी परीक्षण और निरीक्षण की स्कीम तथा निगरानी निरीक्षणों के जरिए यह सुनिश्चित करता है कि उसके लाईसेंसधारी संगत भारतीय मानकों में निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसारी पैकेज में रखे गये पेय जल और पैकेज में रखे प्राकृतिक खनिज जल का विनिर्माण कर रहे हैं।

अनुबंध

जांच समिति की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें

भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करके मानक विकसित और प्रतिपादित करने की एक सुस्थापित प्रणाली है। मानक बनाने के लिए सहमति एक अनिवार्य प्रक्रिया संबंधी सिद्धान्त और एक आवश्यक शर्त है। इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो ने उत्पाद प्रमाणन के लिए उपयुक्त आवश्यकताओं के संबंध में इंटरनेशनल आर्गनाईजेशन फॉर स्टैंडर्डडाइजेशन गाइड 7 – 1982 को अपनाया है। प्रारूप मानकों पर वैज्ञानिकों, उपभोक्ता संगठनों और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा व्यक्त अभिमतों को ध्यान में रखा जाता है। समग्र रूप से पैकेज में रखे पेयजल के लिए इन दो मानकों के प्रतिपादन के समय निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो के सचिवालय ने उपयुक्त अनुभागीय समितियों की शिनाख्त करने, इच्छुक क्षेत्रों से परामर्श करने, अनुभागीय समिति के समक्ष टिप्पणियां प्रस्तुत करने तथा प्रत्येक गुणवत्ता पैरामीटर के संबंध में निर्णयों को रिकार्ड करने का अपना विहित कार्य किया। मानकों में उन सभी विशेषताओं और अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है जो आवश्यक हैं। इनमें अपेक्षित सीमा निर्धारण मूल्य तथा परीक्षण पद्धतियां भी विनिर्दिष्ट हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 सितम्बर, 2000 को जारी दो अधिसूचनाओं के जरिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत पैकेज में रखे पेयजल और पैकेज में रखे प्राकृतिक खनिज जल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया था। इन अधिसूचनाओं को जारी करने से पूर्व खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के नियम 3 के तहत गठित खाद्य मानक संबंधी केंद्रीय समिति में विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की गई थी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में इस समिति ने भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों पर विचार किया और उनको खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत अपनाए जाने के लिए उपयुक्त पाया। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनिय मानकों के तहत तथा साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के तहत पेस्टनाशी अवशेषों के लिए विनिर्देशन "पता लगाए जाने की सीमा से कम" हैं।

समिति ने पाया कि पैकेज में रखे पेयजल और पैकेज में रखे खनिज जल के लिए मानक उपयुक्त हैं और इन दो मानकों में पेस्टनाशी अवशेषों की पता लगाने की सीमाएं अन्य खाद्य मदों जैसे दूध, फल, सब्जियां और खाद्यान्न, जो मानव द्वारा दैनिक रूप से ग्रहण की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं, में पेस्टनाशी अवशेषों की तुलना में उचित हैं। उदाहरण के लिए मौजूदा परीक्षण पद्धतियों से पैकेज में रखे जल में डी डी टी की मात्रा का 0.02 पी पी एम के स्तर तक पता लगाया जा सकता है जबकि दूध और दूध के उत्पादों में (वसा के आधार पर) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत 1.25 पी पी एम तक इसकी अनुमति दी जाती है।

पैकेज में रखे पेयजल के संबंध में 2 मानक कोडेक्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा–निर्देशों से सहायता लेकर प्रतिपादित किए गए। उस समय तक कोडेक्स ने पेस्टनाशी अवशेषों के पता लगाने और निर्धारण के लिए संगत परीक्षण पद्धति पर सहमति नहीं दी थी। इसलिए भारतीय मानक ब्यूरो की संबंधित तकनीकी समिति ने भारतीय मानक ब्यूरो की अन्य तकनीकी समिति द्वारा स्थापित परीक्षण पद्धति मानक को अपनाने का निर्णय लिया जो फलों, सब्जियों और मृदा में पेस्टनाशी अवशेषों के लिए निर्धारित की गई थी। ये मानक परीक्षण पद्धतियां विशेष रूप से पेय जल के लिए नहीं थी। चूंकि उस समय एक सहमत कोडेक्स परीक्षण पद्धति उपलब्ध नहीं थी इसलिए किसी एक व्यक्ति अथवा संगठन को अपनायी गई परीक्षण पद्धति में इस कमजोर लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। संबंधित क्षेत्र में मानकों को गतिशील रखने और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों के अनुरूप बनाये

रखने के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाना आवश्यक है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय मानक ब्यूरो एक इनबिल्ट एलर्ट सिस्टम की व्यवस्था करके मानकों में निरंतर सुधार के प्रयास करेगा जिससे आने वाली समस्याओं को भयानक रूप धारण करने से पहले समाप्त किया जा सकेगा।

भारतीय मानक ब्यूरो के पास विभिन्न क्षेत्र के वैज्ञानिकों का एक कोर ग्रुप होना चाहिए जिनको महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अद्यतन वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के साथ संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। ये वैज्ञानिक भारतीय मानक ब्यूरो के प्रबंधन को विशिष्ट मानकों को अपडेट करने और संशोधित करने की आवश्यकता के बारे में उनकी समीक्षा की तारीख से पहले भी जानकारी देते रहेंगे।

प्रारूप मानकों को भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर दिया जाना चाहिए ताकि उनके बारे में इच्छुक व्यक्तियों और समूहों में टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। इसको अखबार और इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर विज्ञापन देकर जनता के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

मानक प्रतिपादन एक स्वैच्छिक कार्य है और भारतीय मानक ब्यूरो मानक प्रतिपादन हेतु गठित तकनीकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई भुगतान नहीं करता यहां तक कि यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते के रूप में भी भुगतान नहीं किया जाता। इसके परिणामस्वरूप कई बार वैज्ञानिक संगठन और उपभोक्ता संगठन तकनीकी समितियों की बैठकों में भाग नहीं ले पाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम में यथानिर्धारण प्रमाणन प्रक्रिया प्रमाणन विनियमन और प्रचालन मैनुअल आदि में शामिल उपायों का विर्निर्माण यूनिटों को लाईसेंस देने में अनुपालन किया गया है। निगरानी निरीक्षण तथा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में मानक की उपेक्षाओं के साथ उनकी अनुरूपता का आकलन करने के लिए फैक्ट्री और बाजार से नमूने लेने का कार्य भी किया गया। अनुपालन न किए जाने पर चिह्नांकन को रोक दिए जाने सहित की गई कार्रवाई के उदाहरण यह दर्शाते हैं कि स्कीम के तहत अपेक्षित पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग की गई। तथापि, निगरानी निरीक्षणों और नमूनों के परीक्षण की बारम्बारता के लिए निर्धारित लक्ष्यों में कुछ कमियां पाई गईं। यह भी पाया गया है कि प्रमाणन के लिए मौजूदा मांगों के अलावा पैकेज में रखे पेयजल के लिए 750 लाइसेंस शामिल किए गए जिनके लिए मानव शक्ति जैसे अतिरिक्त संसाधन प्रदान नहीं किए गए। भारतीय मानक ब्यूरो की सभी प्रमाणन और प्रवर्तन गतिविधियों के लिए मानव शक्ति की कमी है इसलिए निगरानी निरीक्षणों में कमियां पाई गईं। इसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं ठहराया जा सकता।

जब पैकेज में रखे जल जैसे आम खपत की किसी मद. के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया जाता है तो उपभोक्ताओं के प्रति भारतीय मानक ब्यूरो की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ जाती है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले भारतीय मानक ब्यूरो को अपने संसाधनों की स्वयं ही पूरी समीक्षा करनी पड़ेगी। मानव शक्ति और अन्य संसाधनों की अपर्याप्तता का पता लगाया जाए और चुनौती को स्वीकार करने से पहले उन कमियों को पूरा करने के तरीकों का पता लगाया जाए किन्तु यदि भारतीय मानक ब्यूरो एक बार इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है तो उसको इसका निष्पादन ईमानदारी से करना चाहिए तथा मानदण्डों के अनुपालन न किए जाने के लिए औचित्य के रूप में मानव शक्ति अथवा संसाधनों की कमी का जिक्र न करें।

भारतीय मानक ब्यूरो प्रत्येक उत्पाद के परीक्षण और निरीक्षण के लिए एक स्कीम तैयार करता है। यह स्कीम संबंधित मानकों में निहित विशिष्टियों पर समुचित विचार करने के पश्चात् निरूपित की जाती है परन्तु एक बार निरूपित की गई परीक्षण और निरीक्षण स्कीम उस उत्पाद के सभी लाईसेंसधारी विनिर्माताओं पर लागू हो जाती हैं। यूरोपीय निर्देशों में यह देखा गया है कि बिक्री के लिए बोतलों अथवा कन्टेनरों में भरे जाने वाले जल के नमूना परीक्षण तथा विश्लेषण की बारम्बारता उत्पादन की क्षमता के अनुसार न्यूनाधिक होती है। यह सुझाव दिया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो परीक्षण की बारम्बारता की वांछनीयता को उत्पादन के साथ जोड़ने पर विचार करे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सभी लाईसेंसधारियों के लिए एक ही परीक्षण तथा निरीक्षण स्कीम बनाने के बजाए भारतीय मानक ब्यूरो कच्चे पानी की गुणवत्ता, उसे शुद्ध करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी तथा एक दिन में

संसाधित किए जाने वाले जल की मात्रा को ध्यान में रखे और उस विनिर्माताओं इकाई के लिए परीक्षण तथा निरीक्षण स्कीम विकसित करे।

भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद विशिष्ट समितियां स्थापित करने पर विचार कर सकता है जैसा कि ए एफ एन ओ आर (फ्रैंच मानक निकाय) में है जिसमें कम से कम आवश्यक वस्तुओं के प्रमाणन हेतु बाहरी विशेषज्ञों की भागीदारी का प्रावधान है। इससे भारतीय मानक ब्यूरो परीक्षण और निरीक्षण समिति के संबंध में परामर्श हेतु प्रयोगशालाओं के चयन और स्कीम के समग्र कार्यान्वयन की प्रभावकारिता अधिदेश निकाय, यथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अथवा इसके नामिति को शामिल कर सकेगा।

भारतीय मानक ब्यूरो की केंद्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद के अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लिए गए नमूनों के परीक्षण के लिए 13 अन्य प्रयोगशालाओं की सेवाओं का भी उपयोग किया गया। पर्यवेक्षण तथा लाईसेंस प्रदान करने के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने हेतु यह अनिवार्य था। प्रयोगशालाओं की मान्यता का आधार प्रयोगशालाओं की क्षमता के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मानक रहे हैं। प्रयोगशालाओं ने मानक में विनिर्दिष्ट परीक्षण पद्धति का अनुपालन किया तथा अपनी रिपोर्टें यथा समय समुचित रूप से तैयार किए गए प्रपत्र में प्रस्तुत की जिनमें विशिष्ट मूल्य तथा प्रस्तुत किए गए नमूनों के लिए प्राप्त किए गए मूल्यों का उल्लेख किया गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो, भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय ने वर्ष 1947 में स्थापित भारतीय मानक संस्थान के कर्मचारी वृन्द, परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का प्रभार संभालते हुए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत 1 अप्रैल, 1987 से सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया। यह संस्थान 50 वर्षों से भी अधिक समय से देश में मानकीकरण आंदोलन का सफलतापूर्वक संवर्धन तथा विकास कर रहा है। इसने मानकों का सुमेलित विकास, वस्तुओं के लिए चिह्नांकन और गुणवत्ता प्रमाणन की व्यवस्था की है। तथापि, अब भारतीय मानक ब्यूरो को अपनी भीतरी क्षमताओं को पुनः सक्षम बनाने की आवश्यकता है। भारतीय मानक ब्यूरो की वर्षों पूर्व निरूपित की गई मौजूदा प्रक्रियाएं अब गोपनीयता एवं विश्वसनीयता की दृष्टि से कुछ धूमिल हुई प्रतीत होती हैं। तथापि, सरकार अधिक पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। निर्णय लेने में ही लोगों की अधिक भागीदारी है। कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा वेबसाइट के बढ़ते हुए प्रयोग से कम लागत पर जनता तक पहुंचना संभव हो गया है। भारतीय मानक ब्यूरो इन परिवर्तनों के आलोक में अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करे तथा अपने कार्यकलापों में और अधिक पारदर्शिता लाए। तकनीकी समिति के सदस्यों की सूची, प्रारूप मानक, लाइसेंसधारियों की सूची तथा उनकी वर्तमान स्थिति को इसके वेबसाइट में डाला जाए तथा उसे हर माह अद्यतन किया जाए। कारखाने अथवा मार्किट से लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्टों को वेब पर दर्शाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाए।

विकसित देशों में पेयजल के लिए केवल एक ही मानक है और सभी देशों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि मानव उपभोग के लिए सभी प्रकार का पेयजल, भले ही वह वितरण नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराया जाता हो अथवा बोतलों के जरिए उन मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अब समय आ गया है जब सरकार/निगम अपने वितरण तंत्र के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अपने तंत्र को दुरुस्त बना लें।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत अन्य खाद्य उत्पादों में संदूषकों की स्वीकार्य सीमाओं की भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में कृषि तथा बागवानी के प्रयोजनार्थ पेस्टनाशी तथा उर्वरकों के उपयोग के स्वीकार्य स्तर के संबंध में भी व्यापक चर्चा की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जब तक कृषि के लिए पेस्टनाशी एवं उर्वरकों का उपयोग किया जाता रहेगा उनका खाद्य पदार्थों तथा जल पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इस उद्योग के लिए वाटर–चार्जिंग सिस्टम को अनिवार्य बना दिया जाए। पैकेज में रखे पेयजल उद्योग स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करने हेतु कतिपय दिशा–निर्देश बनाए जाने अपेक्षित हैं ताकि इन उद्योगों की स्थापना प्रदुषण मुक्त क्षेत्र में करनी सुनिश्चित की जा सके।

जब भी भारतीय मानक ब्यूरो कोई मानक निर्धारित करता है, तब वह उसके अनुरूप परीक्षण पद्धति भी निर्धारित करे। संशोधित मानकों (फरवरी, 2003 का संशोधन संख्या 4) में यह कहा गया है कि विश्लेक्षण अन्तर–राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित परीक्षण पद्धति द्वारा ही किए जाएं जिसमें अवशिष्ट सीमा निर्धारित की गई है। यह अस्पष्ट है तथा इसमें प्रयोगशालाओं को परीक्षण पद्धति का चयन करने की स्वतंत्रता मिल जाती है जिसके कारण भ्रान्तियां उत्पन्न होती हैं क्योंकि इसमें विभिन्न

प्रयोगशालाओं के परिणामों के बीच तुलना करने की छूट नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, भारतीय विष–वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान आदि जैसे शीर्षस्थ अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल करके एक विशेषज्ञ समिति का गठन करे जो आई एस : 13492 तथा आई एस : 14543 में विनिर्दिष्ट मामलों की समीक्षा के लिए जल की गुणवत्ता के मूल्यांकन कार्य में संलग्न हों ताकि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा अपनाई जाने वाली परीक्षण पद्धति निर्धारित की जा सके।

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : अध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक दुनिया में दूषित पीने के पानी की मात्रा भारत में सबसे ज्यादा है जो सरकार और देश के लिए शर्मनाक बात है। सेंटर फॉर एन्वायरनमेंट एण्ड साईंस एनजीओ ने जांच करके दूषित पानी की समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार ने इस मामले की जांच कराने के बाद, दोषी पाये गये उत्पादों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा बीआईएस के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। इस संदर्भ में मैं दो प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पैस्टीसाइड्स से दूषित पानी बेचने वाली कौन–कौन सी 28 कंपनियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है, उनके नाम क्या हैं? सरकार के कथन के अनुसार इन 28 कंपनियों पर स्टॉक–मार्किंग की कार्रवाई हुई है, उनमें से कितनी कंपनियों ने बीआईएस द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सुधारात्मक एक्शन लेकर अपने पेय पदार्थ फिर से मार्किट में उतारे हैं। क्या उन करैक्टिव उपायों की छानबीन पूर्ण हो गई है? इस मामले में कितनी कंपनियां मानकों के उल्लंघन की दोषी पाई गई हैं और उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गयी है। अगर कंपनियां करैक्टिव एक्शन नहीं ले पाई हैं तो बीआईएस द्वारा पानी बेचने वाली इन कंपनियों के लाइसेंस अब तक रद्द क्यों नहीं किए गये और कंपनियों को सील क्यों नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मंडलिक जी, आप कितने प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : मेरा एक ही प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, माननीय सदस्य के एक ही प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत विस्तारपूर्वक सवाल पूछा है लेकिन आपने कहा कि मैं इनका जवाब थोड़े में बताऊं। यदि मैं इन कंपनियों का नाम पढ़ूंगा तो बहुत लम्बी–चौड़ी बात हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप कम्पनियों के नाम सदस्य को भेज देना।

श्री शरद यादव : मैं उन्हें भेज दूंगा। ऐसे 28 प्लांट्स हैं ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : यदि आपके पास उनके नाम हैं तो पढ दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह पीने का पानी है; यह साधारण चीज नहीं है। आप इन सभी 18 अथवा 21 कम्पनियों के नाम क्यों नहीं देते? कम से कम लोगों को पता चलेगा कि वे लोग कौन हैं जो इस तरह के पेय जल की आपूर्ति कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सूची सभा–पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : यदि आपके पास ऐसी कम्पनियों के नाम हैं तो उन्हें पढ़ दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय शरद पवार जी इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप पूरे नाम पढ़ सकते हैं।

श्री शरद यादव : मैं उन्हें यहां बताना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

फर्मों के नाम हैं : श्री एजेन्सीज, सिकन्दराबाद; एवन फूड एंड बीवरेजिस, हैदराबाद; तोरा प्योरिफाइड वॉटर, तिरूवेल्लूर (तमिलनाडु); रेनबो मिनरल वॉटर, सत्तूर (तमिलनाडु); अन्नाम एसोसिएट्स, एलुरू (आन्ध्र प्रदेश); श्री स्प्रिंगस, एलुरू (आन्ध्र प्रदेश); बिसलेरी इण्टरनेशनल, नोएडा; वरुण एक्वा इंडस्ट्रीज, दिल्ली; गंगा मिनरल वॉटर, पूनमल्ली (तमिलनाडु); पल्लवी इन्डस्ट्रीज, विशाखापत्तनम; श्री विनायक फूड्स और बीवरेजिस, हैदराबाद; कृष वॉटलर्स, जयपुर; श्रीनाथ बीवरेजिस, जोधपुर; एसोसिएटिड मिनरल्स, इलाहाबाद; सम्पान ओवरसीज़, कानपुर; इटरिक इंडस्ट्रीज, गुवाहाटी; बी.एन. इण्डस्ट्रीज, गुवाहाटी; वी.के.

पी. मिनरल वॉटर, श्रीकाकुलम; मेसर्स मोनिका बीवरेजिस, पश्चिमी गोदावरी (आन्ध्र–प्रदेश) ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : सच्चाई यह है कि मैं यह भी नहीं जानता कि फैक्ट्री मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। इसलिए यह बेहतर होगा कि आप सभी को बता दें कि आपने क्या कार्यवाही की है क्योंकि वह जनता को धोखा दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : आपने नाम पढ़ने के लिए कहा, इसलिए में पढ़ रहा हूं। मैं वे नाम पढ़ने के बाद सारी परिस्थितियां भी बताने के लिए तैयार हूं। आप बीच में बोल कर ऐसा कुछ न कहें, जिससे मैं अपनी बात पूरी न कर सकूं। यदि आप नहीं कहते कि ये नाम पढ़ने हैं, तो उन सारी बातों को विस्तार से बताता। मैं जानता हूं कि इसमें अकेले इनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं आता है बल्कि बहुत से लोगों के निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। उसके पीछे कुछ कारण हैं? अध्यक्ष महोदय, शरद पवार जी ने आपके माध्यम से इनके नामों के बारे में पूछा है, इसलिए मैं यह नाम पढ़ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैसर्स कोठारी बीवरेजिस, शाहपुर, जिला ठाणे; मैसर्स वैभव एक्वा, घाटकोपर, मुम्बई; मैसर्स इयान एक्सचेंज, नवी मुम्बई। सुरभि मिल्क फूड, कालोल; पैप्सीको इण्डिया होल्डिंग, भरूच; महाराष्ट्र मैनुफैक्चरर्स कार्पोरेशन; जिला ठाणे; सूरत बेवरेजिस, दादरा; सरदुल मिनरल वॉटर एंड सोडा प्राइवेट लिमिटेड, जमशेदपुर; और कोठारी बीवरेजिस, नाडियाड, जिला खेड़ा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि सैन्टर फॉर रिसर्च एंड एनवॉयरनमेंट एन.जी.ओ. की ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने इस मामले में कहा कि इसमें पेस्टीसाइड रेसीड्यूज ज्यादा पाये गये हैं। उनकी रिपोर्ट आई है, जिसके दो हिस्से हैं – एक हिस्सा यह है कि हिन्दुस्तान में बी.आई.एस. पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत कुछ स्टैंडर्ड नार्म्स तय करता है। इस तरह से जो स्टैंडर्ड/नॉर्म्स बनाये गये थे, उनको हमने डब्ल्यू.एच.ओ. और कोडेक्स के अंतर्गत बनाने का काम किया था। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं, कई तरह की इनवैंशन्स हो रही हैं और पानी के प्योरीफिकेशन में तमाम तरह की रिसर्चेज आ रही हैं। यह जो रिपोर्ट आई है, वह मैं आपके माध्यम से सदन के साथ शेयर करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पेस्टीसाइड रेसीड्यू है, वह हैल्थ के लिए हेजार्डस है। जब 5 फरवरी को यह रिपोर्ट आई, उसके बाद हमने दुनिया के साइंटिस्ट्स तथा देश के साइंटिस्ट्स बुलाने का काम किया। दुनिया में कहीं कोई इस तरह की खोज नहीं है कि यह पानी कितने समय तक और कितनी देर में लोगों को नुकसान करेंगे। अभी यह ऑन गोइंग सब्जैक्ट है कि कितने लम्बे समय में यह नुकसान कर सकता है। फिर भी, लोगों की इस एक बात पर सहमति बनी है ... *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : बी.आई.एस. की एकाउन्टेबिलिटी होनी चाहिए। कृपया मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना उत्तर पूरा कीजिए।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, यह ऐसा सवाल है कि जिस पर देश में कंफ्यूजन है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : मैं प्रश्न पूछने वाली हूं ...*(व्यवधान)* लेकिन जैसे ही मैं प्रश्न जरूर पूछूंगी तो आपकी पोल खुल जायेगी।

श्री शरद यादव : आप प्रश्न पूछेंगी, मैं बताऊंगा। लेकिन आप इतनी इम्पेशेन्ट क्यों हो रही हैं। मेरे बोलने के बाद पूछ लेना।

अध्यक्ष महोदय, इसके दो हिस्से हैं। अभी हमारे पास बी. आई.एस. में पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत कुछ स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स बने हैं, अभी उन नॉर्म्स के उल्लंघन के कारण जो पानी के प्लान्ट्स बंद हुए हैं, जिनके बारे में श्री शरद पवार जी कह रहे थे, ये वे प्लांट्स हैं, जो वर्तमान में बी.आई.एस. के स्टैंडर्ड/नार्म्स को पूरा नहीं कर रहे थे। उनकी जांच कराई गई, जिनमें बिसलेरी, किनले और एक्वा इनके कई प्लांट्स शामिल हैं। हम प्लान्टवाइज आई.एस.आई मार्क देते हैं। जहां प्लांटवाइज आई.एस.आई के स्तर के मुताबिक गलती पाई गई, उन्हें हमने विदड्रा किया है, लेकिन बाकी जगह उनका पानी बन रहा है।

यह रिपोर्ट पांच तारीख को आई तो मैंने पांच तारीख को ही एक इंक्वायरी कमेटी कांस्टीट्यूट की। हमें सात–आठ तारीख को बी.आई.एस. ने बताया कि क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिये। दुनिया भर के देशों से नो हाऊ एकत्र करके सारे साइंटिस्ट्स तथा बी.आई.एस. के अधिकारियों ने बैठकर तय

किया कि इसमें क्या स्टैंडड्र्स बनने चाहिए। 10 तारीख को हमारे यहां जो एक्सपर्ट्स होते थे, उन्होंने अपनी तरफ से सारी जानकारी हैल्थ मिनिस्ट्री को भेज दी। हैल्थ मिनिस्ट्री ने 18 तारीख को यह पब्लिक नोटिस निकाल दिया कि पी.एफ.ए. एक्ट में चेंज किया जाये और पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत नॉर्म्स बनाकर, क्या स्टैंडड्र्स बनाये जायें, इस बारे में नोटिफिकेशन उन्होंने कर दिया।

लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि 15 दिन का समय कम है, इसके लिए लम्बा समय देना चाहिए। इस मामले में इतने ज्यादा रिप्रेजेन्टेशंस आये हैं कि उनका गट्ठा लग गया है। हैल्थ मिनिस्ट्री ने मुझसे कहा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : महोदय, अब हम संतुष्ट हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शरद जी का पूरा समाधान हुआ है।

श्री शरद यादव : इसके दो हिस्से हैं, प्रथम हमें नये स्टैन्डर्ड बनाने हैं। जिन स्टैंडर्ड पर हमनें एक्शन किया हैं, वे प्लान्ट्स हमनें बंद किये हैं। बाकी जब नये स्टैंडड्र्स बनेंगे, तब इस पानी को, जो वैल्यू एडेड पानी है, ...*(व्यवधान)*

पब्लिक हैल्थ में किसी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। दुनिया में जितने तरह के स्टैन्डर्ड हैं, उन सबको मिलाकर यहां के पानी का स्टैन्डर्ड बनाने का काम हम करेंगे। लेकिन जब तक पीएफए में चेन्ज नहीं होगा, तब तक यह नहीं हो सकता है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : पानी के नाम पर देश में करोड़ों लोगों को लूटा जा रहा है। यह लूट बंद होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुंवर जी आप बैठिये। मंडलिक जी, आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछिये।

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : अध्यक्ष जी, पीने के पानी के बारे में जांच करवाने के लिए शासन द्वारा नियुक्त इनक्वायरी कमेटी ने बीआईएस की कार्यक्षमता और मर्यादाओं के बारे में भी स्थित स्पष्ट की है। इससे यह बात स्पष्ट हो गयी है कि बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से पानी के बढ़ते हुए उत्पादन पर प्रभावी रूप से नियंत्रण रखने में बी.आई.एस. कामयाब नहीं हुआ है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बीआईएस संस्था के 1986 से अस्तित्व में आने के बाद क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि दूषित पीने के पानी की समस्या ने जब इतना ज्वलंत रूप ले लिया है तो बीआईएस का पुर्नगठन होना जरूरी है? क्या सरकार के पास बीआईएस के पुर्नगठन के लिए कोई कार्यक्रम है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : आप इतना लम्बा प्रश्न पूछते हैं तो मंत्री जी भी उतना ही लंबा उत्तर देते हैं।

श्री शरद यादव : आपका मत है कि मैं प्रश्न का छोटा जवाब दूं। बीआईएस का जिम्मा नहीं है कि सारे हिन्दुस्तान के पानी को हम ठीक करें। बीआईएस का जिम्मा इतना है कि जो पैकेज्ड मिनिरल वॉटर है, उस पानी की गुणवत्ता को देखें और वे निर्धारित स्टैन्डर्ड नॉर्म्स बनाए रखें, यही हमारा काम है।

श्री वी. धनंजय कुमार : मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने इतना लंबा उत्तर तो पढ़कर सुनाया, लेकिन इसकी इंडस्ट्री लगाने के लिए कहां से उन्हें लाईसेंस मिला था? क्या वह राज्य सरकारों ने दिया या केन्द्र सरकार ने दिया? जहां भी लोग इसमें दोषी पाए गए हैं, क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको बंद करेंगे और जिन्होंने उनको लाइसेंस दिये, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? ... *(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, लाइसेंस निश्चित तौर पर बीआईएस की तरफ से मिलता है। वैसे यह काम 1998 से हमारे जिम्मे आया। उसके पहले लाइसेंस वगैरह दूसरों द्वारा दिया जाता था। लेकिन अब पैकेज्ड पानी का स्टैन्डर्ड देखने का काम हमारे जिम्मे है। ...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार : इन कंपनियों को लाइसेंस राज्य सरकारों ने दिया है या केन्द्र सरकार ने दिया है?

श्री शरद यादव : वह राज्य सरकारों ने दिया है।

श्री वी. धनंजय कुमार : यह स्पष्ट होना चाहिए।

श्री शरद यादव : वह मैं आपको दे दूंगा। लेकिन हमें 1998 से यह जिम्मा मिला है। पानी के स्टैन्डर्ड नॉर्म्स के बारे में 1998 में हमनें तय किया और तब से पानी के मामले को देख रहे हैं। इसी 28 अप्रैल को जो फिर से नॉर्म्स चेन्ज करने हैं, वे करेंगे। जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि दोषी लोगों को सज़ा देंगे या नहीं, हमारे पास आई.एस.आई मार्क को विदड्रा करने का अधिकार है और जब हम विदड्रा कर लेते हैं तो बिना आईएसआई मार्क के वह पानी नहीं बिक सकता है। फिर वह प्लांट बंद हो जाता है और बाजार में उसका पानी

नहीं आता है। लेकिन उसी कंपनी के कई तरह के प्लांट होते हैं, जैसे बिसलेरी का प्लांट नौएडा में लगा है और गाज़ियाबाद में भी लगा है। कई जगह देश भर में इनके प्लांट लगे होते हैं। जो बात उठाई गई है कि इससे लोगों के मन में एक तरह की धारणा आ रही है कि बीआईएस पूरी की पूरी कंपनी को बंद करती है, ऐसा नहीं है। वास्तव में, जिस प्लांट में कमी पाई जाती है चाहे वह बायोलॉजिकल कमी हो या उसमें हैजार्डस स्थिति हो, चाहे गंदगी पाई गई हो, जो स्टैन्डर्ड नॉर्म्स बनाए गये हैं, वे पूरे हैं या नहीं, उसके बाद ही उनको बंद करने का काम किया जाता है। जिन प्लांट्स को बंद किया जाता है, वे जब तक कमी को दुरुस्त नहीं कर लेते, तब तक उनको पुनः चालू करने का काम नहीं किया जाता। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : दूषित पानी बेचना जघन्य अपराध है। इस पर मंत्री जी का जवाब संतोषप्रद नहीं है। इस पर सदन में चर्चा कराई जानी चाहिए। यह विषय बहुत गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय : हर विषय गंभीर है लेकिन आप सदन को हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। आपको डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया अन्य लोगों को भी प्रश्न पूछने दें। यह काम आप ठीक नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री महोदय एक बहुत ही स्पष्ट और संक्षिप्त उत्तर दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं आया तो भी मुझे दूसरे माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने का मौका देना पड़ेगा।

श्रीमती रेणूका चौधरी : मैं मंत्री जी से संक्षेप में पूछ रही हूं कि बीआईएस क्या हर प्लांट को इंस्पैक्ट करता है?

क्या इंस्पैक्शन के बाद आप लाइसेंस देते हैं, आई.एस. आई. मार्क देते हैं और उसके बाद भी आपने प्लांट बन्द कर दिए। आप मुझे यह बताएं कि आपने बी.आई.एस. को क्या जिम्मेदारी सौंपी है। जब बी.आई.एस. ने इंस्पैक्शन कर के दिया

[अनुवाद]

फिर आप उन्हें आई.एस.आई. मार्क दे दीजिए। भारतीय मानक ब्यूरो के निरीक्षण के बाद आपने आई.एस.आई. मार्क जारी कर दिया है। तो आपने क्या निरीक्षण किया? आपने किस आधार पर निरीक्षण किया, क्या आपने इन कम्पनियों को लाइसेंस नहीं दिया? तत्पश्चात् आपने रद्द कर दिया। अब भारतीय मानक ब्यूरो उत्तरदायी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जिम्मेदारी लेने के बाद, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इन संयंत्रों के रख–रखाव के लिए क्या सेवाएं प्रदान की गई हैं? आपको निरीक्षण करना चाहिए और समय–समय पर करते रहना चाहिए। आपके भारतीय मानक ब्यूरो संयंत्रों की क्या प्रामाणिकता है?

[हिन्दी]

आपने अपने बी.आई.एस. ऑफीसर्स को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए और अब आप सी.एस.ई. की रिपोर्ट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

[अनुवाद]

आपको सी.एस.ई. रिपोर्ट सभा–पटल पर रखनी है। यह सरकारी एजेंसी है। आपने यह मानदंड स्थापित किए हैं। आपने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अद्यतन मानदंडों को अपनाया है।

आज, आप मानदंडों में परिवर्तन कर रहे हैं और यूरो मानकों की बात कर रहे हैं। मैंने श्री शरद यादव को पत्र लिखा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यूरो मानकों को खाद्य सामग्री पर भी लागू किया जाएगा। क्या आप नहीं जानते कि इस देश में षडयंत्र चल रहा है कि

[हिन्दी]

आप समर के पहले कह रहे हैं कि एक कंपनी के पानी में पैस्टीसाइड्स हैं। एक कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर आप यह कह रहे हैं, बाकी कंपनियों की रिपोर्ट का क्या हुआ?

[अनुवाद]

आपके अपने कोई सुस्थापित मानक नहीं हैं। आप सी. एस.ई. रिपोर्ट का उत्तर नहीं दे सके। अतः मैं चाहता हूं कि आप हमें एक विस्तृत उत्तर दें। सी.एस.ई. रिपोर्ट क्या है? बी. आई.एस. की क्या जिम्मेदारी है? भारतीय मानक ब्यूरो किस तरह से निरीक्षण करता है और कम्पनियों को आई.एस.आई. मार्क देता है? लाइसेंस देने के लिए सरकार को कितना धन प्राप्त होता है?

[हिन्दी]

कितना पैसा वसूल किया गया है और बी.आई.एस. के

इंस्पैक्टर्स का राज कहां तक चल रहा है, इसको मैं बताऊंगी। मैंने जो बातें पूछी हैं, पहले आप उनका जवाब दें?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, रेणूका जी का पत्र हमको मिला था।

श्रीमती रेणूका चौधरी : लेकिन उसका जवाब नहीं आया है।

श्री शरद यादव : उसका जवाब अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को जा रहा है। उन्होंने जो बात कही थी, मैं उसका संक्षेप में जवाब दे देता हूं। उन्होंने जो बी.आई.एस. के बारे में पूछा है कि कितने इंस्पैक्शन्स हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि उसके कुल सैम्पल 3887 उठाए गए और जिन सैम्पल्स पर कार्रवाई हुई है, अभी जो हुई, उसको यदि छोड़ दें, तो उनकी संख्या 663 है, जिन पर कार्रवाई हुई है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने सैम्पल का जिक्र नहीं किया है। मैंने पूछा है कि आपने इंस्पैक्शन के बाद आई.एस.आई. के मार्क दिए हैं। निरीक्षण के बाद आपने आई. एस.आई. मार्क जारी किया है। आप अपनी निरीक्षण रिपोर्ट से कैसे इंकार कर सकते हैं?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, इंस्पैक्शन ऑनगोइंग प्रौसेस है। यह सतत प्रक्रिया है, जो चलती रहती है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : यह ऑनगोइंग प्रौसेस नहीं है।

[अनुवाद]

आप लाइसेंस कैसे देते हैं और वह किस रिपोर्ट के आधार पर दिए गए हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रेणूका जी, यह पद्धति नहीं है। आप माननीय मंत्री जी को पहले जवाब देने दीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : लेकिन उन्हें प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, रेणूका जी को हम बहुत दिनों से जानते हैं। यह इसी तरह से गुस्सा करती रहती हैं और इसी प्रकार से आक्रामक होकर प्रश्न पूछती हैं। और फिर उसके बाद ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : और फिर उसके बाद क्या होता है रेणूका जी के साथ, बताइए?

श्री शरद यादव : मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्रीमती रेणूका चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका प्रोटैक्शन चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : रेणूका जी, आपको कौन प्रोटैक्शन दे सकता है? बहुत मुश्किल है।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, एक बात उन्होंने कही थी कि सी.एस.ई. की रिपोर्ट आने के बाद उस पर कार्रवाई की गई है – ऐसी बात नहीं है। इसके बाद भी पैस्टीसाइट के इश्यू पर वर्ष 2002 में हमने दो केसेस इसी तरह के पकड़े थे। इसलिए अकेला इसका यही कारण नहीं है। लगातार इन्क्वायरी और इंस्पैक्शन होते रहते हैं। तभी एक्शन होता है। चूंकि इस रिपोर्ट के आधार पर मीडिया ने पूरी देश में खबर फैला दी, इसलिए इस पर मैं कह रहा हूं। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर बहुत छोटे–छोटे लोग लगे हैं। इसलिए इसके बारे में सावधानी बरतने की जरूरत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे किसी माध्यम से प्रश्न उठाएं, मैं इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा दूंगा। यदि आप में से कोई नोटिस देगा, तो मैं इस विषय पर चर्चा दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर चर्चा देने वाला हूं। पांडेय जी आप प्रश्न पूछिए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : प्रश्न संख्या 503 ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आधे घंटे का समय इस प्रश्न के लिए दिया है, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। इसलिए कृपया आप सब माननीय सदस्य बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, मैं इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा चाहती हूं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप इस पर आधे घंटे की चर्चा कराइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको आधे घंटे की चर्चा का अवसर दूंगा। आप मुझे इसके लिए नोटिस दें।

[हिन्दी]

आधे घंटे की चर्चा का नोटिस दीजिए, मैं उसे स्वीकृत करूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

आप इनकी सुरक्षा करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, ये हम पर आरोप लगा रही हैं कि आप हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह फालतू में हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई आरोप होगा तो मैं रिकार्ड से निकाल दूंगा।

खाद्यान्नों का भंडारण

+

*503. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** :

श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एफ.सी.आई. और सी.डब्ल्यू.सी. के खुले और बंद गोदामों में इस समय कितना गेहूं, चावल और चीनी पड़ा है और कितनी मात्रा अतिरेक घोषित की गई;

(ख) उक्त मदों के अतिरेक भंडार का उपयोग करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या खाद्यान्नों की कुछ मात्रा मानव उपभोग के उपयुक्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरेक खाद्यान्नों की बिक्री करने का है, ताकि यह मात्रा बर्बाद न हो;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा गोदामों में अत्याधिक भंडारण के मद्देनजर खाद्य राजसहायता संबंधी "बिल" कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

1.3.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल का कुल स्टाक 361.93 लाख टन (176.13 लाख टन चावल और 185.80 लाख टन गेहूं) होने की सूचना है। 1.3.2003 की स्थिति के अनुसार इसमें से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के पास (केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों में रखे स्टाक सहित) गेहूं और चावल की मात्रा क्रमशः 46.72 लाख टन और 152.61 लाख टन थी। 1.3.2003 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के पास (केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों में रखे स्टाक सहित) रखे खाद्यान्नों के ब्यौरे अनुबंध–I में दिए गए विवरण में हैं। 1.3.2003 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भंडारित चीनी की मात्रा अनुबंध–II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 0.41 लाख टन थी। चीनी का भंडारण केवल ढके हुए गोदामों में किया जाता है।

1.1.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का अधिशेष स्टाक तदनुरूपी अवधि के बफर स्टाक रखने के मानदंडों की तुलना में 314 लाख टन था। खाद्यान्नों के अधिशेष स्टाक का उपयोग करने के लिए किए गए उपाय अनुबंध–III में दिए गए हैं। 1.1.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 482.05 लाख टन खाद्यान्नों का स्टाक था जबकि 1.1.2002 की स्थिति के अनुसार यह स्टाक 581.12 लाख टन था।

पहली मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास अनुमानतः 1.42 लाख टन क्षतिग्रस्त खाद्यान्न (मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त) था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटन की मात्रा को 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ा कर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह (1.4.2002 से) कर दिया गया है ताकि अधिशेष स्टाक के उपयोग में वृद्धि हो सके।

अनुबंध-I

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		ढकी हुई					कुल (अपनी) (4 से 7)	कुल (ढ़की हुई) (3+8)	कैप (खुला)			सकल जोड़ (9+12)
			भा.खा.नि. की अपनी	राज्य सरकार	केन्द्रीय भंडारण निगम	राज्य भंडारण निगम	निजी			अपनी	किराए की	जोड	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	पूर्वी जोन												
1.	बिहार	क्षमता	365.74	8.43	48.00	28.86	60.09	145.38	511.12	28.09	–	28.09	539.21
		स्टॉक	161.30	2.63	35.58	16.83	20.74	75.78	237.08	–	–	–	237.08
		उपयोग	44%	31%	74%	58%	35%	52%	46%	–	–	–	44%
2.	झारखंड	क्षमता	67.56	–	10.50	2.00	24.02	36.52	104.08	–	–	–	104.08
		स्टॉक	23.76	–	1.71	0.48	6.00	8.19	31.95	–	–	–	31.95
		उपयोग	35%	–	11%	24%	25%	22%	31%	–	–	–	31%
3.	उड़ीसा	क्षमता	278.22	–	24.80	123.95	15.00	163.75	441.97	–	–	–	441.97
		स्टॉक	127.10	–	15.0	75.05	10.90	100.95	228.05	–	–	–	228.05
		उपयोग	46%	–	60%	61%	73%	62%	52%	–	–	–	52%
4.	पश्चिम बंगाल	क्षमता	864.02	47.22	16.61	0.56	108.24	172.63	1036.65	–	–	–	1036.65
		स्टॉक	214.81	12.50	4.53	0.56	36.75	54.34	269.15	–	–	–	259.15
		उपयोग	25%	26%	27%	100%	34%	31%	26%	–	–	–	26%

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	सिक्किम	क्षमता	9.68	0.95	–	–	–	0.95	10.63	–	–	–	10.63
		स्टॉक	4.30	0.07	–	–	–	0.07	4.37	–	–	–	4.37
		उपयोग	44%	07%	–	–	–	07%	41%	–	–	–	41%
पूर्वी जोन का जोड़		क्षमता	1585.22	56.60	99.91	155.37	207.35	519.23	2104.45	28.09	–	28.09	2132.54
		स्टॉक	531.27	15.20	56.82	92.92	74.39	239.33	770.60	–	–	–	770.60
		उपयोग	34%	27%	57%	60%	36%	46%	37%	–	–	–	36%
II.	उत्तर पूर्वी जोन												
	असम क्षेत्र												
6.	असम	क्षमता	199.30	3.75	–	11.65	63.48	78.88	278.18	–	–	–	278.18
		स्टॉक	40.52	0.98	–	5.13	18.33	24.44	64.96	–	–	–	64.96
		उपयोग	20%	26%	–	44%	29%	31%	23%	–	–	–	23%
7.	अरूणाचल प्रदेश	क्षमता	17.50	–	–	–	–	–	17.50	–	–	–	17.50
		स्टॉक	4.55	–	–	–	–	–	4.55	–	–	–	4.55
		उपयोग	26%	–	–	–	–	–	26%	–	–	–	26%
असम क्षेत्र का जोड़		क्षमता	216.80	3.75	–	11.65	63.48	78.88	295.68	–	–	–	295.68
		स्टॉक	45.07	0.98	–	5.13	18.33	24.44	69.51	–	–	–	69.51
		उपयोग	21%	26%	–	44%	29%	31%	23%	–	–	–	23%

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र (शिलांग)													
8.	मेघालय	क्षमता	13.75	–	–	5.20	–	5.20	18.95	–	–	–	18.95
		स्टॉक	5.69	–	–	3.72	–	3.72	8.81	–	–	–	8.81
		उपयोग	41%	–	–	60%	–	50%	46%	–	–	–	46%
9.	मणिपुर	क्षमता	17.75	1.00	–	–	–	1.00	18.75	–	–	–	18.75
		स्टॉक	11.55	0.08	–	–	–	0.08	11.63	–	–	–	11.63
		उपयोग	65%	08%	–	–	–	08%	62%	–	–	–	62%
10.	मिजोरम	क्षमता	17.59	1.00	–	–	–	1.00	18.59	–	–	–	18.59
		स्टॉक	11.47	0.19	–	–	–	0.19	11.66	–	–	–	11.66
		उपयोग	65%	19%	–	–	–	19%	63%	–	–	–	63%
11.	नागालैंड	क्षमता	17.22	–	10.13	–	–	10.13	27.35	–	–	–	27.35
		स्टॉक	4.00	–	2.25	–	–	2.25	6.25	–	–	–	6.25
		उपयोग	28%	–	22%	–	–	22%	23%	–	–	–	23%
12.	त्रिपुरा	क्षमता	19.18	4.80	10.92	–	1.67	17.39	36.57	–	–	–	36.57
		स्टॉक	9.27	3.77	10.76	–	1.20	15.73	25.00	–	–	–	25.00
		उपयोग	48%	79%	99%	–	72%	90%	68%	–	–	–	68%
क्षमता का जोड़ उत्तर–पूर्वी क्षेत्र		क्षमता	85.49	6.80	21.05	5.20	1.67	34.72	120.21	–	–	–	120.21
		स्टॉक	41.98	4.04	13.01	3.72	1.20	21.97	63.95	–	–	–	63.95
		उपयोग	49%	59%	62%	60%	72%	63%	53%	–	–	–	53%

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.	उत्तरी जोन												
13.	दिल्ली	क्षमता	336.07	–	5.00	–	–	5.00	341.07	33.65	–	33.65	374.72
		स्टॉक	201.28	–	1.66	–	–	1.66	202.94	8.50	–	8.50	211.44
		उपयोग	60%	–	33%	–	–	33%	60%	25%	–	25%	56%
14.	हरियाणा	क्षमता	763.66	494.29	202.58	411.48	257.50	1365.85	2129.51	359.36	89.91	449.27	2578.78
		स्टॉक	325.88	421.79	191.83	348.84	109.07	1071.53	1397.41	183.26	44.07	227.33	1624.74
		उपयोग	43%	85%	95%	85%	42%	78%	66%	51%	49%	50%	63%
15.	हिमाचल प्रदेश	क्षमता	12.51	8.93	3.33	–	–	12.26	24.77	–	–	–	24.77
		स्टॉक	9.17	8.13	3.33	–	–	11.46	20.63	–	–	–	20.63
		उपयोग	73%	91%	100%	–	–	93%	83%	–	–	–	83%
16.	जम्मू एवं कश्मीर	क्षमता	83.34	18.30	–	–	19.20	37.50	120.84	–	–	–	120.84
		स्टॉक	68.96	13.77	–	–	10.38	24.15	93.11	–	–	–	93.31
		उपयोग	83%	75%	–	–	54%	64%	77%	–	–	–	77%
पंजाब क्षेत्र													
17.	पंजाब	क्षमता	2156.96	539.57	412.16	4336.55	1905.57	7193.85	9350.81	620.62	2452.39	3073.01	12423.82
		स्टॉक	1849.82	470.77	409.86	3788.98	1735.61	6405.22	8255.04	107.88	902.12	1010.00	9265.04
		उपयोग	86%	87%	99%	87%	91%	89%	88%	17%	37%	33%	75%
18.	चंडीगढ़	क्षमता	39.94	5.00	48.75	28.90	–	82.65	122.59	8.40	30.20	38.60	161.19
		स्टॉक	45.60	4.36	50.95	19.07	–	74.38	119.98	1.66	6.98	8.64	128.62
		उपयोग	114%	87%	104%	66%	–	90%	98%	20%	23%	22%	80%

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंजाब क्षेत्र का जोड़		क्षमता	2196.90	544.57	460.91	4365.45	1905.57	7276.50	9473.40	629.02	2482.59	3111.61	12585.01
		स्टॉक	1895.42	475.13	460.81	3808.05	1735.61	6479.60	8375.02	109.54	909.10	1018.64	9393.66
		उपयोग	86%	87%	100%	87%	91%	89%	88%	17%	37%	33%	75%
19.	राजस्थान	क्षमता	707.03	–	11.00	28.40	121.35	160.75	867.78	163.68	109.38	273.06	1140.84
		स्टॉक	266.60	–	11.00	28.40	65.47	104.87	371.47	18.20	50.92	69.12	440.59
		उपयोग	38%	–	100%	100%	54%	65%	43%	11%	47%	25%	39%
20.	उत्तर प्रदेश	क्षमता	1464.71	–	357.85	861.77	72.11	1291.73	2756.44	436.40	61.13	497.53	3253.97
		स्टॉक	838.28	–	327.00	804.00	32.95	1163.95	2002.23	18.67	38.55	57.22	2059.45
		उपयोग	57%	–	91%	93%	46%	90%	73%	04%	63%	12%	63%
21.	उत्तरांचल	क्षमता	68.50	15.30	33.30	27.46	7.16	83.22	151.72	8.82	12.43	21.25	172.97
		स्टॉक	46.04	12.18	33.30	27.46	3.36	76.30	122.34	–	0.24	0.24	122.58
		उपयोग	67%	80%	100%	100%	47%	92%	81%	–	02%	01%	71%
उत्तरी जोन का जोड़		क्षमता	5632.72	1081.39	1073.97	5694.56	2382.89	10232.81	15865.53	1630.93	2755.44	4386.37	20251.90
		स्टॉक	3651.63	931.00	1028.93	5016.75	1956.84	8933.52	12585.15	338.17	1042.88	1381.05	13966.20
		उपयोग	65%	86%	96%	88%	82%	87%	79%	21%	38%	31%	69%
IV	दक्षिणी जोन												
22.	आंध्र प्रदेश	क्षमता	1248.33	–	384.20	1192.40	55.00	1631.60	2879.93	197.40	120.10	317.50	3197.43
		स्टॉक	799.30	–	357.80	678.80	48.00	1084.60	1883.90	45.90	13.90	59.80	1943.70
		उपयोग	64%	–	93%	55%	87%	66%	65%	23%	11%	19%	61%

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	केरल	क्षमता	565.44	–	10.00	–	6.35	16.35	581.79	20.87	–	20.87	602.66
		स्टॉक	327.89	–	9.17	–	6.13	15.30	343.19	–	–	–	343.19
		उपयोग	69%	–	92%	–	94%	94%	59%	–	–	–	57%
24.	कर्नाटक	क्षमता	335.68	–	125.00	80.91	–	205.91	541.59	162.54	7.74	170.28	711.87
		स्टॉक	184.53	–	83.57	43.83	–	127.40	311.93	12.88	7.74	20.62	332.55
		उपयोग	55%	–	67%	54%	–	62%	58%	08%	100%	12%	47%
तमिलनाडु क्षेत्र													
25.	तमिलनाडु	क्षमता	589.98	–	116.50	37.96	–	154.46	744.44	60.52	35.00	95.52	839.96
		स्टॉक	454.49	–	64.31	26.86	–	91.17	545.66	2.92	0.14	3.06	548.72
		उपयोग	77%	–	55%	71%	–	59%	73%	05%	01%	03%	65%
26.	पांडिचेरी	क्षमता	41.20	–	–	–	–	–	41.20	4.76	–	4.76	45.96
		स्टॉक	19.26	–	–	–	–	–	19.26	0.04	–	0.04	19.30
		उपयोग	47%	–	–	–	–	--	47%	01%	–	01%	42%
तमिलनाडु क्षेत्र का जोड़		क्षमता	631.18	–	116.50	37.96	–	154.46	785.64	65.28	35.00	100.28	885.92
		स्टॉक	473.75	–	64.31	26.86	–	91.17	564.92	2.96	0.14	3.10	568.02
		उपयोग	75%	–	55%	71%	–	59%	72%	05%	01%	03%	64%
दक्षिणी क्षेत्र का जोड़		क्षमता	2780.63	–	635.70	1311.27	61.35	2008.32	4788.95	446.09	162.84	608.93	5397.88
		स्टॉक	1785.47	–	514.85	749.49	54.13	1318.47	3103.94	61.74	21.78	83.52	3187.46
		उपयोग	64%	–	81%	57%	88%	66%	65%	14%	13%	14%	59%
V.	पश्चिमी जोन												
27.	गुजरात	क्षमता	489.79	23.90	103.08	–	234.76	361.74	851.53	51.74	112.03	163.77	1015.30
		स्टॉक	242.38	12.56	55.54	–	130.67	198.77	443.15	9.60	66.78	76.38	519.53
		उपयोग	50%	53%	54%	–	56%	55%	52%	19%	60%	47%	51%

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
महाराष्ट्र क्षेत्र													
28.	महाराष्ट्र	क्षमता	1177.11	75.29	106.50	142.37	55.00	379.16	1556.27	141.53	105.64	247.17	1803.44
		स्टॉक	502.24	25.27	88.46	63.17	13.98	190.88	693.12	1.59	42.36	43.95	737.07
		उपयोग	43%	34%	83%	44%	25%	50%	45%	01%	40%	18%	41%
29.	गोवा	क्षमता	15.00	–	–	–	–	–	15.00	–	–	–	15.00
		स्टॉक	6.61	–	–	–	–	–	6.61	–	–	–	6.61
		उपयोग	44%	–	–	–	–	–	44%	–	–	–	44%
महाराष्ट्र क्षेत्र का जोड़		क्षमता	1192.11	75.29	106.50	142.37	55.00	379.16	1571.27	141.53	105.64	247.17	1818.44
		स्टॉक	508.85	25.27	88.46	63.17	13.98	190.88	699.73	1.59	42.36	43.95	743.68
		उपयोग	43%	34%	83%	44%	25%	50%	45%	01%	40%	18%	41%
30.	मध्य प्रदेश	क्षमता	337.42	53.08	107.17	48.76	92.00	301.01	638.43	38.59	40.00	78.59	717.02
		स्टॉक	163.96	25.48	74.49	40.43	44.69	185.09	349.05	4.04	10.76	14.80	363.85
		उपयोग	49%	48%	69%	83%	48%	61%	55%	10%	27%	19%	51%
31.	छत्तीसगढ़	क्षमता	498.27	4.02	17.62	61.75	22.50	105.89	604.16	9.25	23.76	33.01	637.17
		स्टॉक	149.72	3.53	17.62	53.69	11.14	85.98	235.70	5.57	2.97	8.54	244.24
		उपयोग	30%	88%	100%	87%	50%	81%	39%	60%	12%	26%	38%
पश्चिमी जोन का जोड		क्षमता	2517.59	156.29	334.37	252.88	404.26	1147.80	3665.39	241.11	281.43	522.54	4187.93
		स्टॉक	1066.91	66.84	236.11	157.29	200.48	660.72	1727.63	20.80	122.87	143.67	1871.30
		उपयोग	42%	43%	71%	62%	50%	58%	47%	09%	44%	27%	45%
सकल जोड़ (अखिल भारत)		क्षमता	12818.45	1304.83	2165.00	7430.93	3121.00	14021.76	26840.21	2346.22	3199.71	5545.93	32386.14
		स्टॉक	7122.33	1018.06	1849.72	6025.30	2305.37	11198.45	18320.78	420.71	1187.53	1608.24	19929.02
		उपयोग	56%	78%	85%	81%	74%	80%	68%	18%	37%	29%	62%

टिप्पणी : स्टॉक के आंकडे क्षेत्रीय कार्यालयों के आकडों पर आधारित हैं।

अनुबंध-II

28.2.2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास चीनी के स्टॉक की राज्यवार स्थिति

(अनंतिम)

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चीनी
पश्चिम बंगाल	0.01
असम	0.21
त्रिपुरा	0.03
मणिपुर	0.01
नागालैंड	0.04
मिजोरम	0.02
मेघालय	0.02
जम्मू और कश्मीर	0.05
आन्ध्र प्रदेश	0.02
सकल जोड़	0.41

अनुबंध-III

खद्यान्नों के उठान में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय

6.1 विकेंद्रीकृत वसूली को प्रोत्साहित करने और गेहूं तथा चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्यों को संशोधित न करने के अलावा सरकार द्वारा केंद्रीय पूल से खाद्यान्नों के उठान में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं ताकि अधिशेष स्टॉक और रखरखाव लागत में कमी की जा सके तथा गुणवत्ता में क्षति और ह्रास से बचा जा सके। विशिष्ट रूप में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणली के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों के लिए जारी की जाने वाली मात्रा को 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है;

(ii) 1.4.2002 से गरीबी रेखा से नीचे के आबंटन के 5 प्रतिशत की दर पर गरीबी रेखा से नीचे के केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर कल्याण संस्थाओं और छात्रावासों के लिए अतिरिक्त आबंटन करना;

(iii) भारतीय खाद्य निगम की मौजूदा उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मूल्यों पर मात्रात्मक प्रतिबंध के बिना खुला बाजार बिक्री जारी रखना;

(iv) इस शर्त के अध्ययीन केंद्रीय पूल में स्टॉक किसी भी समय 243 लाख टन के बफर स्टॉक (100 लाख टन चावल और 143 लाख टन गेहूं) से कम नहीं होगा, मात्रात्मक प्रतिबंध के बिना चावल, गेहूं और गेहूं उत्पादों का निर्यात करना; मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुरूप राजसहायता जारी रखना; और

(v) मामला–दर–मामला आधार पर तय की जाने वाली शर्तों पर अन्य देशों के साथ काउंटर व्यापार करना और/अथवा खाद्यान्नों के रूप में जिन्स सहायता प्रदान करना।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय भंडारण नीति के अनुसार आप बनाएं, मालिक बनें और चलाएं। मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण भंडारण की योजना को देश में प्रत्येक राज्यवार, खास कर बिहार और झारखंड में कितने प्रखंड और जिलों में लागू किया गया है? वर्तमान में सरकारी गोदामों के आधुनिकीकरण के लिए क्या व्यवस्था की गई है? हमें जानकारी मिली है कि मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास अनुमानतः 1.42 लाख टन क्षतिग्रस्त खाद्यान्न मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त था। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें इसकी कितनी अनुमानित कीमत हुई और खाद्यान्न को बेकार न जाने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का पहला सवाल इससे मेल नहीं खाता, फिर भी इसकी जानकारी मैं इन्हें दे दूंगा। बिहार और झारखंड में ऑपरेट वाली कितनी स्कीम चली और कितनी नहीं चली, वह इस सवाल में कहीं

कवर नहीं होता। इन्होंने निश्चित तौर पर डेमेज्ड फूडग्रेन के बारे में पूछा है। इस साल डेमेज्ड फूडग्रेन 1.3.2003 को 1.42 लाख टन है, जो हमारा टोटल फूडग्रेन है, यह उसका प्वाइंट 39 प्रतिशत है। निश्चित तौर पर हम कितना बड़ा ऑपरेशन करते हैं। एक लाख 42 हजार मीट्रिक टन फूडग्रेन जो खराब हुआ है, उसके कई कारण हैं। ...*(व्यवधान)* इसमें देश का मौसम तथा अन्य कई चीजें हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें कारण दिये हुए हैं, सब लिखा हुआ है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

श्री शरद यादव : मैंने आपसे निवेदन किया कि जैसे लोग कहते हैं कि फूडग्रेन बिल्कुल खराब हो गया है, ऐसा नहीं है। अभी 30,000 टन इसी फूडग्रेन में से हमने राजस्थान के जानवरों को खिलाने के लिए दिया है। इसमें जो और बचता है, वह इंडस्ट्री तथा अन्य चीजों के लिए ले लेते हैं, जिसकी 40 प्रतिशत कीमत हमें मिलती है। दुनिया भर में इससे बड़ा कोई फूडग्रेन का ऑपरेशन और स्टोरेज नहीं है और इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे देश का जो पीड़ीएस है, वह दुनिया का सबसे बड़ा पीडीएस सिस्टम है – जिसमें लगभग चार लाख 74 हजार मीट्रिक टन कवर होता है। यह बड़ा भारी काम है और इस काम को करने में हम लगे हुए हैं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2336, 13 मार्च, 2003 की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें भंडारण पर संशोधित अनुमानित राशि वर्ष 2002–2003 के दौरान कुल 1370 करोड़ बताई गई है, जबकि यहां 12 दिसम्बर, 2002 को खाद्यान्न के रखरखाव से सम्बिन्धित प्रश्न संख्या 2263 के उत्तर में इन्होंने बताया कि 5878 करोड़ रुपये खर्च आया – यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि साल भर में ही दो किस्म की रिपोर्ट कैसे आई। कहां 1377 करोड़ रुपये राज्य सभा में बताया जा रहा है और कहां 5878 करोड़ लोक सभा में बताया जा रहा है। राज्य सभा का जवाब भी मेरे पास है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि इसमें जो धनराशि बताई गई है, दोनों में इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है, इसमें कुछ घपला है या क्या करण है?

श्री शरद यादव : सवाल क्या है, जवाब क्या है, जैसे मान लें कि कैरिंग कास्ट है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर पहले आने दें। प्लीज बैठिये।

श्री शरद यादव : कैरिंग कास्ट में कई चीजें आती हैं। कैरिंग कास्ट में स्टोरेज कास्ट है, कैरिंग कास्ट में मूविंग की कास्ट है, कैरिंग कास्ट में, हम लोग जो सामान ले जाते हैं, उसे स्टेर करना पड़ता है, उसके बाद उसे ले जाकर मंडियों में और बाजारों में बेचना पड़ता है – इसलिए कैरिंग कास्ट में कई तरह के फैक्टर्स होते हैं। निश्चित तौर पर जो आंकडे दिये गये हैं, उनमें कोई गलती नहीं है। कैरिंग कास्ट का प्रश्न जो पूछा गया होगा, वह उसमें उत्तर आया है। यदि मूवमेंट का प्रश्न पूछा गया होगा तो निश्चित तौर पर ये जो दो अन्य सवाल पूछे हैं, उनका जवाब मैं लिखकर भेज दूंगा।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : हमारा कहना यह है कि दोनों में इतना डिफरेंस कैसे आ गया, मेरा आपसे सीधा प्रश्न था, आप इसका जवाब देंगे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका प्रश्न ही अस्वीकार करता हूं। अब मैं अगले सदस्य श्री लक्ष्मण गिलुवा को प्रश्न पूछने के लिए बुला रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण गिलुवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी के जवाब को बड़े ध्यान से पढ़ा है। अपने जवाब में इन्होंने लिखा है कि बिहार में कितनी क्षमता है, स्टाक कितना है और कितना उपयोग में लाया गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वर्षवार कितना अनाज किया जाता है, इसका जिक्र मंत्री जी ने अपने जवाब में नहीं दिया है, क्या खाद्य मंत्रालय के पास ऐसी कोई पद्धति है कि जिससे राज्यों में सरप्लस स्टाक की मांग करने पर जांच सके, किस आधार पर राज्य को अनाज दिया जाए। अगर ऐसी कोई पद्धति है तो राज्यवार उसका ब्यौरा क्या है? उसमें झारखंड, बिहार और उड़ीसा को सरप्लस स्टाक में से कितना अनाज दिया गया है?

श्री शरद यादव : माननीय अध्यक्ष जी, हम जो सूबों को अनाज देते हैं, चाहे वे सोशल वैलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वे टार्गेटिड पी.डी.एस. है, इसमें पूरे देश भर में गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों की पहचान करके, जिन्होंने जितनी संख्या में मांग की है, अन्त्योदय योजना में जितने लोग आते हैं, फूड फॉर वर्क में कितने आते हैं और इस समय 14 सूबों में ड्राउट है, उन ड्राउट वाले सूबों में करीब 70 लाख मीट्रिक टन

अनाज अभी टास्क फोर्स के जरिये आबंटित किया है और अनाज आबंटित करने का तरीका यह है कि जब स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट हमारे पास आती है, फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वहां जाती है, वहां सर्वे कराती है कि कितना ड्राउट है और जो सूबों की सरकार की मांग है, वह कितनी वाजिब है। इस मामले में आज का नहीं, परम्परागत कई वर्षों से यही तरीका बना हुआ है। उस तरीके के अनुसार हम लोग अनाज का आबंटन करते हैं। यह सूचना तो मेरे पास नहीं है कि उड़ीसा या बिहार को कितना अनाज दिया गया है, मैं माननीय सदस्य को पहुंचा दूंगा, लेकिन देश भर का जो सवाल इन्होंने पूछा है, टोटल वे कहें तो मैं बताने को तैयार हूं। देश में इस बार मार्च में जो हमारा बफर स्टॉक है, वह 261 लाख मीट्रिक टन है, पिछले साल मार्च, 2002 में 545 लाख मीट्रिक टन था, यानी बड़े पैमाने पर इस बार अनाज का उठान हुआ है। बी.पी.एल. में, मिड डे मील में, एस.जी.आर.वाई. में, अन्त्योदय अन्न योजना में इस बार भारत के 14 सूबों में सूखा है, एक कारण यह है। दूसरे हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सूबों की सरकारें भी प्रयास कर रही हैं, नतीजतन इस सारे प्रयासों के चलते जो फूडग्रेन का कंजम्पशन है, वह 160–165 लाख मीट्रिक टन के करीब बढा है तो निश्चित रूप से जो सवाल पूछा गया था वह अच्छा सवाल था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फूडग्रेन के मामले में एक सवाल यह है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : आपके पास जो डैमेज्ड क्राप है, क्या आप उसकी कीमत घटाएंगे? जैसे लास्ट क्लस्टर की कीमत आपने 580 रुपये रखी है और 580 रुपये पर इकोनौमिकली कोई स्टेट गवर्नमेंट, काई कोआपरेटिव लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप दाम नीचे करने के लिए तैयार हैं, यह बताइए?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए आपका जवाब हो गया है।

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, सरकार के सामने आज अनाज की कमी का प्रश्न नहीं है, अनाज ज्यादा होने से कुछ प्रश्न निर्माण हुए हैं। अनाज हमारे देश की सम्पत्ति है। वह पैसे जैसे हैं। उसका उपयोग होना चाहिए। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस हालत में कुछ ऐसे कदम उठाने जा रही है जिसकी वजह से यह सम्पत्ति, जो लोगों ने मेहनत करके सरकार के हाथ में दी है, उसका ठीक उपयोग किया जाएगा? मसलन अनाज की मदद से गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बनाई जा सकती हैं, नेशनल हाईवेज़ भी बनाए जा सकते हैं, इरीगेशन टैंक बनाए जा सकते हैं। डॉ. स्वामीनाथन जी ने हर डिस्ट्रिक्ट में अनाज जल्दी से जल्दी, जब जरूरत हो, पहुंचाने के लिए फूडग्रेन बैंक्स बनाने की भी क़ल्पना की थी। उसके लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार एक इमैजीनेटिव दृष्टि रखकर सरप्लस अनाज का उपयोग करने के लिए क्या सरकार कोई प्लान बना रही है? क्या सरकार स्टेट गवर्नमेंट को अपने कॉन्फीडैंस में ले रही है और उनकी मदद से कुछ करने जा रही है क्योंकि देश की सम्पत्ति ऐसे खराब नहीं होनी चाहिए।

श्री शरद यादव : शिवराज जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं, उसके प्रति सरकार चिंतित ही नहीं है बल्कि एक्शन ले रही है। मैंने कहा कि पिछली बार मार्च 2002 में हमारे पास 565 लाख मीट्रिक टन बफर स्टॉक था। इस साल घटकर 363 लाख मीट्रिक टन रह गया है। आपने पूछा है कि इस सम्पत्ति का हम किस प्रकार मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैं मोटे तौर पर इसका थोड़ा सा विवरण बताना चाहता हूं। 2001–2002 में हमारा ऑफ–टेक 259 लाख मीट्रिक टन था, इस साल अप्रैल, 2002 से फरवरी, 2003 तक 435 लाख मीट्रिक टन बढ़ा, यानी 61 प्रतिशत के करीब उठान बढ़ाया है। इस मामले में जैसे पी.डी.एस. में पिछले साल हमारा 125 लाख मीट्रिक टन उठान था, और इस साल 174 लाख मीट्रिक टन हो गया है, यानी बी.पी.एल. में पिछली बार से ज्यादा उठान हो रहा है। यह 40 फीसदी के करीब बढ़ा है। अदर वेल्फेयर स्कीम में पिछले साल 55 लाख मीट्रिक टन था, इस साल बढ़कर 96 लाख मीट्रिक टन हुआ यानी करीब 74 फीसदी बढ़ा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा संक्षेप में उत्तर दीजिए, बहुत सारे प्रश्न हैं।

श्री शरद यादव : एक्सपोर्ट भी पिछले साल 40 लाख टन था, इस साल हमने 117 लाख टन के करीब एक्सपोर्ट किया। ...*(व्यवधान)* शिवराज जी ने बहुत वाजिब बात कही है। इस साल अनाज को, एक काम के लिए नहीं, अभी हमने करीब 79.78 मीट्रिक टन अनाज 14 सूबों में जो सूखा पड़ा है, उनको बिल्कुल फ्री में, स्टाक फोर्स के जरिए, आवंटित किया है। सड़कें और तालाब से लेकर दूसरे सारे कामों में दिया। अभी राजस्थान में काम चल रहा है। इसी तरह दूसरे सूबों में भी काम चल रहा है। आज प्रान्तों में सब पार्टीज की सरकार है। कहीं हमारी सरकार भी है और पूरे सदन की किसी न किसी सूबे में सरकार है। येरननायडू जी के सूबे में युद्ध स्तर

पर इसी अनाज के जरिए बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। इस साल इस मामले में हम चिंतित हैं और बराबर इस मामले में आगे बढ़ने का काम हुआ है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, इजिप्ट से गेहूं की मांग हुई थी। हम लोग जब विदेश के दौरे पर गए थे, तो हमें बताया गया कि इजिप्ट ने भारत सरकार से गेहूं मांगा, लेकिन हमारी सरकार के खाद्य मंत्रालय की तरफ से जवाब गया कि हमारे पास गेहूं नहीं है। एक तरफ गेहूं गोदामों में पड़ा सड़ रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की बात कही जा रही है।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, 1.3.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल का कुल स्थान 361.93 लाख टन था। खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उत्पादन कम है। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि मुक्त कोटा के बजाय बीपीएल दर पर 6 लाख मीट्रिक टन चावल आवंटित किया जाये। चावल उपलब्ध नहीं हैं और साधारण किस्म के चावल का मूल्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए हमने बीपीएल दर पर भारत सरकार से 6 लाख मीट्रिक टन चावल देने के लिए अनुरोध किया है। इस प्रकार आप स्टाक का उपयोग भी कर सकते हैं। महोदय, आन्ध्र प्रदेश का उठान आवंटन का 90 प्रतिशत है। यही पहला राज्य है जिसने आवंटन का लगभग पूरी तरह से उपयोग किया है।

इन परिस्थितियों के अधीन हम भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह 6 लाख मीट्रिक टन चावल जारी करे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्या वह कोटा देने को तैयार है कि नहीं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, येरननायडू जी ने जो बात कही, वह सही है। उनका हमें पत्र प्राप्त हुआ है। अनाज का आबंटन अब केवल फॅड मिनिस्ट्री नहीं करती, इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। आपका जो सुझाव है, उसे हम वहां ले जाने का काम करेंगे। आंध्र प्रदेश में फूड फॉर वर्क, एस.जी. आर.वाई. तथा अन्य योजनाओं के अंदर बेहतर ढंग से इंतजाम किया हुआ है। और भी कई राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। स्थिति धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रही है। जो आपने सुझाव दिया है, उसको हम टास्क फोर्स में रखेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कह सकते हैं कि मामला विचाराधीन है।

मूल्य वर्धित कर

+

***504. श्री अजय चक्रवर्ती :**

श्री राजो सिंह :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिनांक 01.04.2003 से मूल्यवर्धित कर प्रणाली को लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कराधान की इस प्रणाली के विरुद्ध व्यापारी संघों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने कराधान की इस प्रणाली को लागू करने की सहमति दी है/सहमति नहीं दी है;

(च) मूल्य वर्धित कर प्रणाली को लागू न करने के कारण राजस्व की कितनी निवल हानि हुई है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार का उन राज्य सरकारों की क्षतिपूर्ति करने का प्रस्ताव है जो कराधान की इस प्रणाली को लागू नहीं कर रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (ज) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 54 के अनुसार माल की बिक्री और खरीद पर कर लगाना राज्य का एक विषय है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मौजूदा बिक्री कर प्रणाली के

स्थान पर मूल्य वर्धित कर लगाया जाना है। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर प्रणाली (मूल्य वर्धित कर) को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) 22 जून, 2000 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा मूल्य वर्धित कर को लागू करने संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया गया था। व्यापार और उद्योग के अभ्यावेदनों एवं राज्य मूल्य वर्धित कर की त्रुटियों, यदि कोई हों, पर नियंत्रण हेतु उपायों अथवा मूल्य वर्धित कर के पुनः निर्धारण के बारे में कोई भी निर्णय अधिकार प्राप्त समिति को ही करना होता है, जिसकी समय–समय पर बैठकें होती रहती हैं।

(ङ) हालांकि अभी तक किसी भी राज्य ने औपचारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि वह मूल्य वर्धित कर प्रणाली को लागू नहीं करेगा, केवल हरियाणा सरकार ने ही 1 अप्रैल, 2003 से मूल्य वर्धित कर को लागू कर दिए जाने के संबंध में सूचना दी है। तथापि, 8 अप्रैल, 2003 को हुई राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार–प्राप्त समिति की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 16 राज्य (जिसमें हरियाणा भी शामिल है) 1 जून, 2003 से मूल्य वर्धित कर लागू करेंगे।

(च) से (ज) मौजूदा बिक्री कर प्रणाली के स्थान पर मूल्य वर्धित कर प्रणाली को लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप राज्यों को होने वाली हानि, यदि काई हो, की भारत सरकार पहले वर्ष (2003–2004) में 100 प्रतिशत की दर पर, दूसरे वर्ष (2004–2005) में 75 प्रतिशत की दर पर तथा तीसरे वर्ष (2005–2006) में 50 प्रतिशत की दर पर मुआवजा देगी। अतः मूल्य वर्धित कर को लागू न करने की स्थिति में मामले में किसी हानि और क्षतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : दो और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर चर्चा आवश्यक है। मैं जानता हूं कि चौथा और पांचवा प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे एक–एक करके पूरा करने दीजिए।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, वीएटी (वैट) अभी भी अत्यन्त दूरस्थ स्वप्न है। यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्दर आता है। लेकिन 2 अप्रैल तक 20 राज्यों ने इस पर विधेयक तैयार करने की और राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं की। केवल 7 राज्यों ने विधेयक तैयार किए हैं। प्रस्तावित वैट को लागू करने की मूल नियत तिथि 1 अप्रैल, 2002 निर्धारित की गई थी और अन्ततः अन्तिम तिथि को बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2003 किया गया था। वह अवधि भी पूरी हो चुकी है। राज्य सरकारों की अधिकार प्राप्त समिति की मई में किसी समय बैठक होगी। इससे प्रस्तावित वैट में कुछ विसंगतियां उत्पन्न होंगी। करदाता काफी भ्रम में हैं। व्यापारी बहुत अधिक आक्रोश में है और उन्होंने धरना देना, हडताल पर बैठना, आदि शुरू कर दिया है। आज समाचार पत्रों में ऐसा प्रतीत होता है कि भा.ज.पा. प्रस्तावित वैट को स्थगित करना चाहती है।

मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकारों से प्रस्तावित वैट को स्थगित करने की सलाह देने पर विचार कर रही है। और दूसरे, क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्रस्तावित वैट के कार्यान्वयन के लिए अन्तिम समय सीमा निर्धारित करने के लिए कहने का निर्णय किया है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मुझे मूल्य वर्धित कर प्रणाली के बारे में कई पहलुओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

मुझे एक परेशानी है क्योंकि अभी कुछ घंटों के बाद हम वित्त विधेयक पर पूरी चर्चा करने जा रहे हैं और वास्तव में सभी मुद्दे और विशेषकर नीतिगत मुद्दे वित्त विधेयक पर पूरी चर्चा से सम्बन्धित हैं। मैं विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने से भाग नहीं रहा हूं क्योंकि सभा पटल पर रखे गये मेरे उत्तर में वैट से सम्बन्धित प्रश्न के बारे में जानकारी दी गई है। मूल्य वर्धित कर एक मूल्य वर्धित कर है। यह संताप वर्धन कर नहीं है। यह नागरिकों अथवा किसी व्यक्ति के संताप को बढ़ाने के लिए नहीं है। बल्कि यह मुख्यतः राज्य कर ही है। यह एक राज्य कर है जो बिक्री कर का स्थान लेगा। इससे कई लाभ है जिसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि यह सभी दिए गए उत्तर में शामिल हैं।

जहां तक संघ सरकार का सम्बन्ध है तथ्यात्मक जानकारी के रूप में मैं दो विशेष बातें बता सकता हूं। पहली यह कि 16 राज्यों ने मूल्य वर्धित कर प्रणाली को लागू करने पर सहमति दे दी है, मात्र 8 राज्यों ने विधान बनाकर दिये हैं लेकिन यह कार्य राज्य विधान मण्डल का है जिन्हें इसके लिए कानून बनाना है। वह विधान एक आदर्श मॉडल पर आधारित है जिसकी हमने राज्यों से सिफारिश की है। उसके पश्चात् ही

हम इसे राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी के लिए भेज सकते हैं। दूसरी बात जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे पास राज्यों के मुख्य मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति मौजूद है। उस शक्ति प्राप्त समिति को इस सम्बन्ध में निर्णय लेना है।

केन्द्र सरकार, संघ सरकार तो मात्र इसे आसान बनाती है। मैं समझता हूं कि इस मामले को समझा जाना चाहिए। शक्ति प्राप्त समिति ने स्वयं कहा है कि कुछ कार्यवाहियां हैं जिन्हें किया जाना चाहिए और उसे पूरा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मूल्य वर्धित कर विधान को पारित करना, नियम और विनियम बनाना, ऐसे व्यवसायियों के नामों का कम्प्यूटरीकरण जोकि मूल्य वर्धित कर प्रणाली की सीमा में आते हैं, कर अधिकारियों, व्यापारियों और उपभोक्ता संघों को प्रशिक्षण, जागरूकता के लिए प्रचार, वैट का कार्यान्वयन, वैट पहचान कर संख्या देना, स्वीकार की गई तिथि से मूल्य वर्धित कर प्रणाली को शुरू करने के लिए उपायों को कार्यान्वित करना जिसकी तिथि पुनः सशक्त समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

वित्त मंत्रालय में हमनें मूल्य वर्धित कर के मुख्य मानदण्डों की एक 'चेक लिस्ट' तैयार की है। दरें, सामग्री वर्गीकरण और सामग्री और अन्य चीजों की परिभाषा राज्यों द्वारा बताई जा रही है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह सब एक समान होना चाहिए। अन्यथा अत्यन्त अच्छी कराधान प्रणाली गलत कार्यान्वयन के कारण विफल हो जाएगी। विद्यमान विधान के स्थान पर आने वाले विधान में विभिन्न राज्यों की सरकारों में विद्यमान छूट पर भी विचार किया जाएगा।

ये 'चैक लिस्ट' के कुछ पहलू हैं जिन पर केन्द्र सरकार को सन्तुष्ट होना चाहिए अतः मैं वित्त विधेयक पर होने वाली चर्चा में इस सम्बन्ध में पूरा उत्तर दूंगा तो ठीक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस पर बहुत कम प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि वित्त विधेयक सम्बन्धी चर्चा के दौरान इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अजय चक्रवर्ती, आप संक्षेप मे प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती : हमारी 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। कृषि क्षेत्र ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारी योगदान दिया है। किसानों की दशा इतनी खराब है कि उनमें से कुछ किसानों ने तो आत्म हत्या तक कर ली है।

बीज कृषि का महत्वपूर्ण घटक है। विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद अच्छे किस्म के बीजों पर निर्भर करते हैं। किसानों की दुर्दशा पर विचार करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार प्रस्तावित वैट में बीजों को छूट देने पर विचार कर रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार राज्य सरकारों को सलाह देगी कि वह प्रस्तावित वैट में बीजों को छूट प्रदान करें।

श्री जसवन्त सिंह : यहां यदि मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के जोर को समझता हूं तो यहां अपेक्षित है कि क्या विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादों पर यह उपलब्ध छूट एक समान है जिन्होंने मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू करने में सहमति दे दी है। वास्तव में यह कार्य शक्ति प्राप्त समिति को करना चाहिए। मेरे पास एक 'चैक लिस्ट' है।

केन्द्र सरकार के पास एक 'चैक लिस्ट' है। हम शीघ्र ही सभी राज्य सरकारों को उस 'चैक लिस्ट' को इस अनुरोध के साथ भेजेंगे कि राज्य सरकारें जब तक 'चैक लिस्ट' से पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं होंगी तो हमें उसमें कठिनाई होगी और इसमें इन छूटों को भी सम्मिलित करेंगे ...*(व्यवधान)* मैंने इसका पहले ही उल्लेख कर दिया है।

यहां मैं एक ही अतिरिक्त बात जोड़ना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, सदन में इस प्रकार इधर से उधर से मत जाइए।

श्री जसवन्त सिंह : वास्तव में मेरे मित्र पश्चिम बंगाल के माननीय वित्त मंत्री श्री असीम दास गुप्ता इस शक्ति प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं। निःसन्देह आप उनके साथ बात–चीत कर सकते हैं और इन सभी प्रश्नों का सन्तोषजनक हल ढूंढ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभी जो उत्तर दिया और एक पूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया, मैं उस बारे में सरकार को स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि मूल्य वर्धित कर प्रणाली को लागू करने में दो प्रमुख समस्याएं हैं – इसके लिए राज्यों को अपने सेल्स टैक्स कानून में संशोधन करना होगा और कम्प्यूटर की एक सुविकसित प्रणाली की व्यवस्था करनी होगी। अधिकांश राज्यों में कम्प्यूटरीकरण अत्यन्त कमजोर स्थिति में है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस प्रणाली को लागू कराने के सम्बन्ध में स्वयं और राज्यों को सक्षम पाते हैं? यदि नहीं, तो किस प्रकार इस प्रणाली को लागू कराने का सपना

साकार हो सकता है? इसके साथ ही मूल्य वर्धित कर प्रणाली के लागू होने से जीवन रक्षक दवाइयों, तेल और गैस के दामों में क्या फर्क पड़ने वाला है – मंत्री जी इन बातों को स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक ही प्रश्न में कई स्पष्टीकरण चाहे हैं।

श्री राजो सिंह : मैंने पूछा कि कम्प्यूटर प्रणाली ठीक नहीं है और सेल्स टैक्स कानून में संशोधन करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप उनका एक ही प्रश्न समझ कर उत्तर दीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : मैं ऐसा ही प्रयत्न कर रहा हूं। मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। इस कर प्रणाली को लागू करने का अधिकार राज्य सरकारों का है। राजय की एक टैक्स प्रणाली होगी जो अपने आप सेल्स टैक्स और अन्य टैक्सों को हटा कर इन सभी को समायुक्त करती है। यह राज्यों की अधिकार सूची में है। दूसरी बात, माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि जब तक इसकी पूरी समझ नहीं होगी तब तक यह प्रणाली ठीक तरीके से लागू नहीं हो सकेगी – मैं इस बात से सहमत हूं और इसलिए मैंने अभी चैक लिस्ट के बारे में कहा। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिल कर एक चैक लिस्ट इस विषय में शेयर कर रही है जिस के तहत हमें संतुष्ट होना पड़ेगा कि क्या राज्य सरकारों ने इस विषय में सभी कदम उठाये हैं या नहीं? यह काम सभी राज्यों को करना होगा और गुजरात को भी करना होगा। बिहार ने भी कहा है कि वह वैल्यू एडिड टैक्स लगाएगा। गुजरात को वह चैक लिस्ट जाएगी, बिहार, को भी । सब को यह करना होगा। तीसरे, आपने कहा कि क्या इससे गैस और पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी? हमारा अनुभव यह बताता है और पूर विश्व में जहां–जहां वैल्यू एडिड टैक्स लगे हैं, मैंने वहां इसकी जांच करायी। हमने करीब 63 देशों से जांच की और पाया कि वैल्यू ऐडिड टैक्स से वास्तव में कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई। मात्र एक देश में थोड़ी हुई थी। भारत में अपनी एक विशिष्टता है, विशेषता है और हमारी एक प्रणाली है। इस प्रकार इन सभी बातों को पूरी तौर पर ध्यान में रखा गया है।

[अनुवाद]

दोषसिद्धि की दर

***505. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में कुल दर्ज मामलों में से 16 प्रतिशत मामलों को ही विचारण हेतु लिया जाता है और उनमें से मात्र 6 प्रतिशत मामलों में ही दोषसिद्ध हो पाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हमारे देश में अभी भी साक्ष्य एकत्र करना एक कठिन कार्य है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति के उपचार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं। ऐसे मामलों की, जिनमें विचारण पूरा कर लिया गया है, कुल संख्या के संबंध में संज्ञेय भारतीय दंड संहिता अपराध मामलों में दोषसिद्धि की दर वर्ष 2001 में 40.9 प्रतिशत थी।

(ख) दोषसिद्धि की दर अन्वेषण, साक्षी संरक्षण उपायों में विलम्बों और कमियों, न्यायिक कार्यवाहियों में विलम्बों और अपर्याप्त न्यायिक अवसंरचना जैसे अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होती है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने दाण्डिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सुधारों के प्रश्न पर विचार करने के लिए मलिमथ समिति गठित की थी। समिति ने तारीख 21.4.2003 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : महोदय, ईंगलैंड के एटार्नी जनरल लार्ड गोल्डस्मिथ द्वारा एक टिप्पणी की गई है जिसमें कहा गया है कि सभी राष्ट्रमंडल देशों में दोषसिद्धि की दर के सम्बन्ध में भारत का स्थान सबसे नीचे है।

मैं उत्तर के भाग (ख) में सरकार द्वारा दिये गए कारणों के अलावा यह भी जानना चाहता हूं कि क्या राजनीतिक उत्पीड़न जो कि जल्दबाजी में प्रथम सूचना रिपोर्ट और

अभियोग पत्र दायर करके किया जाता है जैसा कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू और आन्ध्र प्रदेश में किया जा रहा है, भी दोषसिद्धि की ऐसी कम दर के कारण है।

श्री अरुण जेटली : महोदय, देश में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों की कुल संख्या में से राजनीतिज्ञों और राजनीतिक उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों की संख्या बहुत कम है। इसलिए देश में समग्र दोषसिद्धि की दर में उनकी भूमिका न के बराबर है। इसके लिए अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं। कई मामलों में एक कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट का गलत होना हो सकता है। लेकिन हमारी जांच प्रक्रिया में ही जांच प्रक्रिया के आधुनिकीकरण की आवश्यकता, आधुनिकीकरण की आवश्यकता उस जगह जहां अपराधी अपने अपराध के तरीकों में जांच कर्त्ताओं से आगे है, इसके लिए जिम्मेदार कुछ कारणों में शामिल है।

इसके साथ–साथ जब मामले न्यायालयों में जाते हैं तो विभिन्न प्रक्रियाएं, जिसका हम परम्परागत रूप से अनुपालन करते हैं और जो उपबन्ध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, जहां तक जांच एजेंसियों का संबंध है अब कुछ जटिल साबित हो रहें हैं जिसके परिणामस्वरूप अंतिम दोषसिद्धि होती है इसलिए सरकार उन सुधारों पर विचार कर रही है जिन्हें इस क्षेत्र के लिए लाया जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सिले-सिलाए वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क

***506. श्री जे. एस. बराड़** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पहले दी गई उत्पाद शुल्क रियायतों को वापस लिए जाने पर सिले–सिलाए वस्त्रों के निर्माताओं में रोष है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003–2004 के दौरान सिले–सिलाए वस्त्रों के निर्यात पर रियायतों के वापस लेने से कितना प्रभाव पड़ेगा,

(ग) क्या सरकार सिले–सिलाए वस्त्रों के निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और इसके निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) सिलेसिलाए परिधान के विनिर्माताओं ने उत्पाद शुल्क संबंधी रियायतों को समाप्त करने के प्रति आशंकाएं व्यक्त की हैं।

(ख) बजट 2003–2004 प्रस्तावों में इस आशय के संशोधन करने की घोषणा की गई है कि उदार दर ढांचा बनाया जायेगा, अनुपालन बढ़ाने के लिए सेनवॉट की श्रृंखला को पूरा किया जाएगा तथा उसके अपवंचन को रोका जाएगा। इन बजट प्रस्तावों से निवेश प्रवाह को प्रोत्साहन मिलेगा, क्षमता का विस्तार होगा, सिले–सिलाए परिधानों सहित वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी।

(ग) और (घ) सरकार, सिले–सिलाए परिधानों सहित वस्त्रों के विनिर्माताओं को प्रोत्साहन देने और उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर निम्नलिखित कदम उठाती रही है:

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाए परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही उसने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को 1 करोड़ रु. से बढ़ा कर 5 करोड़ रु. कर दिया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गयी है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिपरक उपायों से मशीनों की लागत को भी कम कर दिया गया है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलता है।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल सहित करघों तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्त्र मशीनरी पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन

केन्द्र (एटीडीसी), विशेषकर अपैरल के डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रही हैं।

(6) आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उत्पादों का पूर्व परीक्षण करवाने के लिए पारि–अनुकूल प्रयोगशालाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं।

(7) सरकार ने संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने पर संकेन्द्रित बल देने और निर्यात को गति देने के लिए निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना नामक केन्द्रय रूप से प्रायोजित एक योजना शुरू की है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) नामक एक योजना शुरू की गई है।

नई आयात-निर्यात नीति

***507. श्री वी. वेत्रिसेलवन :**

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इराक में चल रहे युद्ध के आर्थिक प्रभाव के मद्देनजर सरकार ने आयात–निर्यात नीति का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है;

(ग) वर्तमान नीति में विशेष रूप से "ड्यूटी इन्टाइटिलमेंट पासबुक स्कीम" और "एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपीटल गुड्स स्कीम" के संबंध में विशेष परिवर्तन किया गया है;

(घ) इन परिवर्तनों से निर्यातकों/आयातकों को कितना लाभ होगा;

(ङ) वर्ष 2003–04 की नीति में शामिल की गई अन्य नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) वर्ष 2003–04 के लिए सम्पूर्ण निर्यात लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है; और

(छ) वे वस्तुएं कौन–कौन सी हैं जिन पर नई नीति में निर्यात–आयात प्रतिबंधों को हटा दिया गया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (छ) इराक में चल रहे युद्ध के कारण एक्जिम नीत में कोई संशोध नहीं किया गया था। तथापि 5 वर्षीय एक्जिम नीति की वार्षिक समीक्षा एक नियमित कार्य है। एक्जिम नीति 2002–2007 की वार्षिक समीक्षा के एक भाग के रूप में सरकार ने 31.3.2003 को निर्यात आयात नीति 2002–2007 (31.3.2003 तक यथा संशोधित) को अधिसूचित किया है।

एक्जिम नीति में ध्यान, केन्द्रित किए जाने वाले कुछ साधनों जैसे सेवाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, कृषि निर्यात क्षेत्रों, निर्यात समूहों तथा स्तर धारकों का अभिज्ञान किया गया है ताकि वर्ष 2007 तक विश्व व्यापार में 1% हिस्से का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इस नीति का लक्ष्य इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) कार्यक्रम के कार्यान्वयन द्वारा भारतीय निर्यातकों की सौदेबाजी की लागत को कम करना भी है।

शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) स्कीम के अंतर्गत दरों को बजट 2003–04 में सीमाशुल्कों में दिए गए परिवर्तनों के अनुरूप बनाया गया है और ऐसे उत्पादों के लिए अनन्तिम दर हेतु एक नई योजना घोषित की गई है जिनके संबंध में डीईपीबी दरें निर्धारित नहीं की गई हैं। निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के अंतर्गत निर्यात दायित्व को बचाए गए शुल्क के साथ जोड़ दिया गया है। रुग्ण इकाइयों के लिए निर्यात दायित्व की अवधि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड/राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार उनके पुनरुद्धार पैकेजों के तहत होगी। उत्पादन पूर्व और उसके पश्चात् अपेक्षित पूंजीगत माल को शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया है। कंपनी के अन्य उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के लिए भी लोचशीलता प्रदान की गई है और 10 वर्ष पुराने पूंजीगत माल के आयात की इस योजना के तहत अनुमति दी गई है।

नई नीति में 25 करोड़ रु. के न्यूनतम निर्यात कारोबार

के अध्यधीन मुक्त विदेशी मुद्रा में 25% से अधिक विकासात्मक वृद्धि वाले दर्जा धारकों को शुल्क मुक्त आयात हकदारी की अनुमति देने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की गई। इसी प्रकार सेवा निर्यातों के संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को पुर्जों, कार्यालय उपकरणों और फर्नीचर, व्यावसायिक उपकरण और उपभोज्य वस्तुओं (कृषि एवं डेयरी उत्पादों के अलावा) के आयात के लिए शुल्क मुक्त आयात सुविधा की अनुमति दी गई है। इसमें केवल वे सेवा प्रदाता शामिल होंगे जिनकी पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में 10 लाख रु. से अधिक की औसत विदेशी विनियम आय होगी।

एक्जिम नीति 2002–07 का उद्देश्य वर्ष 2007 तक वैश्विक पण्य व्यापार का कम से कम 1% हिस्सा प्राप्त करना है। इसके लिए लगभग 12% की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) की आवश्यकता होगी।

ऐसी 69 मदें हैं जिन पर आयात प्रतिबंध हटा लिए गए हैं जिनमें पशु उत्पाद, मसाले, एंटीबायोटिक्स और फिल्में शामिल हैं। इसी प्रकार उन 5 मदों पर से निर्यात प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं जिनमें बासमती को छोड़कर धान, कॉटन लिंटर्स, रेयर अर्थ, रेशम कोकून, कंडोम को छोड़कर परिवार नियोजन की वस्तुएं शामिल हैं।

खाद्यान्नों की कालाबाजारी

***508. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से काला बाजार में जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा और अन्य मदों के संबंध में कोई अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी हानि को रोकने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी हानि को रोकने हेतु की गई कार्रवाई के बाद प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) मैसर्स टाटा इकानामिक कंसलटेंसी सर्विसेज द्वारा 1997 में किए गए सर्वेक्षण में अन्य बातों के साथ–साथ गेहूं, चावल और चीनी के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर विपथन (राज्यवार भिन्नता के साथ) की सीमा का अनुमान लगाया गया था। टाटा इकानामिक कंसलटेंसी सर्विसेज की रिपोर्ट के संगत उद्धरण उपचारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित किए गए थे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन क्रियान्वित की जाती है। केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों की वसूली, भण्डारण और केन्द्रीय गोदामों तक ढुलाई करने तथा राज्यों को इन्हें उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरण करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

विपथन को रोकने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाने वाले उपायों में उचित दर दुकान डीलरों का पर्यवेक्षण करना, उपभोक्ताओं को अन्य बातों के साथ–साथ उचित दर दुकानों पर नोटिस पर नोटिस बोर्डों के माध्यम से उनकी पात्रता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जिंसों की उपलब्धता और दरों के बारे में सूचना देना, दुकानों का नियमित निरीक्षण करना, सतर्कता समितियों का गठन करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पंचायतीराज संस्थाओं को शामिल करना, प्रवर्तन गतिविधियां मजबूत करना और जाली राशन कार्ड/यूनिटों कीं छंटाई करना शामिल है। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को अधिकाधिक रूप से शामिल करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुप्रवाही बनाने और इसे अधिक जवाबदेह तथा प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया था। इस आदेश में विपथन रोकने, जाली राशन कार्ड समाप्त करने तथा चूककर्त्ता उचित दर दुकान मालिकों के संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकरों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शक्तियां प्रदान करने के प्रावधान मौजूद हैं। इन प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया अपराध अधिनियम की धारा 7 के अधीन आपराधिक रूप से दंडनीय है।

महिला अदालत

***509. श्रीमती कान्ति सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केवल महिलाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई करने हेतु महिला अदालत गठित करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) संघ सरकार ने अनन्य रुप से महिलाओं से संबंधित मामलों का विचारण करने के लिए महिला न्यायालयों का गठन करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह नहीं दी है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने अपनी स्वयं की पहल पर महिला न्यायालय स्थापित किए हैं।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य के हिस्से को समाप्त करना

***510. श्री हेमा गमांग** : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य के हिस्से को घटाने/समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की नवीं योजना में यथा अनुमोदित वित्त व्यवस्था की प्रक्रिया में परिवर्तन करने का काई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति दर

***511. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**

श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 15 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 5.56 प्रतिशत हो गई;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान इस संबंध में सप्ताह-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मुद्रास्फीति दर बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक बिक्री मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का माह-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने और मुद्रास्फीति दर को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) जी हां। दिनांक 13 मार्च, 2003 को समाप्त सप्ताह के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित वार्षिक बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दर 5.56% थी।

(ख) गत तीन महीनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित वार्षिक बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दर नीचे सारणी-1 में दी गई है।

सारणी-1 : डब्ल्यू पी आई पर आधारित वार्षिक बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दर (%)

को सप्ताह	मुद्रास्फीति दर (%)
1	2
6 दिसम्बर, 2002	3.27
13 दिसम्बर, 2002	3.21
20 दिसम्बर, 2002	3.34
27 दिसम्बर, 2002	3.47
3 जनवरी, 2003	3.78
10 जनवरी, 2003	3.84
17 जनवरी, 2003	4.42
24 जनवरी, 2003	4.79
31 जनवरी, 2003	5.29
7 फरवरी, 2003	5.35
14 फरवरी, 2003	4.91

1	2
21 फरवरी, 2003	4.91
28 फरवरी, 2003	4.69
6 मार्च, 2003	5.13
13 मार्च, 2003	5.56
20 मार्च, 2003	5.99
27 मार्च, 2003	6.24
5 अप्रैल, 2003	6.17

(ग) डब्ल्यू पी आई आधारित वार्षिक बिन्दु–दर–बिन्दु मुद्रास्फीति दर चालू वित्तीय वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान काफी संयत रही। तथापि, खाड़ी में युद्ध से संबद्ध अनिश्चितता, वेनेजुएला (कच्चे तेल का एक मुख्य उत्पादक) में हड़ताल के साथ युद्ध की दशा में कच्चे तेल की बाधित आपूर्ति की संभावना ने दिसम्बर, 2002 के बाद कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि कर दी। जनवरी, 2003 से मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के लिए मुख्य कारक कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ाने के फलस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों में यह वृद्धि है। मुद्रास्फीति पर इस दबाव में सूखा संबद्ध कमी और अंतर्राष्ट्ररय बाजारों में मूल्यों के बढ़ने से खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि द्वारा भी योगदान दिया गया था।

(घ) आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) और उपभोक्ता मूल्य मूल्य सूचकांक (सी पी आई) तथा इन सूचकांकों के आधार पर मुद्रास्फीति दरें निम्नानुसार हैं:

सारणी–2 : आवश्यक वस्तुओं का थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा आवश्यक वस्तुओं में मुद्रा स्फीति

	थो.मू.सू. सभी वस्तुएं	मुद्रास्फीति (%)	थो.मू.सू. आवश्यक वस्तुएं	मुद्रास्फीति (आवश्यक वस्तुएं) (%)	थो.मू.सू. सामान्य	मुद्रास्फीति (%)	थो.मू.सू. (आवश्यक वस्तुएं)	मुद्रास्फीति (आवश्यक वस्तुएं) (%)
2002								
जनवरी	161.0	1.5	164.0	1.6	467	4.94	438	3.8
फरवरी	160.8	1.4	165.4	3.0	466	5.19	436	4.4
मार्च	161.9	1.8	168.4	4.3	468	5.17	438	4.5
अप्रैल	162.4	1.5	168.7	3.1	469	4.69	439	4.3
मई	162.8	1.6	169.1	2.8	472	4.66	441	3.9
जून	164.7	2.4	169.7	3.0	476	4.16	444	3.4
जुलाई	165.7	2.8	170.7	3.6	481	3.89	452	4.2
अगस्त	167.1	3.3	171.7	3.4	484	3.86	457	3.6
सितम्बर	167.4	3.5	172.3	4.0	485	4.30	457	4.0
अक्तूबर	167.5	3.1	172.1	2.9	487	4.06	459	3.9
नवम्बर	167.8	3.4	172.0	3.1	489	3.60	461	3.5
दिसम्बर	167.2	3.3	169.0	1.7	484	3.20	454	2.7
2003								
जनवरी	167.6	4.2	168.0	2.4	483	3.43	453	3.3
फरवरी	168.7	4.9	168.6	1.9	484	3.86	453	3.9

(ङ) हाल के वर्षों में सरकार की मुद्रास्फीतीय–रोधी नीतियों में मौद्रिक और राजकोषीय अनुशासन, उदार आयातों द्वारा आवश्यक वस्तुओं तथा कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति और मांग का प्रभावकारी प्रबंधन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का और सुदृढ़ीकरण शामिल है।

खाद्यान्नों के भारी सरकारी भंडार ने खाद्यान्नों की आसान आपूर्ति स्थिति सुनिश्चित की है और सूखे की गंभीरता के बावजूद उनके मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता की है। विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन सरकार द्वारा अधिशेष खाद्यान्न भंडार के उदार निगमन ने हमारे समाज के कमजोर वर्गों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने में मदद की है।

गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि

***512. श्री सुन्दर लाल तिवारी :**

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 2003 तक गन्ना उत्पादकों को दी जाने वाली बकाया राशि राज्य–वार कितनी है और वर्ष 2003 के दौरान से आज तक कुल बकाया राशि में से उनको कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा किसानों की पूरी बकाया राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार को चीनी मिलों तक आंतरिक परिवहन प्रभारों की पुनर्वापसी और चीनी निर्यात खेपों पर समुद्री माल भाड़ा प्रभार बंद करने के कारण पुनर्वापसी का प्रत्येक वर्ष कितना बोझ वहन करना पड़ता है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) चीनी मौसम 2002–03 के लिए 31 जनवरी, 2003 तक देय गन्ना मूल्य, प्रदत्त गन्ना मूल्य और बकाया शेष का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

गन्ना उत्पादकों को देय गन्ना मूल्य की राशि का तेजी से भुगतान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

(i) दिसम्बर, 2002 में एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक सृजित किया गया था, जिसमें 412 करोड़ रुपये चीनी विकास निधि से मुहैया किए जायेंगे, 374 करोड रुपये बैंकों द्वार बफर स्टाक के प्रति रिलीज किए जायेंगे। इस प्रकार, किसानों को गन्ना मूल्य की बकाया धनराशि के भुगतान के लिए 786 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी।

(ii) पहली मार्च, 2002 से चीनी फैक्ट्रियों के लेवी दायित्व को कम कर 10% कर दिया गया है जिससे चीनी फैक्ट्रियां खुले बाजार में लेवी मुक्त चीनी कोटा के अधीन चीनी की अधिक बिक्री करने में सक्षम होंगी।

(iii) चीनी फैक्ट्रियों के उठान न किए गए लेवी चीनी स्टाक की समकक्ष मात्रा को खुले बाजार में लेवी मुक्त चीनी के रूप में बेचने की अनुमति देने के रूप में अस्थायी राहत प्रदान की गई है।

(iv) चीनी के अधिशेष स्टाक को समाप्त करने के लिए चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है और इस संबंध में कुछ उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ 21 जून, 2002 से आंतरिक परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति तथा 14 फरवरी, 2003 से 350 रुपये प्रति टन की दर से महासागरीय भाड़ा क्षतियों की प्रतिपूर्ति करना भी शामिल है।

(v) आंतरिक परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति करने और महासागरीय भाड़ा क्षति का निष्प्रभावीकरण करने के लिए चीनी विकास निधि पर पड़ने वाला भार चीनी निर्यात की वास्तविक मात्रा पर निर्भर करेगा।

विवरण

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

राज्य/क्षेत्र	2002–03 के दौरान खरीदे गये गन्ने के लिए 31.1.03 तक कुल देय मूल्य	31.1.2003 तक चुकाया गया गन्ना मूल्य	31.1.2003 की स्थिति के अनुसार देय शेष गन्ना–मूल्य
आन्ध्र प्रदेश	501.72	315.73	186.99
असम	0	0	0
बिहार	102.65	55.14	47.51
गोवा	4.83	3.95	0.88
गुजरात	378.39	328.6	49.79
हरियाणा	109.48	28.40	81.08
कर्नाटक	587.89	285.4	302.49
केरल	1.77	0	1.77
मध्य प्रदेश	30.18	24.64	5.54
महाराष्ट्र	1158.65	982.44	176.21
नागालैंड	0	0	0
उड़ीसा	16.35	9.32	7.03
पांडिचेरी	5.97	0.22	5.75
पंजाब	311.01	150.49	160.52
राजस्थान	0	0	0
तमिल नाडु	337.42	158.41	179.01
उत्तर प्रदेश	1543.71	687.88	855.83
उत्तरांचल	3.56	0	3.56
प. बंगाल	2.49	0	2.49
अखिल भारत जोड़	5096.07	3030.62	2065.45

[अनुवाद]

आदिम जनजातीय समूहों के लिए पृथक आयोग

***513. डा. एन. वेंकटस्वामी** : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासियों के अत्याधिक पिछड़े समुदायों अर्थात् आदिम जनजातीय समूहों के उत्थान हेतु अलग आयोग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन आदिवासी समूहों के उत्थान हेतु क्या विभिन्न कल्याणकारी उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना, अन्य बातों के साथ–साथ आदिम जनजातीय समूहों सहित अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित नीति और कार्यक्रमों एवं अन्य मामलों की जांच/समीक्षा करने और आदिम जनजातीय समूहों सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अर्न्तगत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग की भी स्थापना की है।

(घ) जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा आदिम जनजातीय समूहों सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए एक समर्पित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना वर्ष 1998–99 में शुरु की गई है।

[हिन्दी]

आन्तरिक ऋण

***514. श्री रामजी लाल सुमन :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998–99 के दौरान और वित्तीय वर्ष 2002–2003 की समाप्ति तक आंतरिक ऋण में सतत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998–99 के अंत तक ऋण के रूप में कितनी राशि ली गई और भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई ऋण राशि का हिस्सा कितना है;

(ग) वर्ष 2003–2004 के अंतक तक ऋण के रूप में कितनी राशि लिए जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 1998–99 से 2002–03 के बीच प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान इन ऋणों के विरुद्ध कितने ब्याज का भुगतान किया गया?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार का आंतरिक ऋण वर्ष 1998–99 में 4,59,696 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2002–2003 (सं.अ.) में 10,37,163 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि के दौरान बाजार ऋणों में भारतीय रिजर्व बैंक का हिस्सा 38,205 करोड़ रुपये से घटकर 36,175 करोड़ रुपये हो गया।

(ग) वर्ष 2003–04 के अंत में आंतरिक ऋण 11,58,639 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) वर्ष 1998–99 से 2002–03 के दौरान आंतरिक ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की राशि निम्नांकित थी:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	राशि
1998– 1999	39,832
1999– 2000	69,554
2000– 2001	79,082
2001– 2002	88,506
2002– 2003 (सं.अ.)	97,251

[अनुवाद]

पेटेंट कानूनों के वकीलों की कमी

***515. श्री श्रीनिवास पाटिल** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई भारतीय कंपनियां प्रशिक्षित पेटेंट वकीलों की कमी के कारण अपने नवोत्पादों (इनोवेशन्स्) को सुरक्षित कराने हेतु अमरीका या पश्चिमी यूरोप जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अनुसार, उन्हें पेटेंट विधियों में वकीलों की कमी के संबंध में कोई

जानकारी नहीं है। यह कहना सही नहीं है कि प्रशिक्षित पेटेंट वकीलों की कमी के कारण कंपनियां अपने नवोत्पादों को संरक्षित कराने के लिए अमरीका या पश्चिमी यूरोप जाती है। वस्तुतः, पेटेंट अधिकार प्रकृति में राज्यक्षेत्रीय अधिकार है, अर्थात्, ये केवल अनुदान करने वाले देश में ही प्रभावी है। आवेदकों के वाणिज्यिक हित पर निर्भर करते हुए आविष्कारकों द्वारा विभिन्न देशों में पेटेंट के लिए आवेदन किए जाते हैं और उसका अनुवर्तन किया जाता है।

(ख) पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा यथा-संशोधित पेटेंट अधिनियम, 1970 में पेटेंट अभिकर्त्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए अर्हित व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए भी उपबंध अंतर्विष्ट है। ये उक्त अभिनियम की धारा 126 में अंतर्विष्ट हैं, तो निम्नानुसार हैं:

"(1) यदि काई व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो वह पेटेंट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अर्हित होगा, अर्थात्:-

(क) वह भारत का नागरिक हो;

(ख) उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;

(ग) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में के तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान, इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में उपाधि प्राप्त कर ली हो या उसके पास ऐसी अन्य समतुल्य अर्हताएं हों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और, इसके अतिरिक्त, -

(i) वह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्थ में अधिवक्ता हो; या

(ii) उसने इस प्रयोजन के लिए विहित अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; या

(iii) उसने दस वर्ष से अनधिक की कुल अवधि के लिए धारा 73 के अधीन परीक्षक के रूप में कार्य किया हो या उसने नियंत्रक के कृत्यों का निर्वहन किया हो अथवा दोनों कार्य किए हों, किन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय ऐसी किसी हैसियत में न रहा हो;

(घ) उसने ऐसी फीसें दे दी हों जो विहित की जाएं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा व्यक्ति जो पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारम्भ से पूर्व पेटेंट अभिकर्ता के रूप में व्यवसाय करता रहा है, विहित की जाने वाली फीस दे दिए जाने पर पेटेंट अभिकर्ता के रूप में बने रहने या जब कभी अपेक्षित हो पुनः रजिस्ट्रीकृत होने के लिए हकदार होगा।"

इसके अतिरिक्त, नागपुर स्थित बौद्धिक संपदा प्रशिक्षण संस्थान भी पेटेंट अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण देता है।

[हिन्दी]

विशेष आवास ऋण योजना

***516. श्री तूफानी सरोज** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने आवास ऋण देने के संबंध में कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने इस प्रयोजनार्थ किन्हीं विशेष शाखाओं के गठन हेतु निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राज्यवार कितनी विशेष शाखाएं खोली जी रही हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को प्रत्येक जिले में अपनी एक विशेष शाखा आवास वित्त के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करने की अनुमति दे दी गई है। यथा प्राधिकृत आवास वित्त शाखा अन्य साधारण बैंकिंग कार्य भी कर सकती है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक की 2 विशेष आवास वित्त शाखाएं पहले से ही हैदराबाद एवं चेन्नई में विद्यमान हैं। वर्तमान वर्ष में और अधिक विशेषीकृत आवास वित्त शाखाएं खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

एसबीआई गृह ऋण योजना के तहत मानदंडों का ब्यौरा
(अलग–अलग व्यक्तियों को प्रत्यक्ष वित्त)

(i) पात्रता कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों में लगे व्यक्तियों सहित कोई व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो और आय का नियमित स्रोत हो।

(ii) प्रयोजन : एक नए आवास/फ्लैट की खरीद अथवा निर्माण के लिए विद्यमान (पुराना) आवास/फ्लैट की खरीद अथवा विद्यमान आवास के विस्तार के लिए, विद्यमान आवास/फ्लैट की मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए, आवासीय एकक के निर्माण के प्रयोजन हेतु भूमि के एक प्लाट की खरीद करने के लिए और परियोजना लागत के एक हिस्से के रूप में साज–सामान/उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए।

(iii) ऋण की राशि : ऋण की राशि का निर्धारण आय, आयु, आस्तियों एवं देयताओं को ध्यान में रखते हुए चुकौती क्षमता के आधार पर किया जाता है। अधिकतम ऋण राशि का निर्धारण निम्नलिखित के अध्यधीन है।

21 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु वाले उधारकर्ता जिनकी एक स्वतंत्र सुनिश्चित आय है। वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में आवेदक की निवल मासिक आय का 48 गुणा। कृषक के लिए शाखाओं द्वारा वार्षिक निवल आय का निर्धारण उनके कार्यकलाप की प्रकृति (अर्थात खेती, डेरी, मुर्गीपालन, फलोद्यान), जोत, फसल पद्धति, पैदावार आदि और उस क्षेत्र में से हुई आय के औसत स्तर के आधार पर किया जाना चाहिए।

45 वर्ष से अधिक की आयु : 45 वर्ष से अधिक की आयु वाले उधारकर्ताओं के लिए (जिन मामलों में स्वतंत्र सुनिश्चित आय वाले सभी उधारकर्ता 45 वर्ष से अधिक की आयु के हैं) ऋण की राशि निवल मासिक आय के 36 गुणा अथवा निवल वार्षिक आय के 3 गुणा तक प्रतिबंधित की जानी है।

पति/पत्नी की आय : उन मामलों में पति/पत्नी की आय पर विचार किया जा सकता है जिनमें सम्पत्ति पति/पत्नी के साथ संयुक्त रूप से हैं और पति/पत्नी एक सह–उधारकर्ता हैं, अथवा संपत्ति एकल नाम पर है और पति/पत्नी गारंटीकर्ता के रूप में है।

अन्य आय : कुल पात्र ऋण राशि की गणना करने के लिए सभी स्रोतों से नियमित आय पर विचार किया जा सकता है बशर्ते संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी आय के प्रमाण के बारे में सन्तुष्ट है।

प्रत्याशित किराया : खरीदे जा रहे आवास/फ्लैट जिसे किराए पर लगाने का प्रस्ताव किया गया है के मामले में कर, उपकर आदि निकालने के बाद प्रत्याशित किरायों को पात्रता उच्चतम सीमा की गणना के लिए जोड़ा जा सकता है।

सिर्फ प्लॉट/मरम्मत के लिए ऋण : जहां भूमि की खरीद की जा रही है अथवा जहां ऋण मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए है, अधिकतम ऋण राशि 10 लाख रु. तक साधारणतया सीमित की जानी चाहिए। इस राशि से अधिक के ऋणों के लिए पूर्व प्रशासनिक मंजूरी अपेक्षित है। साज–सामान एवं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए जहां राशि के लिए चंदा कटौती सुविधा अथवा अतिरिक्त प्रतिभूति अथवा तीसरी पार्टी गारंटी उपलब्ध है, वहां परियोजना लागत की 10% की अधिकतम सीमा तक परियोजना लागत में साज–सामान एवं उपभोक्ता वस्तुओं की लागत शामिल की जाए अथवा अधिकतम 3 लाख रु. जो भी कम हो।

आवास/फ्लैट (नया या पुराना) के खरीद या आवास/फ्लैट के निर्माण के लिए 1 करोड़ रु. तक के ऋण के लिए कोई प्रशासनिक मंजूरी अपेक्षित नहीं है।

15 वर्ष से अधिक पुराने आवास/फ्लैट : आवास/फ्लैट जो कि 15 वर्ष से अधिक पुराने हों, की खरीद के लिए ऋण प्रस्तावों पर प्रशासनिक मंजूरी अपेक्षित है।

1 करोड़ रु. से अधिक के ऋण : 1 करोड़ रु. से अधिक के ऋणों के लिए एनबीजी मुख्यालय से प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त की जानी अपेक्षित है। 1 करोड़ रु. से अधिक के ऋण निर्धारित ब्याज दर पर नहीं दिए जा सकते हैं, किन्तु इन्हें एसबीएमटीएलआर से जुड़े चल ब्याज दर पर ही उपलब्ध कराया जा सकता है।

(iv) मार्जिन राशि : भूमि की खरीद के मामले में 30 प्रतिशत, नए आवास/फ्लैट की खरीद की लागत का 15 प्रतिशत और पुराने आवास/फ्लैट की खरीद की लागत का और मरम्मत/जीर्णोद्धार के मामले में 20 प्रतिशत।

(v) ऋण का आकार : सावधि ऋण।

(vi) प्रतिभूति अपेक्षा : सम्पत्ति को बंधक रखना। जब बंधक रखना संभव न हो (अथवा निर्माण की अवधि के दौरान) तब अन्य मूर्त–प्रतिभूति।

(vii) वापसी अदायगी की अवधि : 45 वर्ष तक की आयु के आवेदक के लिए अधिकतम 20 वर्ष। 45 वर्ष से अधिक की आयु के आवेदक के लिए अधिकतम 15 वर्ष

(viii) अधिस्थगन अवधि : अग्रिम मासिक आय उस माह के बाद वाले माह से शुरू होगी जब पूर्ण संवितरण कर दिया जायेगा। जहां नए आवासीय इकाई के निर्माण के लिए ऋण लिया जाता है या जहां सरकार/सरकारी एजेंसी/ख्यातिप्राप्त भवन निर्माता/सोसायटी के किस्तों पर आवास/फ्लैट खरीदा जाता है तो उधारकर्ता के अनुरोध पर निर्माण के पूरा होने के 2 माह तक या ऋण के प्रथम किस्त से 18 माह तक, जो भी पहले हो, अधिस्थगन की अवधि या वापसी अदायगी में अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। अधिस्थगन की अवधि को 15 वर्ष या 20 वर्ष, जो भी लागू हो, की अधिकतम वापसी अदायगी की अवधि में शामिल किया जाना है।

(ix) ब्याज की दर : समय–समय पर निर्धारित किए गए अनुसार। नियत दर ऋण और चालू दर ऋण दिया जा सकता है। जब कभी उधारकर्ता चालू दर वाले ऋण का विकल्प देता है और ब्याज दर संशोधित किया जाता है तो इस बारे में उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को सूचित किया जाना चाहिए। तथापि, 1 करोड़ रु. से अधिक के व्यक्तिगत ऋण सिर्फ चालू दर ऋणों के रुप में ही दिए जा सकते हैं।

(x) प्रोसेसिंग प्रभार : 25,000/–रु. तक – शून्य। 25,000/–रु. से अधिक – ऋण राशि का 0.5 प्रतिशत

(xi) बीमा कवर : खरीदी गई/निर्माण की गई आवासीय इकाई का सम्पत्ति के पूर्ण बाजार मूल्य या बताया ऋण राशि, जो भी अधिक हो, के लिए आग/दंगा/भूकंप/बिजली/बाढ़ आदि जोखिम के बदले उधारकर्ता एवं बैंक के संयुक्त नामों में बीमा किया जाना चाहिए।

वस्त्रों के लिए निर्यात लक्ष्य

***517. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :**

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गत वित्तीय वर्ष 2002–2003 के दौरान वस्त्र निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही है;

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) डीजीसीआईएंडएस के पास उपलब्ध निर्यात आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल–दिसम्बर, 2002 की अवधि के दौरान, 8849.4 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के वस्त्रों के निर्यात हुए जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2001 की इसी अवधि के दौरान ये निर्यात, 7814.6 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के हुए थी। इस प्रकार इनमें 13.2% की वृद्धि हुई। इसका अभिप्राय यह है कि वर्ष 2002–03 के लिए निर्धारित 15,005 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के लक्ष्य को, अप्रैल–दिसम्बर, 2002 के दौरान ही प्राप्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि पहली तिमाही (अप्रैल–जून, 2002) में वस्त्रों के निर्यात में 1.9% तक की गिरावट आई। तथापि, दूसरी तिमाही (जुलाई–सितम्बर, 2002) में वस्त्रों के निर्यात में 18.6% तक की वृद्धि हुई और तीसरी तिमाही (अक्टूबर–दिसम्बर, 2002) में वस्त्रों के निर्यात में 24.8% तक की वृद्धि हुई। इससे यह पता चलता है कि वस्त्रों के निर्यात में गिरावट आने की प्रवत्ति में बदलाव आ गया है और वस्त्रों के निर्यात में पुनः वृद्धि होने लगी है। तथापि, वर्ष के दौरान निर्यात, अमरीका जैसे हमारे कुछ प्रमुख व्यापारी सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी आने, इराक में युद्ध की स्थिति होने, चीन, बांग्लादेश जैसे देशों से प्रतिस्पर्द्धा बढने और उत्पादन की उच्च लागत होने, वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की कमी के कारण कम उत्पादकता होने के कारण, प्रभावित हुए हैं।

(ग) और (घ) सरकार घरेलू वस्त्र उद्योग को विश्व में बढ़ रही प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने और निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय करती रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं:

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाए परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया

है। साथ ही उसने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को बढ़ा कर 5 करोड रु. कर दिया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गयी है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिपरक उपायों से मशीनों की लागत को भी कम कर दिया गया है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलता है।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्त्र मशीनरी पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), विशेषकर अपैरल के डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रही हैं।

(6) आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उत्पादों का पूर्व परीक्षण करवाने के लिए पारि–अनुकूल प्रयोगशालाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं।

(7) सरकार ने संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने पर संकेन्द्रित बल देने और निर्यात को गति देने के लिए निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना शुरू की है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) नामक एक योजना शुरू की गई है।

[अनुवाद]

गेहूं की खरीद

***518. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :**

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002 में राज्य सरकारों द्वारा खरीदे गए गेहूं को ढके गोदामों में भंडारण नहीं किया जा सका क्योंकि वे देश के विभिन्न भागों में वर्ष 2000 और 2001 में खरीदे गये भंडार से पहले ही भरे पड़े थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोरियों में खुले में रखे गेहूं की बड़ी मात्रा को इस वर्ष की बेमौसम बरसात के कारण क्षति पहुंची है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गेहूं के भंडार की इस क्षति से कितनी धन राशि की हानि हुई; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में होने वाली ऐसी क्षति से बचने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) रबी विपणन मौसम 2002–03 के दौरान वसूल किए गए कुल 190.25 लाख टन गेहूं में से निम्नलिखित राज्यों में उनके सामने दी गई मात्रा को खुले में अर्थात् कवर और प्लिंथ में भंडारित किए जाने की सूचना है–

	कैप में भंडारित मात्रा (लाख टन में)
हरियाणा	42.46
उत्तरांचल	0.91
उत्तर प्रदेश	7.94
पंजाब	88.99
जोड़	137.30

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) स्टाक को क्षति से बचाने के लिए उचित डनेज के प्रावधान, कैप भंडारण में खुले में, भंडारित स्टाक को वाटरप्रूफ पोलीथीन चद्दरों से कवर करने और स्टाक को रस्सियों से बांधने आदि जैसी अपेक्षित सावधानियां बरती जा रही हैं। खुले में भंडारित स्टाक का नियमित रूप से निरीक्षण भी किया जाता है और क्षति से बचने के लिए रोगनिरोधी तथा रोगहर उपचार किए जाते हैं।

आवश्यक वस्तुओं पर मूल्य वर्धित कर का प्रभाव

***519. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिनांक 1.4.2003 से लागू होने वाली योजना के क्रियान्वयन पर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर मूल्य वर्धित कर (वी.ए.टी.) के प्रभाव के बारे में अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के मूल्य क्या हैं जिन पर मूल्य वर्धित कर योजना के लागू होने के परिणामस्वरूप प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) सरकार का राज्य सरकारों के परामर्श से यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि न हो?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (ग) चूंकि, मौजूदा बिक्री कर प्रणाली के स्थान पर मूल्य वर्धित कर प्रणाली को लागू करने संबंधी कार्य संविधान की सातवीं अनुसूचि II की प्रतिष्टि 54 के तहत राज्य का विषय है इसलिए ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। मूल्य वर्धित कर को लागू कर दिए जाने के बाद जिन्सों के मूल्य कर की दर पर निर्भर करेंगे। 22 जून, 2000 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा मूल्य वर्धित कर को लागू करने संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार–प्राप्त समिति का गठन किया गया था। जिन्सों के वर्गीकरण और इन पर लागू होने वाली कर की दर के बारे में कोई भी निर्णय इस समिति द्वारा लिया जाना है।

बैंक नोटों का सत्यापन

***520. श्री पदमसेन चौधरी :**

श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मार्च, 2003 के राष्ट्रीय सहारा में बैंकों द्वारा नकली नोटों की आपूर्ति के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षिक कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या नकली नोट भारतीय रिजर्व बैंक में पहुंच गये हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त नोटों को भेजने वाले बैंकों/संस्थाओं को वापस भेज दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो नकली नोटों की राशि का ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे गए नोट किन मूल्यों के थे तथा इसे भेजने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कर्रावाही की गयी है; और

(च) सभी बैंकों में नोटों के असली होने का सत्यापन करने की व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (ङ) जी हां। भारतीय स्टेट बैंक, राजनगर गाज़ियाबाद द्वारा प्रबंधित करेंसी चेस्ट से भारतीय रिजर्व बैंक के कानपुर कार्यालय को प्राप्त कटे–फटे नोटों की जांच के दौरा 69,000/– मूल्य (100/– रुपये के 25 नोट और 500/– रुपये के 133 नोट) के 158 अदद जाली नोट का पता लगा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक के खाते में जमा करा दी है। वास्तव में जाली नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा जब्त कर लिया गया है और उन्हें जांच के लिए पुलिस प्राधिकारियों को अग्रेषित कर दिया है।

(च) बैंकों के करेंसी नोटों की असलियत का सत्यापन करने में उनकी सहायता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट की सुरक्षा विशेषताओं संबंधी जानकारी बैंकों को परिचालित की गई है।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में सभी बैंकों को बैंक के कैशियर/अधिकारियों द्वारा जाली नोटों का पता लगाने के लिए अपनी शाखाओं में यूवी लैम्प प्रदान करने का निर्देश दिया है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्यालयों को बैंकों तथा अन्य संस्थाओं के कैशियरों/अधिकारियों को उन्हें जाली नोटों का पता लगाने में समर्थ बनाने के लिए बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया है।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जाली नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों आदि के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए अपने प्रधान कार्यालयों में जानी नोट सतर्कता कक्ष स्थापित करने का सुझाव बैंकों को दिया गया है।

अमरीकी खाद्य की खेप को अस्वीकार करना

*521. **श्री गुनीपाटी रामैया :**

डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में अमरीकी सोया, मक्का मिश्रित खाद्य खेप को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस खेप को अनुवांशिक अभियांत्रिकी समिति को भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है कि देश में गरीब स्कूली बच्चों को खाने के लिए दिए जाने वाले ऐसे खाद्य के आयात की सभी स्वास्थ्य संबंधी जांच पूरी हो?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधीन गठित आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनमोदन समिति (जीईएसी) ने 7 नवम्बर, 2002 तथा 6 मार्च, 2003 को हुई अपनी बैठकों में अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएएआईडी) के माध्यम से एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मक्का–सोया मिश्रित खाद्य की आपूर्ति करने के लिए मै. केयर और मै. सीआरएस के प्रस्ताव पर विचार किया था। जीईएसी ने इस आपूर्ति की अनुमति न देने का निर्णय लिया था क्योंकि अमरीकी विनियामक एजेंसियों का इस आशय का कोई प्रमाणन नहीं था कि इस खेप में ट्रांसजेनिक मक्के की प्रतिबंधित अथवा अप्रचलित किस्में शामिल नहीं हैं।

(ङ) गरीब स्कूली बच्चों में वितरित की जाने वाली खाद्य मदों सहित देश में आयातित सभी खाद्य मदें घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर लागू होने वाले घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तमनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरणिक तथा सुरक्षा मानदण्डों के अध्यधीन होती हैं। जीईएसी आयात करने से पूर्व जीएम तत्व वाले खाद्य के खाद्य तथा सुरक्षा संबंधी पहलुओं का मूल्यांकन करती है।

फ्रांस के साथ व्यापार

*522. **श्री अनन्त नायक** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फ्रांस के साथ द्विपक्षीय व्यापार स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत–फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार किन–किन क्षेत्रों में स्थापित किया गया है; और

(ग) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध सुधारने और इसमें वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) फ्रांस को हमारे निर्यात की प्रमुख वस्तुएं हैं – कपास एवं मानव निर्मित वस्त्र, मशीनरी एवं उपकरण, हस्तशिल्प, कालीन, कार्बनिक/अकार्बनिक/कृषि रसायन, परिवहन उपस्कर, रत्न एवं आभूषण, औषधि एवं भेषज, चर्म, फुटवियर/वस्तुएं/परिधान, परिष्कृत चमडा, पेट्रोलियम उत्पाद, धातु विनिर्माण,

अरण्डी तेल, प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद, इलैक्ट्रोनिक वस्तुएं, समुद्री उत्पाद, काजू, मसाले आदि।

फ्रांस से हमारे आयात की प्रमुख वस्तुएं हैं – मशीनरी, इलैक्ट्रानिक वस्तुएं, परिवहन उपस्कर, कार्बनिक रसायन, दालें, लौह एवं इस्पात, परियोजना वस्तुएं, व्यावसायिक उपकरण, रासायनिक पदार्थ एवं उत्पाद, औषधीय एवं भेषजीय उत्पाद, कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री, धातु विनिर्माण, सिंथेटिक रबड़, अखबारी कागज़, अलौह धातुएं, स्वर्ण आदि।

(ग) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को सुधारने और इसमें विस्तार करने के लिए उठाए गए कदमों में भारत–फ्रांस संयुक्त समिति तथा संयुक्त कार्य दलों के माध्यम से सरकारी स्तर पर नियमित विचार–विनिमय, व्यापारी स्तर पर सीधे संपर्कों को प्रोत्साहित करना एवं उन्हें सुकर बनाना, व्यापार संवर्धन कार्यकलापों में भाग लेना आदि शामिल हैं।

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

5013. श्री किरीट सोमैया : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने यह निश्चय किया है कि बीमा क्षेत्र में विदेशियों की 26 प्रतिशत से ज्यादा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होगी;

(ख) यदि हां, तो इसके नियंत्रण के लिए क्या निर्देश और प्रणाली बनायी गयी है;

(ग) क्या विभिन्न विदेशी कम्पनियों ने भारतीय वित्त उपलब्ध कराके भारतीय कर्मचारियों के माध्यम से इसमें निवेश करके इनका उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सम्पूर्ण बीमा क्षेत्र में प्रोत्साहनकर्त्ताओं की इक्विटी भागीदारी की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि पंजीकरण के समय प्राधिकरण इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी इक्विटी की 26% तक की सीमा का पालन किया जाए। आईआरडीए विनियमों के अनुसार, बीमाकर्त्ताओं के लिए यह भी आवश्यक है कि वे बीमा कंपनी की अंशधारिता प्रणाली में होने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को सूचित करें।

(ग) और (घ) आईआरडीए ने बताया है कि उन्हें किसी भी भारतीय बीमा कंपनी द्वारा विदेशी इक्विटी सीमाओं का उल्लंघन करने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, एक मामले में, जिसके अंतर्गत एक विदेशी निवेशक बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से संबंधित सरकार के संशोधित मार्गनिर्देशों का प्रयोग करना चाहता था, प्राधिकरण ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके, भारतीय प्रवर्तक की धारिता को कम कर दिया था।

(ङ) और (च) आईआरडीए ने सूचित किया है कि बीमाकर्ताओं को त्रैमासिक आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना होता है जिसमें बीमा कम्पनियों में जारी की गई पूंजी के 1% से अधिक के होने वाने परिवर्तनों को दर्शाया जाता है। आईआरडीए की जानकारी में बीमा कम्पनियों की पूंजी–संरचना में किसी प्रकार की विसंगति की बात नहीं आई है।

धान का भंडारण

5014. सरदार सिमरनजीत सिंह मान : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य के भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में आज की तिथि के अनुसार भंडार किए गए धान की वास्तविक मात्रा कितनी है;

(ख) समय बीत जाने, मौसम के प्रभाव और कृन्तकों द्वारा नष्ट कर दिए जाने के कारण धान की कितनी मात्रा को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया; और

(ग) धान के और भंडारण के सृजन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार 0.72 लाख टन (लगभग) धान का स्टाक भंडारित था:–

राज्य	धान का स्टाक (लाख टन में)
बिहार	0.08
मध्य प्रदेश	0.01
पंजाब	0.51
राजस्थान	0.12
जोड़	0.72

(ख) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया कुल 2004 टन धान का स्टाक था।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास धन सहित खाद्यान्नों के लिए वर्तमान भंडारण क्षमता पर्याप्त समझी जाती है। यदि धान के लिए अतिरिक्त भंडारण की आवश्यकताा होती है तो ढकी और प्लिंथ (कैप) भंडारण क्षमता सृजित की जाती है।

रक्षा कर्मियों के लिए परोक्ष मतदान

5015. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रक्षा कर्मियों के लिए परोक्ष मतदान की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस समय तक इसे लागू किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 में संघ के सशस्त्र बलों और उन बलों के, जिनको सेना अधिनियम, 1950 के उपबंध, उपांतरणों सहित या उसके बिना लागू किए गए हैं, सदस्यों के लिए निर्वाचनों में परोक्षी की प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के एक अतिरिक्त विकल्प का उपबंध है। उक्त अधिनियम के अनुसरण में प्रारूप स्कीम को भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसे शीघ्र ही अधिसूचित किया जा सकता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चाय बागानों के मजदूरों को चावल का वितरण

5016. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की ही तरह चाय बागानों के मजदूरों को भी चावल का वितरण किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस योजना के तहत कितने व्यक्तियों और परिवारों को शामिल किया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नर्मदा परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता

5017. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक नर्मदा परियोजना के लिए सहायता देने के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और उसकी निलंबन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक के ऋण की किश्तों का राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की खरीद

5018. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने हाल ही में खाद्यान्नों की खरीद की जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने पर विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरीज लिमिटेड

5019. श्री रामसिंह राठवा : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरीज (एनएसडीएल) के अंतर्गत डीमैट फार्म में पोर्टफोलियो रखने हेतु विभिन्न डिपोजिटरी सर्विसेज द्वारा निवेशकों से कितनी धनराशि ली जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान डिपोजिटरी सर्विसेज द्वारा कितनी बार शुल्क में वृद्धि की गई है और बढ़े शुल्क का ब्यौरा क्या है तथा इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या डिपोजिटरी सर्विसेज ने शुल्क में वृद्धि करने हेतु लघु निवेशकों और सेबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक जैसे सरकारी निकायों से परामर्श किया था;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और डिपोजिटरी सर्विसेज से यथास्थिति बनाये रखने को कहेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) नेशनल सिक्योरिटी डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एक द्वि–स्तरीय शुल्क का अनुसरण करता है अर्थात एनएसडीएल अपने निक्षेपागार भागीदारों से शुल्क का उद्ग्रहण करता है जबकि डीपी अपने ग्राहकों से शुल्क लेते हैं। एनएसडीएल के प्रभार सभी डीपी के लिए एक समान हैं। डीपी को अपने द्वारा प्रदत्त सेवाओं के आधार पर अपनी स्वयं की प्रशुल्क संरचना लागू करने की स्वतंत्रता है। डीपी द्वारा अपने निवेशकों से प्रभारित मुख्य शुल्क वार्षिक खाता अनुरक्षण प्रभारों के रूप में होता है जो 200 रुपये से 600 रुपये प्रतिवर्ष के बीच होता है।

(ख) निक्षेपागारों द्वारा प्रशुल्क परिवर्तन एक वाणिज्यिक मुद्दा है। डीपी अपने ग्राहकों को 30 दिन का नोटिस देकर अपनी स्वयं की प्रशुल्क संरचना लागू करने अथवा प्रशुल्क संरचना में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और एनएसडीएल डीपी द्वारा प्रभारित प्रशुल्क के आंकड़े नहीं रखते क्योंकि उनके द्वारा उन्हें रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ग) से (ङ) डीपी की शुल्क संरचना उनमें और उनके ग्राहकों के बीच एक वाणिज्यिक मुद्दा है। तथापि, अपने ग्राहकों के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार जब भी शुल्क संरचना पुनरीक्षित की जानी हो तो डीपी द्वारा अपने ग्राहकों को न्यूनतम 30 दिन का नोटिस देना अपेक्षित है। कोई निवेशक, यदि वह ऐसा चाहे, किसी भी समय एक डीपी से दूसरे में अंतरण कर सकता है।

सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड्स कारोबार के लिए जारी किए गए निर्देश

5020. श्री एस. मुरूगेसन : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेबी ने 28.11.2002 के अपने परिपत्र द्वारा म्यूचुअल फंड्स कारोबार में छूट से कटौती के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सेबी ने दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाही करने की भी सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इन निर्देशों का संस्थाओं और निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) सेबी के परिपत्र दिनांक 26 जून, 2002 के तहत जारी आचार संहिता में म्यूचुअल फंडों के मध्यवर्तियों द्वारा अपने निवेशकों के साथ कमीशन की साझेदारी करने तथा उपहारों के लालच इत्यादि के माध्यम से ग्राहक आकृष्ट करने को विवर्जित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सेबी के दिनांक 28 नवम्बर, 2002 के परिपत्र में

अन्य बातों के साथ–साथ सभी म्यूचुअल फंडों एवं मध्यवर्तियों को इसका कडाई से अनुपालन करने तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके उल्लंघन में कोई कार्रवाई न करने की सलाह दी गई है।

(ख) सेबी के दिनांक 26 जून, 2002 के परिपत्र में यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी म्यूचुअल फंड उन मध्यवर्तियों के साथ संव्यवहार नहीं करेंगे जो आचार संहिता का अनुपालन नहीं करते। यह चूककर्ताओं के लिए एक निवारक कारक के रूप में कार्य करेगा।

इसके आगे, सेबी के परिपत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2002 में म्यूचुअल फंडों से यह अपेक्षित है कि व आस्ति प्रबंधन कंपनियों तथा न्यासियों की आवधिक बोर्ड बैठकों में आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट करें तथा वे सेबी को प्रस्तुत की गई अपनी त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक रिपोर्टों में भी अनुपालन संबंधी रिपोर्ट देंगे।

(ग) सेबी द्वारा उक्त दिशानिर्देश इस दृष्टिकोण से जारी किए गए हैं कि म्यूचुअल फंडों को व्यावसायिक निधि प्रबंधन, अपेक्षाकृत कम व्यय तथा अच्छे प्रबंधन व्यवहारों की क्षमता पर निवेशकों से निधियां जुटानी चाहिए तथा मध्यवर्तियों एवं निवेशकों को गलत प्रलोभनों के आधार पर नहीं।

जाली अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्रों पर नियुक्ति

5021. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग का हाथरस (यू.पी.) के जिला कलेक्टर और किसी अन्य जिला कलेक्टर से जाली और फर्जी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों के संबंध में जाति सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या कंपनी और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को जाली और फर्जी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्रों के आधार पर कंपनी में रोजगार प्राप्त करने वाले दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच प्रक्रियाओं के विरुद्ध नयी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शीघ्र कार्यवाही के लिए उन पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) अब तक की गई कागजी कार्यवाही के निष्कर्ष के बाद कंपनी कितने मामलों में अंतिम आदेश अथवा अर्थदंड जारी कर सकी है; और

(च) आज की तारीख तक कंपनी के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में कितने मामलों में विभागीय कार्यवाही लम्बित है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज

5022. श्री सुरेश चंदेल : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के जिन कर्मचारियों ने गृह निर्माण अग्रिम लिया है उनके गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज या छूट में कोई असमानता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों जिन्होंने 1999 से पूर्व गृह निर्माण अग्रिम लिया है। वे 11 प्रतिशत से अधिक ब्याज का भुगतान कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके मामले में आयकर की गणना के प्रयोजनार्थ ब्याज पर छूट की सीमा रु. 30,000/– निर्धारित की गयी है जबकि केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने 1999 के बाद गृह निर्माण अग्रिम लिया है, यह सीमा 1.50 लाख रुपया निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एम. रामचन्द्रन) : (क) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों अथवा इसी प्रकार नियोजित किन्हीं अन्य व्यष्टियों को मकान निर्माण अग्रिम पर उद्भूत होने वाले ब्याज पर कोई छूट अनुमत्य नहीं है। तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 24 (ख) के अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं के अनुसार मकान निर्माण अग्रिम पर उद्भूत होने वाले ब्याज पर कटौती अनुमत्य है।

(ख) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों जिन्होंने वर्ष, 1999

से पूर्व 5–7.5 लाख रुपये के स्लैब में मकान निर्माण अग्रिम प्राप्त किया है, को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किये गए दिनांक 16–12–1997 के का.ज्ञा. के अनुसार 11% से अधिक के ब्याज का भुगतान करना होगा।

(ग) आयकर अधिनियम के अनुसार दिनांक 1.4.99 से पूर्व लिए गए मकान निर्माण अग्रिम और अन्य आवास ऋणों के लिए संदेय ब्याज पर कटौती की सीमा 30,000/– रुपये की गई है और इसके बाद स्व–धारित सम्पत्ति के लिए, लिए गए ऋणों के संबंध में 1.50 लाख रुपये की सीमा है।

(घ) स्व–धारित आवासीय सम्पत्ति के संबंध में ब्याज छूट की आर्थिक सीमा वित्त अधिनियमों द्वारा संसद द्वारा अनुमोदित सरकार के नीतिगत निर्णयों को दर्शाती है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहनों/कटौतियों के लिए आर्थिक सीमाओं में किसी निश्चित समय पर विद्यमान संगत आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किये जाते हैं। इस समय किसी परिवर्तन/संशोधन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

महाराष्ट्र जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना

5023. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 2 अप्रैल, 1998 को विश्व बैंक को अग्रसरित महाराष्ट्र जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना चरण–II के संदर्भ में संशोधित पहचान रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : महाराष्ट्र जलापूर्ति एवं मल–निपटान परियोजना चरण–II भारत को दिये जाने वाले विश्व बैंक के ऋणों हेतु प्रस्तावों की प्राथमिकता–सूची में नहीं है।

सूखा प्रभावित राज्यों में बीपीएल परिवार

5024. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूखा प्रभावित राज्यों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों की संख्या का पता लगाने का कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परिवारों हेतु पिछले वर्ष के दौरान इन को कितना खाद्यान्न दिया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) सूखा प्रभावित राज्यों सहित सभी राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे के अनुमानित परिवारों की संख्या सरकार के पास उपलब्ध है। यह संख्या 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के आबादी आधार पर अद्यतन विशेषज्ञ समूह की विधि के अनुसार योजना आयोग के गरीबी अनुमानों (1993–94) पर आधारित है। पिछले वर्ष के दौरान राज्यवार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या और उन्हें आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की अनुमानित संख्या (आंकड़े लाख में)*	2002–2003 के दौरान खाद्यान्नों का आवंटन** (आंकड़े हजार टन में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	40.63	1706.38
अरूणाचल प्रदेश	0.99	41.50
असम	18.36	800.52
बिहार	65.23	2664.18
छत्तीसगढ़	18.75	700.38
दिल्ली	4.09	171.78
गोवा	0.48	15.96
गुजरात	21.20	899.21
हरियाणा	7.89	307.86
हिमाचल प्रदेश	5.14	203.93
जम्मू और कश्मीर	7.36	275.50
झारखंड	23.94	968.63
कर्नाटक	31.29	1314.28

1	2	3
केरल	15.54	652.61
मध्य प्रदेश	41.25	1539.90
महाराष्ट्र	65.34	2744.30
मणिपुर	1.66	54.60
मेघालय	1.83	76.86
मिजोरम	0.68	28.68
नागालैंड	1.24	52.08
उड़ीसा	32.98	1696.69
पंजाब	4.68	196.54
राजस्थान	24.31	960.54
सिक्किम	0.43	18.24
तमिलनाडु	48.63	2042.38
त्रिपुरा	2.95	123.90
उत्तर प्रदेश	106.79	4373.90
उत्तरांचल	4.98	193.87
पश्चिम बंगाल	51.79	2010.54
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.28	9.24
चंडीगढ़	0.23	9.64
दादरा और नगर हवेली	0.18	6.72
दमन और द्वीव	0.04	1.68
लक्षद्वीप	0.03	0.54
पांडिचेरी	0.84	35.11
जोड़	652.04	26898.65

* अंत्योदय परिवार शामिल हैं।

** अत्योदय परिवारों के लिए आवंटन शामिल है।

वस्त्र उद्योग में हथकरघा/विद्युतकरघा की हिस्सेदारी

5025. श्री पी. कुमारासामी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र उद्योग में हथकरघा और विद्युतकरघा की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है;

(ख) क्या आधुनिक विद्युतकरघा क्षेत्र के मुकाबले परम्परागत हथकरघा उद्योग प्रतिस्पर्द्धा से ग्रसित है; और

(ग) यदि हां, तो हथकरघा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठा गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) वर्ष 1995–96 में आयोजित की गई हथकरघा और विद्युतकरघा की संयुक्त गणना के आधार पर संगठित मिल क्षेत्र में करघों को छोड़कर, हथकरघा क्षेत्र में 73.72 प्रतिशत करघे तथा विद्युतकरघा क्षेत्र में 26.28 प्रतिशत करघे हैं।

(ख) हथकरघा उद्योग, विद्युतकरघा क्षेत्र की तुलना में, हथकरघा बुनाई में हाथ द्वारा की गई गतिविधियों की अधिकता के कारण लागत संबंधी नुकसान उठा रहा है।

(ग) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तथा सम्पूर्ण देश के हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:–

1. डिजाइन विकास व प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
3. मिल गेट कीमत योजना।
4. दीन–दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
5. कार्यशाला–सह–आवास योजना।
6. बुनकर कल्याण योजना।
7. हथकरघा निर्यात योजना।
8. हथकरघों का कार्यान्वयन (उत्पादन हेतु आरक्षित वस्तुएं) अधिनियम, 1985
9. हैंड यार्न पर सेनवेट की क्षतिपूर्ति के लिए योजना।

खाद्य संबंधी राजसहायता

5026. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम की प्रमुख रूप से उच्च प्रशासनिक और प्रचालन लागत के कारण खाद्य संबंधी राजसहायता में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम की खाद्य संबंधी राजसहायता प्रचालन की प्रशासनिक लागत को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) और (ख) प्रशासनिक लागत सहित भारतीय खाद्य निगम की प्रचालन लागत (वितरण लागत) में पिछले तीन वर्षों के दौरान गिरावट आई है, जैसाकि नीचे दिया गया है:–

(दर रुपये/क्विंटल)

वर्ष	प्रशासनिक लागत	प्रशासनिक लागत सहित वितरण लागत
2000–01	16.65	180.15
2001–02	14.32	142.32
2002–03	13.80	139.10

तथापि, न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने और कल्याण योजनाओं का विस्तार करने जैसे विभिन्न नीति प्रेरित कारकों की वजह से खाद्य राजसहायता बिल में वृद्धि हुई है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम की प्रचालन प्रशासनिक लागत कम करने के लिए किए गए/प्रस्तावित उपाय निम्नानुसार हैं:–

(i) भंडारण लागत को कम करने के लिए 75% औसत क्षमता उपयोग हासिल करना।

(ii) खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडाराण और संचालन में हानियों को कम करने के प्रयास करना।

(iii) रेलवे डैमरेज प्रभारों में कमी करने के प्रयास करना।

(iv) परिणामी प्रवेश स्तर के पदों पर न्यूनतम भर्ती करके प्रशासनिक लागत को नियंत्रित करना।

(v) पुराने स्टाक को जारी करना तथा "ग" और "घ" श्रेणी के स्टाक का निपटान करना।

(vi) भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए बोरियों की मशीन से सिलाई करना तथा खाद्यान्नों को 50 किलाग्राम की बोरियों में रखना।

(vii) कड़े गुण नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करना।

(viii) खाद्यान्नों की क्षति को कम करने के प्रयास करना।

पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं में वित्तीय संस्थाओं का निवेश

5027. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थाएं पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु रियायती दरों पर पर्याप्त धनराशि उधार देने में हिचकिचाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक और भरत सरकार से कम लागत की निधियों तक पहुंच से वित्तीय संस्थाएं रियायती ब्याज दर पर ऋण दे पाती हैं। वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की शुरूआत होने से दीर्घावधि रियायती निधियों के लिए पहुंच बंद कर दी गई है और वित्तीय संस्थाओं को वाणिज्यिक शर्तों पर बाजार से निधियां जुटानी पड़ती हैं। इसलिए वे पिछड़े क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं सहित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की पात्र एवं अर्थक्षम परियोजनाओं के लिए बाजार से संबंधित दरों पर (ऋण योग्यता के आधार पर) वित्तीय सहायता देती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

5028. **श्री अशोक ना. मोहोल :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में इस समय भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और उनमें भंडारित खाद्यान्नों की मात्रा का स्थल–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन गोदामों में खाद्यान्नों के लादान और उतराई में इतना अधिक समय लगने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कितनी मात्रा में खाद्यान्न खराब हो गया हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम दयनीय स्थिति में हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन गोदामों की स्थिति में सुधार करने और राज्य में अधिक खाद्यान्न रखने के लिए और अधिक गोदाम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) 16.4.2003 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध स्थानवार भंडारण क्षमता और उसमें भंडारित खाद्यान्नों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सामान्य स्थिति में खाद्यान्नों के लदान और उतरान में कोई विलम्ब नहीं होता है। तथापि कभी–कभी प्रचालनात्मक बाधाओं के कारण अपरिहार्य विलम्ब हो जाता है। ऐसे विलम्ब के प्रभाव को कम करने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गए खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है:–

वर्ष	मात्रा (टन में)
2000–01	3467
2001–02	3387
2002–03	1813

(घ) से (च) भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व के गोदामों का निर्माण और रखरखाव खाद्यान्नों का वैज्ञानिक भंडारण सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। मुम्बई के पत्तन क्षेत्र के अंदर किराए पर लिए गए जो गोदाम वैज्ञानिक रूप से निर्मित नहीं थे उन्हें खाली किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में और खाद्यान्नों को रखने के लिए मनमाड में 18,600 टन भंडारण क्षमता और बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विवरण

स्थानवार भंडारण क्षमता और रखे गए स्टॉक सहित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के ब्यौरे

राजस्व जिले का नाम	डिपो का नाम	भंडारण क्षमा (टन में)	रखे गये स्टॉक (टन में)	
			गेहूं	चावल
1	2	3	4	5
भारतीय खाद्य निगम की अपनी				
मुम्बई	बोरीबली	104000 (सीलो)	62207	–
		162567 (जीडीएन)	4831	6690

1	2	3	4	5
थाणे	भिवान्डी	10000	137	200
रायगढ़	पनवेल	91700	16139	17820
पुणे	पुणे	29100	4140	6885
सोलानुर	सोलापुर	32000	84	4047
रत्नागिरी	रत्नागिरी	10000	2171	596
अहमदनगर	अहमदनगर	5000	1082	1776
मनमाड	मनमाड			
नासिक		84000 (सीलो)	81361	–
		292625 (जीडीएन)	48898	54306
नागपुर	नागपुर	74978	3839	7431
गोन्डिया	गोन्डिया	30000	–	15000
वर्धा	वर्धा	105000	8683	3710
गोवा	गोवा	15000	1720	2060
मुम्बई	सेवरी	16055	117	16131
	वडाला	38590	176	10083
	जी.एम.	16369	2857	15345
निजी पार्टियों/अन्य एजेंसियों से किराए पर ली गई				
मुम्बई	सेवरी	5000	–	229
जी.एम.	जी.एम.	70289	1000	12100
अ.नगर	श्रीरामपुर	15000	14	6594
जलगांव	जलगांव	15000	2336	4467
अकोला	अकोला	2500	591	–
अमरावती	अमरावती	7500	817	894
अ.नगर	अ.नगर	15000	1191	1505

1	2	3	4	5
केन्द्रीय भंडारण निगम और महाराष्ट्र निगम से किराए पर ली गई				
नासिक	नासिक रोड़	6000	1492	2198
अकोला	अकोला	5000	2823	5599
अमरावती	अमरावती	7000	1549	5324
गोन्डिया	गोन्डिया	10000 (खुली)	13853	–
नागपुर	नागपुर	5000	63	592
कोल्हापुर	कोल्हापुर	8000	3792	2487
सांगली	मिराज	61299	8811	49838
जालना	जालना	6000	963	1795
औरंगाबाद	औरंगाबाद	6000	1691	5339
परभनी	परभनी	6000	798	3901
नांदेड़	नांदेड़	3000	2397	51
जलगांव	जलगांव	8000	5635	3709
बुलधाना	खामगांव	8500	3203	4315
	धमनगांव	649	53	649
चंद्रपुर	चंद्रपुर	8500	665	4813
बीड	पर्ली	9000	318	4270
सतारा	सतारा	11000	1064	3185
	लोनाड	4915	62	4080
पुणे	भोसरी	1867	–	892
सतारा	कराड	37	–	37
रत्नागिरी	रत्नागिरी	6500	1740	–
सोलापुर	चिंचोली	5200	129	2757

राज्यों को ऋण राहत

5029. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग के कार्यनिष्पादन संबंधी ऋण राहत अधिनिर्णय के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी ऋण राशि का लाभ उठाया गया;

(ख) ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष–वार और राज्य–वार कितनी धनराशि की सामान्य ऋण राहत दी गई;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य–वार और वर्ष–वार ऋण अदला–बदली तंत्र अथवा अन्यथा के माध्यम से कितनी ऋण राहत दी गई;

(घ) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य–वार राज्य के निजी राजस्व, राज्य के कुल राजस्व और राज्य के निवल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में ऋण अदायगी के मामले में प्रत्येक राज्य के ऋण भार का आकलन किया है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे कतिपय राज्यों की चिरकालीन और अप्रबंधकीय ऋण समस्याओं के निराकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को अब तक दी गई सामान्य ऋण राहत की राशि निम्नवत् है:–

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2001–02	2002–03
आंध्र प्रदेश	–	77.52
अरूणाचल प्रदेश	1.72	–
मणिपुर	2.47	–

चूंकि स्कीम समय अंतराल से संचालित होती है, सामान्य ऋण राहत के संबंध में ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2001–02 से ही शुरू होती हैं।

(ख) ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी अधिनिर्णय अवधि के दौरान राज्यों के लिए वर्ष–वार ऋण राहत की सिफारिश नही दी है।

(ग) "ऋण विनिमय स्कीम" चालू कम ब्याज दर का लाभ उठाते हुए कम कूपन वाले मौजूदा लघु बचतों तथा खुले बाजारों से ऋणों के साथ भारत सरकार से विगत मे लिए गए मंहगे ऋणों की पूर्व अदायगी के लिए राज्यों को समर्थ बनाने की दृष्टि से किया गया एक प्रयास है। वर्ष 2002–03 के दौरान सितम्बर से राज्यों को देय निवल लघु बचतों की 20 प्रतिशत राशि का उपयोग पहले लिए गए ऋणों की पूर्व अदायगी हेतु किया गया था। इस उद्देश्य के लिए इसकी अनुपूर्ति खुले बाजार से 10,000 करोड़ रुपये का ऋण लेकर की गई है। वर्तमान वर्ष में अतिरिक्त बाजार ऋण के साथ–साथ निवल लघु बचतों की 30 प्रतिशत राशि का उपयोग ऋण विनिमय के लिए किया जाएगा। वर्ष 2004–05 में ऋण विनिमय निवल लघु बचत की 40 प्रतिशत राशि तथा अतिरिक्त खुला बाजार ऋण के द्वार प्रभावित होगा। वर्ष 2002–03 के दौरान ऋण विनिमय स्कीम के तहत समायोजित राज्यवार जोड़, जिसमें एस.एल.आर. बाजार ऋण भी शामिल है, का विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उडीसा शामिल हैं, के राजकोषीय समकेन हेतु प्रोत्साहन के रूप में भारत सरकार ने "राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा 2000–01 से 2004–05" का सृजन किया है। यह ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। राज्यों को सुधार अवधि के दौरान राजस्व घाटे एवं सकल राजकोषीय घाटे को कम करने के उद्देश्य से अपने मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एस.टी.एफ.आर.पी.) को तैयार करने का आदेश दिया गया है। राज्यों के एम.टी.एफ.आर.पी. के ऋण एवं गारंटियों के स्टॉक को वर्ष 2004–05 तक वहनीय स्तर तक लाने का भी उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राज्यों की उधार लेने की सीमा को भी उनके एम.टी.एफ.आर.पी. में दर्शाया गया है।

एस.एल.आर. बाजार ऋण सहित वर्ष 2002–03 के दौरान ऋण, विनियम स्कीम के तहत समायोजित राज्य–वार जोड़

(करोड़ रुपये में)

	राज्य	राज्यों के निवल लघु बचतों के संग्रहण के अश में से समायोजन	अतिरिक्त एस. एल. आर. बाजार ऋणों की अनुमति
1		2	3
1.	आंध्र प्रदेश	333.87	827.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.71	18.00
3.	असम	62.16	231.00
4.	बिहार	191.21	597.00

1		2	3
5.	छत्तीसगढ़	61.44	149.00
6.	गोवा	21.02	45.00
7.	गुजरात	598.11	1147.00
8.	हरियाणा	151.03	379.00
9.	हिमाचल प्रदेश	46.38	244.00
10.	जम्मू और कश्मीर	47.04	177.00
11.	झारखंड	115.73	205.00
12.	कर्नाटक	222.02	609.00
13.	केरल	118.47	344.00
14.	मध्य प्रदेश	176.55	411.00
15.	महाराष्ट्र	0	0
16.	मणिपुर	2.25	18.00
17.	मेघालय	3.02	17.00
18.	मिजोरम	1.73	13.00
19.	नागालैंड	1.71	14.00
20.	उड़ीसा	87.56	387.00
21.	पंजाब	274.77	717.00
22.	राजस्थान	340.54	693.00
23.	सिक्किम	0.74	0
24.	तमिलनाडु	253.00	689.00
25.	त्रिपुरा	16.03	37.00
26.	उत्तरांचल	64.83	584.00
27.	उत्तर प्रदेश	572.66	1448.00
28.	पश्चिम बंगाल	0	0

यूटीआई के प्रबंधकों का त्यागपत्र

5030. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अनेक प्रबंधकों के सशर्त त्यागपत्र स्वीकार कर लिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम प्रशासक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2002 से 22 अप्रैल, 2003 तक अधिकारी संवर्ग में 52 कर्मचारियों ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट/यूटीआई एएमसी (पी) लिमिटेड की सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया है जिनमें से 40 प्रबंधक थे।

वर्ल्ड इकॉनामिक सिचुएशन एण्ड प्रॉस्पेक्टस

5031. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रमाणित "वर्ल्ड इकॉनामिक सिचुएशन एण्ड प्रॉस्पेक्ट्स 2003" के अनुसार निकट भविष्य में आर्थिक मंदी से निपटने की काई आशा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका में इस समय घरेलू उत्पाद की दर 2.4% है जिसमें धीरे–धीरे कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस परिदृश्य में विकासशील देश पूर्व वर्ष की भांति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या पिछले छहः माह से विकासशील देशों का पूंजी प्रवाह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अन्तर्वाह से अधिक है;

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार अमेरिका और यूरोपीय देशों में औद्योगिक उत्पादों विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय देशों मे मंदी के परिदृश्य में मांग सृजित रखने हेतु और अधिक निवेश हेतु विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र

द्वारा प्रकाशित "विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं, 2003" विश्व अर्थव्यवस्था में वर्ष, 2003 के 1.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष, 2003 में 2.75 प्रतिशत तक वृद्धि होना पूर्वानुमानित करती है। तथापि, यह रिपोर्ट उल्लेख करती है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार कई जोखिमों का सामना कर रहा है और नीति निर्माताओं के पास प्रयास करने के सीमित मार्ग हैं।

(ग) रिपोर्ट वर्ष, 2003 में संयुक्त राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए 3 प्रतिशत वृद्धि पूर्वानुमानित करती है, जो वर्ष 2002 में हुई 2.4 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक होगी।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में वर्ष, 2002 में एक चौथाई से थोड़ी अधिक गिरावट हुई। निवेशकों के घटे हुए विश्वास ने निजी पूंजी अन्तर्प्रवाहों को कम कर दिया, जिससे वर्ष 2002 छठा लगातार वर्ष हो गया, जिसमें विकासशील देशों ने वित्तीय संसाधनों का निवल बहिर्गामी अंतरण किया।

(च) और (छ) घरेलू नीतियां बनाते समय विदेशी परिदृश्य और घटनाओं को सदैव विचारार्थ लिया जाता है। भारत में उद्योग और सेवा क्षेत्रक इस समय गत वर्ष की अपेक्षा बहुत बेहतर निष्पादन कर रहे हैं। निर्यात भी उतार–चढ़ाव की प्रवृत्तियां प्रदर्शित कर रहे हैं। अद्यतन केन्द्रीय बजट (2003–2004) ने आधार ढांचा विकास, कृषि, विनिर्माण क्षेत्रक की क्षमता और निर्यात, जिनके बने रहने और घरेलू अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति बढ़ाने की प्रत्याशा है, को प्रोत्साहित करने के लिए पहलें घोषित की हैं।

लूपिन लैबोरेट्रीज द्वारा शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव

5032. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री भेषज कंपनियों के विरुद्ध सेबी की जांच के बारे में 14.12.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4195 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लूपिन लैबोरेट्रीज द्वारा शेयरों की कीमतों में उतार–चढ़ाव के बारे में सेबी की जांच पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या इस संबंध में लूपिन लैबोरेट्रीज को दोषी पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो लूपिन लैबोरेट्रीज के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई या किए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि लूपिन लैबोरेट्रीज लिमिटेड के शेयरों के मूल्यों में घटबढ़ की जांच पूरी नहीं हुई है।

कपास की खरीद

5033. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय कपास निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न कपास उत्पादक राज्यों से राज्य–वार कुल कितनी कपास खरीदी गई;

(ख) क्या कपास उत्पादकों को उनकी उपज का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह भुगतान किस समय किया जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) (i) भारतीय कपास निगम द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2002–03 के दौरान राज्यवार अधिप्राप्त कपास निम्नानुसार है:–

(170 किग्रा. की प्रत्येक गांठ)

राज्य	मात्रा
1	2
पंजाब	9,097
हरियाणा	3,023
राजस्थान	26,226
गुजरात	1,56,220
मध्य प्रदेश	38,825
महाराष्ट्र	1,95,123

1	2
आंध्र प्रदेश	1,30,229
कर्नाटक	67,862
तमिलनाडु	50
अन्य	7,093

(ii) वर्ष 2002–03 के कपास मौसम (अक्टूबर–सितम्बर) के दौरान, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन परिसंघ लि. द्वारा 23.57 लाख क्विंटल "कपास" (कपास बीज) की खरीद की गई।

(iii) पंजाब राज्य सहकारी आपूर्ति व विपणन परिसंघ लि. द्वारा पंजाब में 58768.42 क्विंटल (36096 गांठ) तथा राजस्थान में 11565.81 क्विंटल (7022 गांठ) लिंट कपास की खरीद की गई।

(iv) आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लि. द्वारा वर्ष 2002–03 के दौरान 5086 क्विंटल कपास की खरीद की गई।

(v) कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लि. द्वारा वर्ष 2002–03 के दौरान, किसानों से कपास की खरीद नहीं की गई। तथापि, परिसंघ द्वारा खादी व ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड के लिए बाज़ार से 5,353 तैयार कपास गांठों की खरीद की गई।

(vi) हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के राज्य सहकारी परिसंघों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2002–03 के दौरान कपास उत्पादकों से "कपास" (कपास बीज) की खरीद नहीं की गई।

(ख) कपास उत्पादकों को, संबंधित खरीद एजेंसियों द्वारा, उनके उत्पादों के लिए भुगतान कर दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बैंक कर्मचारियों हेतु वेतन संबंधी बातचीत

5034. श्री रघुनाथ झा : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए वेतन संबंधी बातचीत शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) मजदूरी पुनरीक्षण एवं संबंधित मामलों पर भारतीय बैंक संघ (बैंक प्रबंधन के प्रतिनिधि) एवं उद्योग स्तरीय अधिकारी संघ तथा कामगार यूनियनों के बीच द्विपक्षीय समझौता वार्ता चल रही है। भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि समझौता वार्ता अक्तूबर, 2002 को शुरू हुई तथा फिलहाल यह संकेत देना संभव नहीं होगा कि इस समझौता वार्ता को अंतिम रूप देने में कितना समय लगेगा।

अल्पसंख्यकों को बैंक ऋण

5035. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक को वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है जिसमें अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋणों/उधार को दर्शाया गया हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ किन–किन अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान की गई है;

(घ) इन विवरणियों और अनुवर्ती कार्य की जांच हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए वार्षिक लक्ष्य क्या है और उन्हें कितना ऋण उधार दिया गया; और

(च) अल्पसंख्यकों को ऋण के असंतोषजनक प्रवाह वाले बैंकों के मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। सहकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अल्पसंख्यकों को दिए गए अग्रिमों से संबंधित छमाही विवरणी भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करवाएं।

(ग) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पांच समुदायों, अर्थात सिख, मुस्लिम, ईसाई, जोराष्ट्रीयन तथा बौद्ध, को अधिसूचित किया गया है;

(घ) इन विवरणियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संवीक्षा की जाती है और किसी भी प्रकार की खामियों को इसके द्वारा संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

(ङ) अल्पसंख्यकों को अग्रिम देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि पर्याप्त रूप में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को न केवल अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले सरकार द्वारा पहचान किए गए 44 जिलों बल्कि सारे देश में भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मार्च, 2000, 2001 एवं 2002 को समाप्त छमाहियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को मंजूर किए गए ऋणों एवं अग्रिमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को अनुदेश जारी किए गए हैं:–

(i) जिला अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता वाले 41 जिलों की पहचान की गई है।

(ii) परमर्शदात्री समिति एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में प्रगति की नियमित रूप से संवीक्षा की जाती है।

(iii) इन 41 जिलों में से प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक को एक अधिकारी रखना चाहिए जो खास तौर से अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण के प्रवाह संबंधी समस्याओं को दूर करने, बैंक ऋण के विभिन्न कार्यक्रमों को अल्पसंख्यक समुदायों के बीच प्रचारित करने और साथ ही शाखा प्रबंधकों से परामर्श से अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार करने पर ध्यान देंगे।

(iv) पहचान किए गए 41 जिलों में अग्रणी बैंकों से उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है ताकि बैंकों द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ इन अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य उठा सकें।

(v) अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति बैंक कर्मियों में वैचारिक परिवर्तन लाने तथा 15 सूत्री कार्यक्रम खासकर अल्पसंख्यकों को ऋण सुविधाओं का उचित परिप्रेक्ष्य और मूल्यांकन करने के उद्देश्य से बैंकों से इस संबंध में शाखा प्रबंधकों को सुग्राही बनाने के लिए अनुदेश पाठ्यक्रम, ग्रामीण उधार संबंधी कार्यक्रम, प्राथमिकता क्षेत्र के वित्तोपोषण आदि जैसे संगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भाग के रूप में उपयुक्त व्याख्यान सत्रों को शामिल करने की सलाह दी गई है।

विवरण

मार्च एवं सितम्बर 2001 को समाप्त छमाही के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों को दर्शाने वाला ब्यौरा

बैंक का नाम	खातों की संख्या – हजार में				राशि रुपये में			
	मार्च 2001 सभी जिलों में		मार्च 2001 पहचाने गए 41 जिलों में		सितम्बर 2001 सभी जिलों में		सितम्बर 2001 पहचाने गए 41 जिलों में	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2790	4153	694	877	2817	4117	551	865
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	37	94	1	2	35	101	1	3
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	75	139	13	33	108	138	10	40
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	25	34	1	2	22	34	6	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	47	72	1	1	47	73	1	2
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	143	570	2	5	193	658	1	8
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	11	62	450*	3	12	79	418*	3
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	575	777	52	287	586	791	52	290
इलाहाबद बैंक	142	219	60	76	144	232	59	78
आन्ध्रा बैंक	95	55	11	5	78	46	11	5
बैंक ऑफ बड़ौदा	196	664	33	137	208	695	33	132
बैंक ऑफ इंडिया	180	684	28	79	214	792	30	86
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	32	86	3	10	31	91	3	11
केनरा बैंक	389	1053	128	210	386	1104	125	238
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	271	386	73	63	241	395	54	59
कार्पोरेशन बैंक	32	142	2	10	31	185	2	10
देना बैंक	13	142	2	19	15	150	2	20
इंडियन बैंक	54	192	3	11	49	198	3	14
इंडियन ओवरसीज बैंक	157	279	16	16	170	303	16	16
ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स	70	654	12	39	80	646	13	39
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	109	811	5	16	112	740	4	14
पंजाब नेशनल बैंक	363	1454	68	124	383	1568	79	123
सिंडिकेट बैंक	174	478	47	95	196	520	51	106
यूको बैंक	104	227	31	38	142	328	75	75
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	137	597	17	82	138	575	18	92
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	223	186	111	84	228	190	111	84
विजया बैंक	49	237	11	52	49	252	10	46
कुल	6492	14450	1425	2375	6716	14997	1322	2474

मार्च एवं सितम्बर 2000 को समाप्त छमाही के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों को दर्शाने वाला ब्यौरा

बैंक का नाम	खातों की संख्या – हजार में				राशि रुपये में			
	मार्च 2000 सभी जिलों में		मार्च 2000 पहचाने गए 41 जिलों में		सितम्बर 2000 सभी जिलों में		सितम्बर 2000 पहचाने गए 41 जिलों में	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2756	3486	590	781	2980	3753	614	798
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	37	95	1	2	37	98	1	2
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	155	186	18	41	128	157	11	21
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	26	36	1	2	24	33	1	2
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	47	68	1	1	47	69	1	1
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	196	380	3	6	204	410	3	6
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	11	51	334*	2	12	47	376*	2
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	557	719	41	130	584	861	47	203
इलाहाबाद बैंक	136	174	45	68	139	200	49	56
आन्ध्रा बैंक	72	43	11	5	84	49	11	5
बैंक ऑफ बड़ौदा	187	604	32	94	187	624	31	115
बैंक ऑफ इंडिया	197	703	28	75	193	643	29	76
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	34	93	3	12	33	85	3	9
केनरा बैंक	353	949	117	224	379	996	131	236
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	300	378	74	54	258	367	71	57
कार्पोरेशन बैंक	30	141	3	14	31	133	4	15
देना बैंक	16	196	3	20	14	169	3	26
इंडियन बैंक	65	147	4	12	62	169	3	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
इंडियन ओवरसीज बैंक	138	397	16	16	187	322	16	16
ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स	71	516	7	28	72	582	11	35
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	109	784	8	25	110	788	8	19
पंजाब नेशनल बैंक	370	1298	70	113	363	1330	69	121
सिंडिकेट बैंक	160	374	46	70	163	422	47	83
यूको बैंक	136	259	29	36	116	284	30	39
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	136	522	20	79	126	556	17	80
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	233	178	110	82	233	185	111	85
विजया बैंक	48	218	11	31	46	226	11	46
कुल	6577	12999	1291	2024	6811	13556	1333	2174

मार्च 2002 को समाप्त छमाही के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों को दर्शाने वाला ब्यौरा

खातों की संख्या – हजार में
* वास्तविक आंकड़े

राशि करोड़ रुपये में

बैंक का नाम	मार्च, 2002 सभी जिलों में		मार्च, 2002 सभी जिलों में	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5
1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2995	448653	577	976
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	38	106	1	4
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	107	140	10	72
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	22	35	6	16
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	51	80	2	2
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	201	704	1	8
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	25	54	*(445)	5
8. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	588	803	54	302
9 इलाहाबाद बैंक	147	231	53	82
10. आन्ध्रा बैंक	78	48	11	11

1		2	3	4	5
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	217	796	32	134
12.	बैंक ऑफ इंडिया	230	1007	36	103
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	31	92	3	12
14.	केनरा बैंक	389	1157	125	249
15.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	240	417	52	67
16.	कार्पोरेशन बैंक	32	232	2	12
17.	देना बैंक	17	128	2	18
18.	इंडियन बैंक	58	244	3	17
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	170	343	16	17
20.	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स	85	757	12	45
21.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	112	895	4	15
22.	पंजाब नेशनल बैंक	386	1710	76	169
23.	सिंडिकेट बैंक	209	571	52	120
24.	यूको बैंक	91	301	27	54
25.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	152	712	20	122
26.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	215	189	108	88
27.	विजया बैंक	49	263	10	52
	कुल	7163	16501	1297	2771

वस्त्र आयात में कमी

5036. श्री महबूब जाहेदी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हौजरी उत्पादों संबंधी उत्पाद शुल्क लगाने के कारण वस्त्र उद्योग में निर्यात में 9 प्रतिशत तक कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने परिधान निर्यात के माध्यम से वर्ष 2010 के भीतर वस्त्र उद्योग हेतु 50 बिलियन डालर के मूल्य का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) डीजीसीआई एंड एस के नवीनतम् उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल–दिसम्बर, 2002 अवधि के दौरान वस्त्र निर्यात, वर्ष 2001 की इसी अवधि के दौरान 7814.6 मिलियन डॉलर के निर्यात की तुलना में 8849.4 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा इसमें 13.2% की बढ़ोत्तरी हुई है। हौज़री उत्पादों के निर्यात पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क

लागू करने का निश्चित प्रभाव अभी ज्ञात नहीं हुआ है क्योंकि केन्द्रीय प्रक्रिया दिनांक 01.04.2003 से ही प्रभाव में आई है, जबकि डीजीसीआई एण्ड एस के केवल दिसम्बर, 2002 तक के निर्यात संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 में, वर्ष 2010 तक 50 बिलियन अमरीकी डॉलर के वस्त्र व अपैरल निर्यात के लक्ष्य की परिकल्पना है, जिसमें परिधान का अंश 25 बिलियन अमरीकी डॉलर होगा।

वृद्धि दर

5037. श्री वाई. वी. राव : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 8 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लक्ष्यों में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002–2007) के लिए 8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य को संभव माना गया है क्योंकि कार्यक्षमता में सुधार लाने की गुंजाइश सरकारी और निजी क्षेत्रकों, दोनों में काफी अधिक है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आधार–ढांचा और सामाजिक क्षेत्रकों में और अधिक सरकारी निवेश करने की जरूरत, संसाधनों की आवंटन संबंधी क्षमता बढ़ाने, सुधार करने और नियंत्रण बढ़ाने तथा वितरण प्रणालियों की क्षमता में वृद्धि करने पर जोर दिया गया है। वृद्धि के लक्ष्य में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

फिलीपींस के साथ ऋण हेतु समझौता

5038. डा. वी. सरोजा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आयात–निर्यात बैंक और फिलीपींस ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट डेवेलपमेंट कारपोरेशन के मध्य दो मिलियन डॉलर तक विभिन्न प्रकार के ऋण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस समझौते से फिलीपींस के लिए निर्यात सरल हो जाएगा, और

(घ) यदि हां, तो निर्यात के किन क्षेत्रों में अधिकतम लाभ होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी हां। भारतीय निर्यात–आयात बैंक से फिलीपींस के व्यापार एवं निवेश विकास निगम (टिडकोर्प–जिसे फिल एक्जिम भी कहा जाता है) को 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला (लाईन ऑफ क्रेडिट) के लिए दोनों संस्थानों के बीच दिनांक 7 मार्च, 2003 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस ऋण श्रृंखला के अंतर्गत, फिलीपींस में अवस्थित आयातक संविदा मूल्य के 10% का अग्रिम भुगतान करेंगे और संविदा मूल्य के 90% के लिए एक्जिम बैंक द्वारा टिडकोर्प को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। एक्जिम बैंक माल के पोत लदान पर भारतीय निर्यातकों को प्रतिपूर्ति करेगा। ऋण अवधि 5 वर्ष तक की होगी।

(ग) इस ऋण श्रृंखला के अंर्तगत, भारतीय निर्यातकों के लिए विदेशी आयातकों या आयातकों के देशों के संबंध में कोई ऋण जोखिम नहीं है। हालांकि आयातक अग्रिम भुगतान के रूप में 10% का भुगतान करता है, परन्तु एक्जिम बैंक निर्यातक का आश्रय लिए बिना पोतलदान पर भारतीय निर्यातकों को संविदा के 90% का भुगतान करता है। इस प्रकार इससे फिलीपींस को भारतीय निर्यात को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।

(घ) एक्जिम बैंक की ऋण श्रृंखला के अंतर्गत एक्जिम नीति के तहत निर्यात के लिए अनुमूल्य किसी उत्पाद को वित्त पोषण के लिए शामिल किया जा सकता है। फिलीपींस को भारतीय निर्यातों के विगत के रुख के आधार पर मशीनों एवं उपकरण, परिवहन उपस्कर खनिज ईंधन रसायन धातुओं से बने सामान इत्यादि के फिलीपीन्स को निर्यात की पर्याप्त संभावना है।

पुनर्निर्यात हेतु चाय कॉफी का आयात

5039. श्री एम. मास्टर मथान : क्या **वाणिज्य और** उद्योग मंत्री पुनर्निर्यात हेतु चाय और कॉफी का आयात के बारे

में 20.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4928 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्र करने के विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) आवश्यक जानकारी के कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की गई थी और 20 दिसम्बर, 2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 4928 के आश्वासन को पूरा करने वाला अपेक्षित विवरण संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दिया गया है। अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:–

निर्यात और आयात नीति के अनुसार निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ईओयू) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड)/विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित इकाइयां अपने निर्यात क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित, शुल्क का भुगतान किए बगैर सभी प्रकार के सामानों का आयात/खरीद करने की पात्र हैं। हालांकि चाय और कॉफी के निर्यातों पर ईओयू/ईपीजेड इकाइयों के लिए निर्धारित निर्यातों के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम निवल विदेशी मुद्रा आय 10% है, तथापि एसईजेड इकाइयों के लिए सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय (एनएफई) प्राप्त करना आवश्यक है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ईओयू/ईपीजेड द्वारा चाय के आयातों और शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत अन्य आयातों का मूल्य निम्नानुसार है:–

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयातों का मूल्य
1999–2000	60.28
2000–2001	92.63
2001–2002	78.58

गत तीन वर्षों के दौरान शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत ईओयू द्वारा कॉफी के आयातों का मूल्य निम्नानुसार है:–

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयातों का मूल्य
1999–2000	7.27
2000–2001	8.59
2001–2002	13.53

जहां तक चाय का संबंध है, ऐसे आयातों के वापसी निर्यात का मूल्य और उनसे अर्जित अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं है क्योंकि चाय का आयात विभिन्न एककों/स्कीमों के जरिए वापसी निर्यात के लिए किया जाता है। जहां तक कॉफी का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्यवर्धन के पश्चात् ईओयू द्वारा वापस निर्यात की गई आयातित कॉफी का मूल्य निम्नानुसार है:–

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	पुनर्निर्यात मूल्य
1999–2000	11.29
2000–2001	37.05
2001–2002	32.37

तथापि, कॉफी के ऐसे वापसी निर्यातों द्वारा अर्जित वास्तविक अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

5040. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत वर्ष ग्रमीण विकास क्षेत्र हेतु एशियाई विकास बैंक से भारी ऋण प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो ऋण संघटकों का ब्यौरा क्या है और किन–किन राज्यों को यह ऋण संवितरित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस ऋण के साथ नई ग्रामीण विकास योजनाएं तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(क) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन से सहायता

5041. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन ने भारत को 4450 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौन सी परियोजनाओं हेतु यह ऋण प्रदान किया जाएगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को–आपरेशन ने भारत को लगभग 4417 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है।

(ख) पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं हेतु ऋणों के लिए ब्याज की दर और पुर्नअदायगी की अवधि क्रमशः 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 40 वर्ष है। अन्य परियोजनाओं हेतु ऋणों के लिए ब्याज की दर और पुर्नअदायगी की अवधि क्रमशः 1.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 30 वर्ष है।

(ग) उन परियोजनाओं, जिनके लिए ऋण उपलब्ध कराया जाना है, के नाम निम्नलिखित हैं:

1. सिम्हाद्री ताप विद्युत केन्द्र परियोजना (IV)
2. बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र इकाई विस्तार परियोजना
3. दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (IV)
4. पंजाब वानिकीकरण परियोजना (II)
5. राजस्थान वानिकी और जैव–विविधता संरक्षण परियोजना
6. यमुना कार्य योजना परियोजना (II)
7. अजंता–एलोरा संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना (II)

[अनुवाद]

नोटरी पब्लिक की नियुक्ति

5042. श्री अधीर चौधरी : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा के जिला न्यायालयों के कितने वकीलों ने नोटरी पब्लिक की नियुक्ति हेतु आवेदन किया है जिनका निपटान एक वर्ष से लंबित है और इनके विलंब के क्या कारण हैं; और

(ख) न्यायालय द्वारा इन लंबित आवेदनों पर शीघ्र निर्णय हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) हरियाणा के ऐसे अधिवक्ताओं के, जिन्होंने नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, 105 आवेदन एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। नोटरी की नियुक्ति एक कानूनी नियुक्ति है, जो नोटरी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की जाती है, जिसमें अनुपालन की जाने वाली ब्यौरेवार प्रक्रिया विहित है। नोटरी की नियुक्ति की प्रक्रिया में अनेक उपाय किए जाने सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् की राय अभिप्राप्त करना भी है, जिसमें समय लगता है।

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा नोटरी पब्लिक की नियुक्ति के लिए किसी आवेदन पर कार्रवाई करने में न्यायालयों की कोई भूमिका नहीं होती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण

5043. प्रो. दुखा भगत :

श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में लोगों को ऋण देने हेतु अनुसूचित बैंकों के निर्धारित नियम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य–वार लोगों को इन बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अन्य राज्यों की तुलना में झारखन्ड में लोगों को कम ऋण संवितरित किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सुपरिभाषित ऋण नीति तैयार करने की सलाह दी है। इस ऋण नीति में उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के समूह के लिए निवेश सीमाएं, प्रलेखीकरण मानक, क्षेत्रीय निवेश सीमाएं, बट्टे खाते डालने एवं पुनरीक्षा प्रक्रियाओं, परिपक्वता एवं मूल्य निर्धारण नीतियों सहित शक्तियों का प्रत्यायोजन निर्धारित किया जाना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा ऋणों की मंजूरी स्पष्ट रूप से निर्धारित शक्तियों के प्रत्यायोजन से होती है जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में बढ़ाया नहीं जा सकता है। उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के समूह को ऋण का निवेश, बैंक में ऋण मंजूरी का प्रबंधन पूर्णतः प्रबंधन का कार्य है और प्रत्येक बैंक का निदेशक मंडल इस संबंध में उपयुक्त नीतियां तैयार करने के लिए प्राधिकृत है।

(ख) दिसम्बर, 2000, 2001 और 2002 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल बकाया बैंक ऋण संबंधी राज्य–वार आंकड़ा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) किसी खास क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण का अभिनियोजन उस क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास, आर्थिक क्रियाकलाप के स्तर, उद्यमिता, ऋण खपत क्षमता और बैंकों को स्वीकार्य परियोजनाओं की उपलब्धता जैस विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। किसी क्षेत्र के विकास में ऋण सिर्फ एक निविष्ट है। इसलिए झारखंड में संवितरित ऋण की तुलना अन्य राज्यों में संवितरित ऋण से करना उचित नहीं होगा।

विवरण

दिसम्बर 2000, 2001 और 2002 के अंतिम शुक्रवार को स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्य–वार सकल बैंक ऋण

(करोड़ रु.)

राज्य	2000	2001	2002
1	2	3	4
अंडमान एवं निकोबार	64	78	99
आन्ध्र प्रदेश	33358	37057	42773
अरुणाचल प्रदेश	102	115	133
असम	2978	3349	3591
बिहार	5370	5814	6748
चंडीगढ़	3285	9832	10635
छत्तीसगढ़	2658	3512	3783
दादरा एवं नागर हवेली	34	57	88
दमन एवं दीव	59	49	50
दिल्ली	79825	92952	83049
गोवा	1604	1909	2100
गुजरात	25090	27013	30530
हरियाणा	7594	8769	10700
हिमाचल प्रदेश	1518	1741	2192
जम्मू एवं कश्मीर	3716	4057	4444
झारखंड	3970	4456	4983
कर्नाटक	30355	34535	41513
केरल	18355	20907	24150
लक्षद्वीप	5	5	5
मध्य प्रदेश	13699	14745	16589

1	2	3	4
महाराष्ट्र	139633	151496	222234
मणिपुर	175	157	171
मेघालय	267	351	513
मिजोरम	91	117	149
नागालैंड	126	127	155
उड़ीसा	5648	6860	8452
पांडिचेरी	512	570	647
पंजाब	16962	19349	21678
राजस्थान	12154	14243	16713
सिक्किम	85	117	159
तमिलनाडु	53362	58675	67682
त्रिपुरा	340	390	464
उत्तर प्रदेश	22402	26225	29402
उत्तरांचल	2051	2390	2761
पश्चिम बंगाल	28418	32129	37379
अखिल भारत	515868	584149	696716

[अनुवाद]

बैंकों में कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति

5044. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकिंग और बीमा प्रभाग का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यकारी निदेशक के पद पर प्रोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकिंग और बीमा प्रभाग द्वारा उठाया गया कदम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्थायी अनुदेशों का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रुपयों की पूर्ण परिवर्तनीयता

5045. डा. अशोक पटेल :

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1992 से पूंजी और चालू खाते के संबंध में रुपयों की शुरु की गई सीमित परिवर्तनीयता का वांछित परिणाम मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में रुपयों की पूर्ण परिवर्तनीयता की दिशा में पहल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारत ने अगस्त, 1994 में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता शुरू की। लकिन पूंजी खाते में लेन–देन पर प्रतिबंधों को चयनात्मक ढंग से हटाया गया है। पूंजी खाते के विवेकपूर्ण प्रबंध से हाल ही के वर्षों के दौरान भारत का भुगतान–संतुलन निरन्तर सुदृढ़ होता गया है।

(ग) से (ङ) पूंजीगत नियंत्रणों को और उदार बनाने तथा पूंजी खाते के लेन–देन में और अधिक लचीलापन लाने के लिए 10 जनवरी, 2003 को कई उपायों की घोषणा की गई। ये है : म्युचुअल फंडों को विदेश में उन कम्पनियों में निवेश करने की अनुमति, जो विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं

और जिनकी निवेश वर्ष की पहली जनवरी को भारत के मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनी में कम से कम 10 प्रतिशत की शेयरधारिता है। म्युचुअल फंडों द्वारा निवेश की समग्र सीमा बढ़ाकर 1 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दी गई है। अलग–अलग व्यक्तियों को भी विदेश में उन कम्पनियों में निवेश करने की अनुमति दी गई है जो विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं और जिनकी निवेश वर्ष की पहली जनवरी को मान्यता–प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 10 प्रतिशत की शेयरधारिता है और निवेश की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। ये उपाय 10 जनवरी, 2003 से लागू कर दिए गए हैं और ये प्रारम्भ में, इनकी घोषणा की तारीख से छह माह की अवधि के लिए चलन में रहेंगे। इसके अतिरिक्त, अद्यतन केन्द्रीय बजट (2003–04) में अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाली कम्पनियों को ऑटोमैटिक रूट के तहत कम महत्वपूर्ण कार्यकलापों में भी, विदेशों में निवेश करने की अनुमति दी गई है। ऑटोमैटिक रूट के तहत विदेशी वाणिज्यिक उधारों के पूर्व भुगतान पर 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की वर्तमान सीमा हटा ली गई है।

विवाह का पंजीकरण

5046. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री गंता श्रीनिवास राव :

श्री गुनीपाटी रामैया :

श्री वी. के. पार्थसारथी :

श्री अधीर चौधरी :

श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने तथा यहां विदेशी नागरिकों की बढती संख्या पर रोक लगाने के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह विधान कब तक बनाए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) विवाह, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची – सूची 3 की मद 5 के अंतर्गत आता है। विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सभी समुदायों को शासित करने वाली कोई सामान्य केंद्रीय विधि नहीं है। फिर भी, कुछ राज्य सरकारों ने विवाहों के एकसमान रजिस्ट्रीकरण के लिए विधियां बनाई हैं। तथापि, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 ने वर्ष 2010 तक विवाहों के अनिवार्य रजिष्ट्रीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

ब्राउन शुगर की जब्ती

5047. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में विशेषकर गुजरात में बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जब्त किए गए ब्राउन शुगर का ब्यौर क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समय–समय पर जब्त किए ब्राउन शुगर को नष्ट कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) देश में रवापक औषधि कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों ने गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों में ब्राउन शुगर/हेरोइन जब्त की है।

(ख) विभिन्न स्वापक औषधि कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सहित देश में पकड़ी गई ब्राउन शुगर/हेरोइन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न स्वापक औषधि कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान समय–समय पर नष्ट की गई जब्त ब्राउन शुगर/हेरोइन के ब्यौरे निम्नानुसार है:

2000	1 किग्रा.
2001	2 किग्रा.
2002	5 किग्रा.

जब्त की गई ब्राउन शुगर/ हेरोइन की जांच पूरी होने पर नष्ट कर दिया जाता है। जब्त ब्राउन शुगर/हेरोइन की जांच पूर्व निपटान भी संबंधित न्यायालयों से आदेश प्राप्त करने के बाद ही किया जाता है।

विवरण

विभिन्न स्वापक औषधि कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सहित देश में जब्त की गई ब्राउन शुगर/ हेरोइन के ब्यौरे

वर्ष	2000		2001		2002	
	सम्पूर्ण भारत में जब्ती	गुजरात में जब्ती	सम्पूर्ण भारत में जब्ती	गुजरात में जब्ती	सम्पूर्ण भारत में जब्ती	गुजरात में जब्ती
मामलों की संख्या	2841	21	3891	18	4328	19
मात्रा कि.ग्रा. में	1240	41	889	54	884	13
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	3218	37	4304	31	4727	27

आवश्यक वस्तु अधिनियम

5048. श्री रतनलाल कटारिया : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनाज, दाल, तिलहन, कपास, पटसन, प्याज, पशुचारा और इसके प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कवर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कुल कृषि उत्पादों और इनके प्रसंस्कृत उत्पादों का कितना प्रतिशत इन अधिनियम के अंतर्गत कवर किया जाता है;

(ग) क्या इस अधिनियम के अंतर्गत बड़ी संख्या में कृषि उत्पादों के कवरेज से मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किए जा रहे मूल्यों और मुक्त बाजार के लाभ से किसानों को वंचित करना नहीं है;

(घ) क्या इस अधिनियम के अंतर्गत इन उत्पादों का कवरेज सुधार–नीति, उदारीकरण, बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था, अग्रेषण विपणन और विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताओं आदि के प्रतिकूल नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अधिनियम की परिसीमा से कुछ आइटमों को हटाने का है; और

(च) यदि हां, तो इन आइटमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। खाद्य पदार्थ जिनमें खाद्य तिलहन तथा तेल, प्याज, तेल की खली तथा अन्य सांद्रों सहित पशु चारा शामिल हैं, सूती कपड़े, पूर्णतः कपास से बनाया धागा, कच्चा कपास, ओटा हुआ या बिना ओटा हुआ और बिनौले, कच्चा जूट और जूट के कपड़े आवश्यक वस्तुओं की उन 18 श्रेणियों में से हैं जिनको आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत "आवश्यक" घोषित किया गया है।

(ग) और (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जन साधारण के हित में उन कतिपय वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण और उनके व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने की व्यवस्था की गई है जिनको अधिनियम के तहत "आवश्यक" घोषित किया गया है। इन वस्तुओं के उत्पादन में कमी को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें "आवश्यक" घोषित किया गया था। तथापि, आवश्यक वस्तुओं की सूची, जिसमें वर्ष 1989 में 70 मदें शामिल थीं, घटरकर वर्तमान में 18 मदों तक सीमित रह गई है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा बदली हुई परिस्थिति के संदर्भ में और खाद्यान्नों के स्वतंत्र व्यापार और संचलन को सुकर बनाने तथा कृषकों को उनके उत्पादों का सर्वाधिक मूल्य दिलाने, मूल्यों में स्थिरता लाने और अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 15.2.2003 को एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा विशिष्ट खाद्य पदार्थों नामतः गेहूं, धान/चावल, मोटे अनाज, चीनी, खाद्य तिलहन और खाद्य तेलों के लिए लाइसेंसिंग अपेक्षाओं, स्टॉक सीमाओं तथा उनके संचालन पर से प्रतिबंधों को हटा दिया गया है।

(ङ) और (च) आर्थिक परिदृश्य तथा विशेष रूप से वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति के संबंध में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर आवश्यक वस्तुओं की सूची की समीक्षा की जाती है। अर्थव्यवस्था के और अधिक उदारीकरण, मुक्त व्यापार, सहज उपलब्धता तथा मूल्यों के स्थिरीकरण को सुकर बनाते हुए केंद्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के तहत पहले "आवश्यक" घोषित 29 मदों, जिन पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाए गए थे, में से निम्नलिखित वस्तुओं को दिनांक 15.2.2002 की अधिसूचना द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि से हटा दिया है:–

1. सीमेंट
2. टैक्सटाइल मशीनरी
   - (i) बुनाई मशीन
   - (ii) कताई मशीन
   - (iii) फीते बनाने की मशीन
   - (iv) विद्युतकरघा (पावरलूम) और
   - (v) प्रसंस्करण मशीनरी
3. रेशमी कपड़े
4. मानव निर्मित सेल्यूलोजिक और नॉन सेल्यूलोजिक स्पन फाइबर से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से बने कपड़े।
5. मानव निर्मित सेल्यूलोजिक और नॉन सेल्यूलोजिक फिलामेंट यार्न से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से बने कपड़े।
6. जनरल लाइटिंग सर्विस लैम्प्स
7. इलैक्ट्रिक आयरन, हीटर जैसे तथा उसी प्रकार के घरेलू उपकरण।
8. इलैक्ट्रिक केबिल और तारें।
9. मानव निर्मित सेल्यूलोजिक और नॉन सेल्यूलोजिक कच्चा रेशा (स्टेपल फाइबर)।
10. निम्नलिखित सामग्रियों से पूरी तरह या आंशिक रूप से बनाये गए धागे, अर्थात्:–
    - (i) ऊन
    - (ii) मानव निर्मित सेल्यूलोजिक और स्पन फाइबर।
    - (iii) मानव निर्मित गैर–सेल्यूलोजिक काता रेशा (स्पन फाइबर)।
    - (iv) रेशम
11. (i) मानव निर्मित सेल्यूलोजिक और गैर–सेल्यूलोजिक फिलामेंट यार्न।
    - (ii) नायलॉन टायर, यार्न/कोर्ड/फैब्रिक
12. (i) घरेलू और सदृश प्रयोजनों के लिए स्विच
    - (ii) 2–ए एम पी स्विच
    - (iii) 3–पिन प्लग और सॉकेट आउटलेट्स

बांग्लादेश के साथ व्यापार

5049. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बांग्लादेश को निर्यात किए गए और वहां से आयात किए गए सामानों और सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बांग्लादेश से अवैध प्रव्रजन संबंधी मामले से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार रिश्तों पर असर पडा है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाया जाए, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बांग्लादेश के साथ भारत के निर्यातों और आयातों के आंकड़े निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रुपये)

वर्ष	बांग्लादेश को भारत के निर्यात	बांग्लादेश को भारत के आयात
1999–2000	2756.57	338.66
2000–2001	3988.18	337.49
2001–2002	4494.07	281.94

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों को ऋण/अनुदान

5050. श्री वाई.जी. महाजन :

श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को ऋण और अनुदान के रूप में राज्य–वार कितनी धनराशि मुहैया कराई गई;

(ख) क्या राज्यों ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरन अनुदान की राशि बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) गाडगिल फार्मूला में संशोधन के लिए राज्यों के सुझावों के एक भाग के रूप में तथा बाद में दिनांक 1 सितम्बर, 2001 को आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद् की 49वीं बैठक में विचार विमर्श करके कई गैर–विशेष श्रेणी के राज्यों ने, अन्य बातों के साथ–साथ केन्द्रीय योजना सहायता के वर्तमान ऋण–अनुदान अनुपात को उदार बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था।

(घ) राज्यों को योजना सहायता का वर्तमान ऋण–अनुदान अनुपात दिसम्बर, 1991 में एन.डी.सी. द्वारा यथा–अनुमोदित गाडगिल फार्मूले पर आधारित है। इसलिए फार्मूले में किसी भी बदलाव के लिए एन.डी.सी. का अनुमोदन अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा अनुपात में परिवर्तन से केन्द्र के राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों और इसके बाद राज्यों की योजना सहायता पर भार पड़ेगा। इसलिए इस विषय पर कोई भी निर्णय केन्द्र की समग्र संसाधन स्थिति और इस संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय पर आधारित होगा।

विवरण

9वीं पंचवर्षीय योजनाके दौरान ऋण और अनुदान के रूप में राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि को दर्शाने वाला ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	कुल	
		ऋण	अनुदान
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	9838.42	4671.18
2	अरुणाचल प्रदेश	293.26	2455.86
3	असम	773.25	6344.73
4	बिहार	6188.20	2643.62
5	छत्तीसगढ़	454.67	267.40
6	गोवा	363.84	118.59
7	गुजरात	6150.81	2036.56
8	हरियाणा	1611.94	727.65
9	हिमाचल प्रदेश	453.11	3777.64
10	जम्मू और कश्मीर	1229.67	8405.76
11	झारखंड	348.67	1989.12
12	कर्नाटक	5395.61	2091.87
13	केरल	2357.41	1060.83
14	मध्य प्रदेश	5585.99	2328.73
15	महाराष्ट्र	4871.41	2223.36
16	मणिपुर	292.44	2069.27
17	मेघालय	183.73	1610.08
18	मिजोरम	190.21	1737.39

1	2	3	4
19	नागालैंड	207.58	1804.21
20	उड़ीसा	4430.89	1887.40
21	पंजाब	1837.44	739.74
22	राजस्थान	3632.49	1841.74
23	सिक्किम	132.82	1196.38
24	तमिलनाडु	4751.17	2291.03
25	त्रिपुरा	353.09	2559.09
26	उत्तर प्रदेश	9888.96	6311.59
27	उत्तरांचल	2661.16	1321 47
28	पश्चिम बंगाल	6718.16	3288.95

[अनुवाद]

सिडबी (एसआईडीबीआई)

5051. श्री सुरेश कुरुप : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऋण मुहैया कराकर केरल में भारतीय लघु उद्योग बैंक द्वारा कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गईं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा केरल में पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त औद्योगिक यूनिटों की संख्या निम्न प्रकार है:–

वर्ष	यूनिटों की संख्या
1999–2000	2798
2000–2001	1161
2001–2002	1009

[हिन्दी]

आलू का निर्यात

5052. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आलू निर्यात के संदर्भ में इस वर्ष किसी देश से निर्यात संबंधी कोई आर्डर मिला है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन देशों से निर्यात संबंधी ऑर्डर मिले हैं और प्रत्येक देश को सालाना जितने आलू का निर्यात किए जाने की संभावना है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्यात ऑर्डर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किन–किन राज्यों से आलू लिए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी वस्तु के लिए राज्य–वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, आलू का निर्यात उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों से किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

गन्ना उत्पादों की बकाया राशि

5053. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गन्ना मिलों को किसानों द्वारा आपूर्ति किए गए गन्ने के संदर्भ में वर्ष 2001 के अंत तक की बताया राशि की तुलना में वर्ष 2002 के दौरान इनके अनुमानित बकाए के संबंध में हाल ही में कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गन्ना मिलों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण सरकार द्वारा गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2000–01 तथा 2001–02 मौसमों के लिए गन्ने के मूल्य की बकाया अनुमानित धनराशि क्रमशः लगभग 40.35 करोड़ रुपये तथा 99.80 करोड़ रुपये है।

(ग) गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का शीघ्र भुगतान करवाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक सृजित किया गया है जिसके फलस्वरूप चीनी फैक्ट्रियों को केवल गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि के भुगतान प्रयोजन के लिए (चीनी विकास निधि से) 412 करोड़ रुपये की सब्सिडि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, मिलों को अतिरिक्त मार्जिन मनी के प्रति लगभग 374 करोड़ रुपये बैंकों से उपलब्ध होंगे। इस प्रकार, गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य की देय धनराशि के भुगतान के लिए चीनी मिलों को लगभग 786 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे।

(ii) चीनी फैक्ट्रियों की लेवी देयता 01 मार्च, 2002 से कम करके 10% कर दी गई है ताकि चीनी फैक्ट्रियां गैर–लेवी कोटा के अधीन खुले बाजार में और अधिक चीनी बेच सकें।

(iii) लेवी चीनी के न उठाए गए स्टाक की मात्रा के बराबर चीनी को गैर–लेवी चीनी के रूप में खुले बाजार में बेचने की अनुमति देकर चीनी फैक्ट्रियों को अस्थायी राहत दी गई है। 2001–02 मौसम के दौरान उठान नहीं की गई लेवी चीनी के स्टाक की 2,21,513.7 मी. टन मात्रा को गैर–लेवी चीनी के रूप में बेचने की अनुमति दी गई थी।

(iv) किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के बिना चीनी के निर्यात की अनुमति दी जा रही है तथा ऐसे निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 तथा चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में संशोधन किया गया है ताकि आंतरिक ढुलाई तथा समुद्री भाड़े की हानि को निष्क्रिय किया जा सके।

मत्स्य उत्पादों का निर्यात

5054. श्री पी. राजेन्द्रन :

श्री प्रबोध पण्डा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के मत्स्य उत्पादों के वार्षिक निर्यात का औसत कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2003 तक भारत से विभिन्न देशों को किस्म–वार और वर्ष–वार कुल कितने मत्स्य उत्पादों का निर्यात किया गया और इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया;

(ग) वर्ष 2003–04 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या विश्व में भारतीय मत्स्य उत्पादों को नकारे जाने की दर ऊँची है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) देश से मत्स्य उत्पादों का औसत वार्षिक निर्यात लगभग 4.25 लाख टन होता है।

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2000–2001, 2001–2002 और 2002–2003 (जनवरी, 2003 तक) के दौरान समुद्री उत्पादों के प्रमुख देश–वार और प्रमुख किस्म–वार निर्यात निम्नानुसार रहा है:–

(i) समुद्री उत्पादों का प्रमुख देश–वार निर्यात

मात्रा : टनों में, मूल्य : मिलियन अमरीकी डॉलर में

देश	2000–2001		2001–2002		2002–2003 (अप्रैल, 02 – जनवरी, 03)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
यूएसए	41747	255.93	49041	299.05	48236	328.80
जापान	68983	562.75	64905	383.07	43293	273.40

1	2	3	4	5	6	7
यूरीपीय संघ	68827	225.37	82895	241.97	72446	217.35
चीन और हांगकांग	182771	181.86	134767	125.66	146944	156.73
द.पू. एशिया	40748	101.76	52424	113.35	34361	105.89
मध्य पूर्व	17236	41.39	19159	38.10	14880	31.61
अन्य	20161	47.26	21279	52.15	15489	87.37
जोड़	440473	1416.32	424470	1253.35	375649	1201.15

(ii) समुद्री उत्पादों का प्रमुख किस्म–वार निर्यात

देश	2000–2001		2001–2002		2002–2003 (अप्रैल, 02 – जनवरी, 03)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रशीतित श्रिम्प	111874	985.00	127709	871.03	107032	763.17
प्रशीतित मछली	212903	192.25	174976	150.04	166074	178.93
प्रशीतित कटल मछली	33677	63.52	30568	58.93	35936	74.24
प्रशीतित स्विड	37628	71.31	39790	69.36	25835	53.59
अन्य	44391	104.24	51427	103.99	40772	131.22
जोड़	440473	1416.32	424470	153.35	375649	1201.15

(ग) वर्ष 2003–2004 के लिए समुद्री उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) समुद्री उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीमें, स्वच्छता एवं गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं को उन्नत करने के कदम, जलकृषि का विस्तार करना; रोग को फैलने से रोकने हेतु प्रबंधन के ठोस तरीकों को अपनाने के लिए जल कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना; निर्यात के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए सहायता; अंतर्राष्ट्रीय मेलों में एम्पीडा द्वारा भागीदारी; विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण करना; इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सरकार ने सूक्ष्म जैविक एवं रासायनिक संक्रमण के कारण मत्स्य उत्पादों की खेपों को अस्वीकार करने के मामलों को खत्म करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें गुणवत्ता मानकों के प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन, भण्डार एवं परिवहन के सभी स्तरों पर समुद्री खाद्य की स्वच्छ प्रहस्तन के लिए आवश्यक अपेक्षाएं निर्धारित करना, रसायन एवं भारी धातुओं का अधिकतम अनुमत्य स्तर निर्धारित करना, प्रसंस्करण एककों पर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), और भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा निगरानी रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपेक्षित

मानदण्डों का अनुपालन हो रहा है: निर्यातकों, प्रसंस्कर्ताओं, कृषिकों, खाद्य विनिमार्ताओं, अण्डज प्रजननशालाओं के मालिकों इत्यादि में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता लाने के लिए सभी समुद्री खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में एम्पीडा और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा अभियान चलाना और उन्हें इस बात के लिए सहमत करना कि वे किसी स्तर पर प्रतिबंधित रसायनों का प्रयोग न करें; प्रमुख उत्पादन केन्द्रों में समुद्री खाद्य का परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन और मत्स्य उतराई केन्द्रों और मत्स्य पालन बन्दरगाहों का सुधार/आधुनिकीकरण शामिल हैं।

मतदाता-सूची में नाम दर्ज किया जाना

5055. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री प्रकाश यशवंतराव अम्बेडकर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 सितंबर, 2000 के फैसले के अनुसरण में चकमा और हजोंग्स, जो जन्म से भारतीय हैं और बड़ी संख्या में हैं, का मतदाता सूची में नाम दर्ज किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

अफीम की अवैध खेती और इसकी तसकरी

5056. श्री रामपाल सिंह : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद अफीम की अवैध खेती और इसकी तस्करी जारी है और अफीम की तस्करी के लिए भारत का उपयोग एक पारगमन स्थल के रूप में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अफीम की अवैध खेती और इसकी तस्करी पर रोक लगाने के लिए नये सिरे से कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एम. रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 2001 और 2002 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और प. बंगाल में अफीम पोस्त की अवैध खेती के मामूली और छोटे मामलों का पता लगा है। फिर भी ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है जहां भारत को अफीम की तस्करी के लिए पारगमन देश के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) पता लगाए गए और नष्ट किए गए अफीम की अवैध खेती के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	पता लगाए गए एवं नष्ट किए गए अफीम की अवैध खेती का क्षेत्र (एकड़ में)
2000	379
2001	44
2002	539

मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तीन राज्यों में 50,000 एकड़ (लगभग) लाइसेंसीकृत खेती की तुलना में यह क्षेत्र बहुत कम है।

(ग) और (घ) स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अंतर्गत पहले से ही कड़े प्रावधान विद्यमान हैं जिसके अंतर्गत अफीम पोस्त की अवैध खेती और उसके व्यापार पर प्रतिबंध है। उक्त अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था है जो अवैध रूप से अफीम पोस्त की खेती करता है अथवा उसका अवैध व्यापार करता है। जब भी अफमी पोस्त की अवैध खेती का पता लगता है तो उसे नष्ट करने के लिए व्यापक औषधि कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाती है। केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों की स्वापक औषधि कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों को अफीम पोस्त की खेती को रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

विदेशी संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता

5057. श्री भीम दाहाल : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के अतिरिक्त कोई ऐसा विदेशी संस्थान है जिसने पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में सड़कों के विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो इस सहायता से उक्त राज्यों में शुरू की गई हैं; और

(घ) इन राज्यों में सड़क संबंधी आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केन्द्रीय सड़क निधि, संसाधनों के गैर–व्यपगत केन्द्रीय पूल और विश्व बैंक सहायता जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को इन राज्यों में सड़क संबंधी आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए समय–समय पर निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से ऋण

5058. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक दूरसंचार विभाग के आधुनिकीकरण और इसकी क्षमता का विस्तार करने के लिए 62 मिलियन डॉलर (260 करोड़ रुपये) का ऋण मुहैया कराने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) विश्व बैंक के इस ऋण से मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं पर कब तक काम शुरू किये जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। विश्व बैंक ने दूरसंचार क्षेत्र सुधार तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 62.00 मिलियन डॉलर का ऋण मुहैया कराया है जिसके संबंध में दिनांक 11.08.2000 को करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस परियोजना से सेवा प्रदाताओं को विनियमित करके और रेडियो स्पेक्ट्रम की प्रबंध व्यवस्था करते हुए दूरसंचार क्षेत्र के लिए जिम्मेदार सरकारी अभिकरणों की संस्थागत संरचना और क्षमता को मजबूत बनाया जाएगा।

(ग) इस परियोजना में वायरलेस मॉनीटरिंग स्टेशन, भोपाल में रेडियो मॉनीटरिंग सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना शामिल किया गया है।

(घ) नैशनल रेडियो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट एण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम की अधिप्राप्ति हेतु संविदाएं दिसम्बर, 2002 से प्रभावी हुई थी। विभिन्न स्थलों पर उपस्करों की सुपुर्दगी और संस्थापना जल्द ही शुरू की जाने वाली है और अठारह महीनों में पूरी हो जायेगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त खाद्यान्न

5059. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त खाद्यान्न जारी किए जाने के लिए वहां की सरकार से हाल में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस राज्य को अतिरिक्त खाद्यान्न जारी कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) से (घ) अतिरिक्त खाद्यान्न रिलीज करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त

सूचना के अनुसरण में 10 लाख टन चावल की मात्रा राज्य सरकार को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन अप्रैल, 2003 में आबंटित की गयी है। तदनुसार, भारतीय खाद्य निगम द्वारा रिलीज आदेश जारी किए गए हैं।

विस्फोटक नियमावली, 1983 में संशोधन

5060. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री रखने और इसके किसी प्रकार के उपयोग संबंधी लाइसेंस जारी करने का प्राधिकार केवल डिप्टी चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव (डीसीसीई), आगरा (यू.पी.) को ही दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डीसीसीई, आगरा से लाइसेंस प्राप्त करने में राज्यों के छोटे खदान मालिकों को विशेषकर समय की बर्बादी, अनावश्यक खर्च और बेवजह परेशान किए जाने संबंधी अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पहले से छोटे खदान मालिकों को 100 कि.ग्रा. से अधिक की विस्फोटक सामग्री नहीं रखने का अधिकार प्रदान करने संबंधी अधिकार का प्रत्यायोजन जिला प्राधिकरणों में उसी तर्ज पर निहित करने का है जिस तर्ज पर पहले विस्फोटक नियमावली, 1983 जिला प्राधिकरणों को अधिकार दिए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो विस्फोटक नियमावली, 1983 में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) विस्फोटक नियम, 1983 के अधीन विस्फोटकों को रखने और प्रयोग करने के लिए फार्म 22 में लाइसेंस लेना अनिवार्य है। विस्फोटक विभाग के मुंबई, कोलकाता, आगरा, चेन्नई और फरीदाबाद स्थित 5 मंडल कार्यालयों के संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को इस प्रकार के लाइसेंस जारी करने का अधिकार है।

(ख) विस्फोटकों के रखने और प्रयोग करने के लिए छोटे खदान मालिकों को सुरक्षा संबंधी दूरी बनाये रखने, मैगजीन/स्टोरेज की निर्माण योजना की जांच, शुल्क का भुगतान, और जिला प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने, जैसा भी मामला हो, जैसी उचित प्रक्रियाओं का अनुपालन किए जाने के बाद विस्फोटक विभाग द्वारा लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं।

(ग) और (घ) विस्फोटक नियम, 1983 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। जिला प्राधिकरणों का अधिकतर प्रत्यायोजित करना इस कार्य का एक हिस्सा है। परामर्श, कानूनी विधीक्षा, सार्वजनिक आपत्ति/सुझावों और इनके निपटान की प्रक्रियात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एक निश्चित समय–सीमा बतायी नहीं जा सकती है।

[हिन्दी]

मतदाता पहचान-पत्र

5061. श्री सईदुज्जमा : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर–प्रदेश के आज़मगढ़ और मुजफ्फरनगर जिलों में अधिकांश मतदाताओं को मतदाता पहचान–पत्र जारी नहीं किए गए है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों ही जिलों में मतदाताओं को अपने–अपने मतदाता पहचान–पत्र प्राप्त कर लेने की सूचना जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ इन दोनों ही जिलों में कोई केन्द्र बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प भवन

5062. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में 'हस्तशिल्प भवन' स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस भवन के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं और इस पर कितनी लागत आई है;

(ग) क्या इस संस्थान के माध्यम से हस्तशिल्पों को कोई वित्तीय सहायता दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) नई दिल्ली में बाबा खडग् सिंह मार्ग पर 'हस्तशिल्प भवन' निर्माणाधीन है। इस भवन का मुख्य उद्देश्य राज्यों और नवनिर्मित राज्यों में शामिल ऐसे राज्य हस्तशिल्प निगमों को स्थान उपलब्ध कराना है जिन्हें अपने हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए नई दिल्ली में प्रत्यक्ष बिक्री हेतु कोई स्थान उपलब्ध नहीं है।

'हस्तशिल्प भवन' के निर्माण के पश्चात् शिल्पियों को भी अपने उत्पाद उपभोक्ताओं को सीधे बेचने के लिए बारी–बारी से स्थान मुहैया कराया जाएगा।

'हस्तशिल्प भवन' की निर्माण लागत अनुमानतः 11.04 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्यात लक्ष्य

5063. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान वास्तविक रूप में कितने रुपयों का निर्यात किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताव रूडी) : (क) और (ख) नौवीं योजना में निर्यातों में प्रति वर्ष 11.8% की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में रुपये के संबंध में वर्ष–वार निर्यात निष्पादन निम्नानुसार रहा है:–

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये)
1997–98	130101
1998–99	139753
1999–2000	159561
2000–01	203571
2001–02	209018

(ग) से (घ) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमानों के अनुसार, पण्य वस्तुओं के निर्यातों में 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 12.4% वार्षिक की वृद्धि होने की संभावना है। यह 2007 तक विश्व निर्यातों में 1% हिस्सा प्राप्त करने के लिए 12% मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) के अनुरूप है। जैसाकि मध्यावधि निर्यात नीति में प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में हस्तशिल्प निगम के लिए सहायता

5064. श्री अनंत गुढे : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में हस्तशिल्प निगम और अन्य संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्पों के संवर्धन और विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम, मुम्बई और अन्य संगठनों को केन्द्रीय सरकार द्वारा मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता के आंकड़े इस प्रकार से है:–

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	वर्ष	रिलीज़ की गई धनराशि
1.	2000–2001	37.53
2.	2001–2002	52.30
3.	2002–2003	54.72
	कुल	144.55

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक

5065. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हेतु कोई मानदंड तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए कितने समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने समवर्ती लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गनिर्देश 14 अगस्त, 1996 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किये थे। इन मार्गनिर्देशों में समवर्ती लेखापरीक्षा की गुंजाइश, क्षेत्र और कवरेज तथा समवर्ती लेखापरीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मार्गनिर्देश शामिल हैं। वर्तमान मार्ग निर्देशों के अनुसार, समवर्ती लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए बैंकों को या तो स्वयं अपने स्टॉफ को या बाहरी लेखापरीक्षकों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यदि बैंक ने स्वयं अपने स्टाफ को नियुक्त किया हो, जो उन्हें अनुभवी, विधिवत प्रशिक्षित, पर्याप्त वरिष्ठ और उस शाखा से पृथक होना चाहिए, जहां समवर्ती लेखापरीक्षा की जाती है। बैंक समवर्ती लेखापरीक्षा के लिए बाहरी लेखापरीक्षा फार्म की नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष के लिए कर सकते हैं और इसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तत्पश्चात्, कार्यनिष्पादन के संतोषजनक होने पर लेखापरीक्षक को दूसरी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए तरीके के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है।

पश्चिम बंगाल में भूटान की मुद्रा का चलन में होना

5066. श्री अमर राय प्रधान : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय मुद्रा की कमी के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में जनता और दुकानदार भूटानी मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं और उसे स्वीकार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने पश्चिम बंगाल में पर्याप्त भारतीय मुद्रा उपलब्ध कराने हेतु और राज्य में भूटानी मुद्रा के परिचालन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भूटानी मुद्रा का परिचालन भारतीय मुद्रा की कमी के कारण नहीं है।

(ग) पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में करेंसी चेस्ट शाखाएं क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त भारतीय मुद्रा धारित कर रही है।

कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की शाखा

5067. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की सर्किट शाखा की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस प्रस्ताव पर अब तक क्या कदम उठाये हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 130

के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय–समय पर नियत करें।

तथापि, कतिपय राज्य सरकारों, जिसके अंतर्गत पश्चिमी बंगाल की सरकार भी है, बार एसोसिएशनों, आदि से कोलकाता सहित देश के विभिन्न भागों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना करने के लिए समय–समय पर अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं।

देश के दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वोत्तर भागों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के लिए विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 61वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिश को 29 जून, 2000 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया गया था। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने तारीख 2 मई, 2001 को अपने पत्र द्वारा यह संसूचित किया था कि समिति द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार देश के दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वोत्तर भागों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना से संबंधित मुद्दे पर 30 अप्रैल, 2001 को पूर्ण न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और मुद्दे पर गहन रूप से पुनर्विचार करने के पश्चात् पूर्ण न्यायालय ने एकमत रूप से इस विषय पर अपने पहले के संकल्प से पीछे हटने में कोई औचित्य नहीं पाया था।

जनजातीय जिलों में गरीबी उपशमन

5068. श्री दिलीप संघाणी :

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

श्री कैलाश मेघवाल :

श्री बीर सिंह महतो :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से जनजातीय लोगों/क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं से संबंधित कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) जी, हां। जनजातीय लोगों/क्षेत्रों के विकास के लिए गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में कार्यान्वित की जा रही जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों और वर्ष 2002–03 के दौरान इन राज्यों को योजनाबार निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2002–03 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम	गुजरात	राजस्थान	पश्चिम बंगाल
1	2	3	4	5
I	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं			
1	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	3930.91	3649.56	2202.57
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	2250.00	2224.48	1543.00
3	कोचिंग तथा अलाईड स्कीम और अनुकरणीय सेवा पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान			

1	2	3	4	5
क	गैर सरकारी संगठन	54.08	51.53	202.71
ख	कोचिंग	8.64	–	–
ग	अवार्ड	–	–	–
4	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र			
क	राज्य सरकार	29.79	–	6.13
ख	गैर सरकारी संगठन	4.80	–	–
5	कम साक्षरता वाले पॉकेट में शैक्षिक परिसर	49.30	27.96	42.11
6	ट्राइफेड को निवेष/मूल्य सर्मथन	–	–	–
7	लघु वन उत्पादों के लिए एस सी टी सी को सहायता अनुदान	–	119.37	53.63
8	ग्राम अन्न बैंक	–	–	28.93
9	आदिम जनजातीय समूहों का विकास			
क	राज्य सरकार	20.00	90.23	15.00
ख	गैर सरकारी संगठन	–	24.00	–
	I का कुल	6347.52	6187.13	4094.08
II	केन्द्रीय प्रयोजित योजनाएं			
10	मैट्रिकोत्तर स्कीम, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की क्षमता का उन्नयन			
क	मैट्रिकोत्तर स्कीम	–	131.95	–
ख	पुस्तक बैंक	10.25	5.20	2.85
ग	उन्नयन	–	4.45	6.30
11	अनुसूचित जनजाति के लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों की योजना			
क	लड़कियों के लिए छात्रावास	–	–	13.75
ख	लड़कों का छात्रावास	–	–	13.75
12	जनजातिय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल			

1	2	3	4	5
13	अनुसंधान सूचना एवं जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य			
क	अनुसंधान	6.00	10.78	40.40
ख	जनशिक्षा	–	–	–
ग	जनजातीय उत्सव	–	–	–
	II का कुल	16.25	152.38	77.05
	कुल योग (I + II)	6363.77	6339.51	4171.13

गेहूं और चावल का मूल्य

5069. श्री पदमसेन चौधरी :

डॉ. अशोक पटेल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए गेहूं आटे चावल के मूल्यों को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) से (ग) अगले तीन महीनों में इस संबंध में निर्णय लिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

विश्व वस्त्र बाजार में भारत की हिस्सेदारी

5070. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व वस्त्र बाजार में भारत की हिस्सेदारी का पता लगाने के लिए काई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केवल निर्यात के उद्देश्य के लिए सिले–सिलाए कपड़ों/फैब्रिक का समूह (कल–स्तर) बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने ऐसी परियोजनाओं के लिए कितनी सहायता प्रदान की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों (वर्ष 2000) के अनुसार, भारत की विश्व वस्त्र बाजार में 3.4% की भागीदारी है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों से केंद्रीय रूप से प्रायोजित "निर्यात अपैरल पार्क योजना" नामक एक योजना आरंभ की गई है:

(i) अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले ऐसे आधुनिक अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना के लिए संकेंद्रित थ्रस्ट देने के लिए, जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं के लिए एक ही छत के नीचे खरीदारी की सुविधा अपलब्ध कराएंगे।

(ii) आयात की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तथा इस क्षेत्र में निर्यात संवर्द्धन हेतु घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए।

इस योजना के विस्तृत दिशानिर्देश वस्त्र मंत्रालय की वैबसाईट http://www.texmin.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस योजना के तहत, अध्यसंरचना विकास लागत के लिए भारत सरकार 75% तक सहायता प्रदान करती है, बशर्ते यह अधिकतम् 10 करोड़ रुपये तक सीमित हो। इसके अतिरिक्त, बहिस्राव

परिशोधन संयंत्र, शिशु–गृहों/गृहों, विपणन/प्रदर्शन के लिए किसी भी प्रकार के बहुप्रयोजन केंद्र/भवन आदि की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये तक की केंद्रीय सहायता उपलब्ध है और पार्क में सृजित किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की लागत के लिए 50% तक सहायता उपलब्ध है बशर्ते यह 2 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

[हिन्दी]

सोयाबीन उद्योग की समस्याएं

5071. श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोयाबीन उद्योग प्रति वर्ष निर्यात से लगभग 2200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है;

(ख) क्या सोयाबीन उद्योग इस समय वैश्विक समझौता के कारण दिक्कतों का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सोयाबीन प्रोसेशर्स एसोसिएशन ने अपनी समस्याओं के संबंध में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी मांगें क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित सोयाबीन और इसके उत्पादों का कुल मूल्य निम्नानुसार है:–

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये)
2000–01	2.113
2001–02 (अनंतिम)	2.098
2002–03 (अप्रैल–दिसम्बर) (अनंतिम)	872

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

(ख) से (घ) सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) ने विभिन्न अभ्यावेदनों के जरिए यह अनुरोध किया है कि सोयाबीन उद्योग सोयाबीन के तेल, कच्चा पाम ऑयल और आर बी डी पाम ऑयल के आयातों और सोयाबीन के तेल पर 45% के कम आयात शुल्क के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है।

इस उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिए प्रस्तावित विभिन्न सुझावों के तहत विकास उपकर लगाना आयात शुल्क में आगे और कटौती न करना, 1% बिक्री कर की विशेष श्रेणी के अंतर्गत सोया उद्योग का वर्गीकरण, उत्पाद शुल्क से छूट, न्यनतम वैकल्पिक कर की वापसी, शुल्क वापसी का प्रावधान, कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता, निर्यात पैकिंग ऋण सुविधाएं प्रदान करना, वास्तविक निर्यात के समय ई सी जी सी प्रिमियम प्रभारित करना, परिवहन सब्सिडी का प्रावधान, अन्य फसलों के स्थान पर तिलहन की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए एग्जिम नीति और अन्य सरकारी नीतियों की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

परिसीमन आयोग

5072. डा. बी.बी रमैया :

श्री किरीट सोमैया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को परिसीमन आयोग के कार्यकरण के विरुद्ध विभिन्न स्थानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ सभी दलों की एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो यह बैठक कब तक बुलाये जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) माननीय संसद सदस्यों ने सदन में परिसीमन आयोग के कार्यकरण का मुद्दा उठाया था, जिसके अनुसरण में तारीख 13.3.2003 को एक सर्वदलीय

बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सहयुक्त सदस्यों को संयोजित करने के लिए परिसीमन आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के प्रति अपने असंतोष को प्रकट किया था। तद्नुसार, सरकार ने इस विषय पर परिसीमन आयोग के साथ विचार–विमर्श किया, जिसने अब सहयुक्त सदस्यों के साथ परामर्श करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को बदल दिया है।

(ग) और (घ) उपरोक्तानुसार, सरकार पहले ही राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुकी है और उसके अनुसरण में इस विषय में आवश्यक कार्रवाई की गई है।

ईरान को चाय निर्यात

5073. श्री के. मुरलीधरन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ईरान को चाय का निर्यात करने हेतु कोई कदम उठाए हैं क्योंकि ईरान ने चाय आयात पर मौजूदा प्रतिबंध को हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में ईरानी सरकार के साथ कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चूककर्त्ता कंपनियां

5074. श्री गुनीपाटी रामैया :

श्री के. येरननायडू :

श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चूककर्त्ता कंपनियों की आरक्षित परिसम्पत्तियों के साथ–साथ उनकी ब्रांड को भी कब्जे में ले लिया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन

5075. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्रों के कई सरकारी विभाग/विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थाएं और व्यावसायिक निकाय विशाखा निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए कोई कारगर उपाय किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस संबंध में सरकार अथवा किन्हीं निकायों को कोई सिफारिशें दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) विशाखा निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित किए गए दिशा–निर्देशों का सामान्यतः पालन किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) से (ङ) सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित उन दिशा–निर्देशों को, जिनमें भारत के संविधान के

अनुच्छेद 141 के अधीन विधि का बल है, प्रभावी करने के लिए अनेक पहलें की हैं। इनके अंतर्गत निम्नलिखित है:

- सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों, विश्वविद्यालयों/संस्थाओं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से शिकायत समितियां गठित करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि दिशा–निर्देशों को क्रियान्वित किया जाता है।

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों को सरल रीति में लिखकर कार्यस्थान के लिए एक आचार संहिता बनाई है। इसे सभी राज्य महिला आयोगों, गैर सरकारी संगठनों, निगमित सैक्टर के शीर्ष निकायों, मीडिया और सभी मंत्रालयों तथा विभागों को परिचालित किया गया है।

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन की सीमा का निर्धारण करने के लिए पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/बैंकों/विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं/होटलों/मीडिया आदि के साथ पारस्परिक सक्रिय बैठकों की एक श्रृंखला आरंभ की है।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक यूनिट में शिकायत समितियां गठित की जाती हैं और सभी संबंधित विभागों द्वारा दिशा निर्देशों को क्रियान्वित किया जाता है, महिला और बाल विकास विभाग में महिला और बाल विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया है।

- यौन उत्पीड़न को कदाचार के रूप में सम्मिलित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 को संशोधित किया गया है। यह भी अनुबंधित किया गया है कि शिकायत समिति की रिपोर्ट को अभियुक्त सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक रिपोर्ट समझा जाना चाहिए और शिकायत समिति की रिपोर्ट पर शीघ्रतापूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए।

सीमा शुल्क कम किया जाना

5076. डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित समय सीमा से पहले ही अधिकांश वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया है और उसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित समय सीमा से कहीं अधिक सीमा तक कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एम. रामचन्द्रन) : (क) कुछ संवेदनशील वस्तुएं जैसे कि कृषीय वस्तुएं इत्यादि को छोड़कर बजट, 2003 में सीमा शुल्क की उच्चतम दर को कम करके 25% कर दिया गया है। घरेलू उत्पादक, प्रयोक्ता उद्योग और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सीमा शुल्क की दरें निर्धारित की जाती हैं। विश्व व्यापार संगठन अनुसूचियों में दरें केवल सीमा दरें हैं अर्थात् ये उच्चतम सीमा वाली दरें हैं। इस प्रकार देश के सम्पूर्ण आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो वास्तविक दरें विश्व व्यापार संगठन की सीमा दरों से कम हो सकती हैं।

(ख) भारतीय उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए आयात शुल्क दरों में कटौती करना व्यापक नीति का एक हिस्सा है। ऐसी कटौती को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है ताकि घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ग) यदि पाटन जैसे कोई प्रतिस्पर्द्धात्मक–रोधी कार्य किए जाते हों अथवा किन्हीं विशेष वस्तुओं के आयातों में अचानक वृद्धि हुई हो, तो प्रति–पाटन शुल्क और रक्षोपाय शुल्क तन्त्र उपलब्ध हैं और उन्हें घरेलू उद्योग के वैध हितों की रक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

5077. श्री परसुराम माझी :

श्री वीरेन्द्र कुमार :

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

श्री लक्ष्मण गिलुवा :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो राज्यवार कितनी प्रगति की गयी है;

(घ) परिसीमन प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

खाद्य राजसहायता

5078. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों पर खर्च की जा रही खाद्य राजसहायता की राशि बफर राजसहायता के रूप में खर्च की जा रही राशि की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों पर खर्च की जा रही खाद्य राजसहायता और खर्च की गई बफर राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) अतिरिक्त भंडार को बनाए रखने के लिए बफर राजसहायता को न्यूनतम करने के लिए कौन–कौन से कदमों पर विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अधिकतम खाद्य राजसहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे की खाद्य राजसहायता (अंत्योदय अन्न योजना सहित) और बफर राजसहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	गरीबी रेखा से नीचे की राजसहायता	बफर राजसहायता
2000–2001	4446.18	4232.75
2001–2002	6217.07	5881.90
2002–2003	8977.16	5973.10

(ग) अधिशेष स्टॉक को बनाए रखने के लिए बफर राजसहायता को न्यूनतम करने हेतु निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:–

(i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी की जाने वाली मात्रा को अप्रैल, 2002 से बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह करना।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य का स्थिरीकरण करना।

(iii) अंत्योदय अन्न योजना का कार्यान्वयन।

(iv) खाद्यान्न आधारित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू करना।

(v) काम के बदले अनाज और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम के विशेष घटक के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन।

(vi) निर्यातों को प्रोत्साहन देना।

(घ) और (ङ) सभी राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे (अंत्योदय अन्न योजना सहित) परिवारों को आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत से कम अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं तथा चावल की आपूर्ति की जा रही है। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों हेतु निर्गम की दर चावल के लिए 3/– रुपये प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के लिए 2/– रुपये प्रति किलोग्राम है। गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए खाद्यान्नों के निर्गम की मात्रा को 01.04.2002 से बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

5079. श्री खगेन दास : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विश्व बैंक की सहायता से कितनी योजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले और इसका उपयोग करने वाले राज्य नियमित रूप से ऋण का पुनर्भगतान कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो विश्व बैंक के ऋण का पुनर्भुगतान न करने वाले चूककर्त्ता राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्व बैंक से कौन–कौन से राज्यों ने अधिकतम सहायता ली है और उन्होंने कितनी राशि प्राप्त की है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) इस समय, देश में विश्व बैंक द्वारा वित्तोपोषित 69 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विश्व बैंक की सहायता का अधिकतम उपयोग आंध्र प्रदेश द्वारा किया जा रहा है जिसके द्वारा कुल प्रयुक्त राशि वर्ष 2002–03 (28.2.2003 तक) में 1240.918 करोड़ रुपये है।

वस्त्र उद्योग के लिए विश्व बैंक की सहायता

5080. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और सैक्टरवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) जी नहीं। देश में वस्त्र उद्योग के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं ली जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) का कार्यकरण

5081. श्री एस. अजय कुमार :

श्री प्रबोध पण्डा :

श्री सुनील खां :

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कालेज ऑफ इंडिया से भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की जांच करने और खाद्य प्रबंधन प्रणाली को अधिक अर्थक्षम बनाने के उपाय सुझाने के लिए कहा गया है;

(ख) क्या ए.एस.सी.आई. ने यह सुझाव दिया है कि भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों को सीधे किसानों से खरीदे;

(ग) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद की वर्तमान प्रणाली क्या है;

(घ) भारतीय खाद्य निगम अपने खाद्यान्न खरीद कार्यों के लिए बिचौलियों पर अनुमानतः वर्ष में कितनी धनराशि खर्च कर रहा है; और

(ङ) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया में बिचौलिया प्रणाली को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और भारतीय खाद्य निगम को चलाने की प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, हां। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद ने भारतीय खाद्य निगम की प्रशासनिक और प्रचालन लागतों को कम करने के लिए अपनी अध्ययन रिपोर्ट में उपाय सुझाये हैं।

(ख) रिपोर्ट में दिया गया एक सुझाव यह है कि भारतीय खाद्य निगम को लागत नियंत्रण उपाय अपनाने चाहिए और किसानों से अनाज की सीधी खरीदारी करने से संबंधित मुद्दों की जांच करनी चाहिए, जिससे आढ़तियों को भुगतान किए जाने वाले कमीशन की बचत होगी।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों और

उनकी एजेंसियों द्वारा स्थापित वसूली केन्द्रों के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना के अधीन राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के सहयोग से किसानों से गेहूं और धान की सीधे वसूली की जाती है। तथापि, पंजाब और हरियाणा राज्यों से संबंधित राज्य सरकारों के राज्य कृषि उत्पाद अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियमित बाजारों में कच्चा आढ़तियों (कमीशन एजेंट) के माध्यम से खरीदारी की जाती है। इस प्रणाली के अधीन कच्चे आढ़ती किसानों को खाद्यान्नों की बिक्री के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। स्टाक की बिक्री बोली द्वारा की जाती है तथा आढ़जियों को कमीशन का भुगतान किया जाता है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 2001–02 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए की गई वसूली पर कच्चे आढ़तियों को किए गए/किए जाने वाले भुगतान की अनुमानित राशि 453 करोड़ रुपये है।

(ङ) आढ़तियों से खाद्यान्नों की वसूली करने की प्रणाली केवल पंजाब और हरियाणा में प्रचलित है। इन राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर वसूली करने के बारे में सभी किसानो तक व्यापक प्रचार किया जाता है, ताकि किसान पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। अन्य राज्यों में गेहूं और धान की अधिकांश वसूली सीधे किसानों से की जाती है।

विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा

5082. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**

योगी आदित्यनाथ :

श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतराष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा विश्व व्यापार संगठन समझौतों के बावजूद अब भी एक प्रतिशत से भी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन समझौतों का पालन करने से विकासशील देशों की तुलना में विकसित देश अधिक लाभान्वित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विश्व व्यापार में भारत के हिस्से को बढ़ाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) डब्ल्यू टी ओ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992–93 में विश्व व्यापार के पण्य वस्तुओं के निर्यातों में भारत का हिस्सा केवल 0.41% था। यह बढ़कर 2000 में 0.67% और वर्ष 2001 में 0.7% हो गया। इस प्रकार, पण्य वस्तुओं के निर्यातों में भारत के हिस्से में सतत रूप से वृद्धि हो रही है।

(ग) और (घ) डब्ल्यू टी ओ में व्यापार मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए बहुपक्षीय मंच की व्यवस्था है। हालांकि, डब्ल्यू टी ओ से होने वाले लाभ अलग–अलग सदस्यों के विकास के स्तर पर भी निर्भर करते हैं, परन्तु डब्ल्यू टी ओ क्रियाकलापों में प्रत्येक सदस्य का समान महत्व है। डब्ल्यू टी ओ करार पर हस्ताक्षर करने पर भी सदस्यों को कतिपय अधिकार एवं दायित्व प्राप्त हुए हैं। डब्ल्यू टी ओ विवाद निपटान प्रणाली जो इस बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का प्रमुख आधार है, सभी सदस्यों को अपने अधिकारों की रक्षा करने तथा दायित्वों को पूरा करने के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

(ङ) एक मध्यावधि निर्यात कार्यनीति (एम टी ई एस) जो 10वीं योजना अवधि (2002–2007) के साथ सह–अवसानी होगी, को वर्ष 2007 तक विश्व निर्यातों को 1% हिस्सा प्राप्त करने के उद्देश्य से जनवरी 2002 में घोषित किया गया था। इसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की गई हैं जिनमें राज्यों को निर्यात की बुनियादी संरचना के विकास के लिए सहायता (ए एस आई डी ई) कृषि निर्यात जोन स्थापित करना, बाजार पहुंच संबंधी पहल "फोकस एल ए सी" कार्यक्रम को सुदृढ़ करना, "फोकस अफ्रीका" कार्यक्रम शुरू करना आदि स्कीमें शामिल हैं। इसके अलावा निर्यात आयात नीति 2003–04 में सेवा निर्यातों पर ध्यान केन्द्रित करना, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड) को सुदृढ़ करने के लिए नीतियां तैयार की गई हैं, 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों (ई ओ यू) आदि शामिल हैं। "फोकस सी आई एस" नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया

गया है। इस प्रकार विश्व निर्यातों में भारत के हिस्से में वृद्धि करने के लिए समय–समय पर उपाय किए जा रहे हैं।

तलाशी और जब्ती मामलों की जांच हेतु कार्यदल

5083. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री एस.एस. कोहली के नेतृत्व में गठित कार्यदल ने गत दो वर्षों के दौरान कम्पनियों में पड़े छापों की तलाशी और जब्ती संबंधी परिणामों के निष्कर्षों की भी जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दल ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या केवल मुम्बई में ही तलाशी और जब्ती के अंतर्गत 1000 करोड़ से अधिक की आय कर संबंधी कम्पनियों की अपीलें निपटान हेतु लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं और इसमें कितनी धनराशि शमिल है; और

(ङ) सरकार द्वारा आय कर की शीघ्र वसूली हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चीनी का बफर स्टाक

5084. श्री मानसिंह पटेल :

श्री शिवाजी माने :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी के भंडार में तेजी से हुई वृद्धि और इसके मूल्य में लगातार हो रही गिरावट के कारण आगामी दो वर्षों के दौरान चीनी का 20 लाख टन का बफर स्टाक बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्टाक बनाये रखने और इस स्टाक पर छुपे अन्य खर्चों के पूर्ण भुगतान की जवाबदेही निर्धारित करने हेतु क्या उपाय किए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में चीनी उद्योग की सलाह ली है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्तमान में अतिरिक्त स्टाक के निपटान हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) चीनी उद्योग के शीर्ष संगठनों, भारतीय चीनी मिल संघ और राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल परिसंघ ने चीनी का बफर स्टाक बनाने हेतु अभ्यावेदन दिया है।

18.12.2002 से एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक बनाया गया है जिसमें चीनी विकास निधि से 412 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 के अनुसार चीनी का बफर स्टाक चीनी उपक्रम के परिसर के अन्दर ही अलग और भिन्न रूप से पहचान किए जाने वाले स्टाक और लॉट एवं अलग गोदामों में भंडारित किया जाना है तथा बफर राजसहायता के दावे तिमाही आधार पर चीनी उपक्रमों द्वारा भेजे जाने हैं।

(ङ) चीनी के अधिशेष स्टाक का निपटान करने के लिए सरकार चीनी के निर्यात को बढ़ावा दे रही है तथा उसने इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(i) चीनी के निर्यात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

(ii) अपेडा के पास निर्यात की जाने वाली मात्रा के पंजीकरण की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है।

(iii) चीनी निर्यात करने वाली चीनी फैक्ट्रियों को निर्यात के प्रयोजन की चीनी की मात्रा पर लेवी से छूट की अनुमति दी गई है।

(iv) चीनी निर्यात करने वाली चीनी फैक्ट्रियां निर्यात की तारीख से 18 महीने के अंत में मुक्त बिक्री की चीनी के स्टाक में समायोजन कर रही हैं।

(v) चीनी के निर्यात पर उसके निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य पर 4 प्रतिशत की दर से

ड्यूटी पात्रता पास बुक (डी.ई.पी.बी.) लाभ अनुमत किया गया है।

(vi) 21 जून, 2002 से चीनी फैक्ट्रियों को अनुमति दी गई है कि वे चीनी की निर्यात खेप पर आंतरिक ढुलाई पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा करें।

(vii) सरकार ने 14 फरवरी, 2003 से चीनी की निर्यात खेप पर समुद्री भाड़ा खर्च को निष्प्रभावी करने और 350 रुपये प्रति टन की दर पर चीनी फैक्ट्रियों को इसकी प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

कंपनियों द्वारा न जमा कराये गये टी.डी.एस.

5085. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संबंधित कम्पनियों/नियोजनकर्ताओं द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटे गये आय कर को आय कर विभाग में जमा न कराने के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों/नियोजनकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। कुछेक मामलों में स्रोत पर कर की कटौती की धनराशि जमा न कराने की बात सरकार के ध्यान में आयी है।

(ख) चूंकि स्रोत पर काटे गए कर के जमा न कराने के संबंध में चूक के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कार्रवाई की जाती है, अतः इस तरह के ब्यौरे केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) ऐसी कम्पनियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही में जमा न किए गए कर की धनराशि की वसूली, ब्याज और अर्थदण्ड लगाना तथा अभियोजन संबंधी कार्यवाहियां शुरू करना शामिल है।

आयकर में छूट

5086. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री 21 फरवरी, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 624 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89(1) के तहत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का विकल्प अपनाने वाले लोग लेकिन जो अधिनियम की धारा 10(10सी) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक मुआवजा प्राप्त कर रहे हैं, के लिए छूट संबंधी पात्रता के संबंध में जांच का कार्य विधि मंत्रालय से परामर्श के बाद पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में हुई देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) जांचकार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) विधि मंत्रालय ने चेन्नई उच्च न्यायालय के उस निर्णय का प्रतिवाद करने की सलाह दी है जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 10 (10ग) के अंतर्गत विहित सीमा से अधिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त धनराशि पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89(1) के अंतर्गत राहत प्रदान की गई है। विधि मंत्रालय की सलाह को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

देश में चीनी का भंडार

5087. डा. श्रीमती सुधा यादव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में चीनी का वास्तविक भंडार कितना है;

(ख) क्या वर्ष 2002–2003 के दौरान चीनी की आपूर्ति मांग से कम रही;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अगले तीन महीनों के दौरान खुले बाजार में चीनी जारी करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) 15.03.2003 की स्थिति के अनुसार देश में 164.31 लाख टन (अनंतिम) चीनी का स्टाक था।

(ख) वर्तमान मौसम 2002–2003 (अक्तूबर से सितम्बर) के दौरान 183.00 लाख मी. टन चीनी के अनुमानित उत्पादन तथा पिछले मौसम के 100 लाख मी. टन के आगे लाए गए स्टाक के साथ इस मौसम के दौरान चीनी की कुल उपलब्धता 283.00 लाख मी. टन होने का अनुमान है। इसके प्रति, संभावित निर्यात सहित घरेलू खपत के लिए चीनी की कुल आवश्यकता 205.00 लाख मी. टन होगी। अतः 2002–2003 मौसम के दौरान चीनी की कोई कमी नहीं होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अप्रैल, 2003 से जून, 2003 की तिमाही के लिए घोषित गैर–लेवी चीनी का कोटा निम्नवत् है:–

माह	गैर–लेवी चीनी कोटा (लाख मी. टन में)
अप्रैल, 2003	8.00
मई, 2003	8.50
जून, 2003	9.50
जोड़	26.00

[अनुवाद]

राज्यों को वित्तीय सहायता

5088. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त लगाने के खर्च को वहन करने हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ केन्द्र द्वारा राज्यवार कितनी सहायता दी गई;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उनके मंत्रालय से इस प्रयोजनार्थ अनुदान बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाए गए हैं;

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) गृह मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की गैर–योजना स्कीम के अंतर्गत राज्यों के यहां से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त लगाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है। गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान दी गई ऐसी वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न है।

(ग) गृह मंत्रालय में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	2001–02	2002–03
आंध्र प्रदेश	600.00	–
उत्तर प्रदेश	121.80	–
कर्नाटक	90.00	100.00
पंजाब	–	82.35
त्रिपुरा	–	52.20
मध्य प्रदेश	60.00	–

[हिन्दी]

भारतीय तकनीक को प्रोत्साहन

5089. योगी आदित्यनाथ : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में भारतीय तकनीक और उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय हुई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

करोड़पतियों द्वारा कर का भुगतान

5090. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अग्रणी करोड़पतियों की सूची राष्ट्रीय सहारा के 27 मार्च, 2003 के अंक में प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी परिसम्पत्तियों का आंकलन किया है और यह सुनिश्चित किया है कि उन्होंने आज की तिथि तक पूरी आय कर का भुगतान कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार उन पर बकाये कर की वसूली हेतु क्या कदम उठा रही है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) देश भर में फैली क्षेत्रीय यूनिटों से सूचना एकत्र की जा रही है;

(ग) और (घ) सूचना संकलित किए जाने के उपरान्त सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का वितरण

5091. श्री पी.सी. थामस : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का मानदण्ड निर्धारित करने, विशेषकर खाद्यान्न वितरण के लिए, एक प्रस्ताव सौंपा है;

(ख) क्या केरल एक उपभोक्ता राज्य होने के नाते खाद्यान्नों, मिट्टी का तेल, चीनी और गेहूं के सार्वजनिक वितरण के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्नों के कड़ाई से वितरण से खाद्यान्न और कई आवश्यक वस्तुओं का अत्याधिक नुकसान हुआ है जिन्हें केरल में वितरित किया जाना था; और

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं का समान रूप से वितरण करने में राज्य को सहायता देने हेतु क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना

5092. श्रीमती कान्ति सिंह : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों की शीघ्र सुनवाई को सुनिश्चत करने हेतु देश में विशेष अदालतों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन लंबे समय से लम्बित मामलों का, जिसके अंतर्गत दहेज–मृत्यु के मामले भी हैं, शीघ्र विचारण सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। गठित किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसे कुल 1734 न्यायालयों में से अब तक 1334 न्यायालयों को अधिसूचित कर दिया गया है।

दिल्ली में उपभोक्ता न्यायालय

5093. डा. रमेशचन्द तोमर : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच 11, उद्योग

सदन, नई दिल्ली में कितने मामलों की सुनवाई की गई और कितने मामले निपटाए गए;

(ख) क्या माननीय न्यायाधीश को फैसला देने में काफी मुश्किल हो रही है क्योंकि डिक्टेशन लेने के लिए उनके अधीन कोई स्टाफ नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार जिला मंच–II द्वारा अपने स्थापना काल से मार्च, 2003 तक 35,794 मामले निपटाए जा चुके हैं।

(ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि इस मंच में आशुलिपिक का एक पद स्वीकृत है वह भी भरा जा चुका है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चिट फंड कम्पनियों और निजी बैंकों का बंद होना

5094. श्री भास्करराव पाटील :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में चिट फंड कम्पनियां और निजी बैंक बंद हो गये और निवेशकों का धन हड़प लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे और तथ्य क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसी चिट फंड कम्पनियों और निजी बैंकों पर कोई नियंत्रण नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कम्पनियों और निजी बैंकों के कार्यकरण पर नियंत्रण रखने हेतु आगे और क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि चिट फंड कम्पनियां संबंधित राज्य सरकारों के चिट रजिस्ट्रार के कार्यलय के माध्यम से पंजीकृत एवं निनियमित होती हैं। चिट कारोबार का विनियमन चिट फंड अधिनियम, 1982 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा होता है। तदनुसार, दोषी चिट फंड कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई संबंधित सरकारों के विनियामक क्षेत्राधिकार के अधीन होती है। भारतीय रिजर्व बैंक उनके चिट फंड करोबार को विनियमित नहीं करता है अपितु प्रकीर्ण गैर–बैंककारी कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1977 के उपबंधों के माध्यम से चिट फंड कम्पनियों के जमाराशियां स्वीकार करने से संबंधित कुछ पहलुओं को ही विनियमित करता है।

जहां तक गैर–सरकारी बैंकों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में बैंकों के प्रबंधन एवं परिचालन पद्धतियों के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न विनियामक अपेक्षाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए विहित किया गया है कि जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हो सके और बैंकों का परिचालन इस रूप में न हों जो जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर हों। भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में आवेदन देने के माध्यम से बैंकों के परिसमापन की मांग करने अथवा बैंकों के स्वैच्छिक/अनिवार्य विलय पर विचार करने के लिए व्यापक शक्तियां हैं। हालांकि कोई गैर सरकारी क्षेत्र का बैंक हाल ही में बंद नहीं हुआ है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत् दो बैंकों का समामेलन किया गया था। नामतः–

बैंक का नाम	विलय का वर्ष	किसके साथ विलय हुआ
बनारस स्टेट बैंक लि.	2002	बैंक आफ बड़ौदा
नेडुगांडी बैंक लि.	2002	पंजाब नैशनल बैंक

वित्त मंत्रालय में मीडिया प्रकोष्ठ

5095. श्री सुरेश रामराव जाधव :

श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने अपना मीडिया प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकोष्ठ और कर्मचारी संख्या पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या भारतीय सूचना सेवा इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा व्यय में 10 प्रतिशत कटौती के अपने निर्देश के दृष्टिगत व्यय में कमी लाने हेतु क्या नए कदम उठाये गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पत्र सूचना कार्यालय में तैनात भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी कार्य करने में पूर्णतः समर्थ एवं योग्य हैं।

(घ) गैर–योजना तथा गैर विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करने का सरकार का अथक प्रयास रहा है तथा इसे ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ–साथ पदों के सृजन पर प्रतिबंध, स्वीकृत पदों की संख्या में कमी, रिक्त पदों के भरे जाने पर प्रतिबंध, कार्यालय व्यय में कटौती, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेशी यात्रा तथा मनोरंजन/अतिथ्य सत्कार खर्चों पर प्रतिबंध, एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा पर प्रतिबंध, सरकारी आवासीय टेलीफोन की मुफ्त कालों पर प्रतिबंध आदि से संबंधित बहुत से उपाय किए गए हैं।

चीनी का उत्पादन

5096. श्री के. येरननायडू :

श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अक्तूबर से दिसम्बर, 2002 के दौरान चीनी उत्पादन में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) अक्तूबर–दिसम्बर, 2002 की अवधि के दौरान 50.44 लाख टन (अनंतिम) चीनी का उत्पादन हुआ जबकि पिछले मौसम की इसी अवधि के दौरान 50.72 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। अतः वर्तमान मौसम के दौरान उक्त अवधि में चीनी का उत्पादन कमोबेश गत मौसम के दौरान हुए उत्पादन के बराबर था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरीज लिमिटेड

5097. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) के अंतर्गत डीमैट फार्म में अपने पोर्टफोलियो को रखने हेतु विभिन्न डिपोजिटरी सर्विसेज द्वारा निवेशकों से कितनी धनराशि ली जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान डिपोजिटरी सर्विसेज द्वारा कितनी बार शुल्क में वृद्धि की गई है और बढ़े शुल्क का ब्यौरा क्या है तथा इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या डिपाजिटरी सर्विसेज ने शुल्क में वृद्धि करने हेतु लघु निवेशकों और सेबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक जैसे सरकारी निकायों से परामर्श किया था;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और डिपाजिटरी सर्विसेज से यथास्थिति बनाये रखने को कहेगी; और

(ङ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) नेशनल सिक्योरिटी डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एक द्वि–स्तरीय शुल्क का अनुसरण करता है अर्थात एनएसडीएल अपने निक्षेपागार भागीदारों से शुल्क का उद्ग्रहण करता है जबकि डीपी अपने ग्राहकों से शुल्क लेते हैं। एनएसडीएल के प्रभार सभी डीपी के लिए एक समान हैं। डीपी को अपने द्वारा प्रदत्त सेवाओं के आधार पर अपनी स्वयं की प्रशुल्क संरचना लागू करने की स्वतंत्रता है। डीपी द्वारा अपने निवेशकों से प्रभारित मुख्य शुल्क वार्षिक खाता अनुरक्षण प्रभारों के रूप में होता है जो 200 रुपये से 600 रुपये प्रतिवर्ष के बीच होता है।

(ख) निक्षेपागारों द्वारा प्रशुल्क परिवर्तन एक वाणिज्यिक मुद्दा है। डीपी अपने ग्राहकों को 30 दिन का नोटिस देकर अपनी स्वयं की प्रशुल्क संरचना लागू करने अथवा प्रशुल्क संरचना में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और एनएसडीएल डीपी द्वारा प्रभारित प्रशुल्क के आंकड़े नहीं रखते क्योंकि उनके द्वारा उन्हें रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ग) से (ङ) डीपी की शुल्क संरचना उनमें और उनके ग्राहकों के बीच एक वाणिज्यिक मुद्दा है। तथापि, अपने ग्राहकों के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार जब भी शुल्क संरचना पुनरीक्षित की जानी हो तो डीपी द्वारा अपने ग्राहकों को न्यूनतम 30 दिन का नोटिस देना अपेक्षित है। कोई निवेशक, यदि वह ऐसा चाहे, किसी भी समय एक डीपी से दूसरे में अंतरण कर सकता है।

ऋण बांड की उच्च लागत

5098. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने द्वारा जारी किए गए उच्च लागत के विभिन्न ऋण बांडों की पुनर्खरीद का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) सरकार अपेक्षतया अनकदी उच्च कूपन वाली सरकारी प्रतिभूतियों की स्वैच्छिक आधार पर पुनः खरीद का प्रस्ताव करती है। भागीदारी बैंकों को प्राप्त प्रीमियम पर आय कर प्रयोजनार्थ उस सीमा तक अतिरिक्त कटौती की अनुमति दी जाएगी, जितना उन्होंने प्रीमियम का उपयोग बैंकों की गैर–निष्पादनकारी आस्तियों की व्यवस्था के लिए किया हो। यह योजना केंद्र सरकार को बकाया बाजार ऋणों पर ब्याज भार में कमी करने तथा बैंकों को गैर–निष्पादनकारी आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान करके अपने तुलन–पत्रों में सुधार करने में सक्षम बनाएगी।

[हिन्दी]

धन का अन्यत्र उपयोग

5099. श्री शिवाजी माने : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य द्वारा संचालित योजना यशवंत ग्राम् समृद्धि योजना के अंतर्गत धनराशि के उपयोग हेतु जिला परिषद् को सहायता राशि देने के संबंध में 11वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य को जारी की गई धनराशि को अन्य मदों में स्थानांतरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, स्थानीय निकायों के अनुदानों के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत धनराशियों का राज्य द्वारा चलाई जा रही यशवंत ग्राम समृद्धि योजना के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया है। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत निधियां मुख्यतः नागरिक सेवाओं और ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत स्थानीय निकायों के अनुदानों के उद्देश्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर यशवंत ग्राम समृद्धि योजना के कुछ संघटकों के लिए है।

अनुसूचित जनजाति सूची में अनुसूचित जातियों को शामिल किया जाना

5100. श्री रामशकल : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में अनुसूचित जातियों को शामिल करने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अनुसूचित जातियां हाल में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोल जाति को शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं जिनकी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र–मिर्जापुर जिले में काफी जनसंख्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केरल के करीमपलां और मविलान तथा उत्तर प्रदेश के अगरिया, बैगा, भूइया, चेरो, गोंड, खरवार, पंख, परहिया, पटारी और सहारिया नामक बारह समुदायों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 के तहत अनुसूचित जाति की सूची से अनुसूचित जनजाति की सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि ये अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के आवश्यक मानदण्ड पूरे करती हैं। उत्तर प्रदेश का कोल समुदाय इस प्रकार के मामलों का निर्णय करने के लिए अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए अभी पात्र नहीं है।

[अनुवाद]

अपराध न्याय प्रणाली में सुधार के लिए पैनल

5101. श्री सुनील खां : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 2003 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "पैनल टू रिफार्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ड्राज फलैक" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों के ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या देश की अपराध न्याय प्रणाली में सुधार के लिए गठित मलिमथ समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) समिति द्वारा सरकार को कब तक रिपोर्ट सौंपने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) देश की दाण्डिक न्याय प्रणाली का सुधार करने के लिए गठित मलिमथ समिति ने 21 अप्रैल, 2003 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर कर देनदारी

5102. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001–02 के अंत में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित भारतीय सूचीबद्ध कम्पनियों पर 28,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की विवादित कर देनदारी थी;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार उन कम्पनियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनकी विवादित देनदारी कितनी है; और

(ग) विवदित दावों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार कुल विवादास्पद कर संबंधी देनदारियां 34,969.25 करोड़ रुपये की थीं। सूचीबद्ध कम्पनियों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों की विवादास्पद कर संबंधी देनदारियों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचीबद्ध भारतीय कम्पनियों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी मामलों में विवादास्पद दावों के तत्काल निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:–

1. अपीलों के तेजी से निपटान के लिए आयुक्त (अपील) के अनेक पदों का सृजन। एक कर निर्धारण को अलग रखने की शक्तियों को वापस लेना।
2. कर वसूली तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कर वसूली अधिकारियों के अनेक पदों का सृजन।
3. करों की वसूली और मांग के स्थगन के संबंध में व्यापक अनुदेश जारी करना। सभी वसूलनीय मांगों की वसूली के लिए कर–निर्धारण अधिकारी को जिम्मेवार बनाना।
4. आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा अपीलों का समयबद्ध निपटान जहां मांग के स्थगन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
5. विभाग के अति वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 10 लाख रुपये से ऊपर की मांगों के मामलों की आवधिक निगरानी।

धान की औने-पौने दामों पर बिक्री

5103. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

श्री अनन्त नायक :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में धान की औने–पौने दामों पर बिक्री को रोकने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002–03 के दौरान किन–किन राज्यों में धान की औने–पौने दामों पर बिक्री किए जाने की सूचना मिली है; और

(ग) औने–पौने दामों पर बिक्री करने को रोकने के प्रयासों के पश्चात् उन राज्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) से (ग) प्रत्येक विपणन मौसम के प्रारंभ होने के पूर्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों की वसूली की जाए। मूल्य समर्थन प्रचालनों की बारीकी से मानीटरिंग करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में स्थायी आधार पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे वसूली मौसम के दौरान नियंत्रण कक्ष स्थापित करें जो चौबीस घंटे काम करे। मजबूरन बिक्री की कोई भी रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को तुरन्त उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए भेज दी जाती है।

सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयासों के रूप में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ निरपवाद रूप से किसानों तक पहुंच जाएं। भारतीय खाद्य निगम को एक उचित तंत्र कार्यान्वित करने के अनुदेश दिए गए हैं ताकि वसूली के समय मिल मालिकों से इस बात के आवश्यक सबूत/दस्तावेज प्राप्त कर लिए जाएं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और विशेष सूखा राहत मूल्य आदि के लाभ किसानों तक पहुंचा दिए गए हैं। धान की मजबूरन बिक्री को रोकने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम ने और अधिक वसूली केन्द्र खोलने, स्टाफ की तैनाती करने और धान रिलीज करने आदि जैसे कदम उठाए हैं।

2002–03 के खरीफ विपणन मौसम के दौरान बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भागों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे धान की बिक्री की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है। तथापि, जांच से अभी तक यह पता चला है कि केवल गैर उचित औसत किस्म धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिक्री की गई है।

जर्मन कम्पनी द्वारा पंजीकृत वास्तु का ट्रेडमार्क

5104. डा. (श्रीमती) सी. सुगणा कुमारी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक जर्मन कंपनी द्वारा पांच वर्ष पूर्व "वास्तु" को ट्रेड मार्क के रूप में पंजीकृत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके व्यावसायिक उद्यम में भारतीय वास्तु विशेषज्ञों को बचाने के लिए पंजीकरण के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री **सीएच. विद्यासागर राव**) : (क) जी, हां।

(ख) व्यापार चिन्हों का पंजीकरण, विभिन्न देशों के प्रभुतासंपन्न विशेषाधिकारों के तहत, उनके अपने–अपने व्यापार चिन्ह कानूनों के अनुसार किया जाता है और इनका प्रभाव क्षेत्र विशेष तक ही होता है, अर्थात, ये पंजीकरण करने वाले देश में ही वैध होते हैं तथा इनके कारण उस क्षेत्राधिकार के बाहर रहने वाले व्यक्ति(यों) के हितों में कटौती नहीं होती। व्यापार चिन्ह कानूनों के तहत, भारत में तथा अन्यत्र ये शब्द व्यापार चिन्ह की विषयवस्तु हो सकते हैं जिनको पंजीकृत कराया जा सकता है। इस प्रकार पंजीकृत किए गए व्यापार चिन्हा को संबंधित देश के कानूनों के अनुसार उन्हीं के द्वारा चुनौती दी जानी होती है, जिनके व्यावसायिक अथवा अन्य प्रकार के हित प्रभावित होते हों।

औषध कम्पनियों द्वारा न्यून-बीजक बनाना

5105. डा. बलिराम :

श्री ए. नरेन्द्र :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कई औषध निर्माता न्यून–बीजक एवं अत्याधिक बीजक बनाने में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही लंबित है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दवा विनिर्माताओं के विरुद्ध 'फेमा' के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(च) क्या हाल ही में उन्होंने अपनी कंपनियों को हांगकांग से मारीशस और मारीशस से हांगकांग स्थानांतरित किया है; और

(छ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

धान की खरीद

5106. श्री के.पी. सिंह देव :

श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002–03 में उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितने धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान अन्य राज्यों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यवार कितने धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार औने–पौने दामों पर बिक्री को रोकने हेतु उड़ीसा में और धान क्रय केन्द्रों को स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2002–03 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा उड़ीसा में 20 धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खोले गये धान क्रय केन्द्रों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

चालू खरीफ विपणन मौसम 2002–2003 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खोले गए धान खरीद केन्द्रों की राज्यवार संख्या को बताने वाला ब्यौरा

राज्य	भारतीय खाद्य निगम
पंजाब	403
हरियाणा	25
दिल्ली	2
राजस्थान	12
आंध्र प्रदेश	111
मध्य प्रदेश	43
उड़ीसा	20
हिमाचल प्रदेश	4
जोड़	720

कॉपरेटिव बैंकों को बंद करना

5107. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **वित्त और कम्पनी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी संख्या में कॉपरेटिव बैंक घाटे की सूचना दे रहे हैं/दिवालिया घोषित कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान बंद किए गए कॉपरेटिव बैंकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे प्रभावित होने वाले निवेशकों की संख्या कितनी है और बंद करने/दिवालिया होने के परिणामस्वरूप उन्हें कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है; और

(घ) इन बैंकों को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, छः राज्य सरकारी बैंकों (एस सी बी), 112 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी सी सी बी) और

239 शहरी सहकारी बैंकों (यू सी बी) ने वर्ष 2000–2001 में घाटा होने की सूचना दी है। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले तीन वर्ष के दौरान 54 (यू सी बी) और 3 डीसीसीबी की गिरती हुई वित्तीय स्थिति और असंतोषजनक परिचालनों को ध्यान में रखते हुए, उनके लाइसेंस अस्वीकृत/रद्द कर दिए गए हैं। इन बैंकों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गये तरीके से सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) और नाबार्ड ने सहकारी बैंकों की विनियमन एवं पर्यवेक्षण प्रणाली सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें मांग मुद्रा बाजार के परिचालनों और शेयरों एवं डिबेन्चरों पर बैंक–वित्त के संबंध में उच्चतम सीमा निर्धारित करना, सरकारी प्रतिभूतियों में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) निवेशों का प्रतिशत बढ़ाना, यूसीबी द्वारा पेशकश की गई जमा राशि और अन्य यूसीबी में जमाराशि के रूप में निधियों के निवेश पर ब्याज दरों पर प्रतिबंध, नए यूसीबी स्थापित करते समय प्रवेश मानदंड शुरू करना, ऋण निवेश में कमी, आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की पुनरीक्षा के लिए निदेशक बोर्डों की लेखा परीक्षा समिति गठित करना, इलैक्ट्रानिक आंकड़ा संसाधन (ईडीपी) लेखा परीक्षा प्रणाली शुरू करना, चरणबद्ध तरीके से पूंजी पर्याप्तता मानदंड शुरू करना, स्थलेतर निगरानी प्रणाली शुरू करना, कमजोर बैंकों की पहचान के लिए मानदंडों में संशोधन, कैमल्स मॉडल के तहत पर्यवेक्षण कोटि निर्धारण की प्रणाली शुरू करना आदि शामिल है।

विवरण

सरकारी बैंकों की संख्या के ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा जिनके लाइसेंस को भारतीय रिजर्व बैंक ने गत तीन वर्ष के दौरान रद्द कर दिया।

क्र. सं.	राज्य का नाम	सहकारी बैंकों की संख्या जिनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15
2.	बिहार	1
3.	गुजरात	10
4.	हरियाणा	1
5.	झारखंड	1
6.	कर्नाटक	2
7.	मध्य प्रदेश	3
8.	महाराष्ट्र	15
9.	मणिपुर	1
10.	तमिलनाडु	3
11.	उत्तर प्रदेश	4
12.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	57

कम्पनियों के विरुद्ध अभियोजन

5108. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने 1992 के स्टॉक मार्केट घोटाले में संलिप्त कम्पनियों के विरुद्ध अभियोजन आरंभर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कम्पनी कार्य विभाग ने 68 एनटिटिज के विरुद्ध 284 अभियोजन आरंभ किए हैं।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

5109. श्री पुन्नू लाल मोहले :

श्री विष्णु देव साय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या के कारण मामलों की सुनवाई में विलंब की जानकारी है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या को 6 से 10 साल तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की 6 अपर/स्थायी न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या में से 4 स्थायी न्यायाधीश पदासीन हैं। न्यायाधीश पदसंख्या का निर्धारण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के गठन पर 1 नवंबर, 2000 को किया गया था।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायाधीश पदसंख्या में वृद्धि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या सहित अनेक कारणों से मामलों की सुनवाई में विलंब होता है। इसी कारण से उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश पदसंख्या का प्रत्येक तीन वर्ष में पुनर्विलोकन किया जाता है। उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश पदसंख्या के ऐसे पुनर्विलोकन का कार्य इस समय चल रहा है। इस पुनर्विलोकन के भागरूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पुनरीक्षित न्यायाधीश पदसंख्या के संबंध में भी विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

सर्वप्रिय योजना

5110. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उचित मूल्यों पर पण्यों के वितरण हेतु एन.सी.सी.एफ. द्वारा आरंभ की गई सर्वप्रिय योजना के कार्यान्वयन में बाधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मुद्दों के समाधान हेतु मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) भारत सरकार ने जुलाई, 2000 में "सर्वप्रिय" नामक एक स्कीम शुरू की थी। स्कीम में राज्यों में मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खुदरा दुकानों और राज्य उपभोक्ता सहकारी संघों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों की खुदरा दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को दैनिक उपभोग की ग्यारह चुनिन्दा वस्तुओं अर्थात् अरहर दाल, चना, दाल मसूर दाल, साबुत उड़द, नमक, चाय, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, अभ्यास पुस्तिका, खाद्य तेल और टूथ पेस्ट के वितरण की संकल्पना की गई है। स्कीम स्वैच्छिक है और इसमें कोई सब्सिडी शामिल नहीं है। प्रारम्भ में महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पाण्डिचेरी राज्यों ने स्कीम में भाग लिया। इस समय केवल तीन राज्य अर्थात महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ही स्कीम का प्रचालन कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गोदामों का निर्माण

5111. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों में गोदामों के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस वित्तपोषक प्रतिमान

के अंतर्गत गुजरात में वर्षवार और जिलेवार कितने गोदाम निर्मित किए गए हैं और उनकी क्षमता कितनी है; और

(घ) राज्य में इन गोदामों पर किस प्राधिकारी का पूर्ण नियंत्रण होता है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम "गोदामों का निर्माण" के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2000 टन तक की क्षमता के छोटे गोदामों का निर्माण करने के लिए 50% राजसहायता और 50% ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। यह स्कीम 1.4.2002 से बंद कर दी गई है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है

(घ) इस स्कीम के अधीन निर्मित गोदामों पर गुजरात राज्य सरकार का नियंत्रण है।

विवरण

राज्य का नाम गुजरात

वर्ष	गोदामों की संख्या	स्थान	जिला	स्वीकृत वित्तीय मदद रुपये में	क्षमता टन में
2001–2002	1	भुज	भुज	11,10,720	1000
	1	खाबदा	भुज	7,99,600	500
	1	अंजर	भुज	7,99,600	500
	1	भचाऊ	भुज	7,99,600	500
	1	बायद	भुज	7,99,600	500
जोड़	5			43,09,120	3000

खाद्य तेल

5112. श्री जी. जे. जावीया : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्य तेलों का अपेक्षित मात्रा में उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में, विशेषकर गुजरात में खाद्य तेलों की कुल आवश्यकता, उत्पादन एवं खपत कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आयातित खाद्य तेलों की मात्रा कितनी है; और

(घ) देश में विशेषकर गुजरात में देशी खाद्य तेलों का खपत करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों का आयात निम्नानुसार हुआ:–

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	खाद्य तेलों का आयात*
1999–2000	41.96
2000–2001	41.77
2001–2002	42.14 (अनंतिम)

स्रोत: *डी.जी.सी.आई. एंड एस., कोलकाता

(घ) लगभग 55% मांग स्वदेशी तेलों के जरिए पूरी की जाती है। राज्यवार खाद्य तेलों की खपत से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि तिलहनों/तेलों के अन्तर राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

[हिन्दी]

बैंक की शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण

5113. श्री सुरेश पासी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन–किन बैंकों ने अपनी शाखाओं का कंप्यूटरीकरण किया है और कितनी शाखाओं का कंप्यूटरीकरण किया जाना है;

(ख) क्या अधिकांश बैंकों ने अपनी ग्रामीण शाखाओं का कंप्यूटरीकरण नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उन शाखाओं की राज्य–वार संख्या कितनी है जिनका कंप्यूटरीकरण किया जाना है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश के बैंकों की शाखाओं, विशेषकर ग्रामीण शाखाओं का कंप्यूटरीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नामों का ब्यौरा, जिन्होंने अपनी शाखाएं कम्प्यूटरीकृत की हैं और उन शाखाओं की संख्या जिन्हें अभी कम्प्यूटरीकृत किया जाना है संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शाखाएं चाहे शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण हो, उनका कम्प्यूटरीकरण अलग–अलग बैंको का विषय है और बैंक को लागत, लाभ, उपलब्ध पूंजी, आर्थिक सम्भाव्यता एवं कारोबार लाभप्रदता के आधार पर ही अपनी शाखाओं के कंप्यूटरीकरण के बारे में निर्णय लेना होता है।

विवरण

31.12.2002 की स्थिति के अनुसार बैंक शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की कुल संख्या	पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या	पहले से आंशिक कम्प्यूटरीकृत शाखाएं	उन शाखाओं की कुल संख्या जिन्हें अभी कम्प्यूटरीकृत किया जाना है।
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय स्टेट बैंक	9040	3345	0	5695
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	804	430	2	372
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	891	203	376	312
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	424	105	133	186
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	608	157	165	286
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	736	701	0	35
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	413	188	24	201

1	2	3	4	5	6
8.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	671	248	105	318
9.	इलाहाबद बैंक	2059	439	389	1231
10.	आन्ध्रा बैंक	1082	834	15	233
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2713	563	1204	946
12.	बैंक ऑफ इंडिया	2532	1030	1125	377
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1231	547	83	601
14.	केनरा बैंक	2421	793	901	727
15.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3116	983	238	1895
16.	कार्पोरेशन बैंक	669	448	0	221
17.	देना बैंक	1135	484	281	370
18.	इंडियन बैंक	1378	475	54	849
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1429	462	774	193
20.	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स	981	192	740	49
21.	पंजाब नेशनल बैंक	3863	286	2575	1002
22.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	891	37	595	259
23.	सिंडिकेट बैंक	1740	236	1152	352
24.	यूको बैंक	1710	240	440	1030
25.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2020	114	1407	499
26.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1302	241	370	691
27.	विजया बैंक	830	335	8	487

विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश

5114. श्री नागमणि : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पंजीकृत विदेशी वित्तीय संस्थाओं की संख्या **कितनी है**;

(ख) **इन** संस्थाओं के माध्यम से भारत में कितना धन लाया गया **है**; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा भारत में किए गए प्रत्यक्ष निवेश की धनराशि कितनी है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) सेबी द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2003 तक 502 विदेशी संस्थागत निवेशक सेबी के पास पंजीकृत थे।

(ख) और (ग) इन विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा

प्रारम्भ से 31 मार्च, 2003 तक किए गए संचयी निवेश 15804.7 मिलियन अमरीकी डॉलर बैठते हैं।

[अनुवाद]

चावल की खरीद

5115. **श्री आर. एल. भाटिया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत धान के स्थान पर चावल की खरीद हेतु अधिकांश राज्यों में सभी चावल मिलों पर न्यनतम समर्थन मूल्य पर आधारित निर्धारिक मूल्य पर चावल पर अनिवार्य लेवी लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रणाली मिलों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु अपनी मिलों का आधुनिकीकरण करने और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में अपने उत्पादों को अलग रखने से हतोत्साहित नहीं कर रही है;

(ग) यह प्रणाली अक्षम चावल मिलों को किस प्रकार नुकसान नहीं पहुंचा रही है;

(घ) क्या खाद्यान्न में लगभग स्वावलंबी/अधिकता वाली अर्थव्यवस्था में यह प्रणाली वांछनीय है;

(ङ) क्या यह प्रणाली अक्षम चावल मिलों को नुकसान नहीं पहुंचा रही है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लेवी प्रणाली को उन मिलों के लिए वैकल्पिक बनाने का है जो न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर अथवा उच्च मूल्यों पर किसानों से खरीदते हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। केन्द्रीय पूल के लिए चावल मिल मालिकों/डीलरों से सांविधिक लेवी के रूप में चावल एकत्र किया जाता है। लेवी की प्रतिशतता केन्द्रीय पूल के लिए आवश्यकता, विपणनीय अधिशेष और घरेलू खपत को ध्यान में रखकर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तय की जाती है। लेवी मूल्य निर्धारित करते समय लागत घटक हिसाब में लिए जाते हैं। अतः मिल मालिकों को किसी प्रकार की हानि होने का प्रश्न नहीं उठता। लेवी प्रणाली को समाप्त करने के लिए किसी चावल मिल मालिक एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। चावल मिल मालिक चावल मिलों की स्थापना/आधुनिकीकरण अथवा विस्तार करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीम के अधीन सामान्य क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख और दुर्गम क्षेत्रों में 75 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता की मांग कर सकते हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों हेतु निर्धारित शर्तें

5116. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया** : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, जिन्हें इस वचन पर कि वे पब्लिक इश्यू के माध्यम से अपनी इक्विटी को अंततोगत्वा कम करेंगे, 1990 के दशक में भारत में निवेश करने की अनुमति दी गई थी, अपनी इक्विटी को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता से मुकर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त वायदे पर 1990 के दशक में अनुमति दी गई थी और जिन्होंने अपनी इक्विटी को कम किया है और जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है;

(ग) क्या सेबी ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनके वायदों को पूरा करने को सुनिश्चत करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) अद्यतन सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

निवेश अनुमोदन संबंधी समिति

5117. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुधारात्मक निवेश अनुमोदनों, कार्यान्वयन प्रक्रिया संबंधी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) निवेश अनुमोदन तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विद्यमान प्रक्रियाओं की जांच करने, सार्वजनिक एवं निजी परियोजनाओं के निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा उनमें तेजी लाने के उपायों के सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

(ख) से (घ) समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दो खंडों में सौंपी है। मई, 2002 में प्रस्तुत रिपोर्ट के प्रथम खंड में सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं से संबंधित अपस्ट्रीम मुद्दे जो कि परियोजना की संकल्पना से लेकर निवेश अनुमोदन तक उत्पन्न होते हैं, शामिल हैं। रिपोर्ट के दूसरे खंड में डाऊनस्ट्रीम अर्थात निवेश अनुमोदन से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा उनके प्रचालनात्मक चरण तक, के मुद्दे शामिल हैं। रिपोर्ट का द्वितीय खंड नवम्बर, 2002 में प्रस्तुत किया गया।

समिति ने अपनी रिपोर्ट के प्रथम खंड में अन्य बातों के साथ परियोजना निर्माण, मूल्यांकन एवं परियोजना चक्र के मूल्यांकन पश्च चरणों के और अधिक व्यावसायीकरण की ओर लक्षित सार्वजनिक निवेश के लिए परियोजना चक्र के पुनर्निर्माण की सिफारिश की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट के द्वितीय खंड में अन्य बातों के साथ-साथ विविध अनुमोदन दिए जाने तथा निरीक्षण को युक्तिसंगत बनाने, रिकार्ड अनुरक्षण एवं रिपोर्ट करने की अपेक्षाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर नियामक प्रक्रियाओं के पुनर्निर्माण की सिफारिश की है। सिफारिशों में अनुमोदनों के प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों का और अधिक प्रयोग की सिफारिशें भी शामिल हैं।

रिपोर्ट में निहित सिफारिशों को लागू किए जाने की कार्रवाई भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभागों द्वारा शुरू कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्तित खाद्यान्नों हेतु निर्धारित मूल्य

5118. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्तित विभिन्न किस्म के खाद्यान्नों हेतु निर्धारित मूल्यों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु दिए गए खाद्यान्नों के मूल्य, अंत्योदय योजना के अंतर्गत खाद्यान्न के मूल्य और निर्यात मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) मूल्यों में संशोधन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न के भंडारण पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरित करने हेतु एक-समान केन्द्रीय निगर्म मूल्यों पर गेहूं और चावल जारी किए जाते हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन फिलहाल गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं:-

(रुपये प्रति क्विंटल)

लक्षित सर्वाजनिक वितरण प्रणाली	गेहूं	चावल
गरीबी रेखा से नीचे	415	565
गरीबी रेखा से ऊपर	610	830
अंत्योदय अन्न योजना	200	300
मध्याह्न भोजन योजना	मुफ्त	
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	मुफ्त	
अन्य कल्याण योजनाएं	गरीबी रेखा से नीचे की दरें	

2002 से समय-समय पर गेहूं और चावल के निर्धारित निर्यात मूल्य विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मौजूदा केन्द्रीय निर्गम मूल्य पहली जुलाई, 2002 से अपरिवर्तित बने हुए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वितरण के प्रयोजनार्थ भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण पर खर्च की गई राशि निम्नानुसार है:–

(रुपये करोड़ में)

2000–01	939
2001–02 (अनंतिम)	1310
2002–03 (संशोधित अनुमान)	1370

विवरण

गेहूं के निर्यात मूल्य (खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू मूल्य) – विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुरूप सुपुर्दगी उपरांत और अन्य खर्चे बताने वाला ब्यौरा

(रुपये प्रति टन में)

प्रभावी निर्यात मूल्य	से	तक
1	2	3
4150/– रुपये	20.10.2000	31.3.2001
4300/– रुपये	1.4.2001	16.8.2001
4200/– रुपये	17.8.2001	30.11.2001
4500/– रुपये	1.12.2001	10.5.2002
4310/– रुपये	11.5.2002	30.9.2002
4350/– रुपये (वर्तमान फसल)	1.6.2002	30.9.2002
3960/– रुपये (चमकहीन)	1.10.2002	31.3.2003
4560/– रुपये ठोस गेहूं (फसल वर्ष 2001–02 और पहले)	1.10.2002	31.12.2002
4600/– रुपये ठोस गेहूं (फसल वर्ष 2002–03	1.10.2002	31.12.2002
4310/– रुपये फसल वर्ष 1998–99 के लिए और पहले ठोस गेहूं	11.2.2003	30.6.2003
4610/– रुपये फसल वर्ष 1999–2000 के लिए ठोस गेहूं	11.2.2003	30.6.2003
4810/– रुपये फसल वर्ष 2000–01 के लिए ठोस गेहूं	11.2.2003	30.6.2003
4810/– रुपये फसल वर्ष 2001–02 के लिए ठोस गेहूं	1.1.2003	30.6.2003
4950/– रुपये फसल वर्ष 2002–03 के लिए ठोस गेहूं	1.1.2003	30.6.2003

चावल के निर्यात मूल्य (खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) मूल्य) – विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुरूप सुपुर्दगी उपरांत और अन्य खर्चे बताने वाला ब्यौरा

(रुपये प्रति टन में)

प्रभावी निर्यात मूल्य	से	तक
1	2	3
6750/– रुपये	27.2.2001	31.3.2001
5650/– रुपये (रॉ)	26.5.2001	10.5.2002
6000/– रुपये (सेला)		
5760/– रुपये (रॉ) प्रति टन	11.5.2002	31.7.2002
6115/– रुपये (सेला) प्रति टन		
5910/– रुपये (रॉ) प्रति टन	1.8.2002	30.9.2002
6265/– रुपये (सेला) प्रति टन		
5910/– रुपये		
6265/– रुपये (सेला)	1.10.2002	31.13.2002
6510/– रुपये प्रति टन	16.11.2002	31.3.2003
2002–03 वर्तमान फसल के लिए कच्चा चावल		

1	2	3
6260/– रुपये 2001–02 फसल वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कच्चा चावल	1.1.2003	31.3.2003
6615/– रुपये 2001–02 फसल वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों के लिए सेला चावल	1.1.2003	31.3.2003
6610/– रुपये प्रति टन 2002–03 वर्तमान फसल वर्ष के लिए कच्चा चावल	1.4.2003	30.6.2003
6915/– रुपये प्रति टन 2002–03 वर्तमान फसल वर्ष के लिए सेला चावल	1.4.2003	30.6.2003
6360/– रुपये 2001–02 और पूर्ववर्ती फसल वर्षों के लिए कच्चा चावल	1.4.2003	30.6.2003
6665/– रुपये 2001–02 और पूर्ववर्ती फसल वर्षों के लिए सेला चावल	1.4.2003	30.6.2003

[अनुवाद]

मुम्बई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ज़ोन द्वारा राजस्व वृद्धि

5119. श्री रामजी मांझी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ज़ोन–I ने जनवरी, 2002 की तुलना में जनवरी 2003 तक लगभग 42.8 प्रतिशत की राजस्व की उच्च वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो यह देश के अन्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ज़ोनों की राजस्व वृद्धि से किस प्रकार तुलनीय है;

(ग) क्या सरकार का राजस्व वृद्धि से कुछ प्रोत्साहनों को जोड़ने का कोई प्रस्तवा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) देश में सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ज़ोनों से एकत्र कुल उत्पाद शुल्क राजस्व में 2001–02 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 2002–03 में अप्रैल से जनवरी तक *15.14% की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू के अतिरेक उत्पाद की खरीद

5120. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अतिरिक्त कर लगा कर कर्नाटक से तम्बाकू की अतिरेक उत्पाद की खरीद पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार के इस कदम से कर्नाटर में लाभान्वित होने वाले तंबाकू उत्पादकों की अनुमानित संख्या कितनी है और ये किस सीमा तक लाभान्वित होंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जनजातियों का उत्थान

5121. चौ. तालिब हुसैन :

श्री मानसिंह पटेल :

श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रत्येक राज्य में आदिवासी जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु धनराशि आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

*आंकड़ा अनंतिम है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय केवल जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान नामक दो योजनाओं के अंतर्गत ही निधियां आवंटित करता है। जनजातीय उपयोजना राज्यों को जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अनुदान मुख्यतः अनुसूचित जनजाति की आबादी और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर निर्मुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान प्रत्येक जनजातीय उपयोजना और जनजातीय बहुल राज्य की जनजातीय जनसंख्या के आकार के अनुसार आवंटित किया जाता है।

(ग) राज्यों को निधियां योजनावार नहीं बल्कि वर्ष–वार आवंटित की जाती हैं। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के अंतर्गत दसवीं योजना के पहले वर्ष अर्थात् 2002–03 के दौरान राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियां संलग्न विवरण–I और II में हैं।

विवरण I

वर्ष 2002–03 के टी एस पी को एस सी ए के अंतर्गत की गई निर्मुक्तियां

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राशि विमुक्त (लाख रु.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2732.80
2.	असम	3058.99
3.	बिहार	556.56
4.	गुजरात	3930.91
5.	हरियाणा	643.53
6.	जम्मू और कश्मीर	971.94
7.	कर्नाटक	771.33
8.	केरल	273.70
9.	मध्य प्रदेश	7833.22
10.	महाराष्ट्र	3723.83
11.	मणिपुर	761.96
12.	उड़ीसा	6495.30
13.	राजस्थान	3649.56
14.	सिक्किम	108.02
15.	तमिलनाडु	323.32
16.	त्रिपुरा	1041.03
17.	उत्तर प्रदेश	32.10
18.	पश्चिम बंगाल	2202.57
19.	झारखंड	5870.24
20.	छत्तीसगढ़	4626.18
21.	उत्तरांचल	92.91
22.	अंडमान और निकोबार	200.85
23.	दमन एवं दीव	99.15
	कुल	50000.00

विवरण-II

वर्ष 2002–03 में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत की गई निमुक्तियां

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि विमुक्त (लाख रु.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2160.30
2.	असम	1023.40
3.	बिहार	209.00

1	2	3
4.	गुजरात	2250.00
5.	हरियाणा	80.00
6.	जम्मू और कश्मीर	318.00
7.	कर्नाटक	904.35
8.	केरल	588.00
9.	मध्य प्रदेश	4052.32
10.	महाराष्ट्र	2925.00
11.	मणिपुर	424.55
12.	उड़ीसा	3641.60
13.	राजस्थान	2224.48
14.	सिक्किम	83.00
15.	तमिलनाडु	210.00
16.	त्रिपुरा	665.50
17.	उत्तर प्रदेश	27.00
18.	पश्चिम बंगाल	1543.00
19.	अरुणाचल प्रदेश	300.00
20.	मेघालय	555.00
21.	मिजोरम	240.00
22.	नागालैंड	0.00
23.	झारखंड	2808.00
24.	छत्तीसगढ़	2689.50
25.	उत्तरांचल	78.00
	कुल	30000.00

बिस्कुटों पर आई.एस.आई मार्क

5122. श्री रामजीवन सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में गुलुकोज़ बिस्कुट उत्पादक अग्रणीय कम्पनियों में से अधिकतर कंपनियेां के बिस्कुटों में बी.आई.एस. मार्क नहीं होते हैं और वे इनके पौष्टिक घटकों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना को छिपाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) बिस्कुटों का आई एस 1011 : 1992 के तहत प्रमाणन अनिवार्य नहीं है। अतः विभिन्न ब्रांडों के बिस्कुट विनिर्माताओं को बिस्कुट बनानें के लिए प्रमाणन चिह्न लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती। देश में बिस्कुटों के लिए केवल 66 बी आई एस लाइसेंसधारी हैं और भारतीय मानक ब्यूरो अपनी परीक्षण और निरीक्षण की स्कीम के जरिए यह सुनिश्चित करता है कि इसके लाइसेंसधारी संगत भारतीय मानक में निर्धारित विनिर्देशनों का अनुपालन करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

लेवी चीनी

5123. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी मिलों के पास बड़ी मात्रा में लेवी चीनी जमा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो 1 मार्च, 2003 के अनुसार मिलों के पास कुल कितना चीनी भण्डार है जिसे उठाया नहीं गया है;

(ग) क्या यह मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों के देयों के भुगतान करने में आड़े आ रहा है;

(घ) क्या मिलों ने खुले बाजार में इन भण्डारों को लेवी चीनी से भी कम कीमत पर बेचने हेतु अनुमति मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) कुछ चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/भारतीय खाद्य निगम/उनके द्वारा नामित एजेंसियों द्वारा लेवी चीनी का उठान नहीं किया जा रहा है। चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1.3.2003 को स्थिति के अनुसार 2002–2003 मौसम (1.10.2002 से 28.2.2003 तक) के दौरान 3.32 लाख मी. टन लेवी चीनी का उठान नहीं किया गया।

(ग) से (ङ) लेवी चीनी का उठान नहीं होने के कारण चीनी फैक्ट्रियों के पास चीनी का अत्याधिक स्टाक संचित हो गया तथा इससे उनकी वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा। इसे ध्यान में रखते हुए, लेवी चीनी के उठान न किए गए स्टाक की मात्रा के बराबर चीनी को खुले बाजार में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उचित समझी जाने वाली दरों पर बेचने की अनुमति देकर चीनी फैक्ट्रियों को अस्थायी राहत प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

जापानी सिल्क परियोजना

5124. श्री विष्णुदेव साय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जापानी सिल्क परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भूमि आधारित सिल्क परियोजना द्वारा प्राप्त की गई राशि और उसके लिए 31.3.2003 तक स्वीकृत की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस राशि से वर्षवार और मदवार खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंधमें प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) छत्तीसगढ़ रेशम उत्पादन परियोजना जापानीज बैंक फॉर इंटरनेशनल को–आपरेशन (जेबीआईसी), जापान की वित्तीय सहायता से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना 10 वर्षों से अधिक की एक अवधि के लिए 2 चरणों में 748.55 करोड़ रु. की कुल लागत से कार्यान्वित की जाएगी। प्रथम चरण तसर संस्कृति के विकास के लिए तथा द्वितीय चरण शहतूती रेशम उत्पादन के विकास के लिए निर्धारित हैं। दिनांक 31.3.2003 तक 65.63 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हो चुकी है।

(ख) व्यय का वर्ष–वार और मद–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में है।

(ग) परियोजना के तहत प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में है।

विवरण-I

वर्ष 1998–99 से 2002–03 तक परियोजना के तहत मद–वार हुए व्यय का ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	तसर पौधारोपण	सिविल कार्य	वाहन व उपकरण	मूल्यवृद्धि	आकस्मिकता	परामर्श	कुल व्यय
1.	1998–99	0.37	0	0.16	0	0	3.48	4.01
2.	1999–00	3.56	0	0.13	0	0.23	3.44	7.36
3.	2000–01	3.4	0	0.07	0	0.06	2.17	5.7
4.	2001–02	3.07	0	0.16	0	0.03	1.06	4.32
5.	2002–03	2.854	1.08	0	0	0	0	3.934
	कुल	13.254	1.08	0.52	0	0.32	10.15	25.324

विवरण-II

वर्ष 1998–99 से 2002–2003 तक परियोजना के तहत वास्तविक उपलब्धि का ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	तसर पौधारोपण हैक्टेयर में	लाभार्थियों की सं.	रेशम उत्पादन कृषक समूहों की सं.	बनाए गए स्वयं सहायता समूहों की सं.	वितरित रीलिंग मशीनों की सं.	वितरित कताई मशीनों की सं.	रीलिंग व कताई के माध्यम से लाभार्थियों की सं.	तसर कोसा उत्पादन (सं. लाख में)
1.	1998–99	177	233	7	21	0	0	0	0
2.	1999–00	653	990	26	33	100	0	100	0
3.	2000–01	1500.5	1881	59	105	20	0	20	0
4.	2001–02	966.5	972	34	75	130	75	205	2.09
5.	2002–03	671	592	25	56	100	75	175	18.58
	जोड	3968	4668	151	290	350	150	500	20.67

[अनुवाद]

भुगतान सन्तुलन

5125. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेश व्यापार में भुगतान सन्तुलन की स्थिति क्या थी;

(ख) इसी अवधि में विदेशी मुद्रा भण्डार का वर्ष–वार ब्यौरा क्या था;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा भण्डार में लगातार वृद्धि हुई जबकि भुगतान सन्तुलन हमेशा नकारात्मक रहा; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2001–2002 हेतु इस अन्तराल को पाटने वाले कारक क्या हैं और ऐसे योगदान करने वाले कारकों पर कितनी निर्भरता रही?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भुगतान संतुलन के आधार पर व्यापार संतुलन नीचे दी गई सारणी में यथा निर्दिष्ट है:–

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

अप्रैल–दिसम्बर

	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2001-2002	2002-2003
व्यापार संतुलन	-17,841	-14,370	-12,703	-10,422	-9,760

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (स्वर्ण एवं विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) सहित) इस प्रकार थे : 1999–2000 में 38,036 मिलियन अमरीकी डॉलर, 2000–2001 में 42,281 मिलियन अमरीकी डॉलर, 2001–2002 में 54,106 मिलियन अमरीकी डॉलर, और 2002–2003 में 75,428 मिलियन अमरीकी डॉलर।

(ग) भुगतान संतुलन की लेखाकरण पद्धतियों के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों में तभी वृद्धि होती है जब समग्र भुगतान संतुलन में आधिक्य हो। लगातार छठे वर्ष में भुगतान संतुलन में समग्र रूप से आधिक्य रिकार्ड किया गया है जिसने प्रारक्षित भंडारों की वृद्धि में योगदान दिया है।

(घ) वर्ष 2001–2002 के दौरान, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (स्वर्ण एवं मूल्यांकन परिवर्तनों को छोड़कर) में वृद्धि 11,757 मिलियन अमरीकी डॉलर थी, जिसमें 1,351 मिलियन

अमरीकी डालर और 9,545 मिलियन अमरीकी डालर क्रमशः चालू खाता अधिशेष और निवल पूंजी खाते (861 मिलियन अमरीकी डालर की भूल–चूक को छोड़कर) के माध्यम से थे।

बैंकों के ए.टी.एम्स.

5126. श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न बैंकों द्वारा लगाए गए ए.टी.एम. ग्राहकों द्वारा मांगी गई नकदी के अनुसार भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में ग्राहकों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा विशेषकर दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत/निजी बैंकों के ए.टी.एम. नकली मुद्रा वितरित करते हैं और ऐसे समय पर ग्राहकों के पास कोई विकल्प नहीं रहता है;

(ङ) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान बैंकवार ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) सरकार द्वारा ग्राहकों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ग्राहकों द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत की गई मांग के अनुसार ए टी एम नकदी का संवितरण करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ए टी एम द्वार नकली मुद्रा के संवितरण के ऐसा कोई उदाहरण ध्यान में नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ए टी एम की स्थिति जिसमें नकदी धारण व नकली मुद्रा का पता लगाने हेतु उचित प्रौद्योगिकी का अपनाना शामिल है, की निगरानी नियमित रूप से की जाती है। ग्राहकों की शिकायतों, यदि कोई हों, पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और ए टी एम द्वारा प्रदत्त सेवाओं संबंधी ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरती जाती हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक और अंतराष्ट्रीय विकास विभाग से सहायता

5127. श्रीमती रीना चौधरी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अवसंरचनात्मक और बजटीय सुधारों को आरम्भ करने के लिए विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.) से सहायता प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय मानव बालों का निर्यात

5128. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय मानव बालों के निर्यात से कितना वार्षिक राजस्व अर्जित होता है;

(ख) इस संबंध में सरकार की आयात और निर्यात नीति क्या है;

(ग) ऐसे कौन–कौन से देश हैं जो इससे संबंध रखते हैं; और

(घ) भारतीय मानव बालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विदेशी बाजारों पर कब्जा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) मानव बालों तथा उसके उत्पादों का वार्षिक निर्यात 33 मिलियन अमरीकी डालर का होता है।

(ख) मानव बालों के आयात तथा निर्यात पर कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है और इसे मुक्त रूप से किया जा सकता है।

(ग) आयातकर्ता देशों में प्रमुख देश चीन, अमरीका, हांगकांग तथा ट्यूनीशिया हैं।

(घ) निर्यात संवर्धन परिषद् अब तक मानव बालों से संबंधित दो तीन सदस्यीय शिष्टमंडल हांगकांग, दक्षिण कोरिया और जापान तथा अमरीका भेज चुकी है।

[हिन्दी]

अस्पतालों की स्थापना हेतु धनराशि

5129. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान एम्स की तर्ज पर प्रत्येक राज्य में एक संस्थान स्थापित करने के लिए धनराशि का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003–2004 के दौरान इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित धनराशि क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु बचत एजेन्टस्

5130. श्री किरीट सौमैया : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुम्बई में विभिन्न लघु बचत सेवाओं से जुड़े लघु बचत एजेंटों और लघु निवेशकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया है;

(ख) उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके मुद्दों के समाधान हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) लघु बचत योजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दे, यथा नयी योजनाओं की शुरूआत, विद्यमान योजनाओं को अभिशासित करने वाले नियमों में संशोधन, ब्याज दरें, कमीशन भुगतान आदि की ओर समय–समय पर मुम्बई सहित देश के सभी भागों के लघु निवेशकों तथा लघु बचत एजेंटों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ये मुद्दे/मांगे लघु बचतों के लिए सरकार की नीति तैयार करने के लिए उपयोगी सुझाव के रूप में हैं।

कर्नाटक में परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक सहायता

5131. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के पास कर्नाटक की तीन परियोजनाएं, कर्नाटक म्यूनिसिपल रिफार्म्स प्रोजेक्ट, कम्यूनिटी हेरालडेड इंपावरमेंट ट्रांसफोरमेशन और न्यू अवेकनिंग प्रोजेक्ट तथा कर्नाटक स्ट्रकचरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन तीन परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक से सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार से हाल में इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना तैयार करने के लिए कहा गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इन औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो इन परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने में सरकार कब तक आश्वस्त होगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (च)

कर्नाटक नगरपालिका सुधार परियोजना

इस परियोजना के संबंध में कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्तावित

परियोजना का उद्देश्य राज्य और स्थानीय सरकारी सुधारों हेतु सहायता प्रदान करना है जिससे नगर प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके और नगरपालिका सेवाओं का उन्नयन तथा विस्तार किया जा सके। इस समय इस प्रस्ताव के बारे में कर्नाटक सरकार द्वारा विश्व बैंक के परामर्श से परियोजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

समुदाय-संचालित अधिकारिता परिवर्तन तथा नव चेतना परियोजना (कम्यूनिटी हेरालडेड इंपावरमेंट ट्रांसफोरमेशन एण्ड न्यू अवेकनिंग प्रोजेक्ट)

इस परियोजना के बारे में कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य आर्थिक अवसरों को बेहतर बना कर तथा जीवन स्तर का उन्नयन करके निर्धनता को कम करना है। इस समय, कर्नाटक सरकार द्वारा इस प्रस्ताव का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

कर्नाटक संरचनात्मक समयोजन कार्यक्रम

यह प्रस्ताव विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। यह कार्यक्रम विश्व बैंक के परामर्श से कर्नाटक सरकार द्वारा अभी तैयार किया जा रहा है। विश्व बैंक की प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यक्रमों के एक बार में पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद उनके संबंध में मूल्यांकन, वार्तालाप और अनुमोदन किया जाता है। राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी आवश्यक जानकारी मुहैया कराए और कार्यक्रम की प्रगति के प्रत्येक चरण में तय अग्रिम कार्रवाई करे। इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है, यह बताना संभव नहीं है।

दक्षिण-पूर्व और मध्य एशियाई देशों को इस्पात का निर्यात

5132. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण–पूर्व और मध्य एशियाई देशों में इस्पात की अत्याधिक मांग रही है;

(ख) क्या भारत इन देशों को बड़ी मात्रा में इस्पात का निर्यात करता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इन देशों को कितनी मात्रा में इस्पात का निर्यात किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 के दौरान दक्षिण पूर्वी तथा मध्य एशियाई देशों को निर्यातित इस्पात का मूल्य निम्नानुसार है:–

(मूल्य करोड़ रु. में)

दक्षिण पूर्व एशियाई देश		मध्य एशियाई देश	
2000–01	2001–02	2000–01	2001–02
469.39	553.76	4.41	8.76

तमांग और लिमबोस को आदिवासी सूची में शामिल करना

5133. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में तमांग और लिमबोस को अ.जा. और अ.जा. और अ.ज.जा. आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002 को स्वीकार किए जाने के आलोक्य में राज्य और केन्द्रीय विधानमंडलों में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित सीटों के आबंटन के उद्देश्य से आदिवासी सूची में शामिल करने हेतु संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मांग की गई है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अमरीका द्वारा कंटेनर हेतु बनाए गए नियम

5134. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका सरकार ने देश में अपने पत्तनों के माध्यम से प्रवेश करने वाले कंटेनरों के लिए नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए नियमों के कारण भारतीय उपमहाद्वीप से कार्गो हेतु भेदभाव और अतिरिक्त लागत आने के संबंध में प्रश्न उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीकी सीमाशुल्क ने 2 दिसम्बर 2002 से 24 घंटे पूर्व सूचना प्रस्तुत करने संबंधी नियम लागू किया है। यह नियम समुद्री मार्ग द्वारा यू एस ए को जाने वाले कार्गो पर लागू होता है।

(ग) अमरीकी सीमाशुल्क का 24 घंटे पूर्व सूचना प्रस्तुत करने संबंधी नियम भेद–भाव रहित है और यह विश्व के सभी देशों पर लागू होता है।

(घ) इस नियम के कारण विलम्ब होने अथवा अतिरिक्त लागत आने के मामले सरकार की जानकारी में नहीं आए है। तथापि, भारत ने यू एस ए की सरकार के पास अपनी चिंता दर्ज की है।

गुजरात में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

5135. श्री राम सिंह राठवा : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के अनुसार गत वर्ष के दौरान गुजरात में 8,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान किन–किन प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) वर्ष 2002 के दौरान, गुजरात के लिए 948.49 करोड़ रुपये (एडीआर/जीडीआर को छोड़कर) की राशि के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था। इस वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अंतर्प्रवाह 288.43 करोड़ रुपये के बैठते हैं। इन अंतर्प्रवाहों को क्षेत्रक विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	क्षेत्रक	अंतर्प्रवाह (करोड़ रुपये)
1	2	3
1	धातुकर्म उद्योग	59.89
2	विद्युत उपस्कर (साफ्टवेयर व इलैक्ट्रानिक्स सहित)	15.19
3	परिवहन उद्योग	24.27
4	औद्योगिक मशनरी	0.39
5	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	1.44
6	औषध व भेषज	4.70
7	वस्त्र (रंग किए हुए, छपे हुए सहित)	2.55
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	0.22
9	मृत्तिका–शिल्प	0.20
10	परामर्शी सेवाएं	0.20
11	सेवा क्षेत्रक	105.40
12	विविध उद्योग	73.98
	जोड़	288.43

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

5136. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एल.आई.सी. कर्मचारियों को और सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के पश्चात् अपने अंदर खपाया है;

(ख) यदि हां, तो संगठनों, संगठनों में अन्तिम प्राप्त पद और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में उन्हें किस पद पर लिया गया है, सहित उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में लिए गए कर्मचारियों के पास आवश्यक शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यताएं हैं;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार से लिए गए प्रत्येक कर्मचारी का ब्यौरा क्या है और उनके पद, पदनाम, शैक्षिक योग्यता और पद/पदनाम हेतु आवश्यक योग्यता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक ढांचे का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि उन्होंने जीवन बीमा निगम तथा सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के कर्मचारियों, जो कि 1996 में आईआरए का गठन किए जाने के समय से प्राधिकरण में कार्यरत हैं, मे से कुछ कर्मचारियों को प्राधिकरण में समाहित कर लिया है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) आईआरडीए से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(ख) एलआईसी और गैर–जीवन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से लिए गए अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	अर्हता	संगठन	पूर्व पदनाम	पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	प्रबोध चन्द्र	• बी.ए. • एलएलबी • एआईआईआई	न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	प्रबंधक	1.8.2002 से विशेष कार्य अधिकारी–कार्यकारी निदेशक
2.	के. सुब्रह्मणयम	• बीएससी • एआइए • एफएएसआई	भारतीय जीवन बीमा निगम	वरिष्ठ मंडल प्रबंधक	1.8.2002 से वरिष्ठ बीमांकक–कार्यकारी निदेशक
3.	मुकेश शर्मा	• बीए • एलआईआईआई	न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	उप निदेशक
4.	राकेश बजाज	• एमए • एफआईआईआई	न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	प्रशासनिक अधिकारी	उप निदेशक
5.	अरूप चटर्जी	• बीए (आनर्स) • एमए • अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक्सजीक्यूटिव मास्टर्स	आरिएंटल एश्योरेंस कं. लि.	प्रशसनिक अधिकारी	उप निदेशक
6.	अनिल कुमार अरोड़ा	• बी.कॉम • एलआईआईआई	भारतीय जीवन बीमा निगम	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	उप निदेशक

1	2	3	4	5	6
7.	रणदीप सिंह जगपाल	• बीएससी (आनर्स) • एमएससी • एम टेक • एमबीए	न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	प्रशासनिक अधिकारी	उप निदेशक
8.	सुरेश माथुर	• बीए (प्रबंधन) • एमबीए • एलआईआईआई	न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	सहायक प्रबंधक	उप निदेशक
9.	कमल कुमार चौधरी	• बी.कॉम (आनर्स) • एम.कॉम • एआईआईआई	न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	प्रशासनिक अधिकारी	उप निदेशक
10.	दिनेश खानसिलि	• बीएससी • भारतीय बीमांकन सोसायटी के सदस्य	भारतीय जीवन बीमा निगम	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	उप निदेशक
11.	जे. मीना कुमारी	• बीएससी (एमपीसी) • एएसआई, मुम्बई की सदस्य • बीमांकन तकनीकों में डिप्लोमा, आईए, लंदन • वित्त एवं निवेश में प्रमाण पत्र–आईए विषय 301, 302, 303 एएसआई मुम्बई	भारतीय जीवन बीमा निगम	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	उप निदेशक
12.	संजीव कुमार जैन	• बीए • बीएड	यूनाईटिड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	प्रशासनिक अधिकारी	उप निदेशक

1	2	3	4	5	6
		• एमए • एमएड • आईआरपीएम और बीएम में डिप्लोमा • एलआईआईआई			
13.	टी.एस. नायक	• बीई (मैकेनिकल इंजी)	न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	प्रशासनिक अधिकारी	उप निदेशक
14.	बी.राघवन	• बीकॉम • एलएलबी	ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि.	आशुलिपिक	सहायक निदेशक
15.	सुरेश नायर	• बीए	भारतीय जीवन बीमा निगम	आशुलिपिक	सहायक निदेशक
16.	ए. कृष्णन	• बीएससी • एमए • एलआईआईआई	ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि.	प्रशासनिक अधिकारी	उप निदेशक
17.	मंजु अरोड़ा	• एमए	ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि.	आशुलिपिक	कनिष्ठ अधिकारी
18.	शिक्षा शाह	• बीए • पीसी अनुप्रयोगों में एडवांस्ड सर्टिफिकेट	ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि.	सहायक	कनिष्ठ अधिकारी

गैर-बैंककारी वित्त कंपनियों की गैर-निष्पादक आस्तियां

5137. **श्री कमल नाथ** : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में गैर–बैंककारी वित्त कंपनियों को अपने तुलनपत्रों में गैर–निष्पादक आस्तियों के संबंध में सूचना देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2003 के अनुसार गैर–बैंककारी वित्त कंपनियों की गैर–निष्पादक आस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि निर्धारित समयावधि के अंतर्गत गैर–बैंककारी वित्त कंपनियों की गैर–निष्पादक आस्तियों का निपटान हो जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 2002 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एन बी एफ सी) की अनुपयोज्य आस्ति 3294.87 करोड़ रुपए थी।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने एन बी एफ सी के लिए विवेकपूर्ण मानकों के रूप में अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) के बदले में प्रावधान करने हेतु मानदण्ड निर्धारित किया है। इन प्रावधानों को एन बी एफ सी द्वारा आस्ति के अनुपयोज्य आस्ति में बदलने के पश्चात् बकाया राशि की प्रतिशतता के क्रमिक स्तर तक तैयार किया जाना है। इन मानदण्डों में उल्लेख है कि एन बी एफ सी एक निश्चित समयावधि में या तो वसूलियों द्वारा उधारकर्ता से अपनी बकाया राशि की वसूली करे अथवा उन पर प्रभारित प्रतिभूतियों की बिक्री करे अथवा अपनी लाभ एवं हानि लेखे में से प्रावधान करे।

[हिन्दी]

पिछड़ी जनजातियों को प्रशिक्षण

5138. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल जनजातियों से संबंधित लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और वहां चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त लोगों को किन-किन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ देश में जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना का कार्यान्वयन करता है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों, दोनों को ही व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए 100 प्रतिशत सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर सरकार को निम्न स्थलों पर दो व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं –

1 कीजिपोरा, कंगन, जिला श्रीनगर

2 अगलिंग लेह, जिला लेह

ये व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्र, जिनमें गुज्जर और बकरवाल जनजातियां शामिल हैं, में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए हैं।

कीजिपोरा कन्गन, श्रीनगर में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र पहले ही कार्य कर रहा है। तथापि लेह में स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भवन – निर्माण के बाद कार्यशील हो जाएगा।

(ख) दोनों व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्वीकृत व्यवसाय हैं –

कन्गन		लेह	
1	घड़ी की मरम्मत	1	कटाई/सिलाई
2	वेल्डिंग	2	फ्रेस्को पेंटिग
3	रेडियो/टी वी की मरम्मत	3	पश्मीना की बुनाई
4	पलम्बर का काम	4	हस्तकरघा बुनाई
5	बिजली के काम का कौशल	5	लकड़ी का काम

[अनुवाद]

चूककर्ता कम्पनियां

5139. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा चूककर्ता कंपनियों के विरूद्ध जारी किए गए विभिन्न आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेशों का कार्यान्वयन किन-किन कम्पनियों ने नहीं किया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ मामलों में, कम्पनियों ने कंपनी विधि

बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया है, चूंकि वे समापन में चली गई हैं, बीआईएफआर योजना को भेज दी गई हैं, या कम्पनियां दिए गए पते पर नहीं हैं।

(ग) सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत जिन कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उन गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों के मामले को छोड़कर इन कम्पनियों के खिलाफ कम्पनी रजिस्ट्रारों के द्वारा समुपयुक्त न्यायाधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में कम्पनी अधिनियम, 1956 के संबंधित उपबंधों के अन्तर्गत या तो अभियोजन दायर किए हैं या कानूनी कार्रवाई की गई हैं।

विवरण

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेशों का कार्यान्वयन न करने वाली कम्पनियों की सूची।

1. मै. ट्वनटी फस्ट सैन्चुयरी मैनेजमेंट सर्विसेज लि.
2. मै. ए पी फाइनेन्स एण्ड लीजिंग इण्डिया लि.
3. मै. एबीआई ओवरसीज लि.
4. मै. एसीएफ लेबोरेटरीज लि.
5. मै. अदियार आनन्द बेनिफिट फण्ड लि.
6. मै. आसरा स्टेट्स लि.
7. मै. अलाइड रिजन्ज एण्ड केमिकल्स लि.
8. मै. एलपिक फाइनेन्स लि.
9. मै. आनन्दपरिवार सेविग्स कारपोरेशन इण्डिया लि.
10. मै. अनुप्रिया इन्सेस्टमेंट कंपनी लि.
11. मै. अपूर्व फाइनेन्स लि.
12. मै. आर्या होटल्स लि.
13. मै. आरटेक पावर प्रोडक्शन लि.
14. मै. एशिया टेलिवीजन नेटवर्क लि.
15. मै. एशियन अलॉयस लि.
16. मै. आसरा स्टेट्स प्रा. लि.
17. मै. आसरा इण्डिया सेविंग्स एण्ड इन्वे. लि.
18. मै. एसोसिएटिड बिजनेस क्रेडिट्स लि.
19. मै. एटीएन इन्टरनेशनल लि. वेस्ट बंगाल
20. मै. ऑटोलाइन इण्डिया लि.
21. मै. ऑटोपाल इन्ड. लि.
22. मै. बद्रीका प्लानटेशन्स लि.
23. मै. बैगवे उद्योग लि.
24. मै. बंका (आई) लि.
25. मै. बार्ल इण्डिया फाइनेन्स एण्ड इन्वे. लि.
26. मै. बर्ल प्लान्टेशन्स लि.
27. मै. बीसीएल फाइनेन्स सर्विसेज लि.
28. मै. बैटा नॉफटल लि.
29. मै. बिल लि.
30. मै. केबल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
31. मै. करोना लि.
32. मै. चेफम मिल्क स्पेसीएलीटीज लि.
33. मै. सेफम औरगेनिक्स लि.
34. मै. सीएफएल कैपिटल फाइनेन्शियल सर्विसेज लि.
35. मै. चार्टड जरनल फाइनेन्स इन्वे. लि.
36. मै. चौकसी ट्यूब कंपनी लि.
37. मै. क्रोमपेट सस्वाथा निधि ला.
38. मै. सिफको फाइनेन्स लि.
39. मै. कोयम्बतूर लक्ष्मी इन्वे. लि.
40. मै. कॉनटिनेन्टल कार्स्टिग्स लि.

41. मै. कर्ब कैपिटल लि.
42. मै. क्रेडेन्शल फाइनेन्स लि.
43. मै. क्रिस्टल कैपिटल कौरपोरेशन लि.
44. मै. क्रिस्टल क्रेडिट कौरपोरेशन लि.
45. मै. डीसीएम फाइनेंस सर्विस लि.
46. मै. डीसीएम लि.
47. मै. डीसीएम श्रीराम लिजिंग एण्ड फाइनेंस लि.
48. मै. दीपिका लिजिंग एण्ड फाइनेंस लि.
49. मै. डोलफिनइकोनॉमी इण्डिया लि.
50. मै. डंकम इन्ड. लि.
51. मै. डनलप इण्डिया लि.
52. मै. डेनावोक्स इलैक्ट्रोनिक्स लि.
53. मै. डेनॉवोक्स इन्ड लि.
54. मै. इलैक्ट्रेक्स (इण्डिया) लि.
55. मै. एलिओट पॉवर कन्ट्रोल लि.
56. मै. एन के टेस्कोफूड इन्ड. लि.
57. मै. यूरो कोटस्पिन लि.
58. मै. फेवराइट स्मॉल इन्वे. लि.
59. मै. फेडिलिटी फाइनेन्स लि.
60. मै. फेडिलिटी इन्ड. लि.
61. मै. फिनले टेराफूड इन्डस्ट्रीज लि.
62. मै. फिर्स फाइनेन्सल सर्विसेज लि.
63. मै. फॉरमोस्ट इन्ड (आई) लि.
64. मै. फॉरवर्ड सिक्यूरिटीज लि.
65. मै. जेनेलेक लि.

66. मै. घनश्याम स्टील वर्कस लि.
67. मै. गोल्डन रेज हाउसिंग एण्ड हायर परचेज लि.
68. मै. गौमुख फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमैंट लि.
69. मै. गुजरात ऑयल एण्ड इन्डस्ट्रीज लि.
70. मै. हमको माइनिग एण्ड स्मैलटिंग लि.
71. मै. हरियाणा क्रैडिट एण्ड लिंजिंग लि.
72. मै. हैलॉस केमिकल्स लि.
73. मै. हौलॉस फाइनेन्स एण्ड इन्वे. लि.
74. मै. हैलॉस प्लानटेशन्स एण्ड डेवलपमैंट लि.
75. मै. हैलियस प्रोडक्टस लि.
76. मै. हीको प्रोडक्टस लि.
77. मै. हिन्दुस्तान फाइनेंस मैनेजमेंट लि.
78. मै. हिन्दुस्तान वायर्स लि.
79. मै. हॉफलैण्ड फाइनेन्स लि.
80. मै. आईएफबी इन्डस्ट्रीज लि.
81. मै. इन्केब इन्डस्ट्रीज लि.
82. मै. इंडोडन इंडिण्या लि.
83. मै. जागृति प्लान्टेशन (इण्डिया) लि.
84. मै. जेन्नर फार्मास्यूटिकल्स (प्रा.) लि.
85. मै. जेनसन्स एण्ड निकोलसन फाइनेन्शियल सर्विसेज लि.
86. मै. जीवन लाल (1929) लि.
87. मै. जेवीजे फाइनेन्स लि.
88. मै. केएम कैपिटल लि.
89. मै. कश्यप फाउन्डेशन्स लि.
90. मै. केडीटी एग्रो इन्डस्ट्रीज लि.
91. मै. कंडीटी हीटल्स एण्ड रिसोर्टस लि.

92. मै. केओनीज मैगना विजन कम्प्यूटर्स लि.
93. मै. केएचएसएल इन्डस्ट्रीज लि.
94. मै. केएमएफ लि.
95. मै. कृषि एक्सपोर्ट कौर्मसियल कारपोरेशन लि.
96. मै. कुबेर मुचुअल बेनिफिट लि.
97. मै. लाभ कन्सट्रक्सन लि.
98. मै. लक्ष्मी सूगर एण्ड ऑयल मिल्स लि.
99. मै. लिटिन इण्डिया लि.
100. मै. लॉयड्स फाइनेन्स लि.
101. मै. लुनर डायमंड लि.
102. मै. मधुमिलन फिन कारपोरेशन लि.
103. मै. मधुर फूड प्रोडक्टस लि.
104. मै. मफतलाल फाइनेन्स लि.
105. मै. मफतलाल इन्डस्ट्रीज लि.
106. मै. महीमा मुचुअल बेनिफिट लि.
107. मै. मंगल फाइनेंस लि.
108. मै. मनु मल्टीमिडिया लि.
109. मै. मैरेडिया केमिकल्स लि.
110 मै. मर्कर्ड लि.
111. मै. मौर्डन डनिम लि.
112. मै. मॉर्डन मैलिफेब्लस लि.
113. मै. मॉर्डन सिंथेसिस (इंडिया) लि.
114. मै. मौर्डन टैरे टावेल्स लि.
115. मै. मौर्डन थ्रेडेज (इंडिया) लि.
116. मै. मूलचन्द एक्सपोर्टस लि.
117. मै. एन. पी. मुचुअल बेनिफिट लि.
118. मै. नागार्जुना फाइनेन्स लि.

119. मै. नाथ केपिटल एण्ड फाइनेन्स सर्विसेज लि.
120. मै. नाथ पल्प एण्ड पेपर्स लि.
121. मै. नाथ सीड्स लि.
122. मै. नेशनल ड्वेलिंग्स ऑफ इण्डिया लि.
123. मै. नार्दन हाउसिंग डेवलपमैंट कारपोरेशन लि.
124. मै. नुकैम लि.
125. मै. नूटेक फाइनेन्शियल सर्विसेज लि.
126. मै. ऑबन फाइनेन्स एण्ड इन्वे. लि.
127. मै. ओनिडा फाइनेंस लि.
128. मै. ओरियंट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया लि.
129. मै. ओवरसीज केबल्स लि.
130. मै. पीएल फाइनेन्स लि.
131. मै. पार्कटाउन बेनिफिट फण्ड लि.
132. मै. पटला डेवलपर्स लि.
133. मै. पैनार इन्ड. लि.
134. मै. पैण्टाफोर प्रोडक्टस लि.
135. मै. प्रफेक्ट बेनिफिट लि.
136. मै. फॉर इस्ट लेब्स लि.
137. मै. पीएलए सर्जिकल्स एण्ड फार्मा लि.
138. मै. प्रतिमा मिल्क एण्ड फूड एग्रो लि.
139. मै. प्रीजन फास्टनर्स लि.
140. मै. प्रिमिअर हाउसिंग एण्ड इन्टरप्राइजेज लि.
141. मै. प्रेट्टो लैदर इन्डस्ट्रीज लि.
142. मै. पियोर ड्रिंकस (नई दिल्ली) लि.
143. मै. राजस्थान बाल्स बेयरिंग्स लि.
144. मै. रामकश्यप इन्वे. लि.
145. मै. रौनक फाइनेंस लि.

146. मै. रिजेन्सी इन्ड. लि.

147. मै. आरईपीएल इंजि. लि.

148. मै. रोकलैंड लिजिंग लि.

149. मै. रुफिट इन्ड. लि.

150. मै. रॉकलैण्ड थर्मोनिक्स लि.

151. मै. रॉलैनटेनर्स लि.

152. मै. एस एण्ड एस इन्डस्ट्रीज लि.

153. मै. एस एण्ड एस इन्डस्ट्रीज इन्टरप्राइजेज लि.

154. मै. एसएम फाइनेन्स लि.

155. मै. सनमैक ऑटो इन्वे. एण्ड फिनलीस लि.

156. मै. एसएन फाइनेन्स लि.

157. मै. सौराष्ट्रा पेपर एण्ड बोर्डस लि.

158. मै. स्कीमेटीक फाइनेंस लि.

159. मै. शंकर वीविंग मिल्स लि.

160. मै. साउथ एशियन फाइनेन्शियल एक्सचेंज लि.

161. मै. श्रीकंडास्वामी पर्मानेन्ट बेनिफिट फण्ड लि.

162. मै. श्रीमुथुकुमारस्वामी पर्मानेन्ट फण्ड लि.

163. मै. श्री वसावी परमेश्वरी पर्मानेन्ट फण्ड लि.

164. मै. सन अर्थ केरामिक्स लि.

165. मै. सेन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लि.

166. मै. सनराईज सिक्युरिटीज लि.

167. मै. तमिलनाडु फाइनेन्स लि.

168. मै. थापर इस्पात लि.

169. मै. थापर एग्रो मिल्स लि.

170. मै. न्यू इण्डिया इन्ड. एण्ड सेविंग्स कंपनी लि.

171. मै. थोन्डल मण्डलम बेनिफिट लि.

172. मै. ट्रांसकांटिनेंटल लिजिंग एण्ड फाइनेंस सर्विस लि.

173. मै. युनाइटेड केनेरा क्रेडिट एण्ड लिजिंग लि.

174. मै. उषा मार्तिन इन्ड. लि.

175. मै. वसुन्धरा मैरीन प्रोडक्ट्स लि.

176. मै. वत्स कारपोरेशन लि.

177. मै. वत्स म्यूजिक लि.

178. मै. वीएचईएल इन्डस्ट्रीज लि.

179. मै. विजया कामर्सियल क्रेडिट लि.

180. मै. विजया लिजिंग लि.

181. मै. विजिथा फाइनेन्स लि.

182. मै. विनियोग क्लोथेक्स लि.

183. मै. विश्वशक्ति फाइनेन्स लि.

184. मै. वर्नर मल्टीमिडिया लि.
(परिवर्तित नाम जी एस लि.)

185. मै. वर्ल्ड लिंक फाइनेन्स लि.

186. मै. वेस्ट्रन इण्डिया सिक्यूरिटीज लि.

187. मै. यशस्वी लि.

करेंसी प्रिंटिंग पेपर का आयात

5140. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयात किए गए करेंसी प्रिंटिंग पेपर का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह किस देश और कम्पनी से आयात किया गया हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान करेंसी पेपर के स्तर में परिवर्तन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) पिछले तीन वर्षों में आयातित करेंसी प्रिंटिंग पेपर का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

वर्ष	मात्रा (मी. टन)
2000–2001	8544
2001–2002	2162
2002–2003	1090

(ख) उन कम्पनियों और देशों के नाम जिनसे पिछले तीन वर्षों में ऊपर दिए गए अनुसार करेंसी नोट पेपर का आयात किया गया है निम्नलिखित हैं :–

(i) मैसर्स अर्जो विजिंस, फ्रांस।

(ii) मैसर्स ए बी तुम्बा ब्रक, स्वीडन (अब मैसर्स क्रेन ए बी)।

(iii) मैसर्स पोर्टल्स, यू.के.।

(iv) मैसर्स वीएचपी सिक्युरिटी पेपर मिल्स, नीदरलैंड्स।

(v) मैसर्स नेशनल बैंक आफ उक्रेन, उक्रेन।

(vi) मैसर्स पेपियरफेब्रिक लुईसेन्थल, जर्मनी।

(ग) से (ङ) नोट को और कड़ा बनाने के लिए 1000 रुपए के बैंक नोट पेपर की मोटाई और जीएसएम (ग्रामेज प्रति वर्ग मी.) को मामूली बढ़ा दिया गया।

स्टेशनरी की खरीद

5141. श्री रघुनाथ झा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री स्टेशनरी की खरीद के बारे में 20 दिसम्बर, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5063 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) स्टेशनरी की खरीद से संबंधित दिनांक 20.12.2002 का लोक सभा का अतारांकित प्रश्न संख्या 5063 कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से संबंधित था। जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सुझाव दिया था, इस विभाग द्वारा एक आश्वासन दिया गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि आश्वासन से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन

5142. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2000–2001 और 2001–2002 के चालू सत्र के दौरान महाराष्ट्र में कितनी चीनी का उत्पादन हुआ;

(ख) महाराष्ट्र में उन चीनी मिलों की स्थान–वार संख्या कितनी है जो उपयुक्त अवधि के दौरान कार्य कर रही थी; और

(ग) इस समय कार्य कर रही चीनी मिलों की स्थानवार संख्या कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) वर्तमान मौसम 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान महाराष्ट्र में उत्पादित चीनी की मात्रा निम्नवत् है:–

चीनी मौसम (अक्तूबर–सितम्बर)	चीनी का उत्पादन (लाख टन में)
2000–2001	67.05
2001–2002	55.84
2002–2003 (15 मार्च, 2003 तक)	53.56

(ख) और (ग) 2000–2001, 2001–2002 के दौरान तथा वर्तमान में स्थान–वार कार्य कर रही चीनी फैक्ट्रियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र		चीनी मौसम		
		2000–01	2001–02	2002–03
1		2	3	4
1.	श्री पांडुरंग एस.एस.के. लि., पी.ओ. श्रीपुर, जिला शोलापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
2.	दि ससवाडमाली शुगर फैक्ट्री लि., पी.ओ. मालीनगर, जिला शोलापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
3.	सहकर महर्षि शंकरराव मोहित पाटील एस.एस.के. लि., अकजुल, जिला शोलापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
4.	श्री शंकर एस.एस.के. लि., सदाशिवनगर, जिला शोलापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
5.	श्री सिद्धेश्वर एस.एस.के. लि., कुमाथे, पी.ओ. टीकेकरवाडी, जिला शोलापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
6.	विठल एस.एस. के लि., गुरसाल, तालुक पंढारपुर, जिला शोलापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
7.	भीमा एस.एस.के. लि., सिकन्दर तकली, तहासील महोल, जिला शोलापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
8.	भोगवती एस.एस.के. लि., इरले वैराग, तालुक बारसी, जिला शोलापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
9.	श्री संत दामाजी, एस.एस.के. लि., श्रिनदागी, तालुक करमाला, जिला शोलापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
10.	इन्दा एस.एस.के., मिरलाजिम, तालुक अकलकोट, जिला शोलापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
11.	आदिनाथ एस.एस.के. लि., जेउर लावे भालवनी, तहसील करमाला, जिला शोलापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
12.	चन्द्रभागा, एस.एस.के. लि., भालवनी, तालुक पंढारपुर, जिला शोलापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया

1		2	3	4
13.	दि रावलगांव शुगर फार्म लि., रावलगांव, जिला नासिक	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
14.	कर्मवीर काकासाहेब वाघ एस.एस.के. लि. रनवाड, तालुक निफाड, जिला नासिक	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
15.	कडवा एस.एस.के. लि., मातेरवाडी, तालुक दिन्डोरी, जिला नासिक	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
16.	निफाड पी.ओ. भाऊसाहेब नगर, जिला नासिक, पी.ओ. भाऊसाहेब नगर, जिला नासिक	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
17.	नासिक एस.एस.के. लि., पालसे, जिला नासिक	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
18.	वसंतराव दादा पाटील एस.एस.के. लि., विथेरवाडी (लोहानेर), जिला नासिक	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
19.	दि कोपरगांव एस.एस.के. लि., कोलपेवाडी, जिला अहमदनगर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
20.	दि प्रवरा एस.एस.के. लि., प्रवरानगर, जिला अहमदनगर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
21.	अशोक एस.एस.के. लि. अशोकनगर, पी.ओ. श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
22.	श्री गणेश एस.एस.के. लि., अशोकनगर, पी.ओ. रंजनगांव खुर्द, जिला अहमदनगर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
23.	दि संजीवनी (तकली) एस.एस.के. लि., तालुक कोपरगांव, जिला अहमदनगर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
24.	दि राहुरी एस.एस.के. लि., पी.ओ. राहुरी फैक्ट्री, जिला अहमदनगर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
25.	दि श्रीगोंडा एस.एस.के. लि., पी.ओ. श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
26.	संगमनेर भाग एस.एस.के. लि., अमृतनगर, तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया

1		2	3	4
27.	दयानेश्वर एस.एस.के. लि., भेंडे, तालुक नेवासा, जिला अहमदनगर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
28.	श्री जगदम्बा एस.एस.के. लि., राशीन, करजत, जिला अहमदनगर	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य नहीं किया
29.	श्री वृद्धेश्वर एस.एस.के. लि., पी.ओ. वृद्धेश्वर साखर कारखाना, तालुक पाथरडी, जिला अहमदनगर (पिंपलगांव)	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
30.	द मुला एस.एस.के. लि., सनोई, तालुक नेवासा, जिला अहमदनगर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
31	परनेर तालुक एस.एस.के. लि., परनेर, जिला अहमदनगर	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य किया
32.	भाऊसाहेब महादेव हांडे अगस्ती एस.एस.के. लि., जामगांव, तहसील अकोला, जिला अहमरनगर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
33.	केदारेश्वर एस.एस.के. लि., बोधेगांव, तहसील शीगांव, जिला अहमदनगर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
34.	भागवती एस.एस.के. लि., शहीनगर, पोस्ट पारिते, जिला कोल्हापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
35.	श्री छत्रपति एस.एस.के. लि., कसाबा भावाडा, कोल्हापुर, जिला कोल्हापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
36.	श्री पंचगंगा एस.एस.के. लि., गंगानगर, इचलकरंजी, जिला कोल्हापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
37.	श्री वारना एस.एस.के. लि., पी.ओ. वारनानगर, जिला कोल्हापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
38.	कुम्भी केशरी एस.एस.के. लि., कुडीत्रे, तालुक करवीर, जिला कोल्हापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
39.	श्री दूधगंगा वेदगंगा एस.एस.के. लि., बीदरी, पी.ओ. मौनीनगर, तालुक कागल, जिला कोल्हापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया

1		2	3	4
40.	श्री दाता एस.एस.के. लि., असरुले, तालुक पनहाला, जिला कोल्हापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
41.	श्री दाता एस.एस.के. लि., शिरोल, जिला कोल्हापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
42.	दौलत शेतकरी एस.एस.के. लि., पी.ओ. हरकरनी, तालुक चांदगड, जिला कोल्हापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
43.	गांधींगलाज तालुक एस.एस.के. लि., गांधींगलाज, जिला कोल्हापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
44.	छत्रपति शाहु एस.एस.के. लि. कागल, जिला कोल्हापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
45.	जवांहर शेतकारी एस.एस.के. लि., हुपरी, जिला कोल्हापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
46.	अजारा शेतकारी एस.एस.के. लि., गवासे तालुक, अजारा, जिला कोल्हापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
47.	इंदापुर एस.एस.के. लि., बीजावाडी, तालुक इंदापुर, जिला पुणे	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
48.	श्री छत्रपति एस.एस.के. लि., भवानीनगर, तालुक इंदापुर, जिला पुणे	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
49.	दि मालेगांव एस.एस.के लि., मालेगांव, बी.के., जिला पुणे	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
50.	श्री सोमेश्वर एस.एस.के. लि., पी.ओ. सोमेश्वर नगर, नरा, जिला पुणे	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
51.	यशवन्त एस.एस.के. लि., चिन्तामणिनगर, पी.ओ. थेउर, जिला पुणे	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
52.	भीमा एस.एस.के. लि., पटास, तालुक दौंड, जिला पुणे	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
53.	विघ्नहर एस.एस.के. लि., पुनार, जिला पुणे	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया

1		2	3	4
54.	राजगड एस.एस.के. लि., नीगाडे, तालुक भोर, जिला पुणे	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
55.	घोडगंगा एस.एस.के. लि., नवारे, तहसील शिरुर, जिला पुणे	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
56.	श्री संत तुकाराम एस.एस.के. लि., कसारसाई, तालुक मुलशी, जिला पुणे	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
57.	गंगापुर एस.एस.के. लि., पी.ओ. रघुनाथनगर, जिला औरंगाबाद	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
58.	सिद्धेश्वर एस.एस.के. लि., सिलोड, जिला औरंगाबाद	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
59.	दि कन्नड एस.एस.के. लि., कन्नड, जिला औरंगाबाद	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य नहीं किया
60.	दि विनायक एस.एस.के. लि., परसोडा, तालुक वैजापुर, जिला औरंगाबाद	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य नहीं किया
61.	श्री संत एकनाथ एस.एस.के. लि., पैथन, जिला औरंगाबाद	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
62.	श्री नामदेव राव बी. गाकेकर को–आपरेटिव देवगिरी एस.एस.के. लि., फुलम्बरी, तालुक और जिला औरंगाबाद	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य किया
63.	कृष्णा एस.एस.के. लि., रेथारे बुडरुक, पी.ओ. शिवनगर, जिला सतारा	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
64.	श्रीराम एस.एस.के. लि., फाल्टन, जिला सतारा	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य किया
65.	न्यू फाल्टन शुगर वर्क्स लि., तालुक फाल्टन, पी.ओ. साखरवाडी, जिला सतारा	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
66.	किसानवीर सतारा एस.एस.के. लि., भुइंज, तालुक वाई, जिला सतारा	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया

1		2	3	4
67.	बालासाहब देसाई एस.एस.के. लि., दौलतनगर, मारली, तालुक पाटन, जिला सतारा	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
68.	सयाद्री एस.एस.के. लि., यशवन्तनगर, तालुक कराड, जिला सतारा	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
69.	अजिनक्यात्रा एस.एस.के. लि., शेन्द्रे, जिला सतारा	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
70.	जरनदेश्वर एस.एस.के. लि., चिमनगांव तालुक कोरेगांव, जिला सतारा	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
71.	गोदावरी मनार एस.एस.के. लि., शंकरनगर, पी.ओ. रामतीर्थ, जिला नानदेड	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य किया
72.	कालाम्बर विभाग एस.एस.के. लि., कालम्बर, पोस्ट गांधनगर, जिला नानदेड	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य किया
73.	श्री भाऊराव चव्हाण एस.एस.के. लि., एट देगांव, मुन्डखेड, तहसील और जिला नानदेड	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
74.	शंकर एस.एस.के. लि., फूलेनगर, तहसील भोकर, जिला नानदेड	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
75.	जय अम्बिका एस.एस.के. लि., मोहननगर कुंटूर, तालुक बितोली, जिला नानदेड	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
76.	श्री पंजाकरन एस.एस.के. लि., भदने, तालुक सकरी, जिला धुलिया	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य नहीं किया
77.	श्री सतपुड़ा तापी परिसर एस.एस.के. लि., सहादा, पी.ओ.पुरुषोत्तम, जिला धुलिया	कार्य किया	कार्य किया	कार्य नहीं किया
78.	पुष्पदन्तेश्वर एस.एस.के. लि., शमशेरपुर तालुक तदुरबाद, जिला धुलिया	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
79.	शिरपुर शेतकारी एस.एस.के. लि., दहीवाड, तालुक शिरपुर, जिला धूले	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
80.	जीजामाता एस.एस.के. लि., दुसरबिड, तालुक महकर, जिला बुलढाना	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य नहीं किया

1		2	3	4
81.	वसंत एस.एस.के. लि., पुसाड, जिला यवतमाल	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
82.	जय किसान एस.एस.कें. लि., बोडेगांव, तहसील दरवहा, जिला यवतमाल	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
83.	श्री शंकर शेतकरी एस.एस.के. लि., गांव मंगरुल, जिला यवतमाल	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
84.	पुष्पावती एस.एस.के. लि., एट चिखाली, तालुक पुसाड, जिला यवतमाल	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य किया
85.	राजाराम बापू पाटील एस.एस.के. लि., राजारामनगर, पोस्ट सखराले, तालुक वाल्वा, जिला सांगली	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
86.	वसंतदादा शेतकरी एस.एस.के. लि., पी.ओ. और जिला सांगली	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
87.	जठ तालुक शेतकरी एस.एस.के. लि., एट टिप्पेहाली जठ, तालुक जठ, जिला सांगली	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
88.	विश्वास एस.एस.के. लि., यशवंतनगर, पोस्ट चिखाली, तालुक शिराला, जिला सांगली	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
89.	हुतात्मा किसान अहीर एस.एस.के. लि., वाल्वे, जिला सांगली	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
90.	यशवंत एस.एस.के. लि., नागेवाडी, तालुक खानपुर, जिला सांगली	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
91.	महांकाली एस.एस.के. लि., कवाथे, महांकाल, जिला सांगली	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
92.	तसगांव तालुक एस.एस.के. लि., तसगांव (तुरची फाटा), पोस्ट तुरची, तालुक तसगांव, जिला सांगली	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य किया
93.	मानगंगा एस.एस.के. लि., अटपाडी सोनारसिद्धनगर, जिला सांगली	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया

1		2	3	4
94.	तेरना शेतकरी एस.एस.के. लि., तेरनानगर, तालुक धोकी, जिला ओस्मानाबाद	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
95.	तुलजा भवानी शेतकरी एस.एस.के. लि., नालदुर्ग, तालुक तुलतापुर, जिला ओस्मानाबाद	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
96.	दि अम्बाजोगई एस.एस.के. लि., पी.ओ. अम्बासाखर, तालुक अम्बाजोगई, जिला बीड	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
97.	जय भवानी एस.एस.के. लि., जियोराई, जिला बीड	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
98.	काडा एस.एस.के. लि., तालुक अष्टी, जिला बीड	कार्य किया	कार्य किया	कार्य नहीं किया
99.	गजानन को–आप शुगर फैक्ट्री लि., एट तालुक और जिला बीड	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
100.	माजलगांव एस.एस.के. लि., निथरुड, तहसील माजलगांव, जिला बीड	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
101.	मधुकर एस.एस.के. लि., पी.ओ. फैजपुर, जिला जलगांव	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
102.	बेलगंगा एस.एस.के. लि., तालुक चालीसगांव, जिला जलगांव (भोरास)	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य किया
103.	श्री चोपाडा एस.एस.के. लि., मधाले, तहसील चोपाडा, जिला जलगांव	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
104.	श्री संत मुक्ताबाई एस.एस.के. लि., घोडासगांव, तहसील इदलाबाद, जिला जलगांव	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य नहीं किया
105.	दि गोदावरी दुधना एस.एस.के. लि., देवनन्द्रा, तालुक पठारी, जिला परभनी	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
106.	पुर्णा एस.एस.के. लि., बासमथनगर, जिला परभनी	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया

1		2	3	4
107.	नरसिंह एस.एस.के. लि., एट लोहगांव, जिला परभनी	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
108.	बड़ाशिव हनुमान एस.एस.के. लि., जावला बाजार, तालुक बासमथनगर, जिला परभनी	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
109.	समरथ एस.एस.के. लि., महालाला, तालुक अम्बाड, जिला जालना	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
110	जालना एस.एस.के. लि., गांव रामनगर, तहसील और जिला जालना	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य नहीं किया
111.	श्री बागेश्वरी एस.एस.के. लि., वारफल, तालुक परतुर, जिला जालना	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य नहीं किया
112.	जय जवान जय किसान एस.एस.के. लि., नालेगांव, तालुक अहमदनगर, जिला लातूर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
113.	शेतकरी एस.एस.के. लि., किल्लारी, जिला लातूर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
114.	मंजारा शेतकरी एस.एस.के. लि., तालुक चिनचोलीराव, जिला लातूर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
115.	शिवाजीराव पाटील नीलेंगकर एस.एस.के. लि., अम्बुलजा (बी.के.) तालुक नीलंगा, जिला लातूर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
116.	श्री कोंडेश्वर एस.एस.के. लि., रामनगर, तालुक फुबगांव, जिला अमरावती	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य नहीं किया
117.	श्रीराम एस.एस.के. लि., बाबदेव, तहसील मौडा, जिला नागपुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
118.	महात्मा एस.एस.के. लि., जामनी, तालुक सालो, जिला वर्धा	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
119.	दि वेनगंगा एस.एस.के. लि., तहसील महोली रोड, जिला भंडारा	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया

1		2	3	4
120.	बालाजी एस.एस.के. लि., मसालापेन, तालुक रिसोड, जिला अकोला	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य नहीं किया
121.	अकोला जिला एस.एस.के. लि., विजोरे, जिला अकोला	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
122.	जयवन्त पाटील एस.एस.के. लि., हडसानी, तालुक हडगांव, जिला नानदेड	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
123.	सोनहीरा एस.एस.के. लि., वांगी, तालुक खानपुर, जिला सांगली	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
124.	नेचुरल शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लि., कल्लाम, जिला ओस्मानाबाद	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
125.	वैद्यनाथ एस.एस.के. लि., पांगरी, तालुक अम्बाजोगई, जिला बीड	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
126.	रामगणेश गडकारी एस.एस.के. लि., साओनेर, जिला नागपुर	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य किया
127.	सहकर महर्षि लेट श्री बापूरावजी देशमुख एस.एस.के. लि., वेला, तहसील हिंगनघाट, जिला वर्धा	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
128.	भीमा शंकर एस.एस.के. लि., पासगांव वाया अवसारी, तहसील अम्बागांव, जिला पुणे	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
129.	कागल तालुक एस.एस.के. लि., हमीदवाडे कौलागे, तालुक कागल, जिला कोल्हापुर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
130.	लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज लि., गांव बीबी उरफल, तालुक नार्थ शोलापुर, जिला शोलापुर	कार्य किया	कार्य नहीं किया	कार्य किया
131.	निनाई देवी एस.एस.के. लि., कोकारूड, ता. श्रीराला, जिला सांगली	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
132.	डोगरारी सागरेश्वर शेतकारी एस.एस.के. लि., रायगांव, ता. खानापुर, जिला सांगली	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया

1		2	3	4
133.	गंगामाई शुगर इंडस्ट्रीज लि. घाटानाद्रा, ता. सिलोड, जिला औरंगाबाद	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
134.	बालाघाट शेतकरी एस.एस.के. लि., उजाना, ता. अहमदनगर, जिला लातूर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
135.	द्वारकाधीश साखर कारखाना लि., शावरे, पी.ओ. थाराबाद ता, बगलान, जिला नासिक	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
136.	साइकरूपा साखर कारखाना लि., देवदेइथान ता. रिगोंडा, जिला अहमदनगर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
137.	पन्नागेश्वर शुगर मिल्स लि. पनगांव, ता. रेनापुर, जिला लातूर	कार्य किया	कार्य किया	कार्य किया
138.	विट्ठलराव शिंदे एस.एस.के. लि., गंगामायेनगर, तालुक माधा, जिला शोलापुर	–	कार्य किया	कार्य किया
139.	विकास एस.एस.के. लि., वैशालीनगर, निवली, तालुक और जिला लातूर	–	कार्य किया	कार्य किया
140.	श्री रामेश्वर एस.एस.के. लि., रावसाहबनगर, पोस्ट सिपोरा बाजार, तालुक भोकर दान, जिला जालना	–	कार्य किया	कार्य किया
141.	अनुराधा शुगर मिल्स लि., श्री मुसाजी महाराज नगर वारु (धाड) तालुक, जिला बुलढाना	–	कार्य किया	कार्य किया
142.	छत्रपति सभ्भाजी राजे साखर उद्योग लि., दीनदयालनगर, चित्तेपइम्पालगांव, तालुक और जिला औरंगाबाद	–	कार्य किया	कार्य किया
143.	रयात एस.एस.के. लि., शिवालेवाड़ी, तालुक कराड, जिला सतारा	–	कार्य किया	कार्य किया
144.	नगर तालुक एस.एस.के. लि., वाल्की, तालुक नगर, जिला अहमदनगर	–	कार्य किया	कार्य किया
145.	श्री विट्ठल एस.एस.के. लि., मुरुम, तालुक ओमेरगा, जिला ओस्मानाबाद	–	कार्य किया	कार्य किया

1		2	3	4
146.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर एस.एस.के. लि., केशेगांव, जिला ओस्मानाबाद	–	कार्य किया	कार्य किया
147.	जय महेश शुगर इंडस्ट्रीज लि., पवारवाडी, तालुक माजलगांव, जिला बीड	–	कार्य किया	कार्य किया
148.	योगेश्वरी शुगर इंडस्ट्रीज लि., लक्ष्मीनगर, एट लिम्बा, तालुक पथरी, जिला परभनी	–	कार्य किया	कार्य किया
149.	लोकनेता बाबुराव पाटील एस.एस.के. लि., लक्ष्मीनगर तालुक मोहोल, जिला शोलापुर	–	कार्य किया	कार्य किया
150.	नीरा भीमा एस.एस.के. लि., शाहजीनगर, तालुक इंदापुर, जिला पुणे	–	कार्य किया	कार्य किया
151.	पदमश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटील एस.एस.के. लि., एट कोठी, तालुक कैज, जिला बीड	–	कार्य किया	कार्य किया
152.	संगोला तालुक एस.एस.के. लि., वाकी (शिवाने), तालुक संगोला, जिला शोलापुर	–	कार्य किया	कार्य किया
153.	शदर एस.एस.के. लि., नारांडे तालुक हतकंगाले, जिला कोल्हापुर	–	कार्य किया	कार्य किया
154.	शारंगधर शुगर मिल्स लि., उकाली, तालुक मेहकर, जिला बुलढाना	–	कार्य किया	कार्य किया
155.	श्री मकई एस.एस.के. लि., भिलारवाडी, तालुक करमाला, जिला शोलापुर	–	–	कार्य किया
156.	शिवशक्ति शेतकरी एस.एस.के. लि., वाशी (तंदुलवाड़ी) तालुक वाशी, जिला ओस्मानाबाद	–	–	कार्य किया
157.	शम्भू महादेव शुगर एण्ड एलाइड इंड. लि. हवरगांव, तालुक कल्लाम, जिला ओस्मानाबाद	–	–	कार्य किया
158.	श्री संत शिरोमणि मारुति महाराज एस.एस.के. लि., मौलीनगर, बेलकुंड, तालुक औसा, जिला लातूर	–	–	कार्य किया

1		2	3	4
159.	उदयिसंहराव गायकवाड़ एस.एस.के. लि., सोनावाडे, जिला कोल्हापुर	–	–	कार्य किया
160.	क्रांति एस.एस.के. लि., कुंडल, तालुक पालुस, जिला सांगली	–	–	कार्य किया
161.	शिवशक्ति आदिवासी एण्ड मेगास्वारगिया एस.एस.के. लि., पहुरजीरा, तालुक शिवगांव, जिला बुलढाना	–	–	कार्य किया
162.	प्रियदर्शनी शेतकरी एस.एस.के. लि., टोंडर, तालुक उदगीर, जिला लातूर	–	–	कार्य किया
163.	प्रतापगढ़ एस.एस.के. लि., कालघर, तालुक जावली, जिला सतारा	–	–	कार्य किया
164.	सर्वोदय एस.एस.के. लि., करामदवाडी, तालुक वाल्वा, जिला सांगली	–	–	कार्य किया
165.	जय शिवशंकर एस.एस.के. लि., शेषनगर, मंजरी, तालुक मुखेड, जिला नानदेड	–	–	कार्य किया
166.	मोहन राव शिंदे एस.एस.के. लि., मोहननगर, तालुक मिराज, जिला सांगली	–	–	कार्य किया
167.	रीवर तालुक एस.एस.के. लि., ओंकारेश्वर, करजोड़, तालुक रावेर, जिला जलगांव	–	–	कार्य किया
168.	इन्दिरा गांधी भारतीय महिला विकास एस.एस.के. लि., तम्बाले, तालुक भंडारगढ़, जिला कोल्हापुर	–	–	कार्य किया
169.	कुकाडी एस.एस.के. लि., पिम्पलगांव पीसा, तालुक श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर	–	–	कार्य किया
170.	हिवारामाई शुगर इंडस्ट्रीज लि. मोंधाले, तालुक पचोरा, जिला जलगांव	–	–	कार्य किया

बिहार को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न

5143. श्री राजो सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में सूखा तथा बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल आवश्यकताओं के अनुसार केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य की कुल मांग कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) बिहार राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि राज्य सरकार को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उसकी पात्रता के अनुसार मासिक रूप से 1,64,357 टन चावल और 2,46,535 टन गेहूं की मात्रा आवंटित की जा रही है। इसके अलावा, बिहार सरकार को अगस्त, 2002 में बाढ़ राहत के लिए 25,000 टन खाद्यान्नों (15000 टन चावल और 10000 टन गेहूं) की मात्रा मुफ्त आवंटित की गई थी।

[अनुवाद]

गेहूं की खेप को रद्द करना

5144. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गेहूं की अनेक खेपों को रद्द करने के पश्चात् आखिरकार इराक ने हाल ही में गेहूं की खेप स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इराक द्वारा कितनी खेपों को अस्वीकार किया गया और इसके क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय फर्मों को विदेशों से इस समय कितने गेहूं के निर्यात के आदेश प्राप्त हुए हैं और अभी तक इनमें से कितनो को पूरा किया गया है; और

(ङ) विदेशों में भारतीय गेहूं को अस्वीकार किए जाने के आधारों पर विचार करने के पश्चात् विदेशों को और गेहूं निर्यात करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम ने सूचित किया है कि केन्द्रीय पूल से उठान किए गए भारतीय गेहूं की 22,000 टन की एक खेप को इराक ग्रेन बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। भारतीय गेहूं को अस्वीकृत करने का कोई मामला हाल में सूचित नहीं किया गया है।

(घ) भारत ने वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार इराक को वर्ष 2000–01 और 2001–02 के दौरान क्रमशः 21.35 करोड़ रुपये और 43.03 करोड़ रुपये मूल्य का गेहूं निर्यात किया है।

(ङ) निर्यातक स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली/ कल्याण योजनाओं की आवश्यकताओं से अधिक केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक में से स्टाक का चयन कर सकते हैं।

बैंकों में आयकर देयों को जमा करना

5145. डा. वी. सरोजा : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने करदाताओं से यह अपील की है कि वे समय पर अपने आयकर देय जमा करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का प्रयोग करें; और

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी. एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक आयकर निर्धारितियों की सुविधा के लिए अपना आयकर देय समय पर जमा कराने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का प्रयोग करने के बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी करता रहा है।

(ख) आयकर देयताओं को जमा कराने की सुविधाएं सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जे.एण्ड के. बैंक लिमिटेड और एच.डी.एफ.सी.बैंक की सभी विनिर्दिष्ट शाखाओं में उपलब्ध हैं। बैंकों की ऐसी शाखाओं की संख्या 5000 से अधिक है।

ईथेनॉल का उत्पादन

5146. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी फैक्ट्रियों ने उस ईथेनॉल उत्पादन हेतु चीनी विकास कोष से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है जिसकी 10 प्रतिशत तक पेट्रोल के साथ मिलाने की हाल ही में अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चीनी विकास कोष के अंतर्गत कितनी निधियां उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) क्या सभी ऋण आवेदनों, विशेषकर महाराष्ट्र को भी इसमें शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रयोजनार्थ चीनी विकास निधि के अधीन निधियां उपलब्ध हैं। बजट अनुमान 2003–04 में 50.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

(ग) सभी ऋण आवेदनों पर चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों का निजीकरण

5147. श्री महबूब जाहेदी :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री ए. नरेन्द्र :

श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निजी संगठनों 67% तक भागीदारी की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पहले ही निजी संगठनों की भागीदारी के लिए तेरह सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 20–40 प्रतिशत शेयर जारी कर दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निजी कम्पनियों को किन बैंकों द्वारा कितने प्रतिशत शेयर जारी किए गए;

(ङ) क्या भारतीय स्टेट बैंक में 41 प्रतिशत सरकारी शेयर निजी संगठनों को सौंप दिए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) राष्ट्रीयकरण अधिनियम के ऐसे उल्लंघन के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की शेयरधारिता की न्यूनतम शर्त 51% से संशोधित करके 33% करने के उद्देश्य से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में संशोधन करने का प्रस्तव है, ताकि राष्ट्रीयकृत बैंक अपने सरकारी क्षेत्र के स्वरूप को प्रभावित किए बिना बाजार से पूंजी जुटा सकें। तदनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था संशोधन विधेयक, 2000 लोक सभा में दिसम्बर 2000 में पेश किया गया था, जिसे स्थायी वित्त समिति को भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) जिन बैंकों ने अब तक सार्वजनिक निर्गम जारी किए हैं उनके नाम, नई इक्विटी के ब्यौरे, जुटाई गई राशि और इन बैंकों में सरकारी शेयर धारिता कम किए जाने की सीमा दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) से (छ) भारतीय स्टेट बैंक, अधिनियम, 1955 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक को न्यूनतम 55% शेयर रखना आवश्यक है। अतः भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 का उल्लंघन नहीं किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक शेयरों की मौजूदा धारिता निम्नलिखित है :

भारतीय रिजर्व बैंक	59.73%
अन्य	40.27%

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंक–सार्वजनिक निर्गम के ब्यौरे और उसका सीमा क्षमता

करोड़ रूपए में

क्र. सं.	बैंक का नाम	सार्वजनिक निर्गम के बाद इक्विटी	निर्गम पश्चात शेयर धारिता			
			सरकारी	प्रतिशत	अन्य	प्रतिशत
1.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	192.54	128.00	66.48	64.54	33.52
2.	देना बैंक	206.82	146.82	71.00	60.00	29.00
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	296.00	196.00	66.88	100.00	33.12
4.	बैंक ऑफ इंडिया	639.00	489.00	77.00	150.00	23.00
5.	कॉरपोरेशन बैंक	120.00	82.00	68.33	38.00	31.67
6.	सिंडीकेट बैंक	471.97	346.97	73.52	125.00	26.48
7.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	444.80	333.60	75.00	111.20	25.00
8.	विजया बैंक	359.24	259.24	72.16	100.00	27.84
9.	आंध्रा बैंक	450.00	300.00	67.00	150.00	33.00
10.	पंजाब नेशनल बैंक	265.30	212.24	80.00	53.06	20.00
11.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	480.00	280.00	58.33	200.00	41.67
12.	इलाहाबाद बैंक	346.70	246.70	71.16	100.00	28.84
13.	केनरा बैंक	410.00	300.00	73.17	110.00	26.83

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष के उद्देश्य

5148. प्रो. दुखा भगत : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष की स्थापना की गई थी;

(ख) क्या अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बन्द होने के कारण इस कोष का उक्त प्रयोजन प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इस कोष के अंतर्गत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस कोष से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम–वार विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कितने कर्मचारियों को लाभ हुआ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) 24.07.1991 को संसद में घोषित की गई नई औद्योगिक नीति के कारण हुए औद्योगिक पुनर्गठन के फलस्वरूप प्रभावित होने वाले कामगारों को एक सुरक्षा जाल उपलब्ध कराने के तौर पर भारत सरकार ने 3 फरवरी, 1992 को राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष (एन.आर.एफ.) की स्थापना की थी। इस कोष की शुरूआत से अधिकतम दस वर्षों की अवधि के लिए इसकी स्थापना की गई थी। एन.आर. एफ. के उद्देश्य थे–(i) आधुनिकीकरण, प्रौधोगिकी उन्नयन तथा औद्योगिक पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली, कर्मचारियों की पुनः प्रशिक्षण और पुनः तैनाती लागतों के लिए सहायता प्रदान करना; (ii) सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में, औद्योगिक एककों के पुनर्गठन अथवा बंद होने जाने से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को मुआवजे देने के लिए, जहां आवश्यकता हो, निधियां प्रदान करना; तथा (iii) संगठित और असंगठित, दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार सृजन की स्कीमों के लिए निधियां उपलब्ध कराना, ताकि औद्योगिक पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली श्रमिकों की जरूरतों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल उपलब्ध कराया जा सके। किंतु, एन.आर.एफ. से सहायता केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए तथा संगठित क्षेत्र से योक्तीकृत

किए गए (रैशनलाइज्ड) कामगारों की परामर्श/पुनः प्रशिक्षण/पुनः तैनाती स्कीमों के लिए प्रदान की जाती थी। 1998–99 तक एन.आर.एफ. का रख–रखाव सार्वजनिक लेखे में किया गया था। 1.4.1999 की अवधि से, एन.आर.एफ. में अथवा उससे संसाधनों का हस्तांतरण किए बिना उपर्युक्त स्कीमों के लिए सहायता एक नई बजटीय व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। इन स्कीमों की शुरूआत से लेकर 2000–2001 तक इन पर किया गया कुल व्यय 3060 करोड़ रुपए था, जिसमें एन. आर.एफ. से प्रदान की गई 2616.41 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस अवधि के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में 1.38 लाख कर्मचारी शामिल किए गए, 54,477 कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण दिया गया और पुनः तैनात किए गए कर्मचारियों की संख्या 18,747 थी। लोक उद्यम विभाग के दिनांक 5 मई, 2000 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(32)/97–डी.पी.ई (डब्ल्यु. सी.) के द्वारा सरकार ने संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की शुरूआत की और फलस्वरूप, 12 जुलाई, 2000 को एक राजपत्र अधिसूचना के जरिए एन.आर.एफ. को समाप्त कर दिया गया।

मतदाता सूचियों में विदेशी नागरिक

5149. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **विधि और न्याय** मंत्री 19.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4675 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली की मतदाता सूची में कितने विदेशी नागरिक दर्ज हैं; और

(ख) उनके नाम हटाने हेतु अभी तक क्या कार्रवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेशी वित्तपोषण एजेंसियां

5150. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं को वित्तपोषित करने वाली विदेशी वित्तीय संस्थाएं निधियों के उपयोग के संबंध में शर्तें थोप रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) विदेशी वित्तीय संस्थाएं अपनी सामान्य निबन्धन एवं शर्तों पर सरकार को क्रेडिट/ऋण मुहैया करा रही हैं। यह शर्तें संलग्न विवरण में उल्लिखित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विदेशी वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले ऋणों की सामान्य निबंधन तथा शर्तें

क्र. सं.	स्रोत	मुद्रा	ऋण के प्रकार (रियायती/ मिश्रित)	छूट अवधि (वर्ष)	छूट अवधि के बाद वापसी अधियगी की अवधि (वर्ष)	वर्तमान ब्याज दर (प्रतिशत में)	असंवितरित ऋण राशि पर वचनबद्धता प्रभार (प्रतिशत में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आईबीआरडी	अमरीकी डालर	अर्ध–रियायती	5	15	परिवर्तनीय*	0.75	*(i) ब्याज–प्रत्येक 6 महीने में परिवर्तनीय

1	2	3	4	5	6	7	8	9

(क) करेंसी पूल्ड लोन
(वीएलआर–1989)

ब्याज दर सशर्त ऋणों की लागत तथा उनके विस्तार के आधार पर निर्धारित की जाती है। दि. 1.7.2002 से दि. 31.12.2002 की अवधि के लिए लागू ऋण दर इस प्रकार है :–

ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 से पूर्व वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था।	5.02 प्रतिशत वार्षिक (इसमें 50 आधार बिन्दुओं का विस्तार शामिल है।)
ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 के बाद वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था।	5.27 प्रतिशत वार्षिक (इसमें 75 आधार बिन्दुओं का विस्तार शामिल है।)

(ख) अमरीकी डालर मुक्त दर एकल मुद्रा ऋण

ब्याज दर 6 मास "लिबोर" तथा परिवर्तनीय विस्तार के आधार पर निर्धारित की जाती है। दि. 15.2.2003 से 14.8.2003 तक ब्याज अदायगी की तारीख हेतु लागू दर इस प्रकार है :–

ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 से पूर्व वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था।	1.55 प्रतिशत वार्षिक (21 आधार बिन्दुओं के विस्तार सहित)
ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 को अथवा उसके बाद वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था।	1.79 प्रतिशत वार्षिक (45 आधार बिन्दुओं के विस्तार सहित)

(ii) वचनबद्धता प्रभार : 0.75% की दर पर असंवितरित ऋण राशि पर देय हैं। बैंक जुलाई, 91 से 0.50% की छूट को अधिसूचित कर रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								(iii) फ्रंट एण्ड शुल्क : दि. 31.7.1998 के बाद वार्ता किए गए ऋणों के संबंध में ऋण राशि का 1% (एक समय में भुगतान) देय है। (iv) तत्काल अदायगी हेतु ब्याज में छूट – बैंक द्वारा यथा अधिसूचित, वर्ष 2001 के लिए लागू छूट इस प्रकार है :– ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 से पूर्व वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था। 0.15% ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 के बाद वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था। 0.25%
2	आईडीए	एसडीआर	रियायती	10	25	0.75	0.50	(i) जुलाई 1988 तक अंतिम रूप दिए कए क्रेडिटों के संबंध में, वापसी अदायगी की अवधि 10 वर्ष की छूट अवधि सहित 50 वर्ष थी। इस समय आईडीए के क्रेडिटों की 25 वर्ष की वापसी अदायगी अवधि में 10 वर्ष की छूट अवधि है। (ii) वचनबद्धता प्रभार असंवितरित क्रेडिटों पर 0.50% की दर से देय होते हैं। इसे वर्ष 1989–90 से बैंक द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। (iii) ब्याज कॉलम में दिखाए गए 0.75% को सेवा प्रभार कहा जाता है।
3	आईएफएडी	एसंडीआर	रियायती	10	40	0.75	–	ब्याज कॉलम में दिखाए गए 0.75% के भुगतान को सेवा प्रभार कहा जाता है।
4	एडीबी	अमरीकी डालर	अर्ध–रियायती	3 से 5	20	परिवर्तनीय*	0.75	* ब्याज– प्रत्येक छह माह में परिवर्तनीय। ब्याज दर का निर्धारण ऐसे ऋणों के वित्तपोषण हेतु स्थापित बकाया उधारों के संबंधित पूल के पूर्ववर्ती छह महीनों की औसत लागत के आधार पर किया जाता है। एकल मुद्रा अमरीकी डालर ऋणों पर ऋण दर दि. 1.6.2002 से 31.12.2002 की अवधि के लिए 6.34% है और बहुमुद्रा ऋणों के संबंध में यह दर 3.91% है। वचनबद्धता प्रभार : असंवितरित ऋण राशियों पर 0.75% । तथापि, असंवितरित ऋण का निर्धारण परियोजना ऋणों के संबंध में श्रेणी के आधार पर किया जाता है। कार्यक्रम ऋणों के संबंध में यह संपूर्ण ऋण राशि पर लागू होते है।

इस्पात उत्पादों को डम्प किया जाना

5151. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नामित प्राधिकारी ने देश में इस्पात उत्पादों को डम्प किए जाने के संबंध में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो कौन से देश इस्पात उत्पादों को डम्प करने में लगे हुए हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां। पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने इस्पात एवं इस्पात उत्पादों के आयातों के संबंध में अब तक 8 पाटनरोधी जांच शुरू की हैं।

(ख) शामिल देश हैं – रुस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, चीन, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, चैकोस्लोवाकिया, यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा, यूएसए, कोरिया, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला, नीदरलैंड, सऊदी अरब, यू.के. ऑस्ट्रेलिया एवं सिंगापुर।

(ग) 5 मामलों में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है और एक मामले में अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।

नकली राशन कार्ड

5152. श्री अधीर चौधरी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा प्राप्त किए गए नकली राशन कार्डों को रोकने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मामले को उठाया है जैसा कि 5 मार्च, 2003 के "दि स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा देश में बांग्लादेशियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) जी, हां। यह सूचित किया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राशन कार्ड जारी करने से पूर्व उनकी वास्तविकता की पक्की जांच करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, मतदाता पहचान पत्र आदि जैसी कड़ी प्रक्रियाएं तैयार की हैं। जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में जिला मजिस्ट्रेटों को सीमावर्ती जिले के 15 किलोमीटर के अंदर रहने वाले आवेदकों को राशन कार्ड जारी करने के मामले में पूरी जांच करने हेतु पूरे अधिकार दिए गए हैं।

[हिन्दी]

शिक्षा क्षेत्र को आयकर में दी गई छूट

5153. श्री रामपाल सिंह : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव शिक्षा क्षेत्र हेतु प्रदान किए जाने वाले सभी अनुदान की आयकर में छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में एक अध्ययन कराने हेतु कोई कार्यबल गठित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यबल द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट दिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी. एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रुग्ण औद्योगिक इकाइयां

5154. श्री वाई. वी. राव :

श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राज्य–वार कितनी रुग्ण कम्पनियां पुनर्वास के अधीन हैं;

(ख) राज्य–वार कितनी औद्योगिक इकाइयों को गत तीन वर्षों के दौरान बीआईएफआर द्वारा पुनरुद्धार पैकेज दिया गया था;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि

मै. श्री रायलसीमा पेपर मिल्स लि., जिसे बी आई एफ आर द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार प्रर्वतक द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया था, को बंद कर दिया गया है, क्योंकि बैंकों ने बी आई एफ आर के आदेशों का पालन नहीं किया; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में बी एफ आई आर के आदेशों का कड़ाई में पालन करने हेतु संबद्ध बैंकों को निर्देश देने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीन के विरुद्ध पाटन-रोधी जांच

5155. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन और अन्य देशों के विरुद्ध पाटन रोधी जांच बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक नामित प्राधिकारी द्वारा पता लगाये गए मामलों का देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) शेष मामलों की कब तक जांच किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) 1992 में प्रथम मामले के बाद पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) ने अब तक 153 मामलों में पाटनरोधी जाँच शुरू की है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000–2001, 2001–2002 तथा 2002–2003 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या क्रमशः 28, 30 तथा 30 है जिनमें चीन सहित विभिन्न देश शामिल हैं।

(ख) डीजीएडी द्वारा शुरू किए गए पाटनरोधी मामलों का देश–वार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :–

देश	शुरू किए गए मामले
चीन	66
ताईवान	25
ईयू	25
कोरिया	24
जापान	19
यूएसए	18
सिंगापुर	18
रूस	14
थाइलैंड	12
इंडोनेशिया	11
ब्राजील	6
अन्य (37 देशों सहित)	107

(ग) डीजीएडी द्वारा शुरू किए गए 153 मामलों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :–

ऐसे मामले, जिनमें अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए हैं	117
ऐसे मामले, जिनमें प्रारंभिक जाँच परिणाम प्रकाशित किए गए हैं तथा आगे की कार्यवाही चल रही है	19
प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए जाँचाधीन मामले	11
शुरू किए गए परंतु बंद किए गए मामले	6
कुल	153

(घ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (यथा संशोधित के अंतर्गत बनाए गए पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटनरोधी जाँच, उसकी शुरूआत की तिथि से 12 महीने की अवधि के भीतर समाप्त हो जानी चाहिए। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में इसे 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

[हिन्दी]

संविधान समीक्षा आयोग

5156. **श्री अजय चक्रवर्ती :**

श्री अरूण कुमार :

श्री वीरेन्द्र कुमार :

श्री विनय कुमार सोराके :

श्री रामदास आठवले :

श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन संबंधी विधि में व्यापक परिवर्तन करने और कतिपय नए मौलिक अधिकारों की सिफारिश करने के प्रयोजनार्थ न्यायमूर्ति एम.एन. वैंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग ने 31 मार्च, 2002 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आयोग ने (i) मूल अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों; (ii) निर्वाचन प्रक्रियाओं और राजनीतिक दलों; (iii) संसद् और राज्य विधान मंडलों; (iv) कार्यपालिका और लोक प्रशासन; (v) न्यायपालिका; (vi) संघ–राज्य संबंधों; (vii) विकेन्द्रीकरण और हस्तांतरण; और (viii) सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन और विकास की गति से संबंधित अनेक सिफारिशें की हैं। निर्वाचन प्रक्रियाओं और राजनीतिक दलों से संबंधित सिफारिशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आयोग की रिपोर्ट का संपूर्ण पाठ इंटरनेट पर रख दिया गया है और रिपोर्ट को सभी मंत्रालयों/विभागों को भी उसकी परीक्षा और उस पर कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया है। सिफारिशों पर कार्रवाई करने का दायित्व भारत सरकार के उन मंत्रालयों/विभागों का है, जो सिफारिशों की विषय–वस्तु से प्रशासनिक रूप से संबद्ध हैं।

विवरण

निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग द्वारा की गई सिफारिशें।

1. सभी निर्वाचन क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का आरंभ किया जाना।

2. निर्वाचनों को प्रत्यादिष्ट करने और नए सिरे से निर्वाचनों का आदेश करने, संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में पुनः मतदान का आदेश करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को सशक्त किया जाना। संवेदनशील केंद्रों में हेर–फेर न किए जा सकने वाले वीडियो का प्रयोग और अन्य इलैक्ट्रानिक निगरानी।

3. जाति या धर्म के आधार पर निर्वाचन प्रचार करने और जाति और सांप्रदायिक घृणा फैलाने के प्रयासों को अनिवार्य कारावास से या अभ्यर्थियों की निरर्हता से भी दंडनीय बनाया जाए।

4. पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोपित या छह मास या अधिक के कारावास के लिए सिद्धदोष ठहराए गए अभ्यर्थियों की निरर्हता और ऐसे राजनीतिक दलों की, जिन्होंने उसके पूर्ववृत के बारे में जानने के बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थियों को खड़ा किया है, मान्यता को समाप्त करने के लिए कठोर उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना।

5. हत्या, बलात्संग, तस्करी, डकैती, आदि जैसे जघन्य अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक पद के लिए निर्वाचन लड़ने से स्थायी रूप से अपवर्जित करना।

6. राजनेताओं के विरुद्ध आपराधिक मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए विशेष न्यायलयों का गठन करना। दन न्यायालयों को समयबद्ध रीति में यह विनिश्चय करने के लिए सशक्त बनाना कि क्या वास्तव में किसी संभावित

अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस द्वारा आरोपों के विरचित किए जाने को न्यायसंगत बनाने वाला प्रथमदृष्टया मामला है। उच्च न्यायालयों के स्तर के विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए और उनके विनिश्चय केवल उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील योग्य होने चाहिए। मामलों का विनिश्चय छह मास की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

7. लोक प्रनिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (4) के उपबंध को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए जिससे कि इस उपबंध का फायदा नए सिरे से निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्ति के प्रयोजन के लिए उपलब्ध न हो।

8. एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् पांच वर्ष या अधिक की अधिकतम अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय में आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् किसी व्यक्ति की निर्वाचन लड़ने से निरर्हता से संबंधित उपबंध को समान रूप से आसीन संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को लागू किया जाना चाहिए।

9. लोक प्रनिनिधित्व अधिनियम, 1951 के 1975 संशोधन से पूर्व विद्यमान स्थिति को पुनःस्थापित करना, जिससे कि इस विषय में किसी विलंब से बचने के लिए निर्वाचन आयोग की सीधी राय पर धारा 8क के अधीन निरर्हता की अवधि अवधारित करने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाया जा सके।

10. उच्च न्यायालयों में विशेष न्यायालय या विशेष निर्वाचन न्यायालय निर्वाचन संबंधी याचिकाओं और निर्वाचन विवादों का निपटारा करें।

11. निर्वाचन व्ययों संबंधी मामले और उनकी संपरीक्षा कराने, आदि को सरल बनाया जाना चाहिए।

12. सभी अभ्यर्थियों और प्रत्येक राजनीतिक पद के धारक द्वारा, यथास्थिति, निर्वाचनों के समय या वार्षिक रूप से अपनी और अपने निकट संबंधियों की आस्तियों और दायित्वों को अनिवार्य रूप से घोषित किया जाना चाहिए।

13. निर्वाचनों में राज्य वित्त पोषण के प्रस्तावों को, विनियामक तंत्रों को दृढतापूर्वक स्थापित किए जाने तक आस्थगित किया जाना चाहिए।

14. प्रचार की अवधि को पर्याप्त रूप से कम किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए। निर्वाचनों की घोषणा पर निर्वाचन आचार–संहिता को तुरंत प्रवृत्त किया जाए और उसके उल्लघंन को शास्तिक अपराध बनाया जाना चाहिए।

15. आयोग ने विभिन्न दलों और अन्य हितबद्ध दलों के परामर्श से निर्वाचन के सभी पहलुओं के संबंध में निर्वाचनों के लिए न्यूनतम 50% धन एक मत विहित करने के मुद्दे की सावधानीपूर्वक और पूर्ण समीक्षा की सिफारिश की है।

16. लोक सभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्राज्यिक परिसीमन का कार्य किया जा सकता है। अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के स्थानों का चक्रानुक्रम किया जाना चाहिए।

17. संविधान की दसवीं अनुसूची का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो चाहे व्यक्तिगत रूप से या समूहों में दल–परिवर्तन करते हैं, अनिवार्य रूप से अपने स्थानों से त्यागपत्र दे देना चाहिए और नए सिरे से निर्वाचन लड़ना चाहिए। दल–परिवर्तन करने वालों को शेष अवधि के दौरान या नए निर्वाचनों तक किसी लोक पद या किसी पारिश्रमिक वाले राजनीतिक पद को धारण करने से अपवर्जित किया जाना चाहिए। ऐसे दल–परिवर्तन करने वालों द्वारा डाले गए मत को अविधिमान्य समझा जाना चाहिए और निरर्हता के संबंध में विनिश्चय का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होना चाहिए।

18. उपयुक्त विधि बनाकर राज्य या संघ सरकार में मंत्रियों की संख्या के संबंध में 10% की अधिकतम सीमा होनी चाहिए। मंत्रियों के समतुल्य परिलब्धियों वाले राजनीतिक पदों का सृजन करने की प्रथा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, इसे लोक सभा की कुल संख्या के 2% तक सीमित किया जाना चाहिए।

19. निर्दलीय अभ्यर्थियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

इन अभ्यर्थियों की बाबत प्रतिभूति निक्षेपों को दोगुना किया जाना चाहिए। यदि वे निर्वाचन जीतने में असमर्थ रहते हैं तो निक्षेपों को प्रत्येक प्रगामी निर्वाचनों में दोगुना किया जाना चाहिए और यदि वे डाले गए कुल मतों का 5% प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो उन्हें 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन लड़ने से अपवर्जित किया जाना चाहिए तथा तीन निर्वाचन हारने पर स्थायी रूप से अपवर्जित किया जाना चाहिए।

20. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने की सीमा को 16.67% से बढ़ाकर 25% किया जाना चाहिए जिससे कि गैर–संजीदा अभ्यर्थियों की संख्या को कम किया जा सके।

21. किसी सांविधानिक संशोधन के बिना सदन के (लोक सभा/राज्य विधान सभा) नेता के निर्वाचन के साथ अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए उपबंध करना संभव होना चाहिए और इसी रीति में प्रक्रिया के नियमों के अधीन, इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति को प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है।

22. गैर भारतीय जन्मे नागरिकों या ऐसे नागरिकों की जिनके माता–पिता या पितामह–पितामही भारत के नागरिक थे, राज्य में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जैसे उच्च पद धारण करने की पात्रता के मुद्दे की राष्ट्रीय बहस के पश्चात् राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से गहन समीक्षा की जानी चाहिए।

23. मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और क्रमशः लोक सभा तथा राज्य सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मिलकर बने निकाय की सिफारिश पर की जानी चाहिए।

24. केवल ऐसे व्यक्तियों को ही, जिन्होंने सभी सरकारी देयों को चुका दिया हो, निर्वाचन लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए। इस संबंध में मामले का न्यायालय के समक्ष लंबित होना कोई बहाना नहीं होना चाहिए।

25. सरकार के अधीन विभिन्न पदों को "लाभ के पदों" के रूप में पहचान करने और घोषित करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने के लिए संविधान में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए।

[अनुवाद]

ढांचागत समायोजन ऋण

5157. श्री वी. वेत्रिसेलवन :

श्री टी.एम. सेल्वागनपति :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन राज्यों से ढांचागत समायोजन ऋण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से ढांचागत समायोजन ऋण मांगने वाले राज्यों के लिए राजसहायता समाप्त करने की एक पूर्व–शर्त रखी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन राज्यों के प्रस्ताव विश्व बैंक के विचारार्थ नहीं भेजे गए हैं और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पेनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) संरचनात्मक समायोजन ऋणों के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा केरल से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने संरचनात्मक समायोजन ऋणों की रूपरेखा तैयार करने के लिए मार्गनिर्देश बनाए हैं जिनमें प्रयोक्ता प्रभारों का यौक्तिकीकरण शामिल है।

(घ) समायोजन संबंधी कार्यो के लिए विश्व बैंक के वित्तपोषण की अधिकतम सीमा के कारण, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों को अभी तक विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उनके प्रस्ताव भी मार्गनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं।

उड़ीसा द्वारा विदेशी ऋणों का अन्यत्र उपयोग

5158. श्री अनन्त नायक : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग और विश्व बैंक से प्राप्त निधियों का अन्यत्र उपयोग किए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा द्वारा निधियों का अन्यत्र उपयोग रोकने के हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) राज्यों को अवसंरचना समायोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग और विश्व बैंक से सहायता सकल बजटीय समर्थन के रूप में उपलब्ध कराई गई है। संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार राज्य की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से निधियों के समुचित उपयोग के लिए राज्य सरकारें अपने विधानमंडल के प्रति जवाबदेह हैं।

हरियाणा में गेहूं अन्यत्र भेजना

5159. श्री लक्ष्मण गिलुवा :

प्रो. दुखा भगत :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले गेहूं का व्यापारियों के पास पहुंचने की जांच के परिणाम क्या हैं;

(ख) इस घोटाले के लिए अपनाए गए तरीके का ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यापारियों को दिए गए गेहूं की मात्रा और कीमत कितनी थी, भारतीय खाद्य निगम को कितना वित्तीय नुकसान हुआ और भारी मूल्यों पर इस गेहूं को बेचने से व्यापारियों द्वारा लगभग कितना मुनाफा कमाया गया;

(घ) संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) उपर्युक्त घोटाले की वर्तमान स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार रोहतक, कुरुक्षेत्र और करनाल स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन गेहूं की खुली बिक्री में अनियमितताएं हुई थीं।

(ख) खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन व्यापारियों को यह शपथ–पत्र प्राप्त करने के बाद खाद्यान्न बेचे गए थे कि वे उस स्टाक को उस राजस्व जिले से बाहर नहीं बेचेंगे जिससे वे संबंधित हैं। तथापि, मूल क्रेता ने उसी राजस्व जिले में यह स्टाक दूसरी पार्टी को बेच दिया जबकि दूसरी पार्टी ने इस गेहूं को राजस्व जिले के बाहर बेच दिया।

(ग) अक्तूबर, 1993 से अप्रैल, 1997 तक की अवधि के दौरान हरियाणा में खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन 29.14 लाख टन गेहूं बेचा गया था। तथापि, वर्ष 1996–97 के दौरान हरियाणा क्षेत्र में 3.71 लाख टन गेहूं बेचा गया था। हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम ने खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन नवम्बर, 1996 तक बिक्री की थी और उसके बाद राज्य सरकार के माध्यम से यह बिक्री की गई थी। चूंकि व्यापारियों को गेहूं की बिक्री निर्धारित दरों पर की गई थी इसलिए कोई धनहानि नहीं हुई थी। इस गेहूं को बेचकर व्यापारियों द्वारा कमाए गए अनुमानित लाभ के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी कर ली गई है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

महाराष्ट्र में वस्त्र मिलों का पुनरुद्धार

5160. श्री अनन्त गुढे : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में वस्त्र और कताई इकाइयां रुग्ण हैं और रुग्ण इकाइयों की संख्या गत पांच वर्षों में अत्याधिक बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो हाल की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं; और

(घ) महाराष्ट्र में वस्त्र उद्योग के पुनरुद्धार के लिए नई नीति के अन्तर्गत अभिकल्पित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के पास रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध)

अधिनियम (एसआईसीए), 1985 के अंतर्गत पंजीकृत समस्त 702 वस्त्र मामलों में से 138 वस्त्र मामले, महाराष्ट्र राज्य में थे।

पिछले पांच वर्षों में महारष्ट्र राज्य में बीआईएफआर के पास पंजीकृत वर्ष–वार मामले निम्न अनुसार हैं :

1998	69
1999	78
2000	88
2001	114
2002	138

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई द्वारा एकत्रित सूचना के आधार पर 31 दिसंबर, 2002 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में रुग्ण वस्त्र और कताई एककों के ब्यौरे निम्न अनुसार हैं :

क्रमांक	बीआईएफआर के अंतर्गत स्थिति	कताई के मामलों सहित सभी वस्त्र मामले	कताई के मामले
1	2	3	4
1.	अब रुग्ण नहीं घोषित	12	2
2.	मसौदा योजना	2	–
3.	निबल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के कारण जिन्हें समाप्त कर दिया गया है	3	–
4.	दुबारा खोले जाने में असफल रहे	1	–
5.	बनाए रखे जाने योग्य नहीं	20	1
6.	अन्य	1	-
7.	धारा 12 (2) के अंतर्गत स्वीकृत योजना	1	–
8.	एसआईसीए 1985 की धारा 18 (4) के अंतर्गत स्वीकृत योजना	8	1
9.	जिनकी जांच की जा रही है	59	4
10.	जिन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया है	3	–
11.	एसआईसीए 1985 की धारा 20 (1) के अंतर्गत जिन्हें बंद करने की सिफारिश की गई है	28	4
	कुल	138	12

(ग) भारत सरकार ने, रुग्णता और उसके बाद औद्योगिक एककों के बंद होने को रोकने के लिए, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम (एसआईसीए), 1985 बनाया गया है और रुग्ण और संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने और ऐसी कंपनियों के लिए जरूरी निषेधात्मक, सुधारात्मक और उपचारी उपायों का तेजी से निर्धारण करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना की है। बीआईएफआर संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों के संबंध में पुनर्स्थापना प्रस्ताव बनाने और उनके क्रियान्वयन के कार्य को देखने के लिए प्रचालन एजेंसियों को नियुक्त करता है। इसके फलस्वरूप 31.12.02 तक की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में कताई के 3 मामलों के अब रुग्ण न रहने और एसआईसीए, 1985 की धारा 18 (4) के अंतर्गत स्वीकृत की गई योजना के बारे में घोषणा की गई है।

(घ) सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहित समस्त देश के वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं :

(1) सरकार ने वर्ष 1999–2000 के दौरान 5 वर्ष की अवधि के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। इस मिशन में चार लघु मिशन हैं। इनका उद्देश्य अनुसंधान, प्रौद्योगिकी अंतरण और अपरिष्कृत कपास की प्रोसेसिंग और विपणन में सुधार लाकर कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में समग्र सुधार लाना है।

(2) वर्ष 2003–04 के चालू बजट में, वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए फाईबरों, यार्न, फैब्रिकों/मेड अप्स और सिले–सिलाए परिधानों (आरएमजी) पर उत्पाद शुल्क को पर्याप्त रूप से कम कर दिया गया है। केंद्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सेनवॉट) की श्रृंखला को पूरा कर दिया गया है और अनेक रियायतों और मानी गई ऋण योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। विद्युतकरघा उद्योग के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। वस्त्र उद्योग में रुग्णता को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखत हुए, सरकार, अर्थक्षम और संभावित रूप से अर्थक्षम वस्त्र एककों के ऋण पोर्टफोलियों का पुनर्निर्माण करने के लिए एक तंत्र पर विचार कर रही है। सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करने के बाद इसके ब्यौरों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

(3) उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी के साथ वस्त्र मशीनरी की निर्दिष्ट सूची को 5% के मूल उत्पाद शुल्क पर आयात करने की अनुमति दी गई है।

(4) सरकार ने 1 जनवरी, 2001 से लघु उद्योग क्षेत्र से परिधान उद्योग को अनारक्षित कर दिया है ताकि परिधान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने को प्रोत्साहन दिया जा सके और अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। साथ ही निटिंग और निटिंग मदों के मामले में लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को बढ़ा कर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(5) सरकार ने अपैरल क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने के लिए निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना बनाई है। इसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा अपैरल पार्क की इनफ्रॉस्ट्रक्चर सुविधाओं पर किए गए पूंजीगत व्यय के 75% अथवा अधिकतम 10 करोड़ रु. का अनुदान देगी जबकि 25% व्यय का वहन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

(6) सरकार ने परम्परागत वस्त्र/अपैरल केन्द्रों में प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के जटिल अंतर को दूर करने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) नामक एक योजना शुरू की है ताकि इनमें स्थित एकक, विश्व में प्रतिस्पर्द्धी बन सकें। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता, सांझा शोधन संयंत्र, जल आपूर्ति और निकासी की सुविधाओं में सुधार लाने तथा अपैरल एककों के लिए शिशु गृहों के भवनों का निर्माण करने के संबंध में, परियोजना के जटिल संघटकों के 100% तक उपलब्ध होगी, जबकि 75:25 का वित्त पोषण, केंद्र और संबंधित राज्य/एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

(7) बीआईएफआर ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) के महाराष्ट्र में दो सहायक निगमों नामतः एनटीसी (एसएम) और एनटीसी (एमएन) का पुनरुद्धार करने के लिए पुनर्स्थापना योजना की स्वीकृति प्रदान की है जो कि 01.04.2002 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के ब्यौरे नीचे दिए गए है :–

सहायक निगम	पुनरुद्धार के लिए मिलों की संख्या	बंद की जाने वाली मिलों की संख्या	योजना की लागत
एनटीसी (एमएन)	8	10	702.52 करोड़ रु.
एनटीसी (एसएम)	9	8	799.84 करोड़ रु.

एमएम = साउथ महाराष्ट्र

एमएन = नार्थ महाराष्ट्र

अ.ज.जा. सूची में शामिल करना

5161. श्रीमती हेमा गमांग : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए आज तक उड़ीसा सरकार और अन्य संगठनों द्वारा किन समुदायों के नाम की सिफारिश की गई है;

(ख) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इन समुदायों को सूची में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) उड़ीसा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए लगभग 243 समूहों/उप समूहों के संबंध में सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 113 समूहों/उपसमूहों को विभिन्न समुदायों के पर्यायवाची होन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 के

तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची में पहले ही शामिल कर लिया गया है। शेष सिफारिशों पर इस प्रकार के दावों पर निर्णय करने के लिए अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

कृषि आधारित उद्योगों को ऋण

5162. श्री सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के वित्तीय ढांचे में सुधार लाने में कृषि उद्योगों द्वारा विशेष भूमिका निभाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि आधारित उद्योगों को कम ऋण दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र के लिए ऋण प्रतिशत में लगातार गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि आधारित उद्योग देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। कृषि आधारित उद्योगों का बड़ा प्रभाव यह होगा कि सकल धरेलू उत्पाद का लगभग 24.3% भाग कृषि से आता है जो मूल्य वर्धन द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करता है तथा किसानों को और अच्छी कीमत मिलती है। इसके अतिरिक्त, यह उद्योग स्थानीय तौर से उपलब्ध स्रोत एवं जनशक्ति से रोजगार सृजित करता है तथा ग्रामीण लोगों को शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान कृषि आधारित उद्योगों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल बकाया ऋण निम्नलिखित था :–

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
मार्च 2001	28186
मार्च 2002	28923
फरवरी 2003	29331

(घ) उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि कृषि आधारित उद्योगों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण में साल दर साल बढ़ोतरी से रही है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पटसन पर प्रौद्योगिकी मिशन

5163. डा. एन. वेंकटस्वामी :

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा मिशन के उद्देश्य और मंशा के संबंध में मांगे गए कतिपय स्पष्टीकरणों के कारण जूट प्रौद्योगिकी मिशन कठिनाइयों का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जहां जूट प्रौद्योगिकी मिशन निधि का उपयोग किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जूट प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा मुख्यत: किन बाधाओं का सामना किया जा रहा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) से (घ) योजना आयोग ने पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जे टी एम) के लिए अपना अनुमोदन देने से पूर्व विशेषज्ञ समूह द्वारा मौजूदा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने का सुझाव दिया है। तद्नुसार पटसन के संवर्धन के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की जा रही मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए पटसन में अनुसंधान व विकास, निवेश व वृद्धि पर विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है।

(ङ) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के कार्यान्वयन में अन्य

कोई अवरोध नहीं है तथा इसे अपेक्षित अनुमोदन मिलने के पश्चात् कार्यान्वित किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

5164. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में न्यायधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है और कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये पद कब से रिक्त हैं;

(ख) न्यायाधीशों के रिक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में मामलों के लंबित होने की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए इसमें न्यायधीशों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 39 अपर/स्थायी न्यायाधीशों की अनुमोदित पदसंख्या में से 35 न्यायाधीश पदासीन हैं और 4 पद भरे जाने के लिए रिक्त हैं। ये पद न्यायाधीशों की सेवानिवृति पर रिक्त हुए हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों का भरा जाना सांविधानिक प्राधिकारियों के बीच निरंतर, परामर्शी प्रक्रिया है। यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रतापूर्वक भरे जाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाता है तथापि, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उनकी पदोन्नति के कारण रिक्तियां होती रहती हैं।

सरकार आवधिक रूप से प्रत्येक तीन वर्ष में उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश–पदसंख्या का पुनर्विलोकन करती है। किसी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश–पदसंख्या में वृद्धि पर केवल तभी विचार किया जाता है जब संबंधित उच्च न्यायालय में प्रमुख मामलों के निपटान की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक होती है।

ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना

5165. श्री एस. मुरूगेसन :

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मदुरै और त्रिवेन्द्रम में ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अड़सुल) : (क) से (घ) मदुरै एवं त्रिवेन्द्रम में ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने के लिए इस स्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में तीन ऋण वसूली अधिकरणों (चेन्नै–I, चेन्नै–II एवं कोयम्बतूर) के क्षेत्राधिकार में तमिलनाडु एवं पांडिचेरी से संबंधित मामले आते हैं और एर्णाकुलम में एक, ऋण वसूली अधिकरण के क्षेत्राधिकार में केरल एवं लक्षद्वीप से संबंधित मामले आते हैं। उपर्युक्त ऋण वसूली अधिकरणों में वर्तमान कार्यभार से तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल एवं लक्षद्वीप के मामलों को शामिल करने के लिए तत्काल एक और ऋण वसूली अधिकरण के सृजन का कोई औचित्य नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक में ए.टी.एम. सुविधा

5166. श्री तूफानी सरोज : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखाओं के तकनीकी उन्नयन और कंप्यूटरीकरण हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में एटीएम सुविधा दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय स्टेट बैंक की विशेषतः उत्तर प्रदेश में ऐसी शाखाओं की संख्या कितनी है जहां एटीएम सुविधा नहीं दी गई है; और

(ङ) सभी शाखाओं में कब तक यह सुविधा दे दिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी 5400 शेष गैर–कंप्यूटरीकृत शाखाओं का मार्च 2005 तक कंप्यूटरीकरण करने की योजना शुरू की है।

(ख) इन 5400 गैर–कंप्यूटरीकृत शाखाओं में से, 3090 शाखाओं का चालू वर्ष के दौरान और शेष 2400 शाखाओं का उत्तरवर्ती वर्ष के दौरान कंप्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है। कंप्यूटरीकृत की जाने वाली शाखाएं बैंक के 14 सर्किलों में फैली हुई हैं। 3090 शाखाओं के कंप्यूटरीकरण के लिए 154 करोड़ रुपए की निधियों के व्यय का अनुमान है।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में एटीएम सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश में, भारतीय स्टेट बैंक की 1216 शाखाएं और 125 एटीएम हैं। 104 और एटीएम लगाने का कार्य प्रगति पर है। भारतीय स्टेट बैंक एटीएम वाली शाखाओं/स्थानों के कवरेज में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। 2003–04 के अंत तक, लगभग 2800 एटीएम स्थापित हो जाने की आशा है।

सुरक्षा कर्मियों के पदों को भरना

5167. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में श्रमिकों का शोषण किए जाने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निगम में सुरक्षा कर्मियों के पांच हजार से अधिक पद रिक्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम में पहरा और निगरानी स्टाफ के कुल रिक्त पदों की संख्या 1920 थी। पहरा और निगरानी स्टाफ के 500 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए भारतीय खाद्य निगम को स्वीकृति देने हेतू एक प्रस्ताव मंत्रालय में प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों को अन्यत्र भेजना

5168. श्री दिलीप संघाणी :

श्री जी. जे. जावीया :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए बड़ी मात्रा में खाद्यान्न खुले बाजारों में बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस प्रकार के कदाचार को किस प्रकार रोकने की योजना है;

(ग) इस प्रकार के व्यापारियों को सरकार क्या दंड देने का विचार कर रही है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितने व्यापारियों को सजा दी गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) जी नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों का विपथन होने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई अपेक्षित होती है। आदेशों का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन दंडनीय है।

[हिन्दी]

बिहार सरकार द्वारा मांगा गया अतिरिक्त अनुदान

5169. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2003 तक बिहार सरकार द्वारा कुल कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) सरकार द्वारा परियोजनावार और वर्षवार कितना आबंटन किया गया;

(ग) प्रत्येक मामले में मांगी गई कुल धनराशि नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मांगी गई अतिरिक्त धनराशि जारी कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का निर्णय योजना आयोग के उपाध्यक्ष और संबंधित मुख्यमंत्री के बीच वार्षिक योजना के विचार–विमर्श में किया गया और इसे निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा आबंटित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, बिहार को आबंटित परियोजना–वार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार सरकार द्वारा अभी तक कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता नहीं ली गई है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क	**2002-03 के दौरान स्वीकृत एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता**	
1.	पी.ई.एस.यू., पटना और बी. एस. ई. बी. के मुजफ्फरपुर सर्किल में ऊर्जा मीटर की स्थापना	30.00
2.	सिंचाई विभव की पुनर्स्थापना	20.00
3.	बाढ़ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अप्राप्त संबंध	20.00
4.	मनोरोग चिकित्सालय की स्थापना	5.00
5.	पटना शहर में चिरैयाटाड में फ्लाइओवर (पुल) का निर्माण	10.00
6.	ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास और अधिकारिता के लिए स्वयं सहायता की स्थापना	5.00
7.	मिलियन शैलो ट्यूबवैल कार्यक्रम	10.00
	कुल	100.00
ख	**2001-02 के दौरान स्वीकृत एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता**	
1.	मिलियन शैलो ट्यूबवैल कार्यक्रम	20.00
2.	गंगा ब्रिज में 132 के.वी. केबल क्रासिंग	20.00
3.	पंचायत भवन का निर्माण	10.00
4.	छपरा इंजीनियरिंग कालेज भवन का निर्माण और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी, मेसरा (रांची), बिहार में विस्तार केन्द्र खोलना	9.00

5.	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	1.00
6.	लम्बित परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता और निष्पादन की पुनः स्थापना	10.00
7.	लम्बित बटेश्वर गंगा पम्प नदी स्कीम का विस्तार	2.00
8.	आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में अप्राप्त लिंक का निर्माण	0.50
9.	एकीकृत जल संसाधन विकास कार्यक्रम	5.00
10.	कार्य कार्यक्रम के लिए खाद्य के अंतर्गत संयुक्त प्रबंधन	5.00
11.	पटना मेडीकल कालेज का सुधार	7.00
12.	पटना, छपरा और गया में स्वच्छता, सीवरेज, सोलिड अपशिष्ट प्रबंधन और अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं	7.00
13.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का विकास	3.50
14.	राष्ट्रीय जनसंख्या आयोगः	3.00
	उच्च प्रजनन क्षमता वाले जिलों में जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यकलाप (सरन (छपरा), अरारिया, औरंगाबाद, दरभंगा, गोपालगंज, नवादा)	
	कुल	103.00
ग	**2000-01 के दौरान स्वीकृत एक मुश्त अतिरिक्त सहायता**	
1.	जे.डी. महिला कालेज, पटना के भवन का निर्माण	0.50
2.	मिलियन शैलो ट्यूबवैल स्कीम	25.50
3.	प्रमुख और मध्यम सिंचाई	24.00
4.	मुधबनी, किशनगंज, कटिहार, बक्सर और पश्चिम चम्पारन के जन–सांख्यिकीय संवेदनशील जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं में अवसंरचना अंतराल को सुदृढ़ बनाना	5.00
	कुल	55.00

[अनुवाद]

चीनी निर्यात

5170. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय संघ के देशों को चीनी निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य देशों को भी चीनी का निर्यात किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं; और कितनी मात्रा निर्यात की गयी तथा गत तीन वर्षों के दौरान देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) यूरोपीय संघ के देशों को चीनी का निर्यात तरजीही कोटों के अधीन किया जाता है। वर्तमान में यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात के लिए भारत के पास 10,000 मी.टन व्हाइट शुगर तथा 10,000 मी.टन (व्हाइट शुगर के बराबर) रॉ शुगर का वार्षिक तरजीही कोटा है। तथापि, कुछ निर्यातकों ने भी उपर्युक्त तरजीही कोटों के अतिरिक्त यूरोपीय संघ के देशों को चीनी की थोड़ी मात्राओं का निर्यात उन देशों में चीनी के आयात पर लागू आयात शुल्क के पूरे भुगतान पर किया है।

(ग) और (घ) सरकार ने चीनी का कोई निर्यात नहीं किया है।

खाद्यान्न आबंटन

5171. श्री के. मुरलीधरन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्यों के लिए खाद्यान्न आबंटन संबंधी मानदण्ड में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें अपने आबंटन में लगे प्रतिबंधों के विषय में शिकायत कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन में वृद्धि करने के लिए कुछ राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन योजना आयोग के गरीबी अनुमानों (1993–94) तथा 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों अथवा जारी किए गए राशन कार्डों, जो भी कम हो, के अनुसार अंत्योदय परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों में प्रत्येक श्रेणी के परिवारों की अनुमानित संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर सभी राज्यों को एक समान रूप से किया जाता है। फिलहाल मासिक आबंटन की मात्रा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बोतलबंद मिनरल वाटर

5172. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस समय भारत में बोतल बंद मिनरल वाटर का व्यवसाय 8,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और इस व्यवसाय में कई कंपनियां लिप्त हैं और कई इस क्षेत्र में आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो जल की शुद्धता, कंपनी की असलियत, जल की मात्रा और प्रकार, नकली कंपनियों द्वारा अनुमोदित कंपनियों की नकल के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले जल को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) प्राकृतिक खनिज जल और पैकेज में रखे पेय जल के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा के पैरामीटर खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत निर्धारित किए गए हैं। इन दोनों उत्पादों का भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न के तहत केवल बिक्री के लिए विनिर्माण अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन उत्पादों की गुणवत्ता की जांच खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के खाद्य अपमिश्रण निवारण प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा भी की जाती है। बोतलबंद पानी के मूल्य संबंधित कंपनी द्वारा तय किए जाते हैं।

उपभोक्ता फोरम

5173. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई जगहों पर उपभोक्ता फोरम कंपनी जमा के गैर भुगतान की शिकायतों पर गलती से विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कंपनी विधि बोर्ड के क्षेत्राधिकार में प्रवेश नहीं कर रहा है जो कंपनी जमा की शिकायतों से निबटने के लिए विधिसम्मत और उचित अभिकरण है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ता फोरम को कंपनी जमा से संबंधित विवादों पर विचार नहीं करने संबंधी निर्देश जारी करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के उपबंधों के अतिरिक्त हैं न कि उनको काट–छांटकर बनाए गए उपबंध। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत स्थापित उपभोक्ता मंचों को उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वित्तीय सेवाओं में कमी से संबंधित मामले सहित मामलों का न्याय निर्णय करने की शक्तियां प्राप्त हैं। पीड़ित पक्ष यदि आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह उपयुक्त मंचों में अपील कर सकता है। इसलिए, सरकार उपभोक्ता मंचों के न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं होगी।

वस्त्र निर्यात

5174. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुलनात्मक लाभ की स्थिति होने के बावजूद कुछ देशों के अमित्रवत् व्यवहार के कारण भारतीय वस्त्र निर्यात दुष्प्रभावित हुआ है;

(ख) क्या सूती वस्त्रों और चादरों जैसे उत्पादों पर बार–बार पाटन रोधी जांच भी की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने को तैयार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) से (ग) वस्त्र क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण विनिर्मात्री क्षेत्रों में से एक है। विकसित देश उरूग्वे दौर की वार्ताओं के भाग के रूप में वस्त्र व क्लोदिंग संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि ये देश इस क्षेत्र के बारे में बहुत सुरक्षात्मक हैं। इसी कारण, भारत से वस्त्र निर्यात को विभिन्न देशों द्वारा अनेक व्यापार सुरक्षा कार्रवाईयों का सामना करना पड़ा है। हाल ही में भारत से उत्पन्न होने वाले अनब्लिच्ड सूती फैब्रिक्स (यूसीएफ), कॉटन टाइप बेड लिनन, पोलिस्टर टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न, पोलिस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ), आदि के साथ–साथ यूरोपीय संघ द्वारा पाटनरोधी (एडी)/सब्सिडीरोधी जाचं/कार्रवाई के अध्यधीन रहे हैं। सूती यार्न निर्यात को साउथ कोरिया से पाटनरोधी जांच का सामना करना पड़ा है। साऊथ अफ्रीका को एक्रेलिक कंबलों का निर्यात इस समय पाटनशुल्क के अधीन है।

(घ) और (ङ) आयातक देशों की ऐसी कार्रवाई से प्रभावी ढंग से बचने के उद्देश्य से एक उपयुक्त नीति वाणिज्य विभाग/वित्त कार्य विभाग/विदेश मंत्रालय/निर्यात संवर्धन परिषदों/व्यापार/विदेश स्थित भारतीय मिशनों आदि के परामर्श से मामले दर मामले के आधार पर विकसित की जाती है। मामलों का बचाव भारत सरकार द्वारा नियुक्त विधि विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। भारत, आयातक देशों की कुछ कार्रवाईयों का सफलतापूर्वक विरोध करने में सक्षम रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा पाटनरोधी/सब्सिडीरोधी जैसे विभिन्न व्यापार सुरक्षा उपायों पर घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में उन्हें जानकारी देने के लिए घरेलू उद्योग के भीतर क्षमताओं का सृजन करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे है। निर्यात संवर्धन परिषदों को इस उद्देश्य से वाणिज्य विभाग की बाजार विकास सहायता योजना के अंतर्गत अनुदान दिए गए हैं।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग को विपणन सुविधाएं

5175. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग को अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विपणन सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार कितने स्थानों पर अत्याधुनिक विपणन सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय निर्यातकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) से (ग) सरकार द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित 'अपरैल निर्यात पार्क योजना' नामक एक योजना आरंभ की गई है :–

(1) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ऐसे आधुनिक अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने के लिए संकेन्द्रित थ्रस्ट देना, जो प्रतिष्ठित क्रेताओं को एक ही स्थल पर खरीदारी (वन–स्टॉप–शॉप) की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

(2) आयात की प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए घरेलू उत्पादन में तेजी लाना और निर्यात को बढ़ावा देना।

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा अपैरल पार्कों की इनफ्रॉस्ट्रक्चर सुविधाओं पर किए गए पूंजीगत व्यय के 75% तक की केंद्रीय सहायता दी जाती है जो कि अधिकतम 10 करोड़ रु. तक होती है जबकि अधिशेष 25% का वहन राज्य सरकार/एजेंसी द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार, इस पार्क में एक बहिस्राव शोधन संयंत्र, शिशु–गृह/गृहों, विपणन/प्रदर्शन की स्थापना हेतु किसी प्रकार के बहुउद्देश्यी केंद्र/भवन आदि के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की राशि की भी व्यवस्था करेगी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, पार्क में किसी प्रकार की प्रशिक्षण सुविधा सृजित करने के लिए भी लागत के 50% तक की सहायता, जो 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो, प्रदान करेगी। इस योजना के विस्तृत दिशानिर्देश वस्त्र मंत्रालय की बेवसाईट htt:www.texmin.nic.in. पर उपलब्ध हैं।

'अपैरल निर्यात पार्क योजना' के दिशानिर्देशों के अधीन गठित परियोजना अनुमोदन समिति ने ट्रोनिका सिटी और कानपुर (उ.प्र.), सूरत (गुजरात), तिरूवनंतपुरम (केरल), विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश), लुधियाना (पंजाब), बैंगलोर (कर्नाटक) और तिरूपुर और कांचीपुरम (तमिलनाडु) में अपैरल पार्कों की स्थापना के लिए सिद्धांततः 9 परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन को स्वीकृति दी है।

इसके अतिरिक्त सरकार अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद को भी गुड़गांव (हरियाणा) में अंतर्राष्ट्रीय अपैरल मार्ट (एआईएम) की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है जिसमें एक प्रदर्शनी काम्पलेक्स होगा और इसमें अपैरल निर्यातकों को विश्व श्रेणी के स्थाई प्रदर्शन करने की सुविधा होगी। हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद भी ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में भारतीय प्रदर्शनी मार्ट की स्थापना कर रही है।

(घ) सरकार वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने तथा भारतीय वस्त्र निर्यातकों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए समय–समय पर अनेक कदम उठाती रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :–

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। इसने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को भी बढ़ा कर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गयी है ताकि इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन किया जा सके।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिगत उपायों से मशीनों की लागत को भी कम कर दिया गया है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों और अन्य महत्वपूर्ण वस्त्र मशीनों की मदों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षा व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(6) पारि–परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं सृजित की गई हैं ताकि आयातक देशों की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्यातक, परिधानों का पूर्व–परीक्षण करवाने में सक्षम हो सकें।

(7) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रयोजित योजना शुरू की है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इनफ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

[अनुवाद]

जनजातीय लोगों की भूख से मौत

5176. श्री एस. अजय कुमार :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री सुनील खां :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के कई हिस्सों विशेषतः महाराष्ट्र में नन्दुर्बार में भूख तथा कुपोषण के कारण आदिवासियों की मौत की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001, 2002 और चालू वर्ष में मृत आदिवासियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आदिवासियों की इस प्रकार की मौत को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्व घाटा

5177. श्री एन. जर्नादन रेड्डी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में कुल वित्तीय घाटे में राजस्व घाटे का प्रतिशत चिन्ताजनक रूप से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय घाटे में राजस्व घाटे का राज्यवार प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में राजस्व घाटे को कम करने के लिए कोई नए कदम सुझाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राजकोषीय समेकन के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने मध्यम अवधि में उनके वित्त पोषण में सुधार के लिए राजकोषीय सुधारों को शुरू करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए "राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा (2000–01 से 2004–05)" का सृजन किया है। सुधार अवधि के दौरान अपने राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे को कम करने के उद्देश्स से अन्य बातों के साथ–साथ एक मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। यह गयारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने राज्यों को अपने उच्च लागत वाले ऋणों से छुटकारा पाने में समर्थ बनाने के लिए ऋण विनिमय रकीम शुरू की है।

विवरण

राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष/घाटा

(%)

राज्य		1997-98	2000-01	2001-02 (सं. अनु.)
1		2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	29.0	49.2	40.8
2.	अरूणाचल प्रदेश	–142.4	–24.7	–127.8
3.	असम	–202.0	50.6	67.6
4.	बिहार	26.9	60.6	58.4
5.	छत्तीसगढ़		570.7	34.3
6.	गोवा	11.3	54.7	35.0
7.	गुजरात	32.1	78.9	89.4
8.	हरियाणा	63.8	26.8	43.6
9.	हिमाचल प्रदेश	44.0	72.1	56.6
10.	जम्मू और कश्मीर	–182.1	58.1	–98.3
11.	झारखण्ड			–6.1
12.	कर्नाटक	17.2	44.1	58.4
13.	केरल	46.5	81.2	67.1
14.	मध्य प्रदेश	25.8	48.6	73.9
15.	महाराष्ट्र	40.0	87.3	55.6
16.	मणिपुर	–34.8	36.8	2.6
17.	मेघालय	–9.2	–21.1	–0.6
18.	मिजोरम	–48.2	51.5	16.1
19.	नागालैंड	5.3	0.1	–12.3
20.	उड़ीसा	50.2	57.9	59.3
21.	पंजाब	59.9	59.8	73.1
22.	राजस्थान	22.8	61.1	61.0
23.	सिक्किम	–61.9	–196.6	–651.1
24.	तमिलनाडु	64.3	67.7	59.8
25.	त्रिपुरा	–11.1	21.6	–0.1
26.	उत्तरांचल		–7.8	72.2
27.	उत्तर प्रदेश	61.0	61.8	62.4
28.	पश्चिम बंगाल	57.2	69.4	68.9
29	रा.रा.क्षे. दिल्ली	–159.5	–108.6	–68.7

स्रोतः राज्य वित्तपोषण पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट – विभिन्न मुद्दे।

नोटः (–) राजस्व अधिशेष को दर्शाता है।

सेबी में रिक्त पद

5178. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी में कार्यकारी निदेशक का पद रिक्त है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक भरे जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) इस समय, कार्यकारी निदेशकों के दो पद रिक्त हैं।

(ख) और (ग) कार्यकारी निदेशकों के दो पद तब रिक्त हुए जब एक कार्यकारी निदेशक प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर अपने वर्तमान संगठन में वापस भेज दिए गए तथा दूसरे अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए। सेबी इन रिक्तियों की भर्ती हेतु कार्रवाई कर रहा है।

सहकारी बैंकों के लाइसेंस

5179. श्री मानसिंह पटेल :

श्री शिवाजी माने :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ सहकारी बैंको के लाइसेंस रद्द किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंको के राज्यवार नाम क्या हैं जिनके लाइसेंस गत तीन वर्षों में रद्द किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनके लाइसेंस रद्द करने के क्या आधार रहे हैं;

(घ) ऐसे बैंकों को खोलने और उनके कार्यकरण हेतु क्या दिशानिर्देश हैं; और

(ङ) ऐसे बैंकों के संबंध में उक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतू क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। जिन सहकारी बैंकों के लाइसेंस गत तीन वर्षों के दौरान रद्द किए गए थे, उनके नामों का राज्य–वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को दिए गए लाइसेंसों को रद्द/अस्वीकार उन बैंकों पर लगाई गई विभिन्न शर्तों का पालन करने में उनके द्वारा असफल होने, जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक रूप में बैंकों के कार्य संचालित करने तथा इसके साथ–साथ वित्तीय स्थिति के बिगड़ने और असंतोषजनक परिचालनों के कारण किया गया था। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के मामले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उनके लाइसेंस पूंजी एवं आरक्षित निधियों के अपेक्षित स्तर को बनाए रखने में बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 11(1) के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए इन बैंकों की असमर्थता के कारण रद्द किए गए थे।

(घ) बैंककारी विनियमन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कोई सहकारी समिति देश में बैंकिंग कारबार तब तक नहीं कर सकती जब तक उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस न हो। सहकारी बैंक खोलने के लिए नवीनतम मानदण्डों के अनुसार न्यूनतम अपेक्षित प्रारंभिक पूंजी 12.50 लाख रुपए एवं 4 करोड़ रुपए के बीच होती है। सहकारी बैंकों के परिचालन पहलू भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम के तहत इसमें निहित प्राधिकार के अनुसार विनियमित किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सहकारी बैंक अपना कार्य जनता के हित में ठोस आधार पर करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को दिशानिर्देश/निदेश/अनुदेश जारी किए हैं जो बैंकिंग परिचालनों के अलग–अलग पहलुओं को अभिशासित करते हैं।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहकारी बैंक अपना कारबार इसके दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुपालन में करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थलेतर निगरानी एवं स्थल–पर निरीक्षण की एक प्रणाली विकसित की है। इसके अधीन बैंकों को अपनी वित्तीय स्थिति एवं अन्य कार्यों से संबंधित आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। उनका सांविधिक निरिक्षण भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा किया जाता है और उपर्युक्त प्रणाली में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा करके सहयोग भी दिया जाता है।

विवरण

जिन सहकारी बैंकों के लाइसेंस गत तीन वर्षों के दौरान रद्द किए गए थे, उनके नामों का राज्य–वार ब्यौरा।

क्रम सं.	राज्य का नाम	सहकारी बैंक का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश (15)	आर्य सहकारी बैंक लि.
		अरमूर सहकारी बैंक लि.
		सहकारी बैंक लि. छोडावरम
		फस्ट सिटी सहकारी बैंक लि.
		जवाहर सहकारी अर्बन बैंक लि.
		कृषि अर्बन सहकारी बैंक लि.
		मेगासिटी सहकारी अर्बन बैंक लि.
		मदर टेरेसा हैदराबाद सहकारी अर्बन बैंक लि.

1	2	3
		पराजा सहकारी अर्बन बैंक लि.
		राजमपेटा टीबीएल
		सितारा सहकारी अर्बन बैंक लि.
		श्रव्या सहकारी अर्बन बैंक लि.
		श्री लक्ष्मी महिला सहकारी अर्बन बैंक लि.
		पिथापुरम सहकारी अर्बन बैंक लि.
		स्टार सहकारी अर्बन बैंक लि.
2.	बिहार (1)	डाल्टनगंज जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.
3.	गुजरात (10)	दि अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.
		दि अहमदाबाद अर्बन सहकारी बैंक लि.
		दि मजूर सहकारी बैंक लि.
		पतरा सहकारी बैंक लि.
		दि सहयोग सहकारी बैंक लि.
		श्री वेरावल विभागीय नागरिक सहकारी बैंक लि.
		श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि.
		दि विकास सहकारी बैंक लि.
		श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.
		श्री भाग्यलक्ष्मी सहकारी बैंक लि.
4.	हरियाणा (1)	यमुनानगर अर्बन सहकारी बैंक लि.
5.	झारखण्ड (1)	छपरा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.
6.	कर्नाटक (2)	ज्योतिलिंगा सहकारी बैंक लि.
		गुलबर्ग अर्बन सहकारी बैंक लि.
7.	मध्य प्रदेश (3)	दतिया नागरिक सहकारी बैंक लि.
		नागरिक सहकारी वाणिज्यिक बैंक लि.
		मंदसौर वाणिज्यिक सहकारी बैंक लि.
8.	महाराष्ट्र (15)	खेड अर्बन सहकारी बैंक लि.
		मीरा भयंदर सहकारी बैंक लि.
		फ्रैंडस सहकारी बैंक लि.
		वेस्टर्न सहकारी बैंक लि.
		श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि.
		श्री लाभ सहकारी बैंक लि.
		केहवा बेलापुर सहकारी बैंक लि.
		सेवालाई अर्बन सहकारी बैंक लि.
		प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लि.
		यशवंत सहकारी बैंक लि.

1	2	3
		इंदिरा सहकारी बैंक लि.
		लातुर पीपुल्स सहकारी बैंक लि.
		मॉ शारदा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.
		जनता सहकारी बैंक मर्यादित
		मराठा मार्किट पीपुल्स सहकारी बैंक लि.
9.	मणिपुर (1)	दि वोमेन्स सहकारी बैंक लि.
10.	तमिलनाडु (3)	दि थेनी सहकारी अर्बन बैंक लि.
		दि तिरूवेनाईकोल सहकारी अर्बन बैंक लि.
		मनमदुरई सहकारी बैंक लि.
11.	उत्तर प्रदेश (4)	फैडरल सहकारी बैंक लि.
		अर्बन सहकारी बैंक लि.
		अर्बन सहकारी बैंक लि. टिहरी
		गोंडा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.
12.	पश्चिम बंगाल (1)	प्रबानंदा सहकारी बैंक लि.

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. के रिक्त पद

5180. श्री रामदास आठवले : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत उक्त विभागों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है और नई भर्ती भी की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत की गई नई भर्तियों का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (च) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नोटरी पब्लिक

5181. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार विभिन्न न्यायालयों में कितने नोटरी पब्लिक और अतिरिक्त वकील नियुक्त किए गए;

(ख) इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन नियुक्तियों के दौरान आरक्षण नीति को लागू किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) ऐसे नोटेरी पब्लिक और अपर सरकारी काउंसेलों की, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न न्यायालयों में नियुक्त किया गया है, राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या उपदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नोटेरी पब्लिक की ज्ञात संख्या नौ है। यह आंकड़े तारीख 12.3.2001 से जाति स्थिति को उपदर्शित करने के लिए अभ्यावेदनों के फार्मेट में आवश्यक संशोधन किए जाने के पश्चात् एकत्रित की गई जानकारी पर आधारित हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के सरकारी काउंसेलों का पृथक् लेखा–जोखा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) नोटेरी पब्लिक या सरकारी काउंसिलों के कोई पद इस प्रकार सृजित नहीं किए गए हैं। तद्नुसार आरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार नियुक्त किए गए नोटेरी पब्लिक और अपर सरकारी काउंसेलों की संख्या

राज्य/सं.रा. क्षेत्र	नोटेरी पब्लिक	अपर सरकारी काउंसेल
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	–	90
2. असम	–	18
3. बिहार	–	71
4. गुजरात	44	20
5. केरल	09	97
6. मध्य प्रदेश	01	24
7. तमिलनाडु	03	141
8. महाराष्ट्र	56	120
9. कर्नाटक	32	61
10. उड़ीसा	01	22
11. पंजाब	103	37
12. राजस्थान	59	45
13. उत्तर प्रदेश	140	183
14. पश्चिम बंगाल	25	162
15. जम्मू–कश्मीर	–	41
16. नागालैंड	–	–
17. हरियाणा	112	61
18. हिमाचल प्रदेश	01	08
19. मणिपुर	–	–
20. त्रिपुरा	02	–
21. मेघालय	–	–
22. सिक्किम	–	–
23. मिजोरम	–	–
24. अरूणाचल प्रदेश	–	–
25. गोवा	01	–
26. उत्तराचंल	11	08
27. छत्तीसगढ़	–	02
28. झारखंड	02	11
29. दिल्ली	82	356
30. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–
31. लक्षद्वीप	–	01
32. दादरा और नागर हवेली–		–
33. दमन और दीव	–	–
34. पांडिचेरी	–	–
35. चड़ीगढ़	06	47

मध्य प्रदेश में विश्व बैंक के दल का दौरा

5182. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 2002 में विश्व बैंक के दल ने मध्य प्रदेश के अनेक गांवों का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरों का क्या उद्देश्य था;

(ग) क्या इस दल ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त किसी परियोजना स्थल का दौरा किया; और

(घ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विश्व बैंक के दल की क्या प्रतिक्रिया रही?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ग) जी, हां।

(ख) इसका उद्देश्य विश्व बैंक से सहायता–प्राप्त मध्य प्रदेश जिला निर्धनता उन्मूलन संबंधी उपाय परियोजना का आवधिक निरीक्षण करना था।

(घ) विश्व बैंक द्वारा अपनाई जा रही मानक प्रक्रिया के अनुसार निरीक्षण दल बैंक से सहायता–प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मध्य प्रदेश जिला निर्धनता उन्मूलन संबंधी उपाय परियोजना के संबंध में उक्त निरीक्षण रिपोर्ट में कुल मिलाकर सन्तोषजनक प्रगति दर्ज की गई है।

[हिन्दी]

औद्योगिक उत्पादन

5183. श्री योगी आदित्यनाथ :

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौंवी योजना के पिछले नीन वर्षों और दसवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान वर्षवार देश में औद्योगिक उत्पादन की स्थिति क्या रही;

(ख) क्या नौवीं योजनावधि के दौरान औद्योगिक वृद्धि में तेजी से गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो आठवीं और नौवीं योजनावधि की औद्योगिक वृद्धि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक वृद्धि में वर्षवार कितनी गिरावट आई;

(ङ) औद्योगिक वृद्धि में गिरावट आने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रभावी उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) नौवी योजनावधि के अंतिम दो वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई थी। इस गिरावट का मुख्य कारण खराब मानसून, मांग की कमी एवं वैश्विक आर्थिक मंदी थी। तथापि, अप्रैल–फरवरी, 2002–2003 के दौरान 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उद्योग ने 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए सुधार दिखाया है जिसके नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं। आठवीं योजना में वर्ष 1991 में औद्योगिक उत्पादन में क्षमताओं के लाइसेंस मुक्तिकरण और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण द्वारा वृद्धि की गई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना में जुलाई, 1997 से एशियाई वित्तीय संकट और मंदी की प्रवृतियों से वृद्धि प्रभावित हुई थी। आठवीं योजना, नौवीं योजना एवं 10वीं योजना अवधि के प्रथम वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है।

प्रतिशत

योजना अवधि	औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि (आईपीपी) (आधार वर्ष 1993–94 = 100)
1	2
आठवीं योजना (1992–97)	7.3
1992–93*	2.3
1993–94*	6.0
1994–95	9.1
1995–96	13.0
1996–97	6.1
नौवीं योजना (1997–2002)	5.0
1997–98	6.7
1998–99	4.1

1	2
1999–00	6.7
2000–01	5.0
2001–02	2.7
दसवीं योजना (2002–07)	
2002–2003 (अप्रैल–फरवरी)	5.7

* आधार वर्ष 1980–81 = 100

(च) औद्योगिक वृद्धि को तेज करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

केन्द्रीय बजट 2003-04 में घोषित उपाय:

- सरकार ने ढ़ाचागत सुविधाओं में सुधार के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है। इन उपायों का लक्ष्य रेल, सड़क, हवाई अड्डा, पत्तन तथा विद्युत क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं विकास रखा गया है।

- बजट में उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क में कमी करके विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इससे विनिर्माण क्षेत्र में सुधार होगा।

- वस्त्र उद्योग के लिए, बजट में उत्पाद शुल्क में कमी का प्रस्ताव किया गया है ताकि खुदरा खरीदारों के लिए कपड़े सस्ते करने के साथ–साथ उद्योगों को आधुनिकीकरण करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

- आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से, वस्त्र मशीनरी और हिस्सों पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया।

- अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों के लिए करावकाश को बढ़ा दिया गया।

- व्यक्तिगत आयकर से संबंधित प्रस्तावों, जैसे कि सरचार्ज को हटाना, शिक्षा खर्च में छूट तथा कोई अतिरिक्त कर न लगाए जाने का अर्थ होगा कि उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय में वृद्धि, जिससे मांग में और वृद्धि हो सकती है।

अन्य उपाय:

- उद्योग के परिचालनात्मक माहौल में सुधार करने एवं इसकी प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि करने की दृष्टि से, सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं, जिसमें शामिल हैं प्रतियोगिता अधिनियम तथा 'सेवी' अधिनियम में संशोधन।

- भारतीय रिर्जव बैंक ने नकद आरक्षी अनुपात को 5.0 प्रतिशत से घटा कर 4.75 प्रतिशत कर दिया है, जिससे द्रवता (लिक्विडिटी) की स्थिति में और सुधार आएगा।

- बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधारों को सुगम बनाने की दृष्टि से संसद में विद्युत विधेयक पेश किया गया है।

- निर्यात–आयात नीति 2003–04 में मूल क्षमता के क्षेत्रों को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। इसमें उच्च वृद्धि की संभावना वाले क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे, वस्त्र, आटो हिस्से, रत्न और आभूषण, औषध और भेषज तथा इलेक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर।

[अनुवाद]

नाबार्ड द्वारा वृक्षारोपण उद्योग प्रकोष्ठ की स्थापना

5184. श्री पी.सी. थामस :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड द्वारा एक वृक्षारोपण उद्योग प्रकोष्ठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उनके मुम्बई स्थित प्रधान कार्यालय में एक "बागान उद्योग प्रकोष्ठ" गठित किया गया है, ताकि बागान उद्योग से संबंधित ऋण संबंधी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। यह प्रकोष्ठ कॉफी, चाय, रबड़, इलायची, आदि जैसे बागान उद्योग के ऋण से संबंधित मुद्दों की नीति एवं परिचालन संबंधी पहलुओं की देखभाल करेगा। यह प्रकोष्ठ बागान उद्योग से संबंधित मुद्दों/समस्याओं का समाधान करने के लिए बैंको और कृषकों सहित अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करेगा।

गुजरात में हथकरघा बुनकरों हेतु स्वास्थ्य पैकेज योजना

5185. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में हथकरघा बुनकरों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य पैकेज योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) से (ग) जी हाँ, भारत सरकार द्वारा गुजरात राज्य सहित देश में हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य पैकेज स्कीम कार्यान्वित की गई है। स्कीम के अंतर्गत टी.बी., अस्थमा और गंभीर बीमारियों के उपचार तथा इस उपचार की दवाईयों के लिए प्रति बुनकर प्रति वर्ष 1500/–रुपये तक की दवाईयों की लागत की प्रतिपूर्ति, चश्मों की लागत के लिए 150/–रुपये तथा आँखों की जांच के लिए 40/–रुपये तक, महिला बुनकर अथवा बुनकर परिवार की महिला को अपने जीवन काल में प्रसूति सहायता हेतु दो बार 500/–रुपये प्रति प्रसूति की दर से एक मुश्त राशि तथा प्रत्येक बुनकर अथवा पति/पत्नी को स्थायी रुप से परिवार नियोजन के साधन अपनाने पर 100/–रुपये की राशि की सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ पेय जल प्रदान करने हेतू 50 बुनकर परिवारों के लिए एक ट्यूबवैल के लिए 35,000/–रुपये तथा बुनकरों की जनसंख्या के संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख केन्द्रों के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए 1.00 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2000–01 के दौरान स्वास्थ्य पैकेज स्कीम के अंतर्गत गुजरात राज्य को 55.11 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। तत्पश्चात इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से कोई और प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रत्न और आभूषणों का निर्यात

5186. श्री के. येरननायडू :

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

श्री हरिभाई चौधरी :

श्री विक्रम केशरी देव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 से मार्च, 2003 तक वर्षवार कुल कितनी मात्रा और मूल्य के हीरों और अन्य रत्नों तथा आभूषणों का निर्यात किया गया;

(ख) उन पहले पांच देशों के क्या नाम हैं जिन्हें इन मदों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों से इन मदों के निर्यात में गिरावट आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इन मदों के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार की हीरे सहित रत्न और आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेएपीसी), मुंबई जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित व्यापार का एक प्रतिनिधि स्वायत्तशासी निकाय है, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1998–99 से वर्ष 2002–03 तक तराशे एवं पालिश किए गए हीरों समेत मूल्य और मात्रा के रूप में रत्न एवं आभूषण का वर्ष–वार निर्यात निम्नानुसार है :–

मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

	तराशे एवं पालिश किए गए हीरे	मात्रा लाख के रेट में	रत्न एवं आभूषणों का कुल मूल्य
1998–1999	5026.11	267.99	6211.66
1999–2000	6647.82	331.17	8145.02
2000–2001	6186.70	299.06	7779.49
2001–2002	5971.91	328.86	7556.10
2002–2003	7110.45	372.03	9106.11

स्रोत: जीजेईपीसी

(ख) वर्ष 2002–2003 के दौरान तराशे एवं पालिश किए गए हीरों और सम्पूर्ण रत्न एवं आभूषण के लिए प्रथम पांच प्रमुख बाजार अमरीका, हांगकांग, बेल्जियम, इस्राइल और यू ए ई रहे हैं।

(ग) वर्ष 1998–99 की तुलना में पिछले चार वर्षों में रत्न एवं आभूषणों के निर्यातों में वृद्धि दर्ज की गयी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार और रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित व्यापार का एक प्रतिनिधि निकाय है, ने रत्न एवं आभूषणों का निर्यात बढ़ाने और विश्व के बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछेक निम्नानुसार हैं :–

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक मध्यावधि नीति तैयार की है;
- जीजेईपीसी और सरकार हीरा खनन देशों से अपरिष्कृत हीरों की प्रत्यक्ष खरीद की संभावना का निरंतर पता करती रहती है;
- सरकार ने आभूषण डिजाइन और विनिर्माण को गति प्रदान करने के लिए सूरत में सरदार वल्लभ भाई पटेल आभूषण डिजाइन एवं विनिर्माण केन्द्र की स्थापना के लिए निधियां प्रदान की है;
- जीजेईपीसी विज्ञापनों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी और प्रचार, क्रेता–विक्रेता बैठकों के आयोजन, बाजार के खुदरा व्यापारियों के साथ प्रत्यक्ष समर्क के जरिए भारतीय हीरों एवं आभूषणों की छवि को प्रोन्नत करती है;
- जीजेईपीसी परामर्शदाताओं के जरिए बाजार अध्ययन करके नए बाजारों का पता लगाती है। यह डिजाइन में नवीनतम रुख का अध्ययन करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भारतीय डिजायनरों को भी प्रतिनियुक्त करती है; और
- जीजेईपीसी भारत से हॉलमार्क आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहित करती है ताकि विदेशों में ग्राहकों को भारत में निर्मित आभूषणों की गुणवत्ता एवं शुद्धता के लिए आश्वस्त किया जा सके।

(च) दिनांक 1.4.2003 से लागू एग्जिम नीति में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए किए गए नीतिगत उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- हीरों और हीरों से जड़ित आभूषणों की खरीद/बिक्री करने वाले निर्यातकों के लिए हीरा एवं आभूषण डालर खाता।
- निर्दिष्ट एजेंसियों को निर्यातक ईईएफसी खाते से बहुमूल्य धातुओं के आयातों की लागत के लिए डालर में भुगतान स्वीकार करने के लिए नामित किया गया।
- एसईजैड और ईओयू में स्थित रत्न एवं आभूषण यूनिट निर्यात पूर्व अथवा निर्यात पश्चात् निर्यातित आभूषण के मूल्य के बराबर बहुमूल्य धातु अर्थात स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे केवल नकदी लाने के वर्तमान प्रावधान की तुलना में निर्यात आय वस्तु के रुप में ला सकते हैं।
- रत्न एवं आभूषण ई ओ यू को अब डीटीए में उप–संविदा करने की अनुमति दी जा रही है।

आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

5187. श्री पी. कुमारासामी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान महीने–वार तमिलनाडु को केन्द्रीय पूल से आबंटित की गई आवश्यक वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के आबंटन में संशोधन करने का क्या आधार है;

(ग) क्या यह सच है कि जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी उन्मूलन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रदर्शन के आधार पर कम आबंटन दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन

वितरित करने के लिए तमिलनाडु सरकार को किए गए चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल के मासिक आबंटनों के ब्यौरे संलग्न हैं।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल और गेहूं का आबंटन 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी (गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर) में परिवारों की अनुमानित संख्या अथवा राज्य सरकार द्वारा वास्तव में पहचान किए गए परिवारों/जारी राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के अनुसार किया जा रहा है। 1.4.2002 से जारी की जाने वाली मात्रा और राशन कार्डों की संख्या में संशोधन करने के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के आबंटन में परिवर्तन हो गया है।

1.2.2001 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन भारत सरकार द्वारा राज्यों को की जाने वाली लेवी चीनी की आपूर्ति को उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपसमूहों को छोड़कर 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार अनुमानित आबादी के अनुसार केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सीमित कर दिया गया है।

मिट्टी के तेल के आबंटन के संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया जाने वाला वार्षिक आबंटन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रिलीज किए गए एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या को हिसाब में लेकर संशोधित किया जाता है।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सभी राज्यों/संघ राज्स क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर अद्यतन किए गए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के अनुसार निरपवाद रूप से किया जा रहा है। यह मानदण्ड सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक–समान रूप से अपनाया जा रहा है।

विवरण

(आंकड़े टन में)

महीना	2001–2002				2002–2003			
	चावल	गेहूं	चीनी*	मिट्टी का तेल	चावल	गेहूं	चीनी*	मिट्टी का तेल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	1,35,696	–	10,820	52,823	5,03,853	–	10,820	48,559
मई	1,35,696	–	10,820	53,601**	5,03,853	–	10,820	48,559
जून	1,35,696	–	10,820	52,823	4,93,853	10,000	10,820	48,559
जूलाई	1,60,010	–	10,820	52,823	4,75,863	10,000	10,820	48,559
अगस्त	1,60,010	–	10,820	52,823	4,75,863	10,000	10,820	48,559
सितम्बर	1,60,010	–	10,820	52,823	4,75,863	10,000	10,820	48,559
अक्तूबर	1,60,010	–	10,820	52,823	4,75,863	10,000	10,820	48,559
नवम्बर	1,60,010	–	10,820	52,823	4,75,863	10,000	10,820	48,559
दिसम्बर	1,60,010	–	10,820	52,823	4,75,863	10,000	10,820	48,560
जनवरी	1,60,010	–	10,820	52,825	4,75,863	10,000	10,820	48,560

1	2	3	4	5	6	7	8	9
फरवरी	1,60,010	–	10,820	52,824	4,75,863	10,000	10,820	48,560
मार्च	1,60,010	–	10,820	52,824	475,863	10,000	10,820	48,560

* इसमें त्यौहार कोटा रिलीज शामिल नहीं है।

** इसमें माह के दौरान किया गया अतिरिक्त आबंटन शामिल है।

राष्ट्रीय बचत संगठन

5188. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अंतर्गत छोटे निवेशकों को प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के माध्यम से जुटाई गई राशि और प्रोत्साहन देने पर व्यय की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत जुटाई गई राशि में से प्रत्येक राज्य कितने प्रतिशत राशि रखे जाने की अनुमति है; और

(घ) राज्यों द्वारा उक्त राशि का किस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाता है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा निवेशकों को किसी प्रोत्साहन का भुगतान किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान डाकघरों के माध्यम से लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत संगृहीत निधियों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत निवेशकों को प्रोत्साहन देने पर किए गए व्यय, अगर कोई है, से संबंधित आंकड़े नहीं रखती है।

(ग) और (घ) दिनांक 1.4.2002 से संपूर्ण निवल लघु बचत संग्रहणों को राज्य सरकारों को उनके विकासात्मक परियोजनाओं/योजनाओं के वित्तपोषण के लिए अंतरित किए जा रहे हैं। तथापि, राज्य सरकारों को सितम्बर, 2002 से मार्च, 2003 के बीच जारी निवल लघु बचत संग्रहणों के उनके हिस्से का 20% तथा वर्ष 2003–04 में जारी किए जाने वाले निवल लघु बचत संग्रहणों के उनके हिस्से के 30% का उपयोग करके उनके पिछली उच्च लागत वाली ऋणों की वापसी–अदायगी के लिए समर्थ बनाया जा रहा है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान डाक घरों में राज्यवार सकल एवं निवल लघु बचत संग्रहण

(हजार रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001		2001–2002 (अनंतिम)		2002–2003 (जनवरी 2003 तक)	
		सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	42632812	18096797	41540609	17970342	44323867	21863665

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बिहार	47260364	22102831	33789417	14477402	31356707	12331274
3.	झारखंड	0	0	16345333	8889530	15328008	8399004
4.	आधार	1300611	183897	1424476	284572	1410545	321168
5.	दिल्ली	32699101	16720562	32740597	15916255	35721326	20321015
6.	जम्मू–कश्मीर	6804375	3003379	6668125	2774573	7272619	3181451
7.	कर्नाटक	35102687	15709561	32765594	15017937	33089824	15295380
8.	मध्य प्रदेश	20971636	9932875	24795076	11968536	24353108	10682511
9.	छत्तीसगढ़	7368264	3636728	7988710	3436196	8458477	4248355
10.	उड़ीसा	15296614	5451808	15124209	5762383	14449037	5952462
11.	राजस्थान	47118569	26092192	56219177	31005764	46917396	22609429
12.	उत्तर प्रदेश	92919468	40429866	95239345	39897849	89928226	38596531
13.	उत्तरांचल	10150108	4625970	10901538	4840733	10368874	4555010
14.	हरियाणा	21819540	9781874	25578123	11308287	24511215	9709593
15.	तमिलनाडु	39148242	16002224	39863101	16499387	40613177	16652028
16.	पांडिचेरी	842451	610733	1094198	807892	855799	566936
17.	महाराष्ट्र	80432641	40595733	78115321	34592218	82415526	35916948
18.	गोवा	2151692	1432619	7435404	2700153	2400959	1447135
19.	गुजरात	75474991	42855099	74824707	37441936	78587965	40892017
20.	दमन	0	0	111402	4203	72678	38102
21.	दीव	0	0	54478	20490	43090	1084
22.	केरल	20487388	4922064	18986451	4798423	21677029	8238807
23.	लक्षद्वीप	0	0	5901	76	7889	1774
24.	पांडिचेरी (महे)	0	0	10782	930	16099	9361
25.	पंजाब	40084900	21810585	40762703	18893745	41681289	18839697
26.	चंडीगढ़	1527129	33950	2244617	518511	3388785	1293580

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	हिमाचल प्रदेश	8957553	2357883	9259225	3035696	9688890	3142450
28.	पश्चिम बंगाल	112437205	61816745	121119850	66166968	110617501	60235161
29.	सिक्किम	264486	127034	270600	94112	224603	66342
30.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	133968	-43735	137688	11038	136891	10446
31.	असम	15179187	5137415	15985585	6502568	14705862	5275946
32.	मणिपुर	587124	254753	550854	142530	542044	138316
33.	मेघालय	825727	330746	818058	250033	841062	250680
34.	त्रिपुरा	2566164	1382618	2655832	1280442	2388365	1115500
35.	मिजोरम	382733	154816	360044	99869	403683	142999
36.	नागालैंड	200038	86627	280038	139757	207366	97716
37.	अरुणाचल प्रदेश	307057	153175	314516	127263	268077	107912
	जोड़	783434825	375789464	816381684	377678599	799273858	372547785

उत्पाद शुल्क में कटौती का लाभ

5189. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक मामलों में वर्ष 2003–04 के बजट में घोषित की गई उत्पाद शुल्क में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्पाद शुल्क में कटौती का लाभ विनिर्माताओं से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) उपभोक्ताओं से ली जाने वाली कीमतें, मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार की कीमतों द्वारा निर्धारित होती हैं और निविष्टियों की लागत, विनिर्माण लागत, अनुसंधान एवं विकास लागत, उत्पाद की गुणवत्ता, बिक्री संवर्द्धन लागत, व्यापार कमीशन, ढुलाई खर्च और करों जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती हैं। इसलिए कीमतों को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारकों को छोड़कर केवल उत्पाद शुल्क घटक से कीमतों को जोड़ना संभव नहीं है।

(ख) उत्पाद शुल्क कानूनों में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जिसके तहत उपभोक्ताओं को शुल्क में कटौती का लाभ दिया जा सके।

[हिन्दी]

डब्ल्यू टी ओ पैनेल के साथ व्यापार संबंधी विवाद

5190. श्री शिवाजी माने :

श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय के पास भारत के अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधी विवाद के कुछ मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विवादों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या बातचीत की गई;

(ग) सरकार द्वारा विवाद निपटान निकाय का निर्णय भारत के पक्ष में कराना सुनिश्चित कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार को इस पहल से किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के विवाद निपटान तंत्र के तहत व्यापार संबंधी विवादों के ऐसे 30 मामले हैं जिनमें भारत या तो शिकायतकर्ता देश के रुप में शामिल है या फिर उसके विरुद्ध शिकायत की गई है। यद्यपि विवाद निपटान निकाय द्वारा पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्टों के आधार पर इनमें से कुछ मामलों का निपटान कर दिया गया है, तथापि कुछ अन्य मामलों को सौहार्दपूर्ण ढ़ंग से सुलझा लिया गया है।

(ख) इस समय चल रहे विवादों के 5 मामले ऐसे हैं जिनमें भारत एक शिकायतकर्त्ता देश है। भारत के दावों की जांच करने के लिए इनमें से दो मामलों में अलग से पैनल गठित किए गए हैं। चल रहे विवादों में चार मामले ऐसे हैं जिनमें भारत के विरुद्ध शिकायत की गई है।

(ग) सरकार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों, विधि कार्य विभाग तथा विवादों से जुड़े कानूनी विशेषज्ञों के सहयोग से डब्ल्यू टी ओ विवादों की पैरवी कर रही है। विधायी विभाग के पूर्व अनुमोदन से प्रत्सेक विवाद के लिए एक वकील, जहां आवश्यक समझा जाता है, एक अनुभवी विदेशी वकील नियुक्त किया जाता है।

(घ) भारत की डब्ल्यू टी ओ में आठ मामलों में जीत हुई है और 5 मामलों में हार हुई है। कुछ अन्य मामलों में अन्य देशों के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप विवाद का सौहार्दपूर्ण ढ़ग से निपटान किया गया है।

[अनुवाद]

मूल्य वर्धित कर

5191. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 मार्च, 2003 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वैट पुट्स फार्मा कंपनीज इन ए टाइट स्पाट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार दवाओं और औषधियों के लिए वैट दर में 4 प्रतिशत की छूट देने पर विचार कर रही है जैसी कि भारतीय भेषज उद्योग ने मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस तथ्य से उत्पन्न भ्रांति को दूर करने पर विचार कर रही है कि व्यापारी इस बारे में आश्वस्त हैं कि उनके द्वारा दवाओं पर दिए गए बिक्री कर और इस परिवर्तन से पूर्व खरीदी गई दवाओं के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) जिन्सों के मूल्य राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निश्चित किए गए मूल्य वर्धित कर की दर पर निर्भर करेंगे।

(ग) से (ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 के अनुसार, माल की बिक्री और खरीद पर कर लगाना राज्य का एक विषय है। 22 जून, 2000 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा मूल्य वर्धित कर को लागू करने से सम्बंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार-प्राप्त समिति गठित की गई थी। व्यापार और उद्योग के अभ्यावेदनों एवं राज्य मूल्य वर्धित कर की त्रुटियों, यदि कोई हों, पर नियंत्रण हेतु उपायों अथवा मूल्य वर्धित कर के पुनः निर्धारण के बारे में कोई भी निर्णय अधिकार-प्राप्त समिति को ही करना होता है, जिसकी समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं।

वैश्विक चीनी गठबंधन का गठन

5192. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एक भारतीय शिष्टमंडल ने वैश्विक चीनी गठबंधन के गठन हेतु चीन का दौरा किया;

(ख) क्या प्रस्तावित चीनी गठबंधन अमरीका और यूरोपीय समुदाय द्वारा चीनी पर आयात शुल्क लगाने का विरोध करेगा जो कि इस समय लगभग 250–300 प्रतिशत है;

(ग) क्या भारतीय चीनी विनिर्माता संघ यह चाहता है कि चीनी की मिलों को दो वर्ष की अवधि हेतु चीनी पर लगे उत्पाद कर/अतिरिक्त उत्पाद कर/उपकर और शीरे पर लगे उत्पाद शुल्क को अपने पास रखने की अनुमति दी जाए; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) वैश्विक चीनी गठबंधन बनाने के लिए भारत सरकार का कोई भी अधिकारिक शिष्टमंडल चीन नहीं गया है। तथापि, भारतीय चीनी निर्यात आयात निगम, जो चीनी उद्योग का निगमित निकाय है, द्वारा प्रायोजित एक शिष्टमंडल यह अनुरोध करने के लिए चीन गया था कि चीन व्यापार सुधार संबंधी वैश्विक गठबंधन में शामिल हो।

चीनी व्यापार सुधार संबंधी वैश्विक गठबंधन विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली घरेलू सहायता तथा निर्यात सब्सिडि में पर्याप्त कमी अथवा इसे वापस लेने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है।

(ग) जी, हां

(घ) प्रस्ताव में अत्याधिक वित्तीय अपेक्षाएं होने के कारण प्रस्ताव पर सहमति नहीं हुई है।

आम का निर्यात

5193. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

श्री अनन्त नायक :

श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पास अमरीका, जापान और सुदूर पूर्वी देशों को आम का निर्यात करने की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय किन–किन देशों को आमों का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मार्च, 2003 तक प्रति वर्ष इन देशों को कुल कितनी मात्रा में और कीमत के आमों का निर्यात किया गया;

(घ) वर्ष 2003–04 के लिए निर्यात संबंधी क्या परिकल्पना की गई है;

(ङ) क्या कुछ राज्यों में सूखे के कारण उपज में भारी कमी और हाल के अमरीका–इराक युद्ध के कारण वर्ष 2002–03 के दौरान आम के निर्यात में गिरावट आने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो नियत किए गए लक्ष्य, यदि कोई हों, की तुलना में किस हद तक गिरावट आने की संभावना है;

(छ) क्या कुछ देशों ने भारतीय आमों के आयात पर अनेक गैर–टैरिफ प्रतिबंध लगाए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस समस्या को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(झ) सरकार की आगामी वर्षों में आमों का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या विशेष नीतियां हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) भारत के पास अमरीका, जापान और अन्य सुदूर पूर्वी देशों सहित विश्व भर के देशों को आमों का निर्यात करने की संभावनाए हैं।

(ख) आमों का निर्यात मुख्यतः बंगलादेश, यू के, कुवैत, सऊदी अरब, सिंगापुर, बहरीन, नीदरलैंड, अमरीका और यू ए ई को किया जा रहा है।

(ग) वर्ष 2000–01, 2001–02 और 2002–03 (अप्रैल–नवम्बर) के दौरान इन देशों को निर्यातित आमों की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं–

(पूरे 2002–03 वर्ष के लिए आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं)

आमों का निर्यात (1999–2000 से 2001–02)

देश का नाम	2000–01		2001–02		2002–03 (अप्रैल–नवम्बर)	
	मात्रा (किग्रा)	मूल्य रु.	मात्रा (किग्रा)	मूल्य रु.	मात्रा (किग्रा)	मूल्य रु.
बंगलादेश	21426825	232356944	21033736	241040343	9209590	97550007
यू.के.	842707	34026148	1372870	45418724	1139905	49738606
कुवैत	940486	30360437	984700	30981634	675527	32590753
सऊदी अरब	2111693	47022478	2942882	66198115	1790557	58311045
सिंगापुर	302634	15218046	321928	11601997	268410	11469847
बहरीन	443202	14119916	596898	20066798	669683	15645369
नीदरलैंड	326284	14908681	301122	10779734	1089127	32639071
यू.एस.ए.	716433	19832231	730689	16272953	467712	10448709
यू.ए.ई.	6859385	187294615	12809549	281877115	12577148	330025465
कुल योग	33969649	595139496	41094374	724237413	28793163	656747367
अन्य	3140022	90931238	2334956	85676048	2114876	64324753
कुल	37109671	686070734	44429330	809913461	30908039	721072120

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस)

(घ) अलग–अलग उत्पादों के आधार पर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ङ) और (च) इस समय निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

(छ) भारतीय आमों में फलों की मक्खियों की मौजूदगी के कारण भारत जापान, अमरीका तथा आस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों में गैर टैरिफ बाधाओं का सामना कर रहा है।

(ज) जापान को आमों के निर्यात संबंधी समस्याओं पर काबू पाने के लिए वाष्प उष्मा उपचार (वी एच टी) संयंत्र स्थापित किया गया है। सरकार ने भारतीय मिशन के जरिए द्विपक्षीय रूप से अथवा अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचो में इन मुद्दों को उठाया है।

(झ) आगामी वर्षों में आमों के निर्यात को बढ़ाने के किए गए प्रमुख उपायों में से कुछ निम्नानुसार हैं :–

* विभिन्न किस्म के आमों के निर्यात के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के लिए एपीडा द्वारा आयोजित/आयोजित किए जा रहे फलोद्यान कार्यों संबंधी जागरूकता कार्यक्रम।

* भंडारण एवं परिवहन के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने और परिरक्षण अवधि में वृद्धि करने में बहुपक्षीय कार्यकलापों वाले पैक गृहों की स्थापना।

* परिरक्षण अवधि को बढ़ाने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समुद्री परिवहन प्रोटोकाल विकसित करने हेतु आमों के नियंत्रित पर्यावरण (सी ए) /संशोधित पर्यावरण परिवहन संबंधी अनुसंधान कार्य।

* मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को निर्यात के लिए रीफर कंटेनरों द्वारा परिवहन।

भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध

5194. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर यूरोपीय संघ द्वारा लगाई गई कठोर शर्तों के फलस्वरूप समुद्री खाद्य उत्पाद उद्योग के समक्ष उपस्थित समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा समस्या को सुलझाने हेतु किए गए या किए जाने वाले उपाय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव समुद्री खाद्य उत्पादों के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों अथवा बनाए गए विनियमों से उत्पन्न समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदास के साथ समय–समय पर बातचीत करने के लिए एक उपयुक्त समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत से निर्यातित माल की अनेक खेपों में प्रति–जैविक अवशेषों का पता लगाने के फलस्वरूप यूरोपीय आयोग (ईसी) ने सितम्बर, 2002 में भारत को रेड अलर्ट अर्थात् प्रतिबंधित प्रतिजैविकों की उपस्थिति के लिए खेपों की 100% जांच करने के अध्यधीन रखने का प्रस्ताव किया था। तथापि, सरकार ने यूरोपीय यूनियन सदस्य राष्ट्रों में दूतावासों के जरिए अनेक उपाय किए और ईसी इस निर्णय को स्थगित करने के लिए सहमत हो गया था।

(ग) सरकार ने सूक्ष्म जैविक एवं रासायनिक संक्रमण के कारण मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों की खेपों को अस्वीकार करने के मामलों को खत्म करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें गुणवत्ता मानकों के प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन, भण्डार एवं परिवहन के सभी स्तरों पर समुद्री खाद्य की स्वच्छ प्रहस्तन के लिए आवश्यक अपेक्षाएं निर्धारित करना, रसायन एवं भारी धातुओं की अधिकतम अनुमत्य स्तर निर्धारित करना, प्रसंस्करण एककों पर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), और भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा निगरानी रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपेक्षित मानदण्डों का अनुपालन हो रहा है: निर्यातकों, प्रसंस्कर्ताओं, कृषिकों, खाद्य विनिर्माताओं, अण्डज प्रजननशालाओं के मालिकों इत्यादि में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता लाने के लिए सभी समुद्री खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में एम्पीडा और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा अभियान चलाना और उन्हें इस बात के लिए सहमत करना कि वे किसी स्तर पर प्रतिबंधित रसायनों का प्रयोग न करें; प्रमुख उत्पादन केन्द्रों में समुद्री खाद्य का परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन और मत्स्य उतराई केन्द्रों और मत्स्य पालन बन्दरगाहों का सुधार/आधुनिकीकरण शामिल हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भारत ने इन मुद्दों को पहले ही संयुक्त कार्यदल की बैठकों में ईयू के साथ उठाया है। इन मुद्दों को हमारे दूतावासों के जरिए ई यू के सदस्य देशों के साथ द्विपीक्षीय स्तर पर भी उठाया जाता है।

चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भरता

5195. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान चीनी की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में चीनी मिलों की अधिष्ठापन क्षमता आवश्यकता से अधिक है;

(घ) क्या गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों के बीच पर्याप्त समन्वय है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :–

आंकड़े लाख टन में

	चीनी मौसम		
	1999–2000	2000–2001	2001–2002
कुल उपलब्धता	248.71	278.50	291.88
देश में खपत	159.77	162.45	173.04

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की खरीद

5196. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य** और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत अच्छे फसल उत्पादन को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम से पश्चिम बंगाल में अधिक खाद्यान्न की खरीद करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम में अधिक खाद्यान्न की खरीद करने हेतू क्या कार्यवाही की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1997 से लेवी चावल की विकेन्द्रीकृत वसूली शुरू की है। वसूली परिचालनों के लिए निधि जुटाने की समस्या की दृष्टि में, पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वे वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 2002–03 के दौरान वसूली परिचालन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को निदेश दें।

(ग) यह निर्णय किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम पांच चुनिंदा जिलों अर्थात बर्दवान, बीरभूम, बांकुरा, दक्षिण दिनाजपुर और मिदनापुर में चावल मिलों से लेवी चावल के रूप में 2 लाख टन तक सेला चावल की वसूली करेगा।

जनजातीय उत्पादों को प्रोत्साहन

5197. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में जनजातियों द्वारा बनाए गए माल को बेचने के लिए "ट्राइब्स" के नाम वाले ब्रांड को बढ़ावा दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो "ट्राइब्स" वाले ब्रांड के अंतर्गत स्थापित किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थान–वार संख्या क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जी हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राइफेड) के माध्यम से जनजातीय कला और हस्तशिल्पों के प्रोत्साहन के लिए कदम उठाए हैं। सतत आधार पर जनजातीय उत्पादों की बिक्री करके उनके आर्थिक विकास को गति प्रदान करने की दृष्टि से 9, महादेव रोड, नई दिल्ली में जनजातीय शिल्पों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए "ट्राइब्स" नामक एक दुकान खोली गई है। "ट्राइब्स" कारीगरों को अपने परिसर में उनके कौशल के प्रदर्शन और उत्पादों की बिक्री करने के लिए आमन्त्रित करके जनजातीय शिल्प को प्रोत्साहन दे रहा है। "ट्राइब्स" देश में विभिन्न प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है।

(ग) देश के अन्य भागों में ब्रांड नाम के संवर्धन के उद्देश्य से "ट्राइब्स" दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, आदि देश के विभिन्न स्थानों में शिल्प प्रदर्शनियों और राज्य के उत्सवों में भाग लेता है।

(घ) फिलहाल "ट्राइब्स" शाप 9, महादेव रोड, नई दिल्ली में अवस्थित है और ट्राइफेड द्वारा कोई अन्य आऊटलेट नहीं खोली गई है।

सिंचाई और जल परियोजना के लिए प्रकटन नियम

5198. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने किसी अकेले ऋण प्राप्तकर्ता के लिए सिंचाई तथा जल आपूर्ति परियोजनाओं के संबंध में प्रकटन नियमों को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है और सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने के संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं। जल संसाधन मंत्रालय ओर गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ट्रकों का बीमा

5199. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों ने 7 वर्षों से अधिक पुराने ट्रकों के (कम्प्रेहेन्सिव एण्ड थर्ड पार्टी जोखिम) बीमें करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं जबकि निजी साधारण बीमा कंपनियां इन ट्रकों की बीमा पलिसी जारी कर रही हैं;

(घ) क्या सभी चारों सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को मिलाकर एक करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां, इस बात पर विचार किए बिना कि वाहन कितना पुराना है, कोई भी तृतीय पक्ष बीमा कवर देने के लिए इन्कार नहीं कर रही हैं, क्योंकि यह सांविधिक आवश्यकता है। लेकिन ये कंपनियां अपनी व्यापारिक राय के आधार पर मोटर निजी–क्षति (ओन डेमेज) कारोबार का बीमांकन कर रही हैं, हालांकि यह कानून अनिवार्य नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में वेयरहाउस

5200. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश राज्य में वेयरहाउस किराए पर देने की समस्या है और भारतीय खाद्य निगम ने खाद्य वस्तुओं के कम उत्पादन के कारण गोदामों को आगे के लिए किराए पर लेने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मुद्दे को हल करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

(i) ऐसे मामलों में जहां गोदाम सभी दृष्टियों से पूर्ण हैं, भारतीय खाद्य निगम को उन्हें अधिग्रहित करने का निदेश दिया गया है। तथापि, गोदामों को पूर्ण करने में जितनी देरी होती है उतनी गारंटी अवधि कम हो जाएगी।

(ii) ऐसे गोदामों, जिनका निर्माण रेलवे साइडिंग के साथ–साथ होना है, के संबंध में सात वर्ष की पूर्ण गारंटी की पेशक़श की जायेगी बशर्ते रेलवे साइडिंग बारह महीनों के भीतर पूरी कर ली जाए।

(iii) उपर्युक्त (ii) में से जहां गोदाम का निर्माण पूरा हो गया है परन्तु रेलवे साइडिंग का निर्माण 12 महीनों के भीतर पूरा नहीं हुआ है वहां भारतीय खाद्य निगम को गोदाम का अधिग्रहण करने का आदेश दिया गया है बशर्ते जब तक रेलवे साइडिंग का कार्य पूरा न हो जाए तब तक

भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय भाड़ों में सामान्य प्रभार के 60% तक की कमी की जाए।

विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण

5201. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने हाल ही में प्रतिभूत ऋण को प्राप्त करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए कोई नए आवेदन/परियोजना प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) केरल में सरकार के आधुनिकीकरण तथा राजकोषीय सुधारों के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच 200 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के एक कार्यक्रम ऋण पर 16 दिसम्बर, 2002 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु जापान बैंक (जेबीआईसी) से सहायता हेतु थीरापथम पर्यटन अवसंरचना परियोजना को प्रस्तुत किया है तथा इसे जापान सरकार के समक्ष प्रस्तुत परियोजनाओं की सूची में शामिल कर लिया गया है जिस पर एफवाई 2003 ऋण पैकेज के अंतर्गत सरकारी विकास सहायता के लिए जापान सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

गेहूं और चावल का वितरण

5202. श्री वाई. जी. महाजन :

श्री खगेन दास :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों में वितरित किए गए गेहूं और चावल की प्रमात्रा कितनी है;

(ख) क्या वास्तव में इन लोगों को गेहूं और चावल प्रदान नहीं किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बीच वितरित की गयी गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है :–

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं
2000–01	59.19	37.59
2001–02	67.40	49.91
2002–03 (फरवरी, 2003 तक)	80.18	66.65

(ख) और (ग) उपभोक्ताओं को उचित दर दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबी रेखा से नीचे की आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभों का पूर्ण उपयोग करे, भारत सरकार नियमित रूप से राज्य सरकारों को परामर्श देती रही है कि वे खाद्यान्नों के उठान में सुधार करें।

[अनुवाद]

नेशनल फाउंडेशन फॉर कारपोरेट गवर्नेंस

5203. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर के उद्योग संघों और व्यावसायिक निकायों के सहयोग से 'नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस' गठित करने का फैसला किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) निगमित शासन के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

[हिन्दी]

पुल-निर्माण हेतु धन

5204. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में संगनपुर में बिहु नदी पर पुल का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव को नाबार्ड के पास भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि बिहार सरकार ने ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ)–VIII के तहत राज्य के वैशाली जिले में मझोलिया मंगनपुर घाट में बाया नदी पर पुल के निर्माण के लिए नाबार्ड को नवम्बर 2002 में प्रस्ताव भेजा था। चूंकि प्रस्ताव में परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा नहीं दिया गया था और यह प्रमुख (नोडल) विभाग अर्थात राज्य के वित्त विभाग के जरिए प्रस्तुत नहीं की गई थी, जो कि आवश्यक पूर्वापेक्षा है, अतः कार्यान्वयन विभाग को प्रमुख विभाग के जरिए अपेक्षित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि यह रिपोर्ट अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

एन. सी. सी. एफ.

5205. श्री रामजी मांझी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री 20.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4897 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जांच पूरी कर ली गई है और इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचना दी है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के निदेशक मंडल की कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में विचारार्थ और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एक बहु–राज्य सहकारी समिति है। इसके कारोबार और अन्य प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई करने के लिए इसका अपना निदेशक मंडल है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीलिंग

5206. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

डा. वी. सरोजा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी निवेश नीति संबंधी मंत्रियों के समूह ने दूरसंचार, नागर विमानन, पेट्रोलियम रिफाइनरी और गैर–न्यूज प्रिंट मीडिया सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में सीलिंग को बढ़ाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तेल रिफाइनरी, विमान पत्तन संबंधी आधार भूत संरचना, दूरसंचार और एयर लाइंस के क्षेत्रों में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सिफारिश की गई है;

(ग) क्या सरकार ने गैर–समाचार वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रवेश द्वारों के बिना इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं के लिए स्व–मार्ग के माध्यम से ई–मेल और वायस मेल को 100 प्रतिशत तक अनुमति दिए जाने का समर्थन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी. आई.) संबंधी मंत्रियों के समूह (जी. ओ. एम.) ने दूरसंचार, नागर विमानन, तेल और प्राकृतिक गैस तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी पत्रिकाओं के प्रकाशन के क्षेत्रों में एफ.डी.आई. की

सीमाओं में छूट देने के लिए मंत्रिमंडल के विचारार्थ सिफारिश की है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा रद्द किए गए लाइसेंस

5207. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री अम्बरीश :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन शेयर दलालों और उपशेयर दलालों का ब्यौरा क्या है जिसके लाइसेंस भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तथा 31 मार्च, 2003 तक रद्द किए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन शेयर दलाली और उपशेयर दलालों का ब्यौरा क्या है जिसके रद्द किए गए लाइसेंस भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा एक से तीन महीने के भीतर रद्द करने के बाद बहाल किए जा चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हैंक रेशे पर सेनवेट की प्रतिपूर्ति हेतु योजना

5208. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हैंक रेशें पर सेनवेट की प्रतिपूर्ति हेतु नई योजना को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह ग्रामीण रोजगार सृजित करने वाले हथकरघा क्षेत्र की मदद करने में कहां तक सहायक होगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के कार्यान्वयन से हथकरघा बुनकरों को पूरे देश में सूती और सेल्यूलोसिक स्पन यार्न, सादा रील हैंक रुप में पैक किया हुआ सेनवेट के मूल्य नेट पर नियमित रुप से प्राप्त होता रहेगा। यह हथकरघा क्षेत्र में रोजगार को बनाए रखने में सहायक होगा।

अनुसूचित जनजातियों का उत्थान

5209. चौ. तालिब हुसैन : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों के उत्थान वाली विशेषकर कन्या छात्रावासों के निर्माण और अन्य कार्यों को करने वाली विभिन्न योजनाओं को कुछ राज्यों ने विशेषकर जम्मू–कश्मीर ने हाथ में नहीं लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे कुछ गैर–सरकारी संगठनों ने छात्रावासों के निर्माण के लिए मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के अनुदान हेतु केन्द्र सरकार को आवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) और (ख) जी नहीं। जम्मू एवं कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों उत्थान के लिए इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं और इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2002–03 के दौरान इन योजनाओं के अर्न्तगत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस मंत्रालय को लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण के लिए वर्ष 2002–03 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अर्न्तगत छात्रावास की परियोजना के अधीन निर्माण के उद्देश्य से अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाता। छात्रावासों को चलाने हेतु आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं।

विवरण

2002–2003 के दौरान राज्यों को निमुक्त निधि

क्रम सं.	राज्य योजनाएं	जनजातियों की योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	गैर सरकारी संगठन	कोचिंग एण्ड एलाईड केन्द्र	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षिक परिसर	राज्य टी.डी.सी.सी. को अनुदान सहायता	ग्राम अन्न बैंक	आदिम जन–जातीय समूहों का विकास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2732.80	2160.30	173.53	8.04	59.40	216.27	480.00	177.72	144.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	300.00	237.78	–	4.80	9.04	–	–	–
3.	असम	3058.99	1023.40	127.94	1.69	63.25	–	–	–	–
4.	बिहार	556.56	209.00	–	–	–	0.30	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	4626.18	2689.50	13.61	–	120.35	9.73	–	–	198.29
6.	गुजरात	3930.91	2250.00	73.44	8.64	34.59	26.35	–	–	20.00
7.	हिमाचल प्रदेश	643.53	80.00	53.08	2.90	–	–	–	–	–
8.	जम्मू – कश्मीर	971.94	318.00	84.01	–	47.72	–	–	–	–
9.	झारखंड	5870.24	2808.00	386.18	–	–	–	–	–	345.00
10.	कर्नाटक	771.33	904.35	252.46	1.76	32.03	–	–	–	81.75
11.	केरल	273.70	588.00	30.08	–	–	–	225.00	–	3.45
12.	मध्य प्रदेश	7833.22	4052.32	68.44	–	44.16	92.46	–	712.16	185.02
13.	महाराष्ट्र	3723.83	2925.00	67.59	–	–	11.13	–	–	127.00
14.	मणिपुर	761.96	424.55	130.87	–	4.80	–	–	–	11.41
15.	मेघालय	–	555.00	295.77	–	2.40	–	100.00	–	–

विवरण

2002–2003 के दौरान राज्यों को निमुक्त निधि

(लाख रुपये में)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	बुक बैंक	कौशल उन्न्यन	लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के छात्रावास	आश्रम स्कूल	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	अनुसूचित जनजातियों द्वारा भ्रमण	राज्य जनजातीय वित्त एवं विकास निगम	गैर सरकारी संगठनों को विशेष प्रोत्साहन	कुल
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
774.88	47.20	12.60	128.00	204.50	–	5.48	2.21	–	–	7327.54
–	–	6.45	20.00	38.00	–	0.44	–	–	–	616.51
1275.94	–	–	–	–	–	5.31	–	–	–	5556.52
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	765.86
32.07	8.21	21.00	–	–	–	–	–	–	–	7718.94
–	10.25	–	–	–	–	6.00	1.95	–	–	6362.13
–	–	–	–	–	–	–	–	19.21	–	798.72
6.50	7.00	2.10	–	–	–	0.44	–	–	–	1437.71
–	–	–	–	–	–	6.00	–	–	–	9415.42
75.38	20.00	–	–	–	130.00	–	–	40.00	10.00	2319.06
–	–	–	–	–	–	2.50	1.94	–	5.00	1129.67
–	30.14	25.80	440.00	422.00	820.00	101.04	–	–	10.00	14836.76
165.02	–	–	–	–	–	6.00	–	100.00	–	7125.57
820.11	–	–	–	–	–	–	2.08	–	–	2155.78
805.98	–	–	13.75	13.75	–	–	–	–	5.00	1791.65

विवरण

2002–2003 के दौरान राज्यों को निमुक्त निधि

क्रम सं.	राज्य योजनाएं	जनजातियों की योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	गैर सरकारी संगठन	कोचिंग एण्ड एलाईड केन्द्र	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षिक परिसर	राज्य टी.डी.सी.सी. को अनुदान सहायता	ग्राम अन्न बैंक	आदिम जन–जातीय समूहों का विकास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मिजोरम	–	240.00	86.46	–	36.00	–	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	42.60	–	29.56	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	6495.30	3641.60	308.93	4.82	87.44	141.99	400.00	–	58.50
19.	राजस्थान	3649.56	2224.48	51.52	–	–	34.47	119.37	–	114.23
20.	सिक्किम	108.02	83.00	15.26	–	–	–	–	–	–
21.	तमिलनाडु	323.32	210.00	62.06	0.20	2.40	0.30	–	–	45.00
22.	त्रिपुरा	1041.03	665.50	15.72	–	54.00	–	122.00	–	15.74
23.	उत्तरांचल	92.91	78.00	51.03	2.67	–	–	–	–	10.00
24.	उत्तर प्रदेश	32.10	27.00	47.33	0.63	–	11.00	–	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	2202.57	1543.00	242.67	–	6.13	42.10	53.63	28.93	15.00
26.	दिल्ली	–	–	82.58	8.79	–	3.78	–	–	–
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	200.85	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	दमन और दीव	99.15	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	दादरा और नगर हवेली	–	–	2.93	–	2.40	–	–	–	–
	कुल	50000.00	30000.00	3003.87	40.14	631.43	598.92	1500.00	918.81	1375.00

विवरण

2002–2003 के दौरान राज्यों को निमुक्त निधि

(लाख रुपये में)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	बुक बैंक	कौशल उन्नयन	लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के छात्रावास	आश्रम स्कूल	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	अनुसूचित जनजातियों द्वारा भ्रमण	राज्य जनजातीय वित्त एवं विकास निगम	गैर सरकारी संगठनों को विशेष प्रोत्साहन	कुल
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
370.98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	733.44
697.19	–	–	32.50	32.50	–	–	–	–	–	834.35
–	5.02	10.20	–	–	–	3.64	–	–	–	11157.44
131.95	5.20	4.45	–	–	–	10.78	1.83	–	–	6347.84
–	–	0.75	–	–	–	–	–	13.79	–	220.82
–	2.64	–	–	–	–	6.97	–	–	–	652.89
–	1.49	2.40	–	–	–	5.00	1.95	27.00	–	1951.83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	234.61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118.06
–	2.85	6.30	–	5.00	–	40.40	–	–	20.00	4208.58
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95.15
1.59	–	–	–	–	–	29.50	–	–	–	231.94
1.05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100.20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.33
5158.64	140.00	92.05	634.25	715.75	950.00	229.50	11.96	200.00	50.00	96250.32

[हिन्दी]

करेंसी नोटों को स्टैपल करना

5210. डा. अशोक पटेल : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंको की करेंसी नोटों की गड्डी को स्टैपल न करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के बावजूद ग्राहकों को किसी बैंक से बिना स्टैपल किए करेंसी नोट नहीं मिलते हैं; और

(ग) यदि हां, तो ग्राहकों को नोटों की स्टैपल की गई गड्डी देने वाले बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बैंक, नोट पैकेटों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और नोटों को बिना स्टेपल किए जारी करने के लिए कदम उठा रहे हैं। भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा बैंकों को हिदायत दी गई है कि वे यथाशीघ्र बिना स्टैपल किए नोट जारी करना शुरू कर दें। हिदायतों का उल्लंघन करने वाले बैंकों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के तहत कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

राज्य वित्तीय निगमों का पुनर्गठन

5211. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य वित्त निगमों (एसएफसीज) का पुनर्गठन करने के लिए राज्य सरकारों से वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा राज्य वित्तीय निगमों का पुनर्गठन करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने राज्य वित्तीय पैकेजों की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य वित्तीय निगमों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के दावे को भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (एसआईडीबीआई) को स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) राज्य वित्तीय निगमों को दीर्घावधि में अर्थक्षम बनाने का समाधान ढूंढने के लिए राज्य वित्तीय निगमों के साथ विचार–विमर्श करता रहा है।

(ग) और (घ) जी. पी. गुप्ता समिति की रिपोर्ट उन सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न राज्य वित्तीय निगमों को भेज दी गई है जिनमें परिचालनात्मक एवं संगठनात्मक पुनर्संरचना जैसी कोई वित्तीय सहायता अंतर्ग्रस्त नहीं है। चूंकि राज्य वित्तीय निगम राज्य स्तरीय संस्थाएं हैं, इसलिए राज्य सरकारें प्रमुख शेयरधारक हैं। इस प्रकार उनसे यह आशा की जाती है कि वें राज्य वित्तीय निगमों के कार्यनिष्पादन में सुधार और उनके पुनर्पूंजीकरण के उपायों पर विचार करें।

(ङ) और (च) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) को परामर्श दिया गया है कि वे राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 4ज के उपबंधों के अनुसार राज्य वित्तीय निगमों में अपनी शेयरधारिता सिडबी को अन्तरित करने के लिए उपाय करें। आईडीबीआई को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे सिडबी को अन्तरित किए जाने वाले राज्य वित्तीय निगमों के शेयरों का मूल्य निर्धारित करने के लिए एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को नियोजित करें।

विदेशी सहायता की निगरानी

5212. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों पर निगरानी रख रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) संविधान के उपबंधों के अंतर्गत, राज्य की कार्यकारी शक्तियां केवल भारत के सीमा–क्षेत्र में ही उधार लेने तक सीमित हैं। साथ ही, संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, "विदेशी ऋण" संघ सूची में शामिल हैं। इसलिए राज्य सरकारें विदेशों/विदेशी संस्थाओं से सीधे ही वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकतीं।

विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं से संबंधित विदेशी सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त की जाती है और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को दे दी जाती है। गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न विदेशी संस्थाओं से लिए गए ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों, संबंधित ऋण प्रभागों और आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू) द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है। आर्थिक कार्य विभाग निष्पादक अभिकरणों और दाताओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित करता है। सहायता के उपयोग में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में ये शामिल हैं– राज्य और केन्द्रीय सरकार के बजटों में विदेशी सहायता–प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना, अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी सहायता देने की प्रक्रिया में मध्यवर्ती प्रणाली को समाप्त करना, कुछ राज्य और केन्द्रीय मंत्रालओं में परियोजना प्रबंधन एककों को मजबूत बनाना, राज्यों के लिए केन्द्रक अधिकारियों की नियुक्ति करना और परियोजना के आरंभ में ही गुणवत्ता के संदर्भ में परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करना इत्यादि।

विवरण

सरकार द्वारा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण

(राशि करोड़ रु. में)

क्रम सं.	ऋण–शीर्षक	करार की तारीख	दाता	राशि	राज्य
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना	4.2.99	आईबीआरडी	1266.71	आंध्र प्रदेश
2	आन्ध्र प्रदेश विद्युत पुनर्संरचना परियोजना	5.3.99	आईबीआरडी	882.87	आंध्र प्रदेश
3	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार परियोजना	15.03.02	आईबीआरडी	595.65	आंध्र प्रदेश
4	पीपीएफ–आंध्र प्रदेश वानिकी प्रबंधन परियोजना	10.12.01	आईडीए	7.15	आंध्र प्रदेश
5	दिल्ली जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	16.8.99	आईबीआरडी	10.82	दिल्ली
6	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	14.12.00	एडीबी	683.84	गुजरात
7	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	14.12.00	एडीबी	911.79	गुजरात
8	गुजरात भूकम्प पुनर्वास एवं पुनर्निमाण	26.4.01	एडीबी	2382.6	गुजरात
9	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना	18.10.00	आईबीआरडी	1736.96	गुजरात

1	2	3	4	5	6
10	कर्नाटक शहरी विकास एवं तटीय पर्यावरण प्रबंधन	19.5.00	एडीबी	797.81	कर्नाटक
11	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	26.7.01	आईबीआरडी	1715.47	कर्नाटक
12	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम	26.7.01	आईबीआरडी	357.39	कर्नाटक
13	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम–II	15.3.02	आईबीआरडी	238.26	कर्नाटक
14	कर्नाटक जलापूर्ति प्रबंधन एवं एमएस परियोजना	23.12.99	आईबीआरडी	6.49	कर्नाटक
15	केरल में सरकार का आधुनिकीकरण एवं राजकोषीय सुधार	16.12.02	एडीबी	967.83	केरल
16	केरल राज्य परिवहन परियोजना	6.5.02	आईबीआरडी	1233.99	केरल
17	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	5.8.02	आईबीआरडी	2240.54	महाराष्ट्र
18	मध्य प्रदेश जन संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम	14.12.99	एडीबी	1081.83	मध्य प्रदेश
19	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	21.03.02	एडीबी	953.04	मध्य प्रदेश
20	मध्य प्रदेश राज्य सड़क क्षेत्र विकास कार्यक्रम	5.12.02	एडीबी	145.17	मध्य प्रदेश
21	मध्य प्रदेश राज्य सड़क क्षेत्र विकास परियोजना	5.12.02	एडीबी	725.88	मध्य प्रदेश
22	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी II) परियोजना	14.7.99	आईबीआरडी	367.82	बहुराज्यीय
23	राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजना	1.12.99	एडीबी	1081.83	राजस्थान
24	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	27.2.01	आईबीआरडी	820.61	राजस्थान
25	द्वितीय तमिलनाडु शहारी विकास परियोजना	14.7.99	आईबीआरडी	454.37	तमिलनाडु
26	उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	19.5.00	आईबीआरडी	683.84	उत्तर प्रदेश
27	उत्तर प्रदेश राजकोषीय सुधार एवं सरकारी क्षेत्र पुनर्संरचना	16.5.00	आईबीआरडी	575.66	उत्तर प्रदेश
28	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	19.2.03	आईबीआरडी	2361.52	उत्तर प्रदेश
29	कलकत्ता पर्यावरणीय सुधार परियोजना	18.12.01	एडीबी	1191.3	पश्चिम बंगाल
30	पश्चिम बंगाल गलियारा विकास परियोजना	10.12.02	एडीबी	1016.23	पश्चिम बंगाल
31	कलकत्ता जलापूर्ति मल–निपटान एवं जलनिकासी परियोजना	23.7.99	आईबीआरडी	10.82	पश्चिम बंगाल
32	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना	4.2.99	आईडीए	1021.73	आंध्र प्रदेश

1	2	3	4	5	6
33	आंध्र प्रदेश जिला निर्धनता उन्मूलन संबंधी उपाय परियोजना	12.5.00	आईडीए	493.47	आंध्र प्रदेश
34	आंध्र प्रदेश आर्थिक कार्यक्रम	15.3.02	आईडीए	608.01	आंध्र प्रदेश
35	आंध्र प्रदेश सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना	8.10.02	आईडीए	548.12	आंध्र प्रदेश
36	गुजरात आपातिक भूकम्प पुनर्निर्माण परियोजना	4.6.02	आईडीए	2282.24	गुजरात
37	भूकम्प के संदर्भ में आजीविका सुरक्षा परियोजना–गुजरात	18.2.02	आईएफएडी	70.13	गुजरात
38	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम	26.7.01	आईडीए	354.57	कर्नाटक
39	कर्नाटक जलसंभर विकास परियोजना	26.7.01	आईडीए	475.57	कर्नाटक
40	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता	8.3.02	आईडीए	716.37	कर्नाटक
41	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम–II	15.3.02	आईडीए	243.81	कर्नाटक
42	कर्नाटक सामुदायिक जलाशय प्रबंधन	4.6.02	आईडीए	512.86	कर्नाटक
43	केरल ग्रमीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता	4.1.01	आईडीए	298.22	केरल
44	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	5.08.02	आईडीए	400.67	महाराष्ट्र
45	मध्य प्रदेश जिला निर्धनता उन्मूलन संबंधी उपाय परियोजना	5.12.00	आईडीए	501.2	मध्य प्रदेश
46	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी II) परियोजना	14.7.99	आईडीए	217.83	बहुराज्यीय
47	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	19.5.00	आईडीए	488.7	बहुराज्यीय
48	तृतीय तकनीकी शिक्षा परियोजना	18.10.00	आईडीए	291.08	बहुराज्यीय
49	तकनीकी/इंजीनियरी शिक्षा स्तर सुधार	4.2.03	आईडीए	1211.64	बहुराज्यीय
50	झारखण्ड–छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास कार्यक्रम	25.6.99	आईएफएडी	100.06	बहुराज्यीय
51	मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	6.5.02	आईडीए	304.51	मिजोरम
52	उड़ीसा जल संसाधन समेकन भाग–ज	18.12.00	आईडीए	208.34	उड़ीसा
53	राजस्थान जिला निर्धनता उन्मूलन संबंधी उपाय परियोजना	12.5.00	आईडीए	446.44	राजस्थान
54	राजस्थान द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	27.7.01	आईडीए	352.17	राजस्थान
55	राजस्थान जलक्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	15.3.02	आईडीए	662.19	राजस्थान

1	2	3	4	5	6
56	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास	14.1.99	आईडीए	557.57	महाराष्ट्र
57	उत्तर प्रदेश लवण भूमि सुधार परियोजना II	4.2.99	आईडीए	807.02	उत्तर प्रदेश
58	उत्तर प्रदेश राजकोषीय सुधार और सरकारी क्षेत्र पुनर्संरचना	16.5.00	आईडीए	555.37	उत्तर प्रदेश
59	उत्तर प्रदेश जलक्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	8.3.02	आईडीए	704.33	उत्तर प्रदेश

नोटों की तस्करी

5213. श्री परसुराम माझी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में करेंसी नोटों की तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नोटों की तस्करी के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान नोटों की तस्करी के लिए दोषी प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) देश में नोटों की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ब्रिटेन के साथ व्यापार संबंध

5214. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन क्षेत्रों में भारत-ब्रिटेन व्यापार संबंध सुदृढ हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने तत्संबंधी परिणामों की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का आगामी पांच वर्षों में भारत-ब्रिटिश व्यापार को दोगुना करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(च) इसके संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) इस समय भारत ब्रिटेन व्यापार जिन क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं उनमें वस्त्र/चमड़ा क्षेत्र के उत्पाद, इंजीनियरी वस्तुएं, समुद्री उत्पाद, चाय रत्न/आभूषण, रसायन, मशीनरी, परिवहन उपकरण, परियोजना सामान, व्यावसायिक उपकरण इत्यादि शामिल हैं।

(ख) और (ग) ब्रिटेन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है और इसलिए भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की लगातार समीक्षा की जाती है। इस प्रकार की समीक्षाओं में भारत-ब्रिटेन तथा भारत-ईयू बाजार पहुंच में आने वाले अवरोधों का समुचित ढंग से निराकरण किया जाता है।

(घ) से (च) दोनों पक्षों के व्यापार एवं उद्योग जगत ने अन्य बातों के साथ-साथ अगले पांच वर्षों में भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर दुगुना 10 बिलियन पाउंड प्रति वर्ष तक करने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। ऐसी भागीदारी के लिए अभिज्ञान किए गए नए क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी/समर्थित सेवाएं, जैव प्रौद्योगिकी, प्रसंस्कृत खाद्य, गैर-जीएमओ उत्पाद, स्वास्थ्य रक्षा/भेषज/संपूरक दवाइयां, मीडिया तथा अवस्थापना क्षेत्र शामिल हैं।

आयकर निर्धारिती

5215. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में आयकर निर्धारितियों के आंकड़ों का रख-रखाव कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 2002 के अनुसार तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निर्धारितियों से वर्ष 2000–01, 2001–2002 में प्राप्त किए गए आयकर का राज्यवार कुल मूल्य क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक आयकर निर्धारिती को केन्द्रीयकृत कम्प्यूटरीकरण नेटवर्क जैसे एक नेटवर्क के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी. एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार निर्धारितियों का ब्यौरा संलग्न विवरण –I के अनुसार है।

विवरण-I

आयकर निर्धारितियों का ब्यौरा – मुख्य आयुक्त क्षेत्रवार

क्रमांक	मुख्य आयकर आयुक्त	31 दिसम्बर, 2002 को कर निर्धारितियों की कुल संख्या
1	2	3
1	कोलकाता	23.02
2	दुर्गापुर	3.88
3	जलपाईगुड़ी	2.87
4	चेन्नई	12.16
5	कोयम्बतूर	7.13
6	त्रिची	5.85
7	मदुरै	4.57
8	दिल्ली	20.38
9	मुंबई	22.48
10	पुणे	11.99
11	थाणे	5.17
12	नासिक	7.50
13	नागपुर	5.73
14	अहमदाबाद	8.66
15	सूरत	4.93
16	राजकोट	5.48
17	वड़ोदरा	4.02
18	लखनऊ	4.47
19	बरेली	2.88
20	इलाहाबाद	4.70
21	बंगलौर	10.64
22	हुबली	3.97
23	पणजी	4.56
24	जयपुर	6.81
25	जोधपुर	4.84
26	उदयपुर	5.80
27	हैदराबाद	14.33
28	विशाखापत्तनम	4.07
29	भोपाल	6.81
30	रायपुर	3.90

(ग) राज्यवार वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के संबंध में वसूल किए गए आयकर का कुल मूल्य संलग्न विवरण–II के अनुसार है।

(घ) आयकर विभाग ने अनूठी अखिल भारतीय स्थायी खाता संख्या (पैन) वाले सभी करदाताओं का अभिनिर्धारण करते हुए एक व्यापक कम्पयूरीकरण कार्यक्रम शुरु किया है। सभी आयकर कार्यालयों को चरणबद्ध ढंग से अखिल भारतीय नेटवर्क पर लाया जा रहा है। यह कार्य 60 शहरों में पूरा हो गया है। शेष 418 शहरों को कम्पयूटरीकरण कार्यक्रम के चरण–III में नेटवर्क पर लाया जाएगा।

1	2	3
31	इंदौर	5.01
32	पंचकुला	7.56
33	चंडीगढ़	5.19
34	अमृतसर	7.76
35	लुधियाना	7.35
36	शिमला	2.36
37	कानपुर	5.04
38	मेरठ	5.39
39	देहरादून	2.84
40	कोचीन	5.04
41	त्रिवेन्द्रम	3.55
42	भुवनेश्नर	5.71
43	पटना	7.59
44	रांची	5.44
45	गुवाहाटी	4.67
46	शिलांग	2.78
	योग	316.88

विवरण-II

आयकर तथा सकल प्रत्यक्ष कर वसूलियों का राज्यवार ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ में)

क्रमांक	राज्य	वित्त वर्ष 2000–2001		वित्त वर्ष 2001–2002	
		आयकर	कुल प्रत्यक्ष कर	आयकर	कुल प्रत्यक्ष कर
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1417.49	2481.07	1638.86	2584.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.01	5.01	2.84	2.84
3.	असम	486.19	681.13	301.83	508.70
4.	बिहार	583.91	606.32	336.87	348.31
5.	छत्तीसगढ़	–	–	245.35	591.20
6.	गोवा	137.78	208.72	141.31	180.27
7.	गुजरात	1944.88	2714.28	1710.43	2640.99
8.	हरियाणा	466.14	569.48	587.11	712.77
9.	हिमाचल प्रदेश	131.88	203.99	130.48	160.00
10.	झारखंड	–	–	405.55	400.10

1	2	3	4	5	6
11.	जम्मू–कश्मीर	108.96	162.80	119.53	215.90
12.	कर्नाटक	2304.77	3564.97	2597.54	4027.53
13.	केरल	646.89	1017.09	674.24	1101.92
14.	मध्य प्रदेश	758.20	1630.29	713.44	1236.61
15.	महाराष्ट्र	9657.20	26501.28	9255.17	25745.16
16.	मणिपुर	13.21	13.43	10.74	10.75
17.	मेघालय	21.74	24.06	41.21	44.93
18.	मिजोरम	0.31	0.31	0.21	0.21
19.	नागालैंड	3.48	3.55	4.40	4.48
20.	नई दिल्ली	4186.67	10165.74	4031.11	11141.27
21.	उड़ीसा	246.01	807.88	343.03	801.54
22.	पंजाब	708.75	1098.28	732.22	1051.73
23.	राजस्थान	640.71	766.15	658.63	847.79
24.	सिक्किम	1.00	1.00	2.75	2.87
25.	तमिलनाडु	2603.26	4493.71	2750.36	4496.53
26.	त्रिपुरा	22.22	22.28	26.03	26.19
27.	उत्तर प्रदेश	1548.82	5894.51	1376.27	1569.56
28.	उत्तरांचल	–	–	151.63	4000.49
29.	पश्चिम बंगाल	1819.23	3301.11	1818.30	3386.79
	योग	30464.71	66938.44	30807.43	67841.57

निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन

5216. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा किए जा रहे कर अपवंचन के मामलों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन सी कम्पनियां हैं जिनके विरुद्ध गत एक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर अपवंचन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध व्यापक कार्यवाही करने हेतु एक कृतिक बल गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) आयकर विभाग को निजी क्षेत्र की कम्पनियों सहित विभिन्न श्रेणियों के कर निर्धारितियों द्वारा कर अपवंचन के मामलों का पता चला है।

(ख) ऐसी सूचना केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) से (ङ) सरकार ने निजी क्षेत्र की कम्पनियों सहित आयकर अपवंचन के मामलों की जांच करने के लिए पहले ही उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालयों का सृजन किया है। आयकर अपवंचन के मामलों से निपटने के लिए कानून के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

आश्रम स्कूल

5217. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान जनजातीय लोगों के लिए स्वीकृत आश्रम स्कूलों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या विशेषकर महाराष्ट्र में इन स्कूलों के कार्यकरण में कोई अनियमितता पाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) संबंधित सूचना संलग्न विवरण में है।

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए सांझा लागत (50–50) के आधार पर सहायता अनुदान देती है। इस प्रकार के निर्मित आश्रम स्कूलों को चलाने के लिए दैनिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य का होता है। तथापि विशेष रूप से महाराष्ट्र में आश्रम स्कूलों के निष्पादन में अनियमितता संबंधी कोई मामला जनजातीय कार्य मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	वर्ष 2001–2002 में स्वीकृत आश्रम स्कूलों की संख्या।	वर्ष 2002–2003 में स्वीकृत आश्रम स्कूलों की संख्या।
1	आन्ध्र प्रदेश	7	0
2	गुजरात	43	0
3	त्रिपुरा	1	0
4	कर्नाटक	9	5
5	छत्तीसगढ़	46	0
6	मध्य प्रदेश	0	130
	कुल	106	135

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों की निगरानी हेतु तंत्र

5218. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित गैर–सरकारी संगठनों की गतिविधियों की निगरानी हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कपटी तथा गैर–निष्पादक गैर–सरकारी संगठनों को किस प्रकार का दंड दिया गया है;

(घ) क्या गैर–सरकारी संगठनों को जारी दिशा–निर्देशों को बार–बार परिवर्तित किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान मणिपुर में जनजातीय मामलों के लिए कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जी हां। इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की निगरानी सामान्य वित्त नियमों के

विभिन्न संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। प्रत्येक वर्ष अनुदानों की निर्मुक्ति पर विचार करने के लिए जिला कलैक्टर द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना और राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की जानी आवश्यक होती है। जब और जहां आवश्यक समझा जाए मंत्रालय और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों को इन संगठनों का निरीक्षण करने के लिए तैनात किया जाता है।

(ग) ऐसे संगठनों को सहायता अनुदान तत्काल रोक दिए जाते हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारों से इन गैर सरकारी संगठनों को पहले से निर्मुक्त सहायता अनुदान की राशि प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत ब्याज दर सहित वसूल करने का अनुरोध किया जाता है। जिन संगठनों के कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने का संदेह होता है उनके विरुद्ध राज्य सरकार के माध्यम से अपराधिक मुकद्दमा भी चलाया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वर्ष 2000–01, 2001–02 और 2002–03 के दौरान मणिपुर में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की स्वीकृत निधियां हैं –

क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (रूपये लाखों में)		
		2000–01	2001–02	2002–03
1	अनूसूचित जनजातियों के कल्याण में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	93.00	70.13	124.34
2	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	–	–	4.60
3	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	–	–	6.25

पिछड़े जनजातीय क्षेत्र

5219. **श्री सी. श्रीनिवासन :**

श्री अम्बरीश :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अधिकतम पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) जनगणना 2001 के आधार पर इन क्षेत्रों की राज्यवार कुल जनसंख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन जनजातीय क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों में रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) सरकार ने किन्ही विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों की अत्यन्त पिछड़े के रुप में पहचान नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भुखमरी

5220. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :**

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

श्री जी. गंगा रेड्डी :

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

श्री सुबोध मोहिते :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों में मानसून के न आने से इन राज्यों में व्यापक भुखमरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में बच्चे भूख, भुखमरी से प्रभावित हैं और क्या वे कुपोषित हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में भुखमरी को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा "भूखमरी से मौत" का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कठिनाइयों को कम करने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन वर्ष 2002–03 के लिए सूखा प्रभावित राज्यों को 63.40 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त आबंटित किए गए थे। वर्ष 2003–04 के दौरान अब तक 18.57 लाख टन मात्रा और आबंटित की गई है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्पों की मांग

5221. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय हस्तशिल्प के सामानों की बढ़ती मांग का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारतीय हस्तशिल्प की मांग संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है;

(घ) अधिक मांग वाले बाजारों सहित हस्तशिल्प के सामान के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या घरेलू बाजार में हस्तशिल्पों की मांग बढ़ी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) जी हां। हाथ से गुंथे कालीनों को शामिल करते हुए भारतीय हस्तशिल्प मदों की मांग में वृद्धि का मूल्यांकन समय–समय पर सरकार द्वारा हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् के मार्फत किया जाता है। यह मूल्यांकन देश और विदेशों में आयोजित होने वाले विभिन्न मेलों महोत्सवों में भाग लेने के मार्फत निर्यातकों को प्राप्त होने वाले निर्यात आर्डरों के साथ–साथ वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा प्रकाशित विदेश–व्यापार सांख्यिकी (देशों की मुख्य व्यापारी वस्तुएं) से संकलित निर्यात आकड़ों के आधार पर किया जाता है।

(ग) वर्ष 2000–2001, 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान हाथ से गुंथे कालीनों को शामिल करते हुए हस्तशिल्पों का निर्यात क्रमशः 9270.50 करोड़ रुपये, 9205.63 करोड़ रुपये और 10933.67 करोड़ रुपये रहा है। वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान हाथ से गुंथे कालीनों को शामिल करते हुए हस्तशिल्पों के देशवार निर्यात आकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 2002–03 के लिए देशवार निर्यात आकड़े वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा संकलित मुद्रित आकड़े उपलब्ध न होने के कारण उपलब्ध नहीं है।

(घ) अधिक मांग वाले बाजारों की सूची में शामिल हस्तशिल्प मदों के नाम इस प्रकार से है : कशीदाकारीकृत एवं क्रोशिए की वस्तुएं, कलात्मक धातुपात्र, शॉल, हाथ से छपे वस्त्र एवं स्कार्फ, ज़री एवं ज़री की वस्तुएं, और नकली आभूषण आदि।

(ङ) और (च) हस्तशिल्प मदों की घरेलू खपत के संबंध में कोई ठोस आकड़े उपलब्ध नहीं है तथापि दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए हस्तशिल्प के सब ग्रुप ने अनुमान लगाया है कि नवीं योजना के दौरान घरेलू बाजार वर्ष 1997–98 में 4535.95 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2000–2001 में 7069.94 करोड़ रुपये का हो गया है जोकि 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

विवरण

हाथ से गुंथे कालीनों को शामिल करते हुए हस्तशिल्पों का देशवार निर्यात

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	देश का नाम	2000–2001	2001–2002
1.	आस्ट्रेलिया	141.37	127.55
2.	कनाडा	277.12	265.74
3.	फ्रांस	388.62	369.94
4.	जर्मनी	1309.05	1331.02
5.	इटली	285.91	274.39
6.	जापान	310.40	291.40
7.	नीदरलैंड	216.89	204.53
8.	सऊदी अरब	161.30	159.65
9.	स्वीट्ज़रलैंड	126.97	165.12
10.	यू. एस. ए.	3166.85	3189.87
11.	यू. के.	875.86	877.34
12.	अन्य देश	2010.17	1958.08
	कुल	9270.50	9205.63

[अनुवाद]

निविदाओं की स्वीकृति पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

5222. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस संबंध में जानकारी एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार ने वे संशोधित कीमतें स्वीकार कर ली हैं जिनकी कीमतें पहले की बोली में अधिकतम थी और उनकी कीमतें अब भी अधिक हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस मामले में जांच का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) चेन्नई पत्तन न्यास ने नव निर्मित इन्नोर पत्तन पर प्रचालन के लिए 3 टगों और 2 पायलट क्राफ्टों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। ये प्रस्ताव 90 दिन की अवधि (20 अप्रैल, 1998 तक) के लिए वैध होने थे। तथापि, परामर्शदाता ने अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समय लगा दिया और बढ़ाई गई वैधता अवधिक के दौरान भी फर्म को आदेश नहीं दिया जा सका। न्यूनतम बोलीदाता ने अपने प्रस्ताव की वैधता 20 जुलाई, 1998 के बाद नहीं बढ़ाई। तब चेन्नई पत्तन न्यास ने अगले न्यूनतम बोलीदाता से बातचीत की और वार्तातय कीमत पर आदेश दे दिया। नियंत्रक महालेखापरीक्षक का विचार यह है कि अगले न्यूनतम बोलीदाता के मूल प्रस्ताव में 5% पर बिक्री कर और 2.5% पर पण्यावर्त बिक्री कर का अंश शामिल था तथा बातचीत से पूर्व मूल कीमत 53.05 करोड़ रुपए आती जबकि पत्तन ने 55.14 करोड़ रुपए की वार्तातय मूल कीमत पर आदेश दे दिया जिसके परिणामस्वरूप मूल कीमत में 2.09 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ और कर में 0.23 करोड़ रुपए की तदनुरूपी वृद्धि हुई। पत्तन का विचार यह है कि मूल

प्रस्ताव में शामिल किए गए 5% पर निर्माण कार्य संविदा पर बिक्री कर और 2.5% पर पण्यावर्त कर का अंश केवल संघटकों के लिए था न कि सम्पूरित पोत पर था जिसे मूल कीमत निर्धारित करने के लिए छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। इस मामले पर जहाजरानी मंत्रालय में विचार किया जा रहा है और अंतिम दृष्टिकोण अभी निर्धारित किया जाना है।

(घ) से (छ) चूंकि निविदा विशेष के ब्योरे का उल्लेख नहीं किया गया है अतः संबंधित विभाग अर्थात कार्मिक, लोग शिकायत और पेंशन मंत्रालय के लिए प्रश्न के वर्तमान स्वरूप में उसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

बैंकों से फसल ऋण का प्रावधान

5223. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002–2003 के दौरान मध्य प्रदेश में फसल ऋण प्रदान करने में सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कितना प्रतिशत योगदान रहा है;

(ख) क्या कुल फसल ऋण (अल्पावधि कृषि ऋण) का लगभग 73 प्रतिशत ऋण राज्य द्वारा प्रदान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2002–2003 (30 सितम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार) फसल ऋणों की एजेंसी–वार उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :–

एजेंसी	उपलब्धियां 2002–2003 (30 सितम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार)	
	राशि (करोड़ रुपए)	कुल शेयर का प्रतिशत
1	2	3
वाणिज्यिक बैंक	297.68	22.7
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	897.63	68.5
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	114.65	8.8
कुल	1,309.96	

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि हेतु संस्थागत वित्त बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें विशेष कृषि ऋण योजनाओं का निर्माण, विशेष कृषि वित्त शाखाओं को खोलना, किसान क्रेडिट कार्ड योजनाओं को लागू करना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (आरकेबीवाई) को लागू करना, कृषि ऋण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित प्रक्रियात्मक संशोधनों को लागू करना, नाबार्ड के साथ ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना, कृषि क्लीनिकों एवं कृषि वाणिज्य केन्द्रों को वित्त प्रदान करने वाली योजना को लागू करना, कृषि कार्यों के लिए भूमि खरीद के लिए किसानों को वित्त प्रदान करने वाली योजना को लागू करना, प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के तहत विपणन ऋणों को उत्पन्न करना, आदि शामिल हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के लागू करने से भारतीय पटसन निगम को नुकसान

5224. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष1996–97 से 2002–03 के दौरान जूट के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लागू करने से भारतीय पटसन निगम को वर्षवार नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए बजट में कितनी अनुमानित और पुनरीक्षित राशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य के लागू करने से भारतीय पटसन निगम को वर्षवार कितना नुकसान हुआ और उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इसकी वर्षवार कितनी प्रतिपूर्ति की गई;

(ग) क्या भारतीय निगम वर्ष 2002–03 के दौरान धान के अभाव में विशेषकर सरकार द्वारा नुकसान की प्रतिपूर्ति

समय से न किए जाने के कारण काफी समय तक न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं कर सका था;

(घ) यदि हां, तो भविष्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारतीय पटसन निगम के नुकसान की समय से प्रतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार भारतीय पटसन निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लागू करने से होने वाले नुकसान की समय से प्रतिपूर्ति हेतु परिक्रामी कोष का सृजन करने पर विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) वर्ष 1996–97 से 2002–03 के दौरान पटसन में न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान हेतु भारतीय पटसन निगम लि. के मामले में बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन दिए गए है :–

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन		संशोधित प्राक्कलन	
	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी
1996–97	6.00	–	15.75	–
1997–98	6.00	–	26.00	–
1998–99	16.00	–	20.00	–
1999–00	16.00	–	16.00	–
2000–01	53.80	–	35.00	–
2001–02	35.00	–	35.00	–
2002–03	–	35.00	–	30.00

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान में जे.सी.आई. द्वारा उठाए गए वर्षवार घाटे तथा सरकार द्वारा की गई प्रतिपूर्ति नीचे दी गई है :–

(करोड़ रु में)

वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान संबंधी घाटा	सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति	
		ऋण के माध्यम से	सब्सिडी के माध्यम से
1996–97	32.76	15.75	–
1997–98	–	26.00	–
1998–99	35.07	14.66	–
1999–00	26.59	21.34	–
2000–01	17.01	35.00	–
2001–02	24.43	35.00	–
2002–03 (अनुमानित)	23.00	–	30.00
कुल:	158.86	147.75	30.00

1996–97 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान में घाटा शून्य दिखाया गया है क्योंकि उस वर्ष कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान नहीं हुआ था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई 30.00 करोड़ रुपए के अलावा सरकार ने जे.सी.आई. द्वारा मूल्य समर्थन और वाणिज्यिक क्रियाकलाप दोनो हेतु 99.00 करोड़ रुपए की सीमा तक नकद ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए मार्जिन धन के लिए 33.00 करोड़ रुपए की गारंटी दी।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

घुमंतू जनजातियाँ

5225. श्री खगेन दास : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी भी कई जनजातियां घुमंतू जीवन यापन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी जनजातियां राज्यवार कौन–कौन सी हैं और उनकी कुल जनसंख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें शिक्षित करने और स्थायी रूप से बसाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) "घुमन्तू जनजातियों" को उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी सामाजिक – आर्थिक स्थितियों के आधार पर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि "घुमन्तू जनजातियों" के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है तथापि अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में उनके वर्गीकरण के अनुसार वे सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ और रियायतों का लाभ उठाने की पात्र हैं।

बोतलबंद पानी हेतु नया मानक

5226. श्रीमती रेणूका चौधरी :

श्री रामसिंह राठवा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय मानदंडों के आधार पर बोतलबंद पानी के लिए नया मानक आरंभ करने हेतु निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत में बोतलबंद पानी हेतु नए संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) भारतीय मानक ब्यूरो ने पैकेज में रखे पेय जल और प्राकृतिक खनिज जल के लिए भारतीय मानकों में संशोधन पहले ही तैयार कर लिए हैं ताकि उन्हें पेस्ट नाशी अवशिष्टों के लिए विश्व के सर्वोतम नार्मों के अनुरूप बनाया जा सके। उनको खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में शामिल कर लिए जाने के बाद कार्यान्वित किया जाएगा जिसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।

लघु बचत एजेन्टों के कार्य निष्पादन संबंधी विवरण

5227. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन. एस. ओ. डिवीजन द्वारा गत दो वर्षों में पी.पी.एफ. और अन्य योजनाओं के लिए लघु बचत एजेंटों के कार्यनिष्पादन के संबंध में समेकित विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एन.एस.ओ. डिवीजन द्वारा ऐसा विवरण कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा लघु बचत एजेंटों के कार्य–निष्पादन के संबंध में कोई समेकित विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होता है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर में रेशम कीट पालन की संभावना

5228. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु रेशम उद्योग के पास बेहतर संभावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र में व्यवस्थित रेशम पालन को प्रोत्साहित करने हेतु उत्प्रेरक विकास प्रगति के अंतर्गत क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) जी हां। रेशम उद्योग के संवर्द्धन के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा पूर्वोतर क्षेत्रों को शामिल करते हुए, राज्य सरकारों के सहयोग से कई केन्द्रीय व केंद्रीय रूप से प्रायोजित प्लान योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, जिनमें उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) एक प्रमुख योजना है। उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) शहतूती, तसर, ऐरी व मूगा रेशम के उत्पादों के खाद्य पौध उपजाने से विपणन तक के प्रचालनों में अंशधारकों को सहायता प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी अपनाने, निवेश सृजन, उत्पादकता सुधार व रोजगार सृजन इस कार्यक्रम के मूलभूत उद्देश्य हैं। दसवीं

योजना के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के तहत कार्यान्वित योजनाओं की सूची और दसवीं योजना के दौरान इनके घटकों का संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

नौवीं तथा दसवीं योजना (2002–03) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

	कुल व्यय	पूर्वोत्तर क्षेत्र	असम
नौवीं योजना	47.56	9.15	4.88
दसवीं योजना (2002–03) (अ)	36.38	2.94	1.19

विवरण - I

दसवीं योजना के दौरान राज्यों में कार्यान्वित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत योजनाओं की सूची :

क्रम संख्या	योजना का नाम
1	2
1.	मल्टीएंड रील तैयार करने वाले एककों के प्रयोग को बढ़ावा देकर उच्चकोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन में बढ़ोतरी की योजना
2.	हथकरघा रेशम प्रसंस्करण के लिए सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करना
3.	उद्यम विकास कार्यक्रम
4.	उच्चकोटि रेशम उत्पादन हेतु वृद्धि केंद्रों को तैयार करना
5.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ोतरी संबंधी सहायता
6.	रील तैयार करने वाले एककों की सहायता
7.	रील बनाने वाले क्षेत्र में पृष्ठवर्ती एकीकरण का प्रदर्शन
8.	सस्ती भट्टियों के माध्यम से संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी का संवर्द्धन
9.	सह–उत्पादों के प्रयोग को विकसित करने की परियोजना
10.	रेशम फैशन परिधानों की परियोजना के लिए आईएसईपीसी को सहायता
11.	राज्यों में उन्नत किस्म के शहतूती किस्मों के बैंकों का सृजन
12.	नए शहतूती रेशम उत्पादकों को खेतों में प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक उपकरणों की आपूर्ति
13.	गैर परंपरागत राज्यों में बीज व रील बनाने के क्षेत्र में विद्यमान राज्य/राज्यवत्त/सहकारी अध्यसंरचना के उपकरणों के उन्नयन के लिए सहायता
14.	ड्रिप सिंचाई के माध्यम से संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन
15.	राज्यों को निपुण रील तैयार करने वालों से संबंधित सहायता
16.	शहतूती के लिए उपज बीमा सहायता
17.	तसर के लिए बीज गुणन अध्यसंरचना के उन्नयन हेतु राज्यों को सहायता
18.	उष्णकटिबंधीय तसर के लिए सुधरे हुए रील तैयार करने/कताई उपकरणों के उन्नयन व उन्हें लोकप्रिय बनाने हेतु एजेंसियों (गैर–सरकारी संगठन/सहकारी समितियों) को सहायता
19.	तसर के लिए उपज बीमा सहायता
20.	प्रारंभिक उपकरणों के प्रशिक्षण व आपूर्ति सहित एरी खाद्य पौद्य में प्रक्रियात्मक रूप से पौधाकरण का प्रदर्शन
21.	ऐरी के लिए बीज गुणन अध्यसंरचना के उन्नयन हेतु राज्यों को सहायता
22.	सुधरी किस्म के ऐरी कताई उपकरणों के उन्नयन व उन्हें लोकप्रिय बनाने हेतु एजेंसियों (गैर–सरकारी संगठन/सहकारी समितियों) को सहायता

1	2
23.	मूंगा खाद्य पौद्य की बढ़ोतरी
24.	मूगा उत्पादन की कार्रवाई के लिए किसानों को प्रशिक्षण व आरंभिक उपकरण उपलब्ध करना
25.	मूगा के लिए बीज गुणन अध्यसंरचना के उन्नयन हेतु राज्यों को सहायता
26.	उच्चकोटि के मूगा बीजों के उत्पादन के लिए निजी बीज उत्पादकों को सहायता के लिए प्रारंभिक योजना
27.	मूगा के लिए रील तैयार करने/कताई संबंधी सुधरी किस्म के यंत्रों को लोकप्रिय बनाने हेतु एजेंसियों (गैर–सरकारी संगठन/सहकारी समितियों) को सहायता
28.	मूगा के लिए उपज बीमा सहायता
29.	उत्कृष्ट असंक्रामित सामग्री की आपूर्ति को संस्थागत् बनाने के लिए सहायता
30.	गैर परंपरागत राज्यों में उत्कृष्ट कोया खरीद प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता
31.	उत्कृष्ट यार्न खरीद प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता
32.	राज्यों द्वारा रील तैयार करने से पूर्व उत्पादकता संबंधी सुधार के प्रदर्शन–स्वरूप उपाय को अपनाने के लिए सहायता
33.	अध्ययनों, परामर्शों तथा सर्वेक्षणों के लिए सहायता
34.	आंकड़ों पर आधारित विकास के लिए सहायता
35.	स्थानीय भाषाओं में विस्तार व प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए सहायता
36.	उत्पाद विकास, विविधिकरण व क्रेता जागरूकता कार्यक्रमों के लिए सहायता

विवरण - II

दसवीं योजना के दौरान (2002–07) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम

क्रम संख्या	उप–घटक/गतिविधियां
1	2
I	शहतूती क्षेत्र/घटक
1.	डॉस (द्विफसलीय के लिए) की सैपलिग की लागत की प्रतिपूर्ति
2.	किसानों को पालन संबंधी उपकरण/खेती के उपकरणों की आपूर्ति :–
(क)	नए शहतूती रेशम–उत्पादकों (सामान्य किसानों के लिए) को खेत में प्रशिक्षण प्रारंभिक उपकरणों की आपूर्ति
(ख)	किसानों को पालन संबंधी उपकरणों/खेती के उपकरणों की आपूर्ति (द्विफसलीय के लिए)
3.	ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता प्रदान करना
4.	उच्चकोटि की संक्रमणरोधी सामग्री की आपूर्ति
5.	बीज तथा रील तैयार करने में विद्यमान राज्य/राज्यरत्/सहकारी अध्यसरंचनाओ के उपकरणों का उन्नयन
6.	किसानों को पालन–गृहों के निर्माण हेतु सहायता
7.	चाकी पालन केंद्र – सीआरसी भवन का निर्माण व चाकी पालन उपकरणों की खरीद के लिए सहायता
8.	उपज बीमा सहायता
II	तसर क्षेत्र/घटक
1.	आवर्धन/व्यवस्थित तसर का रखरखाव/ओक तसर होस्ट पौधाकरण के लिए सहायता
2.	राज्यों में तसर/ओक तसर बीज गुणन अध्यसंरचना के रखरखाव के लिए सहायता
3.	निजी तसर उत्पादकों को सहायता
4.	तसर के लिए उपज बीमा सहायता
III	एरी क्षेत्र/घटक
1.	एरी भोज्य पौध के आवर्धन हेतु प्रशिक्षण व प्रारंभिक उपकरण
2.	ऐरी खेत और बीज उत्पादकों के सुदृढ़िकरण के लिए राज्यों को सहायता
IV	मूगा क्षेत्र/घटक
1.	मूगा भोज्य पौध का आवर्धन
2.	मूगा बीज गुणन अध्यसंरचना का सुदृढ़िकरण

1	2
3.	निजी मूगा उत्पादकों को सहायता
4.	मूगा के लिए उपज बीमा सहायता
V	कोया पश्चात क्षेत्र/घटक
1.	बहुपयोगी रेशम धागा बनाने वाली मशीनों की आपूर्ति
2.	धागा बनाने वाले एककों को सहायता :–
(क)	बैंक द्वारा धागा बनाने वाले एककों को स्वीकृत कार्यशील पूंजीगत् ऋण पर ब्याज की सब्सिडी
(ख)	बहुउपयोगी धागा बनाने वाली मशीनों पर द्विफसलीय रेशम के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन
3.	गुणवत्ता सेवा क्लब:
(i)	कोया गुणवत्ता ग्रेडिंग उपकरण की खरीद
(ii)	अपरिष्कृत रेशम परीक्षण उपकरण की खरीद
4.	राज्यों को रील तैयार करने वाले निपुण बुनकर/रंजक उपलब्ध कराना
5.	सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना
6.	कोयों व रेशम यार्न के लिए उत्कृष्ट कीमत सहायता योजना
7.	सुधरी किस्म के धागाकरण/कताई यंत्रों के उन्नयन व उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए अभिकरणों (गैर सरकारी संगठन/सहकारी समितियां) को सहायता
VI	उद्यम संवर्द्धन व प्रशिक्षण
VII	स्थानीय भाषाओं में विस्तार व प्रचार सामग्री

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास केन्द्र

5229. श्री राम सिंह राठवा :

श्री अनन्त नायक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज तक स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थानवार तथा राज्य वार संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन केन्द्रों को केन्द्रवार कितनी धनराशि प्रदान की गयी;

(ग) दिनांक 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक केन्द्र की समग्र वित्तीय स्थिति क्या है;

(घ) मार्च, 2003 के अनुसार प्रत्येक राज्य में कितने केंद्र कार्य करने लगे हैं;

(ङ) शेष केंद्रों की धीमी प्रगति के संबंध में कौन–से कारक जिम्मेदार हैं;

(च) इन केंद्रों के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है;

(छ) क्या राज्यों के पिछड़े हुए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इन केन्द्रों के प्रभाव का निर्धारण करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने जून, 1988 में विकास केंद्र योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत देशभर में 71 औद्योगिक विकास केंद्रों को विकसित करने का प्रस्ताव है। इन्हें विद्युत, जल, दूरसंचार, बैंकिंग इत्यादि जैसे मौलिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ताकि राज्य उद्योगों को आकर्षित कर सकें। केंद्र सरकार इक्विटी के रूप में प्रति विकास केंद्र 10 करोड़ रुपये (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में विकास केंद्रों के मामले में 15 करोड़ रुपये) की राशि का योगदान देगी। राज्य सरकार शेष निधि जुटाने और परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है। विकास हेतु प्रस्तावित 71 औद्योगिक विकास केंद्रों में से अभी तक 68 औद्योगिक विकास केंद्रों को स्वीकृत किया गया है। इन विकास केंद्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

(ङ) और (च) कुछ विकास केंद्रों की धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारक ये हैं:– स्थल का चयन, भूमि का अधिग्रहण जिसमें समय लगने वाली वैधानिक कार्यवाहियां/मुकदमेबाजी

शामिल हैं और भूमि का भौतिक कब्जा, विद्युत, जल, सड़क इत्यादि जैसी अवसंरचनाओं के विकास में अधिक समय लगता है। इन विकास केंद्रों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। जो इन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित अधिकांश निधियां जुटाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक अवसंरचना का सृजन करना है जिसमें भूमि का अधिग्रहण व इसका विकास करना शामिल है। यह अधिक समय लगने वाली एक प्रक्रिया है जो स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलों और राज्यों में निवेशोन्मुख वातावरण बनाने पर भी ज्यादा निर्भर करता है। इसलिए, सभी विकास केंद्रों के पूर्ण होने के लिए नियत समय–सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य, विकास केन्द्र/ जिले का नाम	विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता			केंद्र द्वारा जारी की गई कुल राशि	राज्यों और इनके अभिकरणों द्वारा प्रदत्त निधिया	कुल व्यय	विकास की स्थिति
		2000–01	2001–02	2002–03				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश							
	हिन्दपुर (अनन्तपुर)	शून्य	शून्य	शून्य	200.00	162.89	362.89	कार्यशील
2.	खम्माम (खम्माम)	शून्य	शून्य	शून्य	50.00	–	–	
3.	बोबिली (विजयनगरम)	शून्य	शून्य	शून्य	551.00	521.34	1072.34	कार्यशील
4.	अंगोले (प्रकासम)	शून्य	शून्य	110	760.00	737.67	1387.67	कार्यशील
	अरुणाचल प्रदेश							
5.	निकलॉग नगोरलंग (पूर्वी सियांग)	शून्य	शून्य	320	468.00	137.50	242.90	
	असम							
6.	मटिया (गोलपाड़ा)	100	शून्य	450	700.00	152.11	402.03	
7.	चारिद्वार (सोनितपुर)	100	शून्य	450	750.00	192.05	491.93	
	बिहार							
8.	बेगुसराय (बेगुसराय)	शून्य	शून्य	200	500.00	641.17	943.37	
9.	भागलपुर (भागलपुर)	शून्य	शून्य	शून्य	50.00	342.77	458.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	छपरा (छपरा)	शून्य	शून्य	शून्य	50.00	90.00	9.39	
11.	दरभंगा (दरभंगा)	शून्य	शून्य	शून्य	50.00	–	–	
12.	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	शून्य	शून्य	शून्य	50.00	90.00	9.68	
छत्तीसगढ़								
13.	बोराई (दुर्ग)	शून्य	शून्य	100	893.00	814.91	977.32	कार्यशील
14.	सिलतारा (रायपुर)	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00	1726.43	2726.43	कार्यशील
गोवा								
15.	इलैक्ट्रॉनिक सिटी (वर्ना प्लूट्यू)	150	शून्य	शून्य	824.00	1217.21	2041.21	कार्यशील
गुजरात								
16.	गांधीधाम (कच्छ)	250	235	200	785.00	500.00	665.04	कार्यशील
17.	पालनपुर (बनासकांठा)	150	शून्य	100	350.00	500.00	473.00	कार्यशील
18.	वागरा (भरूच)	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00	3940.25	4940.25	कार्यशील
हरियाणा								
19.	वावल (रेवाड़ी)	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00	7722.62	8722.62	कार्यशील
20.	साहा (अम्बाला)	150	100	450	850.00	953.02	1353.02	कार्यशील
हिमाचल प्रदेश								
21.	कांगड़ा (कांगड़ा)	शून्य	शून्य	153	603.00	387.63	603.55	कार्यशील
जम्मू और कश्मीर								
22.	लस्सीपोरा (पुलवामा)	200	शून्य	175	425.00	256.92	681.92	कार्यशील
23.	साम्बा (जम्मू)	शून्य	50	100	1000.00	851.98	1851.98	कार्यशील
झारखण्ड								
24.	हजारीबाग (हजारीबाग)	शून्य	शून्य	शून्य	200.00	241.19	57.10	
कर्नाटक								
25.	धारवाड़ (धारवाड़)	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00	5165.00	6164.98	कार्यशील

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	रायचूर (रायचूर)	200	शून्य	शून्य	1000.00	1916.69	2716.69	कार्यशील
27.	हसन (हसन)	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00	6319.52	7319.52	कार्यशील
केरल								
28.	कन्नूर (कोजिकोड़)	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00	2558.37	3206.46	कार्यशील
29.	अलपुज्झा – मालापुरम	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00	3004.37	3130.60	कार्यशील
मध्य प्रदेश								
30.	चैनपुरा (गुना)	शून्य	शून्य	150	250.00	260.00	527.70	कार्यशील
31.	घिरौगी (भिन्ड)	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00	3223.41	4223.41	कार्यशील
32.	खेड़ा (धार)	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00	1161.63	2163.00	कार्यशील
33.	सतलापुर (रायसेन)	100	शून्य	100	635.00	636.87	1142.91	
महाराष्ट्र								
34.	अकोला (अकोला)	50	शून्य	शून्य	1000.00	1188.37	2188.37	कार्यशील
35.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)	55	100	शून्य	815.00	777.12	1461.28	कार्यशील
36.	धुले (धुले)	50	80	शून्य	580.00	746.69	1259.67	
37.	नानदेड़ (नानदेड़)	100	60	शून्य	910.00	976.03	1785.60	कार्यशील
38.	रत्नागिरि (रत्नागिरि)	शून्य	शून्य	शून्य	440.00	124.76	564.76	
मणिपुर								
39.	लामलेई–नाफेट (इम्फाल)	100	शून्य	शून्य	150.00	126.59	8.56	
मेघालय								
40.	मेंदीपथर (ईस्ट गारो हिल्स)	शून्य	शून्य	शून्य	50.00	–	–	
मिजोरम								
41.	लॉंगमाल (एजल)	250	शून्य	180	480.00	160.44	211.15	
नागालैंड								
42.	गणेशनगर (कोहिमा)	195	255	शून्य	1500.00	460.25	1960.25	
उड़ीसा								
43.	छतरपुर (गंजाम)	शून्य	शून्य	शून्य	50.00	90.84	58.57	
44.	कलिंगनगर–डुबरी (कटक)	शून्य	450	240	840.00	1350.00	1950.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	झारसुगुडा (झारसुगडा)	शून्य	150	शून्य	200.00	100.00	262.16	
46.	केसिंगा (कालाहांडी)	शून्य	75	शून्य	125.00	37.02	128.89	कार्यशील
पांडिचेरी								
47.	पोलागाम करायकल (करायकल)	शून्य	100	250	650.00	685.00	1171.28	कार्यशील
पंजाब								
48.	भटिण्डा (भटिण्डा)	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00	982.74	1982.74	कार्यशील
49.	पठानकोट (गुरदासपुर)	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00	500.00	1246.42	कार्यशील
राजस्थान								
50.	आबू रोड़ (सिरोही)	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00	2152.68	3152.68	कार्यशील
51.	भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)	शून्य	शून्य	शून्य	300.00	311.49	611.49	कार्यशील
52.	खारा (बीकानेर)	शून्य	शून्य	170	620.00	552.25	1102.25	कार्यशील
53.	धौलपुर (धौलपुर)	शून्य	शून्य	680	1000.00	734.21	1061.91	कार्यशील
54.	झालावाड़ (झालावाड़)	शून्य	शून्य	शून्य	300.00	166.23	466.23	कार्यशील
तमिलनाडु								
55.	झरोड़ (पेरियार)	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00	9902.47	7902.47	कार्यशील
56	ओरगादम (कांचिपुरम)	150	600	शून्य	800.00	296.74	1096.74	
57	तिरूनेलवेली गंगै कोनडान (तिरूनेलवेली–कट्टाबोम्मन)	शून्य	शून्य	शून्य	930.00	1500.00	969.41	कार्यशील
त्रिपुरा								
58.	बोधगंज नगर (त्रिपुरा–पश्चिमी)	250	270	500	1070.00	58.49	725.19	कार्यशील
उत्तर प्रदेश								
59.	बिजौली (झांसी)	200	243	शून्य	593.00	365.12	958.12	कार्यशील

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.	जमौर (शहजहांपुर)	200	65	शून्य	315.00	155.18	470.18	कार्यशील
61.	पाकवाड़ा (मुरादाबाद)	200	550	50	850.00	1108.14	1958.14	कार्यशील
62.	डिबियापुर (औरैया)	50	50	शून्य	150.00	75.00	223.64	
63.	खुर्जा (बुलंदशहर)	शून्य	शून्य	शून्य	420.00	285.00	587.28	
64.	साथरिया (जानपुर)	शून्य	117	200	767.00	439.91	1006.91	कार्यशील
65.	सहजनवा (गोरखपुर)	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00	1553.27	2553.27	कार्यशील
पश्चिम बंगाल								
66.	बोलपुर (बीरभूम)	शून्य	50	100	200.00	100.00	153.50	
67.	जलपाई गुडी (जलपाई गुडी)	शून्य	50	100	200.00	100.00	157.50	
68	मालदा (मालदा)	शून्य	250	100	400.00	274.25	384.00	कार्यशील
	कुल	3250	4000	5628	42699.00	74862.50	102849.92	43

शिवराजपुर–पदमपुर (उत्तरांचल) को जारी की गई अनन्तिम राशि : 50 लाख रुपये

शिवराजपुर–पदमपुर (उत्तरांचल) सहित जारी की गई कुल केंद्रीय राजसहायता की राशि (42699 लाख रुपये + 50 लाख रुपये) = 42749 लाख रुपये

[अनुवाद]

बीमा प्रीमियम

5230. श्री ए. नरेन्द : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा प्रीमियम का अनुपात सकल घरेलू उत्पाद में कम है और यह 1.2% है;

(ख) क्या सरकार का विचार सकल घरेलू उत्पाद का कम–से–कम 18% तक वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की है;

(घ) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के बढ़ने वाले व्यापार का 40% भाग ग्रामीण क्षेत्रों से आता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2000 में बीमा प्रीमियम का अनुपात 2.32 प्रतिशत (जीवन बीमा के लिए 1.77 प्रतिशत और गैर–जीवन/साधारण बीमा के लिए 0.55 प्रतिशत) था जबकि पिछले वर्ष में यह 1.93 प्रतिशत (जीवन बीमा के लिए 1.39 प्रतिशत और गैर–जीवन/साधारण बीमा के लिए 0.54 प्रतिशत) था।

(ख) और (ग) बीमा क्षेत्र को खोलने के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य बीमा की सुलभ्यता को, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बढ़ाना था। आशा है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में बीमा कंपनियों के आने से आगामी कुछ वर्षों में बीमा की सुलभ्यता में बढ़ोत्तरी होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) भी अपने ग्रामीण कारोबार पर अधिक बल दे रहा है।

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा के अनुसार, वर्ष 2001–2002 के दौरान, उनके नए ग्रामीण कारोबार का 16.92% भाग पालिसियों की संख्या के अनुसार, बीमित राशि के अनुसार 13.12% तथा व्यक्तिगत बीमा के अंतर्गत कुल नए कारोबार में से प्रथम प्रीमियम आय के अनुसार 12.87% भाग प्राप्त हुआ।

(ङ) आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्त्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002 के अनुसार, सभी बीमाकर्त्ताओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त और मजबूत कर्मचारी–बल है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए रूरल कैरियर एजेंट स्कीम है, बीमा ग्राम की अवधारणा तथा ग्रामीण लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई "नई जन रक्षा" नामक एक पृथक व्यक्तिगत जीवन बीमा योजना को आरम्भ किया गया है।

रेशम उद्योग का विकास

5231. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में रेशम उद्योग के विकास के लिए 525 करोड़ रुपये की राशि अलग से रख ली है और वर्ष 2010 तक 30,000 टन रेशम का उत्पादन करने का लक्ष्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक राज्य देश में रेशम का मुख्य उत्पादक है;

(ग) यदि हां, तो राज्य में रेशम उद्योग को बेहतर बनाने के लिए राज्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी और जारी की गयी;

(घ) राज्य सरकार कौन–कौन से कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) देश में रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के विकास हेतु भारत सरकार ने निम्नलिखित कच्चा रेशम उत्पादन लक्ष्यों सहित 10वीं योजना के दौरान 450 करोड़ रु. का आबंटन मंजूर किया है;

शहतूत	–	24150 मी.टन. (6700 मी.टन द्विफसलीय कच्चा रेशम शामिल है)
तसर/ओक तसर	–	450 मी. टन
एरी	–	1700 मी. टन
मूगा	–	150 मी. टन
कुल	–	26450 मी. टन

(ख) जी हां, कर्नाटक में 10वीं योजना के दौरान 14250 मी. टन शहतुती कच्चा रेशम (4500 मी.टन द्विफसलीय कच्चा रेशम सहित) का उत्पादन अनुमानित है।

(ग) से (ङ) राज्यों के लिए निधि निर्धारित नहीं की गई है। प्रत्येक राज्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तावों के मूल्यांकन और मंजूरी, पहले जारी की गई राशियों की उपयोगिता की प्रगति और गति और योजनाओं के परिव्यय के आधार पर निधि जारी की जाती है। राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम संलग्न विवरण पर दिए गए हैं। उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के माध्यम से दर्शाए गए कार्यक्रम और प्रगति के मानदंडों के अनुसार राज्य से प्राप्त प्रस्तावों और केन्दीय रेशम बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2002–03 के दोरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कर्नाटक राज्य को केन्द्र प्रायोजत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 14.56 करोड़ रु. की राशि जारी की।

विवरण

क	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम
I	शहतूती क्षेत्र/संघटक
1	रेशम उत्पादन विभाग (द्विफसलीय हेतु) को पौधकी लागत की प्रतिपूर्ति
2	किसानों को रीयरिंग उपकरणों/फार्म उपकरणों की आपूर्ति
(क)	नये शहतूत रेशम उत्पादकों को ऑनफार्म प्रशिक्षण और प्रारंभिक उपकरणों की आपूर्ति
(ख)	किसानों को रीयरिंग उपकरणों/फार्म उपकरणों की आपूर्ति (द्विफसलीय किसानों के लिए)
3	ड्रीप सिंचाई के लिए सहायता प्रदान करना
4	कोटि के कीटनाशक सामग्री की आपूर्ति
5	रीयरिंग गृहों के निर्माण हेतु किसानों को सहायता
6	चाकी पालन केन्द्र – चाकी पालन केन्द्रों के भवन के निर्माण हेतु तथा चाकी पालन उपकरणें की खरीद हेतु सहायता
7	फसल बीमा सहायता

शहतूत क्षेत्र के लिए कुल

II कोया पश्चात् क्षेत्र/संघटक

1 मल्टी एंड वाली रेशम रीयरिंग मशीनों की आपूर्ति

2 रीलिंग एककों को सहायता:–

(क) बैंक द्वारा रीलिंग एककों को स्वीकृत कार्यशील पूंजी पर ब्याज सब्सिडी

(ख) मल्टी एंड रीलिंग मशीनों पर द्विफसलीय रेशम के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि

3 साझा सुविधा केन्द्रों की स्थापना

(i) शहतूती

(ii) गैर–शहतूती

कोया–पश्चात क्षेत्र हेतु कुल

III उपक्रम संवर्धन और प्रशिक्षण

IV स्थानीय भाषा में विस्तार और प्रचार सामग्री

कुल (I से IV)

V सूचना प्रौद्योगिकी पहल

i डाटाबेस विकास और बाजार सूचना का कंप्यूटरीकरण

ii किसानों को बाजार और प्रौद्योगिकीय सहायता के प्रसार हेतु पोर्टल बनाना

सूचना प्रौद्योगिकी पहल हेतु कुल

ख राज्यों में कोया की कीमतों में गिरावट की क्षतिपूर्ति के लिए मूल्य समर्थन

[हिन्दी]

जनजातीय छात्राओं के लिए छात्रावास

5232. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में जनजातीय छात्र और छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रावासों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो जिन स्थानों पर उक्त छात्रावास संचालित हैं उनके नामों, छात्रावासों की क्षमता और छात्रावास सुविधा के लाभार्थी छात्र और छात्राओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन छात्रावासों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जी हां। इस मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को स्वीकृत छात्रावासों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) इस प्रकार के छात्रावासों की संख्या में वृद्धि करना राज्य सरकारों की आवश्यकता पर निर्भर करता है जिन्हें निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के साथ–साथ अपने अंश के रूप में लागत की 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध करानी होती है।

विवरण

सीटों की संख्या, जो आमतौर पर सभी भर गई हैं और छात्रावासों की अवस्थिति सहित वर्ष 1992–93 से आज तक जम्मू और कश्मीर सरकार को स्वीकृत लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों की संख्या

स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	सीटों की संख्या	छात्रावासों की अवस्थिति
1	2	3	4
लड़कों के छात्रावास			
1993–94	1	50	1 उधमपुर
1994–95	4	200	2 बानी काठू
			3 उधमपुर

1	2	3	4
			4 डोडा
			5 बारामूला
1995–96	1	48	6 लेह
1996–97	1	50	7 राजौरी
कुल	7	348	
लड़कियों के छात्रावास			
1995–96	2	98	1 लेह
			2 जम्मू

[अनुवाद]

निम्न स्तरीय सीमेंट का उत्पादन

5233. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सीमेंट उत्पादकों को निम्न स्तर की सीमेंट का उत्पादन करते हुए पाया गया है और वे भारतीय मानक ब्यूरो के मापदण्डों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के मापदण्डों को आवश्यक बनाया है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) ऐसा कोई मामला भारत सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश के तहत सीमेंट उद्योग के लिए बी आई एस मानदंड अनिवार्य बना दिए गए हैं। जो सीमेंट इन मानदंडो के अनुरूप नहीं होता है, उसे तुरंत नष्ट करना होता है। इन मानदंडों के अन्तर्गत सीमेंट को उसकी जकड़ने की शक्ति के आधार पर विभिन्न किस्मों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम आय

5234. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के प्रवेश से भारतीय जीवन बीमा निगम की प्रीमियम से होने वाली आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवसाय में प्रवेश करने वाली निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां कौन–सी हैं;

(ग) क्या सरकार के पास गत एक वर्ष के दौरान उन कंपनियों की प्रीमियम से होने वाली आय के बारे में कोई जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इसके परिणामस्वरूप जीवन बीमा निगम की प्रीमियम से होने वाली आय कितनी प्रभावित हुई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (घ) 12 नए प्राइवेट जीवन बीमाकर्त्ताओं के प्रवेश से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास बाजार का शत प्रतिशत हिस्सा नहीं होगा। वर्ष 2001–2002 में, जीवन बीमा निगम ने प्राइवेट जीवन बीमाकर्त्ताओं की कुल प्रीमियम आय जोकि 272.54 करोड़ रुपए (0.54 प्रतिशत) थी, के मुकाबले 49,821.91 करोड़ रुपए (99.46 प्रतिशत) की कुल प्रीमियम आय के साथ अपनी प्रभुत्व की स्थिति बनाए रखी।

(ख) और (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त नए प्राइवेट जीवन बीमाकर्ताओं के नाम के साथ–साथ वर्ष 2001–2002 के दौरान उनकी कुल प्रीमियम आय नीचे दी गई है :–

क्र.सं.	प्राइवेट जीवन बीमा कंपनी का नाम	कुल प्रीमियम आय (करोड़ रुपए में)
1.	एलायंज बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	7.14
2.	बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	28.26
3.	एचडीएफसी स्टेंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं लि.	33.46
4.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	116.38
5.	आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	4.19
6.	मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	38.95
7.	मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	0.48
8.	ओम कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	7.58
9.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	14.69
10.	टाटा एआईजीलाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	21.13
11.	एएमपी सनमार एश्योरेंस कं. लि.	0.28
12.	डाबर सीजीयू लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	*—

* टिप्पणी :– कम्पनी ने वर्ष 2002–2003 के दौरान कारोबार आरम्भ किया है।

[हिन्दी]

बिहार में फसल की खरीद

5235. श्री राजो सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान आज तक बिहार में कितनी मात्रा में गेहूं, चावल, ईख और अन्य खरीफ फसलों की खरीद की गई है; और

(ख) इससे जिलावार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) पिछले रबी विपणन मौसम 2002–03 के दौरान बिहार मे 0.41 लाख टन गेहूं की वसूली की गई थी जबकि 1.4.2003 से वर्तमान रबी विपणन मौसम 2003–04 शुरू हुआ है और अभी गेंहू की वसूली होनी है। खरीफ विपणन मौसम 2001–02 में बिहार में 0.89 लाख टन चावल (चावल के रूप मे धान सहित) की वसूली हुई थी जबकि वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2002–03 में 23.4.2003 तक 0.96 लाख टन चावल (चावल के रूप में धान सहित) की वसूली हुई है। बिहार में खरीफ के मोटे अनाजों की वसूली नहीं हुई है। केन्द्र सरकार द्वारा गन्ने की वसूली नहीं की जाती है।

(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की वसूली बिहार के सभी जिलों में की जा रही है। अतः बिहार के सभी किसान इस योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना (डब्ल्यू सी डी)

5236. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना" की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी महिलाओं को शामिल किया गया?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना के अंतर्गत, 10 से 75 वर्ष तक के आयु–समूह की महिलाओं को न केवल विकलांगता के लिए बल्कि उनके पति की मृत्यु के लिए भी बीमा कवच प्रदान किया जाता है। 15/– रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर, इस पालिसी के अंतर्गत, बीमित महिला को स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 25,000/–रुपए का बीमा कवच तथा उसके पति की मृत्यु के लिए 25,000/–रुपए का बीमा कवच प्रदा किया जाता है। अविवाहित महिला की मृत्यु के मामले में, इस पालिसी के अंतर्गत

25,000/–रुपए का बीमा कवच प्रदान किया जाता है जो उसके द्वारा नामित व्यक्ति/विधिक वारिस को देय होता है। यह योजना सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पेय जल

5237. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों द्वारा पैक किए जाने वाले बोतलबंद पेयजल पर आई.एस.आई. मार्क अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे लघु उद्योग बंद पड़ जाएंगे और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का रास्ता साफ हो जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो घरेलू लघु उद्योगों को बचाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) पैकेज में रखे पेय जल उद्योग के लिए आई.एस.आई. चिह्न अनिवार्य कर दिया गया है चाहे वे उद्योग बड़े हों या छोटे।

(ख) जी, नहीं। वास्तव में अब तक प्रदान किए गए लाइसेंसों में से लगभग 90% छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए गए हैं।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो लघु उद्योगों की सहायता करने के लिए लाइसेंसधारियों से वसूले जाने वाले चिह्नांकन शुल्क में छूट देता है। बोतल बंद पानी के लिए चिह्नांकन शुल्क लघु उद्योगों के लिए 84,000/- रु. और बड़े उद्योगों के लिए 96,000/–रु. तय किया गया है।

अनुसूचित जनजातीय योजनाओं का क्रियान्वयन

5238. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण की कुछ योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा योजनाओं का शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करते हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन को अधिक कारगर बनाने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन सम्बन्धी पहलुओं पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सम्बन्धित सचिवों के साथ बैठकों के दौरान विचार–विमर्श भी किए जाते हैं। तथापि, किसी क्षेत्र से विशेष अभ्यावेदनों के प्राप्त होने पर, इन्हें समाधान के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाया जाता है।

(ग) फिलहाल कोई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नहीं है तथापि, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग व्यक्तियों/संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त करता है, जिन्हें उचित कार्रवाई हेतु सम्बन्धित प्राधिकरणों के साथ उठाया जाता है।

(घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित कार्रवाई के माध्यम से योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है :–

(1) राज्यों/संघ क्षेत्रों को अनुदान की स्वीकृति प्राप्त प्रस्तावों की विस्तृत जांच के आधार पर की जाती है।

(2) नई निर्मुक्तियां किए जाने से पूर्व विगत निर्मुक्तियों के सम्बन्ध में उपयोग प्रमाण–पत्रों पर बल दिया जाता है।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अवधिक प्रगति रिपोर्टें

प्राप्त की जाती हैं जिनके अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, शामिल किए गए लाभग्राहियों तथा अन्य सम्बन्धित सूचना/आंकड़ों को दर्शाया जाता है।

(4) मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्यों/संध राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

(5) योजनाओं के कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए विषय के प्रभारी राज्य सचिवों की बैठक बुलाई जाती है। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं के मामले में निधियों की निर्मुक्ति गैर सरकारी संगठन की प्रतिष्ठा, विगत निष्पादन आदि के मूल्यांकन के बाद की जाती है। आवधिक प्रगति रिपोर्टों के अतिरिक्त,

(6) गैर सरकारी संगठनों से वार्षिक लेखे तथा अंकेक्षित रिपोर्टें एवं उपयोग प्रमाण–पत्रों के प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा की जाती है जिनके आधार पर निधियों की आगे निर्मुक्ति की जाती है। गैर सरकारी संगठनों का निरीक्षण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों तथा अन्य प्राधिकरणों एवं केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है।

महिला आरक्षण विधेयक

5239. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

श्री अजय चक्रवर्ती :

श्रीमती रीना चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संसद के चालू सत्र में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विधेयक पर सभी दलों द्वारा एकमत न होने के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1999, जिसमें यह उपबंध है कि लोक सभा और राज्य की विधान सभाओं में लगभग एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, पहले ही 23.12.1999 को लोक सभा में पुरः स्थापित किया जा चुका है।

(ग) माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7.3.2003 को हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार द्वारा उक्त विधेयक के उपबंधों पर आम सहमति बनाने के लिए पुनः प्रयास किया गया था।

[हिन्दी]

विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण

5240. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**

श्री वी. वेत्रिसेलवन :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण का राज्य–वार, संस्था–वाार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर कितना ब्याज दिया गया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा इन विदेशी वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण की निगरानी करती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ब्याज की दर निम्नानुसार है:

अंतराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी)

ब्याज की दर प्रत्येक 6 महीने के बाद परिवर्तनीय होती है।

(i) मुद्रा पूल ऋण (वीएलआर–1989)

ब्याज की दर सशर्त उधार ऋणों की लागत तथा लागत अंतर के आधार पर निर्धारित की जाती है। 01–01–2002 से 30–06–2002 तक की अवधि के लिए लागू उधार की दर निम्नानुसार है :–

ऐसे ऋण जिनके लिए सौदा तय करने हेतु आमंत्रण 31.7.1998 से पहले जारी किया गया था।	5.03% प्रतिवर्ष (इसमें 50 आधार अंकों का कीमत–लागत अंतर शामिल है।)
ऐसे ऋण जिनके लिए सौदा तय करने हेतु आमंत्रण 31.7.1998 के पश्चात् जारी किया गया था।	5.28% प्रतिवर्ष (इसमें 75 आधार अंकों का कीमत–लागत अंतर शामिल है।)

(ii) अमरीकी डालर अस्थिर दर एकल मुद्रा ऋण

ब्याज की दर 6 माह की लिबोर दर तथा कीमत–लागत अंतर के आधार पर निर्धारित की जाती है। 15.7.2002 से 14.1.2003 तक की अवधि से आरम्भ होने वाली ब्याज–अदायगी के लिए लागू दर निम्नानुसार है:–

ऐसे ऋण जिनके लिए सौदा तय करने हेतु आमंत्रण 31.7.1998 से पहले जारी किया गया था।	1.95% प्रतिवर्ष (21 आधार अंकों के कीमत–लागत अंतर सहित)।
ऐसे ऋण जिनके लिए सौदा तय करने हेतु आमंत्रण 31.7.1998 के पश्चात् जारी किया गया था।	2.20% प्रतिवर्ष (46 आधार अंकों के कीमत–लागत अंतर सहित)।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

ब्याज की दर 0.75 % है।

इस ब्याज को सेवा प्रभार के रूप में अभिहित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

ब्याज की दर 0.75% है।

इस ब्याज को सेवा प्रभार के रूप में अभिहित किया गया है।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

इसकी ब्याज दर प्रत्येक छः माह के बाद परिवर्तनीय है।

ब्याज की दर का निर्धारण, ऐसे ऋणों के निधिकरण के लिए स्थापित बकाया ऋणों के संबंधित पूलों की पिछली छः माह की औसत लागत के आधार पर किया जाता है।

1.7.2002 से 31.12.2002 तक की अवधि के लिए उधार पर एकल मुद्रा अमरीकी डालर ऋणों के लिए 6.34% तथा बहुमुद्रा ऋणों के लिए 3.91% है।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों, संबंधित ऋण प्रभागों और आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू) द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है। आर्थिक कार्य विभाग निष्पादक अभिकरणों और दाताओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित करता है। सहायता के उपयोग में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में ये शामिल हैं– राज्य और केन्द्रीय सरकार के बजटों में विदेशी सहायता–प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना, अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी सहायता देने की प्रक्रिया में मध्यवर्ती प्रणाली को समाप्त करना, कुछ राज्य और केन्द्रीय मंत्रालयों में परियोजना प्रबंधन एककों को मजबूत बनाना, राज्यों के लिए केन्द्रक अधिकारियों की नियुक्ति करना और परियोजना के आरंभ में ही गुणवत्ता के संदर्भ में परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करना इत्यादि।

विवरण

सरकार द्वारा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण

(राशि करोड़ रु. में)

क्रम सं.	ऋण–शीर्षक	करार की तारीख	दाता	राशि	राज्य
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना	4.2.99	आईबीआरडी	1266.71	आंध्र प्रदेश
2	आन्ध्र प्रदेश विद्युत पुनर्संरचना परियोजना	5.3.99	आईबीआरडी	882.87	आंध्र प्रदेश
3	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार परियोजना	15.03.02	आईबीआरडी	595.65	आंध्र प्रदेश
4	पीपीएफ–आंध्र प्रदेश वानिकी प्रबंधन परियोजना	10.12.01	आईडीए	7.15	आंध्र प्रदेश
5	दिल्ली जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	16.8.99	आईबीआरडी	10.82	दिल्ली
6	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	14.12.00	एडीबी	683.84	गुजरात
7	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	14.12.00	एडीबी	911.79	गुजरात
8	गुजरात भूकम्प पुनर्वास एवं पुनर्निमाण	26.4.01	एडीबी	2382.6	गुजरात
9	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना	18.10.00	आईबीआरडी	1736.96	गुजरात
10	कर्नाटक शहरी विकास एवं तटीय पर्यावरण प्रबंधन	19.5.00	एडीबी	797.81	कर्नाटक
11	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	26.7.01	आईबीआरडी	1715.47	कर्नाटक
12	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम	26.7.01	आईबीआरडी	357.39	कर्नाटक
13	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम–II	15.3.02	आईबीआरडी	238.26	कर्नाटक
14	कर्नाटक जलापूर्ति प्रबंधन एवं एमएस परियोजना	23.12.99	आईबीआरडी	6.49	कर्नाटक
15	केरल में सरकार का आधुनिकीकरण एवं राजकोषीय सुधार	16.12.02	एडीबी	967.83	केरल
16	केरल राज्य परिवहन परियोजना	6.5.02	आईबीआरडी	1233.99	केरल
17	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	5.8.02	आईबीआरडी	2240.54	महाराष्ट्र
18	मध्य प्रदेश जन संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम	14.12.99	एडीबी	1081.83	मध्य प्रदेश
19	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	21.03.02	एडीबी	953.04	मध्य प्रदेश
20	मध्य प्रदेश राज्य सड़क क्षेत्र विकास कार्यक्रम	5.12.02	एडीबी	145.17	मध्य प्रदेश
21	मध्य प्रदेश राज्य सड़क क्षेत्र विकास परियोजना	5.12.02	एडीबी	725.88	मध्य प्रदेश

1	2	3	4	5	6
22	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी II) परियोजना	14.7.99	आईबीआरडी	367.82	बहुराज्यीय
23	राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजना	1.12.99	एडीबी	1081.83	राजस्थान
24	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	27.2.01	आईबीआरडी	820.61	राजस्थान
25	द्वितीय तमिलनाडु शहारी विकास परियोजना	14.7.99	आईबीआरडी	454.37	तमिलनाडु
26	उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	19.5.00	आईबीआरडी	683.84	उत्तर प्रदेश
27	उत्तर प्रदेश राजकोषीय सुधार एवं सरकारी क्षेत्र पुनर्संरचना	16.5.00	आईबीआरडी	575.66	उत्तर प्रदेश
28	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	19.2.03	आईबीआरडी	2361.52	उत्तर प्रदेश
29	कलकत्ता पर्यावरणीय सुधार परियोजना	18.12.01	एडीबी	1191.3	पश्चिम बंगाल
30	पश्चिम बंगाल गलियारा विकास परियोजना	10.12.02	एडीबी	1016.23	पश्चिम बंगाल
31	कलकत्ता जलापूर्ति मल–निपटान एवं जलनिकासी परियोजना	23.7.99	आईबीआरडी	10.82	पश्चिम बंगाल
32	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना	4.2.99	आईडीए	1021.73	आंध्र प्रदेश
33	आंध्र प्रदेश जिला निर्धनता उन्मूलन संबंधी उपाय परियोजना	12.5.00	आईडीए	493.47	आंध्र प्रदेश
34	आंध्र प्रदेश आर्थिक कार्यक्रम	15.3.02	आईडीए	608.01	आंध्र प्रदेश
35	आंध्र प्रदेश सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना	8.10.02	आईडीए	548.12	आंध्र प्रदेश
36	गुजरात आपातिक भूकम्प पुननिर्माण परियोजना	4.6.02	आईडीए	2282.24	गुजरात
37	भूकम्प के संदर्भ में आजीविका सुरक्षा परियोजना–गुजरात	18.2.02	आईएफएडी	70.13	गुजरात
38	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम	26.7.01	आईडीए	354.57	कर्नाटक
39	कर्नाटक जलसंभर विकास परियोजना	26.7.01	आईडीए	475.57	कर्नाटक
40	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता	8.3.02	आईडीए	716.37	कर्नाटक
41	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम–II	15.3.02	आईडीए	243.81	कर्नाटक
42	कर्नाटक सामूदायिक जलाशय प्रबंधन	4.6.02	आईडीए	512.86	कर्नाटक
43	केरल ग्रमीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता	4.1.01	आईडीए	298.22	केरल
44	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	5.08.02	आईडीए	400.67	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5	6
45	मध्य प्रदेश जिला निर्धनता उन्मूलन संबंधी उपाय परियोजना	5.12.00	आईडीए	501.2	मध्य प्रदेश
46	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी II) परियोजना	14.7.99	आईडीए	217.83	बहुराज्यीय
47	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	19.5.00	आईडीए	488.7	बहुराज्यीय
48	तृतीय तकनीकी शिक्षा परियोजना	18.10.00	आईडीए	291.08	बहुराज्यीय
49	तकनीकी/इंजीनियरी शिक्षा स्तर सुधार	4.2.03	आईडीए	1211.64	बहुराज्यीय
50	झारखण्ड–छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास कार्यक्रम	25.6.99	आईएफएडी	100.06	बहुराज्यीय
51	मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	6.5.02	आईडीए	304.51	मिजोरम
52	उड़ीसा जल संसाधन समेकन भाग ज	18.12.00	आईडीए	208.34	उड़ीसा
53	राजस्थान जिला निर्धनता उन्मूलन संबंधी उपाय परियोजना	12.5.00	आईडीए	446.44	राजस्थान
54	राजस्थान द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	27.7.01	आईडीए	352.17	राजस्थान
55	राजस्थान जलक्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	15.3.02	आईडीए	662.19	राजस्थान
56	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास	14.1.99	आईडीए	557.57	महाराष्ट्र
57	उत्तर प्रदेश लवण भूमि सुधार परियोजना II	4.2.99	आईडीए	807.02	उत्तर प्रदेश
58	उत्तर प्रदेश राजकोषीय सुधार और सरकारी क्षेत्र पुनर्संरचना	16.5.00	आईडीए	555.37	उत्तर प्रदेश
59	उत्तर प्रदेश जलक्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	8.3.02	आईडीए	704.33	उत्तर प्रदेश

[अनुवाद]

मिनरल वाटर

5241. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में इस समय बोतल बंद पानी का परीक्षण करने हेतु कोई सुविधा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और बी. आई.एस. के अंतर्गत प्रयोगशालाओं का दर्जा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) साहिबाबाद स्थित भारतीय मानक ब्यूरो की केंद्रीय प्रयोगशाला रेडियोधर्मी अवशिष्टों, जिनका परीक्षण मुंबई स्थित भाभा परमाणु शोध केंद्र में किया जाता है, के लिए अपेक्षित कुछ परीक्षणों को छोड़कर बोतल बंद पानी के परीक्षण के लिए सुसज्जित है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय मानकों 14543 : 1998 और 13428 : 1998 के अनुसार बोतल बंद पानी के नमूनों के परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नार्मों के अनुसार 12 बाहरी प्रयोगशालाओं को भी मान्यता दी है।

दंड विधि में परिवर्तन

5242. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड संबंधी कानूनों में दूरगामी परिवर्तनों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो विधि आयोग द्वारा किए गए सुझावों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे सभी सुझावों को कब तक स्वीकृत करने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) विधि आयोग की "भारतीय दंड संहिता" शीर्षक वाली 156वीं रिपोर्ट और "गिरफ्तारी से संबंधित विधि" शीर्षक वाली 177वीं रिपोर्ट पहले ही, क्रमशः तारीख 8.6.1998 और तारीख 21.11.2002 को सदन के पटल पर रखी जा चुकी हैं।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि चूंकि "दंड विधि" और "दंड प्रक्रिया" संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में हैं अतः, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से विधि आयोग की सिफारिशों पर अपनी राय/टीका–टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया है। कोई समय–सीमा बताना संभव नहीं है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एम. रामचन्द्रन) : महोदय, मैं श्री जसवन्त सिंह की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत सरकारी कंपनियां (डिवेंचरों के निर्गम तथा ऐसे डिवेंचरों या उधार को शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्प के साथ उधार लेने की शर्तें) संशोधन नियम, 2003, जो अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 275(अ) में प्रकाशित हुए थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7424/03]

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2003, जो 14 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 110(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7425/03]

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) जूट विनिर्मित विकास परिषद् अधिनियम, 1983 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत जूट विनिर्मित विकास परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियम, 2002 जो 24 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 836(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7426/03]

(2) (एक) नेशनल सेंटर फार जूट डायवरसिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार जूट डायवरसिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7427/03]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7428/03]

(ख) (एक) नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7429/03]

(6) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नालॉजी, भदोही के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नालॉजी, भदोही के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7430/03]

(8) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7431/03]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध महरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं सैंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण) सभा पटल रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7432/03]

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 के अंतर्गत जारी चाय (विपणन) नियंत्रण दूसरा संशोधन आदेश, 2003 जो 10 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 430 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 7433/03]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 37 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (बांडों का निर्गम और प्रबंध) (संशोधन) विनियम, 1996, जो 12 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.स. एलडी 2897 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7434/03]

(3) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002 जो 18 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का सा.का.नि. 2000 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002 जो 18 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 223(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा धारित विदेशी करेंसी खाते) (छठा संशोधन) विनियम, 2002 जो 18 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 224(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पहला संशोधन) विनियम, 2003 जो 18 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 225(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7435/03]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 516(अ) जो 23 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 704(अ) जो 16 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित 20 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 705(अ) जो 16 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 728(अ) जो 28 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित 4 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 760(अ) जो 12 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित 14 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 783(अ) जो 28 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 46(अ) जो 21 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 28/97–सी.शु. में

कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 47(अ) जो 21 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 197(अ) जो 6 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 अक्टूबर, 1997 की अधिसूचना संख्या 80/97–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 226(अ) जो 18 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 26/2000–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 69(अ) जो 30 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 79/2002–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 218(अ) जो 25 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ. 224(अ) जो 25 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 225(अ) जो 25 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 126(अ) जो 24 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 12/1999–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 324(अ) जो 26 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ. 325(अ) जो 26 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्रओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनेमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 284(अ) जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हए थे तथा जिनका आशय दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अथवा उसकी ओर से दिल्ली मेट्रो रेल सेवा परियोजना में उपयोग के लिए आयातित मशीनरी और रोलिंग टाक्स उपस्करों की सभी

मदों को उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है।

(उन्नीस) सा.का.नि. 294(अ) जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 21/2003–सी.शु. में संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 306(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) उपर्युक्त (4) के (एक से छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले 6 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7436/03]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रतिः–

(एक) 'सेनवैट' क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 24 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 234 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 25 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 242(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) 'सेनवैट' क्रेडिट (पांचवा संशोधन) नियम, 2003 जो 25 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 243(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 244(अ) जो 25 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 245(अ) जो 25 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 माार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 214/86–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 258(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 16/2001–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 182(अ) जो 3 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 192(अ) जो 5 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 210(अ) जो 11 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 से 26 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए साइकिल के हिस्से–पुर्जे पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण को छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 288(अ) जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 289(अ) जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003–के.उ.शु. और 9/2003–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 290(अ) जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 7/2003–के.उ.शु. और 9/2003–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथ संशोधन) नियम, 2003 जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) 'सेनवैट' क्रेडिट (छठा संशोधन) नियम, 2003 जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 292(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 304(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/99–के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 213(अ) जो 12 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो वेंडिंग मशीनों द्वारा अभिमोचित सोफ्टी आईसक्रीम और गैर–एल्कोहलीय पेय–पदार्थों को 1 मार्च, 1997 से 28 फरवरी, 2001 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7437/03]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का.आ. 258(अ) जो 5 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 28 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 104(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(दो) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 11 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 278(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 1 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 367(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2003 जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 368(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(चार) का.आ. 231(अ) जो 26 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 6 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 138(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है तथा उसके बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7438/03]

(8) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय बिक्री

कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्तन) संशोधन नियम, 2003, जो 16 जनवरी, 2003 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 36(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसके बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7439/03]

(9) वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 की धारा (7) की उपधारा (2) के अंतर्गत वित्त आयोग (वेतन और भत्ते) संशोधन नियम, 2003, जो 24 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 310(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7440/03]

(10) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 232(अ) जो 24 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पैरा क्रीसोल पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 233(अ) जो 24 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और यूरोपीय संघ में उद्भूत या वहां से निर्यातित फिनॉल पर अंनतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 247(अ) जो 27 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया और चाइनीज ताईपेई में उद्भूत या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोक्साइड पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 248(अ) जो 27 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, और सिंगापुर में उद्भूत या वहां से निर्यातित मिथाईलीन क्लोराईड पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 188(अ) जो 4 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर इंडोनेशिया और थाईलैंड में उद्भूत या वहां से निर्यातित साईट्रिक एसिड पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 205(अ) जो 7 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर यूरोपीय संघ और जॉर्जिया में उद्भूत या वहां से निर्यातित विटामिन ए पामिटेट पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 218(अ) जो 17 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित विटामिन ई एसिटेट और विटामिन ई फीड ग्रेड पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन

शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 218(अ) जो 17 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर ईरान में उद्भूत या वहां से निर्यातित हैक्सा मैथीलीन टेट्रामाइन पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 231(अ) जो 21 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर कोरिया गणराज्य, मलेशिया, ताइवान और थाईलैंड में उद्भूत या वहां से निर्यातित कतिपय विनिर्देश के पालिस्टर स्टेपल फाइबर्स पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 285(अ) जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अथवा उसकी ओर से दिल्ली मैट्रो रेल यातायात सेवा परियोजना में उपयोग के लिए आयातित मशीनरी तथा रोलिंग स्टॉक सहित उपस्करों की सभी मदों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 286(अ) जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित सोडियम ट्राईपॉलीफास्फेट पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 287(अ) जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर जर्मनी और कोरिया गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 297(अ) जो 2 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान में उद्भूत या वहां से निर्यातित सीसा, अमल बैटरियों पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 298(अ) जो 2 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 55/2002–सी.श. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 305(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित इस्पात और फाइबर सीसे के फीतों तथा उनके कल–पुर्जों और संघटकों पर अनंतिम रूप से प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मकता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7441/03]

(11) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2003 जो 26 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 239(अ) जो 26 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे

तथा जिसके अंतर्गत अंथ्रानिलिड एसिड को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत एक नियंत्रित पदार्थ घोषित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 7442/03]

(12) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) डाकघर सावधिक जमा (संशोधन) नियम, 2003 जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 174(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2003 जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 175(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाकघर (मासिक आय खाता) संशोधन नियम, 2003 जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 176(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय बचत योजना (संशोधन) नियम, 2003 जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7443/03]

(13) सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सरकारी बचत प्रमाणपत्र (आंठवा निगर्म) संशोधन नियम, 2003 जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 179(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 2003 जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 180(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7444/03]

(14) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 250(अ) जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 जनवरी, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 48(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7445/03]

(15) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) अधिसूचना संख्या एफ.सं.5–1/ 2003–एनएस.II जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 7 जून, 1989 की अधिसूचना संख्या 2/14/89–एनएस.II में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना, 1989 में संशोधन किया जा सके।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ.सं.5–1/ 2003–एनएस.II जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 12 दिसम्बर, 1990 की अधिसूचना संख्या 2/19/89–एनएस.II में कतिपय संशोधन किए गए हैं सरकारी क्षेत्र के कंपनियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जमा योजना, 1991 में संशोधन किया जा सके।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7446/03]

(16) राष्ट्रीय बचत योजना नियम, 1987 के नियम 6 के उप–नियम (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 177(अ) जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह अधिसूचित किया गया है कि 1 मार्च, 2003 को या इसके पश्चात् राष्ट्रीय योजना के अभिदाताओं की जमा के अधिशेष पर साढ़े सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7447/03]

(17) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 की धारा 18 और 19 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 235(अ) जो 24 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 40/2001–के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 236(अ) जो 24 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 41/2001–के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 237(अ) जो 24 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 42/2001–के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 238(अ) जो 24 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 43/2001–के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7448/03]

(18) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 की धारा 9 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 293(अ) जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 35/2001–के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7449/03]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7450/03]

(3) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 के अंतर्गत जारी चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2003 जो 28 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 247(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 7451/03]

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 7451/03]

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 7452/03]

अपराह्न् 12.02 बजे

प्राक्कलन समिति
पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री दलित इजिलमलाई (तिरूचिरापल्ली) : पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय (पर्यटन विभाग) 'पर्यटन संवर्धन के लिए अवसंरचना का विकास – अजमेर शहर का विकास' के बारे में प्राक्कलन समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न् 12.02½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) भारत डायनामिक्स लिमिटेड से संबंधित चवालीसवां अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।

(2) स्पान्ज आयरन इंडिया लिमिटेड से संबंधित पैंतालीसवां अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।

अपराह्न् 12.03 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

चालीसवां, इकतालीसवां, बयालीसवां, तैतालीसवां और चवालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003–2004) के बारे में चालीसवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003–2004) के बारे में इकतालीसवां प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (पशु पालन तथा डेरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003–2004) के बारे में बयालीसवां प्रतिवेदन।

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003–2004) के बारे में तैंतालीसवां प्रतिवेदन।

(5) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003–2004) के बारे में चालीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न् 12.03½ बजे

[अनुवाद]

परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

अडसठवां, उनहत्तरवां और सत्तरवां प्रतिवेदन

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) संस्कृति विभाग की अनुदानों की मांगों (2003–2004) के बारे में अड़सठवां प्रतिवेदन।

(2) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगो (2003–2004) के बारे में उनहत्तरवां प्रतिवेदन।

(3) पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगो (2003–2004) के बारे में सत्तरवां प्रतिवेदन।

अपराह्न् 12.04 बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं ये सूचित करती हूं कि सोमवार, 28 अप्रैल, 2003 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:–

(1) वित्त विधेयक, 2003 पर विचार और पारित करना।

(2) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:--

(i) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2003

(ii) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) विधेयक, 2003

(iii) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2003

3 निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:--

(i) भारतीय विश्वकार्य परिषद (संशोधन) विधेयक, 2003

(ii) दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2003

निर्वाचन और अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2003

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ने का अनुरोध करती हूं :--

(एक) महिला आरक्षण विधेयक अविलम्ब पारित किए जाने की आवश्यकता।

(दो) योर्न डाइंग, वाइन्डिंग रैपिंग, वीविंग के संबंध में 14/2002 के केन्द्रीय उत्पाद अधिसूचना सं. 7/2003 क्र.सं. 95 और 105 6/2002 और 5.000.1 को वापस लेने तथा सेनवैट से पूर्ण छूट की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखत विषयों को जोड़ने की कृपा की जाए:--

1. नौवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा दामोदर घाटी निगम को अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव के आलोक में झारखंड राज्य के सीटीपीएस में प्रस्तावित 210 मैगावाट के दो यूनिट एवं बीटीपीएस में 210 मैगावाट का एक यूनिट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने की अपेक्षा।

2. सैन्ट्रल कोलफील्ड्ज़ लिमिटेड के अंतर्गत वर्ष 1982 में रेल और दामोदर नदी के नीचे दबे कोयला को निकालने के लिए दामोदर नदी रेल विपथन परियोजना में अब तक खर्च की गई करीब 150 करोड़ रुपये के बावजूद भी परियोजना का काम पूरी नहीं होने की उच्चस्तरीय जांच कराने एवं परियोजना को एक समय-सीमा के अंदर पूरा करने की अपेक्षा।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:--

1. अजमेर संसदीय क्षेत्र में किशनगढ़-रूपनगढ़ रोड पर रेलवे स्टेशन के पास यातायात की अत्याधिक भीड़ रहती है। रेलवे फाटक के कारण लोगों को बार-बार इंतज़ार करना पड़ता है। इस रेलवे फाटक के एक ओर मार्बल व्यवसाय की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है तथा दूसरी ओर मदनगंज किशनगढ़ की व्यापार मंडी एवं शहरी क्षेत्र है। अतः किशनगढ़ रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता।

2. अजमेर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नं.3 एवं 4 पर पूरे प्लेटफार्म क्षेत्र की टीनशैड से कवर किए जाने की आवश्यकता।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें।

1. गिरते हुए भू-जल स्तर से उत्पन्न होने वाली पेयजल एवं सिंचाई संकट समस्या तथा उसके निदान हेतु उपाय।

2. आलू उत्पादक किसानों द्वारा आलू सस्ते बिकने

के कारण आत्महत्या करना तथा केन्द्रीय कृषि मंत्री के बयान के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं। आलू के निर्यात की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त रूप में न करना।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:–

1. तिरूअनंतपुरम, कोचीन और कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों से और अधिक उड़ान उपलब्ध कराने और इन विमानपत्तनों के अधिकतम उपयोग किए जाने की आवश्यकता।

2. सबरीमाला की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों, जिनकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है, को सुविधाएं देने हेतु पर्याप्त वन भूमि और वित्तीय सहायता आबंटित किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम 'शून्य काल' शुरू करेंगे।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : महोदय, समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री येरननायडू को बोलने की अनुमति दी है। पहले उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, गेहूं की खरीद का मामला बहुत गंभीर है और सरकारी एजेन्सियां गेहूं खरीद का काम नहीं कर रही हैं। पहले गन्ना किसान मारा गया, फिर आलू किसान मारा गया और अब गेहूं किसान मारा जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामदासजी आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : महोदय, यह एक गंभीर मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : श्री येरननायडू के पश्चात्!

अध्यक्ष महोदय : श्री रामविलास पासवान के बाद।

श्री के. येरनायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, कल प्रश्न काल के पश्चात्, 'शून्य काल' में कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा विनिवेश के मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान मैं उपस्थित नहीं था। आज के समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि श्री प्रियरंजन दासमुंशी और श्री सोमनाथ चटर्जी ने कतिपय सहयोगी दलों जिसमें तेलगु देशम पार्टी भी शामिल है, का यह कहते हुए नाम लिया है कि ये दल भी एचपीसीएल और बीपीसीएल के विनिवेश का विरोध कर रहे हैं। महोदय, इस सभा में अथवा इसके बाहर भी मैंनें अपने दल के संसदीय नेता होने के रूप में कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम विनिवेश का विरोध करते हैं। हमारे मुख्य मंत्री अथवा हमारे दल के किसी अन्य माननीय सदस्य द्वारा कभी भी यह नहीं कहा गया है कि हम एचपीसीएल अथवा बीपीसीएल के विनिवेश का विरोध करते हैं। तेलगु देशम पार्टी विनिवेश का समर्थन करती है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान, आप क्या कहना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सूची के अनुसार हमें बजट (सामान्य) पर दोपहर 12 बजे चर्चा करनी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री राम विलास पासवान, आप केवल एक मिनट का समय लें। अब हमें बजट (सामान्य) पर चर्चा करनी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यह कोई पार्टी का मामला नहीं है। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि झारखंड के जितने भी माननीय सदस्य हैं, उन सभी को मालूम है कि वहां खुले आम

बोकारो जनरल हास्पीटल में लोगों को पकड़कर आंख निकालने और किडनी निकालने का रैकेट चल रहा है। इसी महीने की 16 तारीख को श्री शैलेन्द्र प्रसाद सिन्हा जो गिरीडीह के थे जिनका एक 12 वर्ष का लड़का एवं 10 वर्ष की एक लड़की है। शैलेन्द्र के परिवार वालों को 19 अप्रैल को कहा गया कि पेशेंट मर गया है। इसलिए 1700 रुपये जमा करो और शव ले जाओ। जब पैसे जमाकर वह शव लेने गया, तो अस्पताल से शव गायब पाया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : महोदय, मैं दिल्ली शहर से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। दिल्ली में 28 अप्रैल से 2 मई तक एक घंटे के लिए भी जल की आपूर्ति नहीं होगी। यह एक गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* दिल्ली के लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* कई समाचार पत्रों यह समाचार प्रकाशित हुआ है और इसमें एक घंटे के लिए भी पानी की आपूर्ति नहीं किए गए इलाकों को उल्लेख है ...*(व्यवधान)* अतः मैं सरकार से एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इन सभी मुद्दों को सोमवार को उठाया जा सकता है, आज नहीं। इस बीच सरकार सदस्यों के अनुरोध पर ध्यान देगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं जो मामला उठा रहा हूं, वह बहुत गंभीर है। किसान की हालत आज बहुत खराब है। किसान के गेहूं का सरकारी खरीद मूल्य 630 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन उसे अपना गेहूं 560 और 570 रुपये प्रति क्विंटल में बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने किसान के गेहूं को खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं की है। मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार की ओर से आदेश जाएं कि राज्य सरकारें किसानों के गेहूं को खरीदने का काम करें। ...*(व्यवधान)* पहले आलू किसान तबाह हुआ और अब गेहूं किसान तबाह हो रहा है। किसानों पर चौतरफा मार पड़ रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले जी, यह क्या है, आप बीच में क्यों खड़े हैं। कृपया बैठिए। मैं आपको सोमवार को बोलने की इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मद संख्या 14 अर्थात् बजट (सामान्य) लेता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.13 बजे

[अनुवाद]

अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2003-2004

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की शेष मांगे सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:–

"कि कार्य सूची के स्तम्भ (2) के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

(1) कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 3

(2) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4

(3) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 5 और 6

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 7 और 8

(5) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9

(6) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10

(7) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11

(8) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 से 13

(9) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 से 16

(10) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17 और 18

(11) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19 से 26

(12) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या 27

(13) विनिवेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28

(14) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29

(15) वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 31 से 33, 35, 36 और 38 से 44

(16) खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 45

(17) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 से 48

(18) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 49 और 50

(19) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 51 से 55 और 93 से 97

(20) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 56 से 58

(21) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59

(22) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61 और 62

(23) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64

(24) महासागर विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या 65

(25) ससदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66

(26) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67

(27) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68

(28) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69

(29) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70

(30) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 72

(31) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 73

(32) उपराष्ट्रपति के सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 75

(33) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76

(34) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77 से 79

(35) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 80 से 82

(36) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 83

(37) लघु उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 84

(38) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85

(39) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 86

(40) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87

(41) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 88

(42) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89

(43) पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 90 और 91

(44) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92

(45) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 98 से 101

(46) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 102

(47) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 103

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2003-2004 के लिए अनुदानों की मांगे (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	11 मार्च, 2003 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3		4	
कृषि मंत्रालय					
1	कृषि और सहकारिता विभाग	614,64,00,000	22,15,00,000	1714,85,00,000	104,50,00,000
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	251,82,00,000		1259,10,00,000	
3	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	86,27.00.000	4,06.00.000	431,33,00.000	20,29,00,000
कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय					
4	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	111,17,00,000	10,00,000	555,85,00,000	51,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग					
5	परमाणु ऊर्जा	270,70,00,000	190,15,00,000	1353,81,00,000	950,76,00,000
6	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	244,43,00,000	333,33,00,000	1222,15,00,000	1666,67,00,000
रयायन और उर्वरक मंत्रालय					
7	रसायन और पैट्रोरसायन	9,73,00,000	210,98,00,000	48,62,00,000	39,87,00,000
8	उर्वरक विभाग	3851,66,00,000	64,70,00,000	9604,31,00,000	323,52,00,000
नागर विमानन मंत्रालय					
9	नागर विमानन मंत्रालय	207,05,00,000	7,85,00,00	35,22,00,000	39,26,00,000
कोयला मंत्रालय					
10	कोयला मंत्रालय	72,98,00,000	4,17,00,000	364,92,00,000	20,83,00,000
खान मंत्रालय					
11	खान मंत्रालय	185,21,00,000	3,42,00,000	427,96,00,000	17,07,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय					
12	वाणिज्य विभाग	278,23,00,000	25,50,00,000	1391,12,00,000	127,50,00,000
13	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	63,89,00,000		319,42,00,000	

1	2	3		4	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
14	डाक विभाग	932,56.00,000	21,53,00,000	4662,77,00,000	107,64,00,000
15	दूरसंचार विभाग	227,94,00,000	17,00,000	1139,71,00,000	83,00,000
16	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	75,88,00,000	6,48,00,000	387,88,00,000	32,42,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
17	उपभोक्ता मामले विभाग	6,18,00,000	39,00,000	30,90,00,000	1,96,00,000
18	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	4704,51,00,000	58,39,00,000	23672,56,00,000	303,94,00,000
रक्षा मंत्रालय					
19	रक्षा मंत्रालय	779,00,00,000	64,30,00,000	3895,02,00,000	321,52,00,000
20	रक्षा पेंशन	1833,29,00,000	9166,45,00,000		
21	रक्षा सेवा – थल सेना	4940,11,00,000		24700,54,00,000	
22	रक्षा सेवा – नौसेना	842,34,00,000		4211,68,00,000	
23	रक्षा सेवा – वायु सेना	1419,85,00,000		7099,25,00,000	
24	रक्षा आयुध निर्माणियां	693,50,00,000			
25	रक्षा सेवा – अनुसंधान तथा विकास	457,32,00,000		2286,60,00,000	
26	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		3490,41,00,000		17452,05,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग					
27	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	153,33,00,00	11,70ए00,000	766,65,00,000	58,50,00,000
विनिवेश मंत्रालय					
28	विनिवेश मंत्रालय	4,73,00,000		23,64,00,000	
पर्यावरण और वन मंत्रालय					
29	पर्यावरण और वन मंत्रालय	183,19,00,000	4,24,00,000	915,95,00,000	21,21,00,000
वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय					
31	आर्थिक कार्य विभाग	730,19,00,000	42,84,00,000	3650,93,00,000	214,18,00,000
32	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	145,39,00,000	90,70,00,000	726.95.00,000	453,51,00,000

1	2	3		4	
33	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1259,96,00,000	531,98,00,000	6299,79,00,000	2659,88,00,000
35	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	4364,11,00,000		21820,53,00,000	
36	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण		112,50,00,000		562,50,00,000
38	व्यय विभाग	4,00,00,000	...	20,01,00,000	
39	पेंशन	747,88,00,000		3739,38,00,000	
40	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	160,71,00,000	2,58,00,000	803,57,00,000	12,92,00,000
41	राजस्व विभाग	161,43,00,000	2,27,00,000	236,70,00,000	11,32,00,000
42	प्रत्यक्ष कर	201,80,00,000	19,25,00,000	1009,02,00,000	96,25,00,000
43	अप्रत्यक्ष कर	189,25,00,000	44,18,00,000	946,25,00,000	220,92,00,000
44	कम्पनी कार्य विभाग	8,62,00,000	50,00,000	43,10,00,000	2,50,00,000
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय					
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	13,47,00,000		67,37,00,000	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
46	स्वास्थ्य विभाग	426,16,00,000	52,84,00,000	2130,77,00,000	264,21,00,000
47	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपैथी विभाग	32,41,00,000	33,00,000	162,06,00,000	1,67,00,000
48	परिवार कल्याण विभाग	997,69,00,000		4988,43,00,000	
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय					
49	सरकारी उद्यम विभाग	22,15,00,000	286,29,00,000	110,75,00,000	181,46,00,000
50	भारी उद्योग विभाग	2,10,00,000		10,51,00,000	
गृह मंत्रालय					
51	गृह मंत्रालय	116,22,00,000	3,42,00,000	581,08,00,000	17,08,00,000
52	मंत्रीमंडल	42,70,00,000	35,00,000	213,48,00,000	1,75,00,000
53	पुलिस	1560,03,00,000	182,33,00,000	7488,33,00,000	911,65,00,000

1	2	3		4	
54	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	125,69,00,000	...	628,42,00,000	...
55	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	102,23,00,000	71,60,00,000	511,17,00,000	35 8,00,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय				
56	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	917,44,00,000		3987,19,00,000	
57	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	826,09,00,000	1,00,000	4130,45,00,000	—
58	महिला और बाल विकास विभाग	707,48,00,000		1946,43,00,000	
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय				
59	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	214,93,00,000	38,60,00,000	1074,63,00,000	192,99,00,000
	विधि और न्याय मंत्रालय				
61	निर्वाचन आयोग	1,83,00,000		9,17,00,000	
62	विधि और न्याय	98,36,00,000	9,00,000	491,81,00,000	46,00,000
	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय				
64	गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	84,19,00,000	20,84,00,000	420,92,00,000	104,20,00,000
	महासागर विकास विभाग				
65	महासागर विकास विभाग	33,22,00,000		166,11,00,000	
	संसदीय कार्य मंत्रालय				
66	संसदीय कार्य मंत्रालय	67,00,000		3,37,00,000	
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
67	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	19,34,00,000		96,67,00,000	
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
68	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1354,71,00,000		6773,57,00,000	
	योजना मंत्रालय				
69	योजना मंत्रालय	13,13,00,000		65,64,00,000	
	विद्युत मंत्रालय				
70	विद्युत मंत्रालय	311,46,00,000	470,51,00,000	1557,30,00,000	2352,57,00,000

1	2	3		4	
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय					
72	लोक सभा	30,18,00,000	–	150,87,00,000	
73	राज्य सभा	14,06,00,000	–	70,28,00,000	
75	उप–राष्ट्रपति का सचिवालय	18,00,000		90,00,000	
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय					
76	सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	935,20,00,000	1079,74,00,000	4675,99,00,000	5398,72,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय					
77	ग्रामीण विकास मंत्रालय	4316,54,00,000	5,00,00,000	8287,74,00,000	5,00,00,000
78	भूमि संसाधन विभाग	175,61,00,000		878,05,00,000	
79	पेय जलापूर्ति विभाग	1100,23,00,000		1651,15,00,000	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
80	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	161,81,00,000	8,35,00,000	972,07,00,000	41,75,00,000
81	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	188,05,00,000	1,35,00,000	940,26,00,000	6,75,00,000
82	जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	45,56.00,000		227,79,00,000	
नौवहन मंत्रालय					
83	नौवहन मंत्रालय	89,35,00,00	58,33,00,000	446,75,00,000	291,62,00,000
लघु उद्योग मंत्रालय					
84	लघु उद्योग मंत्रालय	62,93,00,000	3,33,00,000	314,63,00,000	16,67,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
85	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	221,18,00,000	21,25,00,000	1120,88,00,000	106,25,00,000
अंतरिक्ष विभाग					
86	अंतरिक्ष विभाग	314,71,00,000	80,01,00,000	1573,52,00,000	400,07,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
87	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	631,54,00,000	4,19,00,000	1137,66,00,000	20,94,00,000

1	2	3		4	
इस्पात मंत्रालय					
88	इस्पात मंत्रालय	11,39,00,000	2,17,00,000	56,92,00,000	10,83,00,000
कपड़ा मंत्रालय					
89	कपडा मंत्रालय	203,52,00,000	81,46,00,000	1017,59,00,000	407,28,00,000
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय					
90	संस्कृति विभाग	90,62,00,000		453,10,00,000	
91	पर्यटन मंत्रालय	26,80,00,000	34,25,00,000	134,00,00,000	171,25,00,000
जनजाति कार्य मंत्रालय					
92	जनजाति कार्य मंत्रालय	21,34,00,000	6,88,00,000	106,67,00,000	34,38,00,000
(विधान-मंडल रहित) संघ राज्य क्षेत्र					
93	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	145,14,00,000	35,23,00,000	725,68,00,000	176,17,00,000
94	चंडीगढ़	143,07,00,000	25,74,00,000	715,35,00,000	128,72,00,000
95	दादरा और नगर हवेली	56,76,00,000	6,05,00,000	283,81,00,000	30,25,00,000
96	दमन और दीव	44,69,00,000	5,06,00,000	223,47,00,000	25,31,00,000
97	लक्षद्वीप	37,87,00,000	5,99,00,000	189,32,00,000	29,96,00,000
शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय					
98	शहरी विकास विभाग	117,00,00,000	215,41,00,000	584,97,00,000	1077,03,00,000
99	लोक निर्माण कार्य	111,99,00,000	46,54,00,000	559,96,00,000	232,68,00,000
100	लेखन–सामग्री और मुद्रण	27,14,00,000	3,00,000	135,71,00,000	17,00,000
101	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	59,18,00,000	47,82,00,000	295,92,00,000	239,07,00,000
जल संसाधन मंत्रालय					
102	जल संसाधन मंत्रालय	122,11,00,000	9,50,00,000	610,54,00,000	47,51.00,000
युवा मामले और खेल मंत्रालय					
103	युवा मामले और खेल मंत्रालय	71,84,00,000	1,54,00,000	359,20,00,000	7,72,00,000
जोड़ राजस्व/पूंजी		49076,20,00,000	8283,25,00,000	207500,87,00,000	39136,92,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न् 12.18 बजे

[अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक - 3) विधेयक, 2003* पारित

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुपूरक कार्य सूची लेगी।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवन्त सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (राजगंज) : महोदय, मैंने नियम 218 के अंतर्गत एक सूचना दी थी क्योंकि अभी–अभी अनुपूरक कार्यसूची बिना किसी पूर्व सूचना के परिचालित की गई थी। अतः मैंने अभी सूचना दी है। यह आपके विवेक का विषय है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एक आकस्मिक सूचना है।

अध्यक्ष महोदय : यह आकस्मिक सूचना है। मैं आपको इस समय बोलने का अवसर दे सकता हूं लेकिन बाद में नहीं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, चूंकि समय की कमी के कारण जैसा कि सामान्यतः होता है, अधिकांश मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं की जा सकी, मैंने आपके तथा सरकार की जानकारी में कुछ बातें लाने के बारे में सोचा।

इसमें से पहली बात गन्ने के मूल्य और गन्ना उत्पादकों की स्थिति से संबंधित है। माननीय प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के बावजूद हाल ही में 25 अप्रैल अर्थात् आज दिए गए उत्तर से ऐसा लगता है कि 5,096.07 करोड़ रुपये में से केवल 3,030.62 करोड़ रुपये ही अदा किए गए हैं और 2,065.45 करोड़ रुपये अभी भी अदा किए जाने हैं। इसलिए उनकी स्थिति बदतर होती जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर तुरन्त जल्द से जल्द उत्तर दें।

जहां तक शहरी विकास मंत्रालय का मामला है, हम मांगों पर चर्चा नहीं कर सके लेकिन डीडीए में घोटाले के बारे में व्यापक रूप से समाचार प्रकाशित हुए हैं। इस संबंध में हम आशा करते हैं कि अगले सत्र में सरकार जांच की प्रगति और अन्तिम परिणाम के संबंध में पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति और उनकी समस्याएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं लेकिन चूंकि हम रक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा नहीं कर सके अतः हम उन्हें सभाकी जानकारी में नहीं ला सके। मैं आपके माध्यम से, सरकार और विशेषकर वित्त मंत्री से इस मामले को देखने का अनुरोध करता हूं।

हम रक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा नहीं कर सके, हम तहलका डॉट काम के मामले की जांच आयोग की प्रगति से संबंधित मामले पर चर्चा नहीं कर सके। अतः, हम यह जानना चाहेंगे कि क्या अंतरिम प्रतिवेदन तैयार हो चुका है और अगले सत्र में पटल पर रख दिया जाएगा।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इन प्रत्येक बातों का उत्तर दूंगा। मैं अंतिम बात से उत्तर देना शुरू करूंगा और क्रमशः उससे पहले कही गई बातों का उत्तर दूंगा।

जहां तक जांच का संबंध है जैसा कि माननीय सदस्य समझेंगे कि यह जांच उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति फूकन की अध्यक्षता में चल रही है।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड 2, दिनांक 25–04–2003 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

सरकार इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए वचनबद्ध है और जैसे ही जांच पूरी हो जाती है और सरकार इसकी जांच कर लेती है, वास्तव में, इसे सभा में लाया जाएगा। इस बात पर कोई अस्पष्टता नहीं होना चाहिए।

माननीय सदस्य ने भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति के बारे में बाताया। मुझे विश्वास है कि वे विशेषकर तीन बातों की सराहना करते हैं। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों का सवाल है उनकी पेंशन विसंगति का मामला जो विद्यमान है इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने पहल की है और उन विसंगतियों की जांच करने और उन्हें दूर करने हेतु एक समिति नियुक्त की है ताकि उन्हें दूर किया जा सके। मुझे विश्वास है और सदस्य महोदय ने भी देखा है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 227 मेडिकल पोली क्लीनिकों की स्थापना की घोषणा के संबंध में मेरे पास जो अंतिम जानकारी है उसके अनुसार 114 ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है क्योंकि इसका उल्लेख फरवरी में किया गया था। वास्तव में मुझे रक्षा मंत्री के साथ उनमें से एक का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत जैसे विशाल देश में एक बार में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 227 पोली क्लीनिक खोलने जैसा कार्य पूरे विश्व में कहीं भी नहीं किया गया। मेरे विचार से वास्तव में सरकार की यह एक विशिष्ट उपलब्धि है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपकी बातों में व्यवधान डाले बिना इस संबंध में आपको एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कल मुझे एक भूतपूर्व सैनिक जो कि कारगिल युद्ध का शहीद था, के आश्रित ने मुझे एक कागज़ दिया और मैंने इसे आपको दे दिया। उसे एक पैट्रोल पम्प की मंजूरी प्राप्त करने में अथक प्रयास करने पड़े थे।

श्री जसवन्त सिंह : मैं आपकी बात मानता हूं। मैं सारी बात को किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जोड़ना चाहता लेकिन यह सच है।

यह पूर्णतः सच है कि न केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों या सुरक्षा कर्मियों के आश्रितों के लिए बल्कि किसी भी प्रकार के लाभ की घोषणा और उस लाभ को इस प्रकार के आश्रितों और किसी को भी प्राप्त करने के बीच का कार्य अत्यंत लम्बा है और इसकी प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे, उदाहरण के लिए यदि किसी पैट्रोल पम्प का आबंटन किया जाना है तो भूमि तो राज्य सरकार की होती है इसके बाद इस कार्य में राज्य सरकार और नगर प्रशासन की भूमिका होती है। इसका कोई सीधा समाधान नहीं है। इसका समाधान पूरे देश में व्यापक जागरूकता और व्यापक समन्वय ही है। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के सवाल के संबंध में मुझे विश्वास है कि सरकार सभा को उचित समय पर सूचित करेगी।

माननीय सदस्य ने अंतिम प्रश्न चीनी के संबंध में पूछा था। यदि माननीय सदस्य को याद होगा तो मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि चीनी उद्योग यदि बगान उद्योग से पुराना नहीं तो कम से कम उतना पुराना तो है ही और यह आश्वास्त होने की बात है कि चीनी उद्योग से संबंधित सभी समस्याओं पर तुरंत ध्यान दिया जा रहा है। यहां, आप इससे सहमत होंगे कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अभी भी गन्ना किसानों को एम.एस.पी. मूल्य नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। आपने इसी सदन के अंदर पांच रुपये एम.एस.पी. मूल्य बढ़ाया था और वह 15 दिन के अंदर गन्ना किसानों को मिल जाना चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर वह चीनी मिल मालिकों द्वारा नहीं दिया जाता तो उनको बकाए पर ब्याज देना होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार चीनी मिल मालिकों को संरक्षण दे रही है और गन्ना किसानों का गला घोंटने का काम कर रही है।

श्री जसवन्त सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि मैं चीनी को कड़वा नहीं करना चाहता। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : किसान मर रहा है, किसानों के ऊपर राज्य सरकारें गोली चला रही हैं तो वैसे ही चीनी कड़वी हो रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चीनी का नाम भी नहीं लेना, दूसरी बात कीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, जैसे मैं निवेदन कर रहा था, माननीय प्रधान मंत्री जी ने आदेश दिया था। मैंने बजट में घोषणा की थी कि एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप बैठेगा। वैसे मैं फाइनेंस बिल के दौरान इसकी सूचना दे रहा था। यह जो इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप बैठा है, इसने इस दौरान अपना काम

करीब–करीब पूर कर लिया है। मेरा विश्वास है कि 10–15 दिनों के भीतर यह अपनी समुचित रिपोर्ट दे देगा। अध्यक्ष जी, आप समझते हैं कि महाराष्ट्र में चीनी को लेकर जो समस्या है, वह उत्तर प्रदेश से भिन्न है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जो समस्या है, वह पूर्वी जिलों में नहीं है। एक समुचित व्यवस्था तमाम शुगर इंडस्ट्री की हो क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण ऐग्रो–इंडस्ट्री है, सरकार इसकी महत्ता समझती है। मैं मानता हूं कि गन्ना किसान को अगर उसका पैसा समय पर नहीं मिलेगा तो बहुत कठिनाई होगी। सरकार इसे पहचानती है और इसके लिए हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:–

"कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि वित्त मंत्री महोदय चाहें तो अब सभा वित्त विधेयक पर चर्चा कर सकती है। अन्यथा, हम इस पर 2 बजे चर्चा कर सकते हैं जैसा कि वे चाहते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सभा की इच्छा और आपके निर्देश से चलूंगा। लेकिन यह 2 बजे के लिए निर्धारित किया गया है तो वास्तव में यह विषय तो अब सभा की इच्छा पर है, क्या हम इस पर 2 बजे चर्चा कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : हमें आपत्ति नहीं है। हम इस पर 2 बजे चर्चा कर सकते हैं। माननीय सदस्यों को 'शून्य काल' में बोलने का अवसर मिलेगा।

अब श्री राम विलास पासवान बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.30 बजे

[हिन्दी]

सदस्य द्वारा निवेदन

झारखण्ड में बोकारो जनरल हॉस्पिटल में मानव अंगों की बिक्री कथित रैकेट के बारे में

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदन में शांति बनाए रखें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने आपको झारखंड के बोकारो जनरल अस्पताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैं जिला अस्पताल के सम्बन्ध में यह मामला उठा रहा हूं, वह राज्य सरकार का नहीं है, केन्द्र सरकार का है और स्टील आथोरिटी ऑफ इंडिया लि. के अंतर्गत आता है। बोकारो जनरल अस्पताल में खुलेआम मानव अंगों की खरीद–फरोख्त करने वाला रैकेट सक्रिय है। किसी मरीज की वहां किडनी निकाल ली जाती है, किसी की आंख निकाल ली जाती है। इस प्रकार की कई वारदातों की खबरें समाचार पत्रों में कई बार छप चुकी हैं। इससे वहां के लोगों में काफी आक्रोश है और दो दिन से बोकारो बंद है। वहां हर पार्टी के लोग इस बात को लेकर नाराज हैं। हमारी पार्टी की महिला सैल की अध्यक्षा सावित्री लाल को जेल में बंद कर दिया गया है। इसके अलावा नयनझरी देवी, अनिस सिंह, सोना देवी, राजकुमारी देवी, आशा

देवी, बिंदु सिंह, उमेश्वरी देवी, शारदा देवी, ये सब जो आंदोलन कर रहे थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया है। इनका कसूर यही है कि ये सब इन रेकेटियर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं।

मैं एक घटना के ऊपर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और यह भी चाहूंगा कि सरकार उस पर जांच कराकर अपनी रिपोर्ट दे। यह घटना एक आदमी शैलेश कुमार सिन्हा के साथ घटित हुई है। उनकी उम्र 35 साल थी और वे गिरीडीह के निवासी हैं। उनके 12 साल का एक लड़का साकेत और दस साल की एक लड़की शिल्पी है। शैलेश कुमार सिन्हा विश्वनाथ नर्सिंग होम में जाकर भर्ती हुए और वहां से 16 तारीख को उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां उन्हें सी.सी.यू. में रखा गया। 19 तारीख को दिन में 11 बजे उनके परिवार को सूचना दी गई कि आठ बजकर पचपन मिनट पर वह आदमी मर गया है। उसके परिवार के लोगों से कहा गया कि आप 1700 रुपये जमा कराकर उसका शव ले जा सकते हैं। जब उसके परिवार के लोग शव लेने गए तो वहां लाश नहीं थी। उसके बाद पता किया तो मालूम पड़ा कि उसकी किडनी और आंखें निकालकर लाश को जला दिया गया। इस घटना को लेकर पूरा बोकारो दो दिन से बंद है। यह किसी पार्टी का मामला नहीं है। भारत सरकार को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए और इसकी जांच करके इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि जो लोग अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, उनके साथ इस तरह की वारदात न हो।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्री आडवाणी, उन्होंने गलत तरीके से गुर्दे और आंखें निकालने संबंधी गम्भीर मुद्दा उठाया है। कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जब इस घटना का जिक्र समाचार पत्रों में आया तो इसको लेकर हर पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं और दो दिन से बोकारो बंद है। हम लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, कुल मिलाकर सभी दल इस बात पर आंदोलन कर रहे हैं। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस उन पर दमनात्मक कार्यवाही कर रही है। हमारी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्षा सावित्री लाल एक दर्जन महिलाओं के साथ जेल में बंद है। मानवीयता की दृष्टि से भी यह काम सही नहीं है और इस प्रकार का कोई रैकेट नहीं चलना चाहिए। आप इसकी जांच कराएं तो आपकी बहुत कृपा होगी।

[अनुवाद]

उप-प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं इस संबंध में राज्य सरकार से सच्चाई का पता लगाऊंगा।

[हिन्दी]

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (जलेसर) : अध्यक्ष जी, 24 अप्रैल के समाचार पत्रों में सब ने पढ़ा होगा कि कानपुर के नौबस्ता थाने के अंतर्गत, संजय गांधी नगर में श्री राम विलास पाल ने अपनी पत्नी सरला पाल, तीन बेटियों – सीमा, सोनू, रेणू और लड़के सुनील के साथ गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। 6 के 6 शवों के फोटो अमर उजाला के मुख–पृष्ठ पर छपे हैं। पूरे परिवार ने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। राम विलास स्वदेशी कॉटन मिल में चालक के पद पर कार्यरत था। कानपुर किसी जमाने में इंडिया का मानचेस्टर कहलाता था। उत्तर प्रदेश का आदमी इस निश्चय के साथ कानपुर पहुंचता था कि वहां जाकर किसी न किसी कॉटन मिल में उसे नौकरी मिल जाएगी। इसी प्रकार से संपूर्ण भारत के लोग मुम्बई इसलिए जाते थे कि किसी न किसी कॉटन मिल में उन्हें काम मिल जाता था। कानपुर की चाहे नेशनल टैक्सटाइल कॉरपोरेशन हो, चाहे एल्गिन मिल हो, लाल इमली हो या स्वदेशी कॉटन मिल हो, आज सभी बीमार पड़ी हुई हैं और बंद हो चुकी हैं। हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हैं। इससे पूर्व भी इस हाउस में कानपुर के मिल–मजदूरों की दुर्दशा, उनके द्वारा आत्महत्या के बारे में चर्चा हो चुकी है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि राम विलास पाल के बेटे अनिल कुमार ने 10 हजार रुपये का कर्जा कमलेश दूबे नाम के सिपाही से 10 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से लिया। उधार न चुका पाने पर कमलेश ने अनिल को गायब कर दिया। अनिल के बाद चालक रखकर एक टेम्पो चलवाया तो आरटीओ द्वारा सीज कर दिया गया। मेरा कहना यह है कि इस पर उचित कार्रवाई हो। यह कोई पहली घटना नहीं है। मिर्जापुर में गरीबी से तंग आकर एक महिला ने तीन बच्चों सहित 17 तारीख को जहर खा लिया। इसी तरह से 16 तारीख को गाज़ियाबाद के बम्हैटा गांव में गरीबी से परेशान महिला ने तीन बच्चों के साथ जलकर मौत को गले लगाया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री रामदास आठवले के भाषण को ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बघेल जी, सदन में पेपर पढ़ा नहीं जा सकता। आप बैठ जाइये, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। श्री रामदास आठवले, आप अपनी बात कहिये।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष जी, आजादी के 55 वर्षों के बाद भी, देश के किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी गांव में, दलितों पर अत्याचार रोज होते हैं। हमारा महाराष्ट्र राज्य परिवर्तनवादी है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को अपनाने वाला है। उसके बाद भी 5 अप्रैल को महाराष्ट्र में रमेश गरारे नाम के आदमी की नंदूबार जिले में बोराला नाम के गांव में जलाकर हत्या की गयी। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि गरीबों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और भारत सरकार को रमेश नगर गरारे के परिवार को पांच लाख रुपये की मदद देनी चाहिए। यह मेरी मांग है। सभी पार्टियों को इसका ध्यान रखकर अपनी पार्टी के वर्कर्स को इस बारे में हिदायत देनी चाहिए। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह दलितों पर होने वाले अत्याचार को बंद कराए और मृतकों के परिवार वालों को पांच लाख रुपए दे। यही मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, कल केरल में सार्स के दो संदेहास्पद मामले पाए गए हैं। पहला संदेहास्पद मामला सिंगापुर से आये एक व्यक्ति का है। उसे इलाज के लिए त्रिवेन्द्रम मैडीकल कॉलिज में भर्ती किया गया है। दूसरा संदेहास्पद मामला कोचीन में पाया गया है, वह व्यक्ति भी विदेश से आया है। उसे कोचीन के अस्पताल में भर्ती किया गया है।

महोदय, उनका इलाज हो रहा है। उनके खून के नमूने अस्पतालों में जांच के लिए गए हैं।

इस संबंध में, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे सार्स के इन संदेहास्पद मामलों से संबंधित इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए केरल सरकार को सभी सम्भव सहायता दें।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर) : महोदय, मैं भी उनकी बात का समर्थन करना चाहता हूं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं भी श्री वरकला राधाकृष्णन् की बात का समर्थन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इससे सम्बद्ध कर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने गन्ना किसानों को बर्बाद कर दिया। उनकी धान और आलू की फसल भी बर्बाद हुई। आज स्थिति यह है कि आलू खेतों में सड़ रहा है जिससे बीमारी फैलने की सम्भावना है। उनका आलू खरीदा नहीं गया। देश में कहीं सूखा पड़ा है और कहीं बाढ़ आई लेकिन इसके बावजूद किसी तरह किसानों ने गेहूं की फसल पैदा की। आज हालत यह है कि जब उनका गेहूं तैयार हो गया तो सरकार द्वारा तय स्थानों पर जो खरीद केन्द्र स्थापित होने चाहिए, वहां वे स्थापित नहीं हुए। परिणामस्वरूप किसानों को 630 रुपये प्रति–क्विंटल, जो समर्थन मूल्य के मिलने थे जिस में 10 रुपये प्रति–क्विंटल सूखा राहत के नाम पर थे, वह नहीं मिल रहा है। आज उसे बाजार में अपना गेहूं 560–570 रुपये प्रति क्विंटल में बेचना पड़ रहा है। इसी समय उनकी देनदारी सुनिश्चित होती है, शादी ब्याह का समय होता है और उनकी अपनी कई जिम्मेदारियां होती हैं लेकिन आज किसान की फसल पर डाका पड़ रहा है। उसे गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। यह बहुत गम्भीर मामला है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। हम चाहेंगे कि भारत सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे कि जो एजेंसियां गेहूं खरीदती थीं, वे सक्रिय हों जिससे किसानों को अपना गेहूं बाजार में बेचने के लिए महबूर न होना पड़े। किसान पहले ही बहुत परेशान हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल) : महोदय, मैं श्री रामजीलाल सुमन द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपका नाम इनसे सम्बद्ध कर जोड़ दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र परभनी में एक नवोदय विद्यालय था लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट का बायफरकेशन होने से वह हिंगोली में चला गया। जब आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस समय हिंगोली जिला हमारे क्षेत्र से अलग हो गया जिससे वह नवोदय विद्यालय

हिंगोली में चला गया। मेरा क्षेत्र 20–22 लाख की जनसंख्या वाला क्षेत्र है। वहां 10–12 लाख वोटर्स हैं। मेरा जिला शिक्षा में पिछडा है। वहां किसी नवोदय विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है। कृषि विद्यापीठ ने 30 एकड़ जगह लिखित रूप से भारत सरकार को दे दी। इस दिशा में अभी तक आगे कोई कदम नहीं उठाया गया। मेरा आग्रह है कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछडेपन को देखते हुए वहां शीघ्र ही नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए।

[अनुवाद]

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : कुछ समय से लगभग 5,50,000 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय नदियों को जोड़ने और इस प्रयोजन से एक कार्य बल गठित करने संबंधी प्रस्ताव पर अध्ययन किया जा रहा है। इन्टरनेशनल वॉटर फोरम सहित विशेषज्ञ निकायों द्वारा इस बड़ी परियोजना की व्यवहार्यता के संबंध में गंभीर आपत्तियां की गई हैं और सुझाव दिया गया है कि हमें क्षेत्रीय नदी जल ग्रिडों द्वारा छोटे, स्थानीय हल निकालने चाहिए जो कि लोगों के निवास के समीप हों।

दक्षिण कन्नड़ और उदुपी जिलों में नदियों को जोड़ने के लिए एक आदर्श और कार्यात्मक क्षेत्रीय नदी जल ग्रिड संबंधी प्रस्ताव की जांच की गई थी और इसे सहायता के लिए केन्द्र को प्रस्तुत करने के लिए कर्नाटक सरकार को भेजा गया था। परियोजना का परिव्यय केवल 5,000 करोड़ है जिसे एक दशक पहले अनुमान लगाया गया था। लेकिन जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई क्षमता, पेय जल आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण के रूप में परियोजना से होने वाले लाभों का भी मूल्यांकन किया गया है ताकि परियोजना के आरम्भ होने के बाद पांच वर्ष की अवधि के भीतर निवेश की तुलना में अधिक लाभ हो सके।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस जिले की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए इस प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करें।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशीन मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

दिनांक 22 अक्तूबर, 2000 को 'दि पॉयनीयर' में "फेक नोट्स वर्थ 5789.9 करोड़ रुपीज़ एफ्लोट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित एक समाचार प्रकाशित हुआ। उसमें कहा गया कि मेघालय, असम और मणिपुर आई एस आई उग्रवादियों के साथ लेन–देन करने के मुख्य केन्द्र हैं। इसमें आगे कहा गया:

"मंत्रिमण्डल सचिवालय की प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई एक वर्गीकृत रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अनुमानत: 5789.96 करोड़ रुपये की नकली भारतीय मुद्रा देश में परिचालन में है। जबकि नेपाल और पूर्वोत्तर राज्य सौदेबाजी के प्रमुख केन्द्र हैं, मुम्बई, कलकत्ता और नई दिल्ली में हवाला ऑपरेटर पाकिस्तान से चलाए जाने वाले गोरख धंधे में शामिल बड़े खिलाड़ी हैं।"

इसमें आगे कहा गया:

"वर्तमान में, नकली मुद्रा के परिचालन और जब्जी से संबंधित लगभग 70,000 मामले समूचे भारत के न्यायालयों में लंबित हैं।"

मैं एक बार फिर इस सभा का ध्यान 10 जुलाई, 2002 के दि इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक अन्य समाचार की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। इसमें कहा गया है कि:

"आसूचना ब्यूरो की गृह मंत्री को प्रस्तुत अद्यतन रिपोर्ट में मुम्बई के अनेक बैंकों का ब्यौरा दिया गया है जो कि 250 करोड़ रुपये से ऊपर नकली मुद्रा के परिचालन में सहायक रहे हैं।"

ऐसे अनेक समाचार हैं। लेकिन मैं अब अन्तिम मुद्दे का उल्लेख करूंगी और सभा का ध्यान श्री के.सी. पंत, योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा कही गई बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगी जो कि 22 से 24 जनवरी, 2003 तक भारत की संसद की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन के दौरान 'आतंकवाद का मुकाबला' करने के संबंध में उनके द्वारा महत्वपूर्ण अभिभाषण देते हुए कही गयी थी। मैं उनकी बात को उद्धृत करना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय : डा. सरोजा, आप इतना अधिक समय नही ले सकती हैं। आपको दो मिनट के समय में अपनी बात पूरी करनी चाहिए। आपको केवल उस बात का उल्लेख करना है, आप भाषण नहीं दे सकते हैं। अन्य माननीय सदस्य भी हैं जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। मुझे खेद है, मैं आपको और अनुमति नहीं दे सकता। अब आप अपना भाषण समाप्त करें। प्रो. रासा सिंह रावत अपनी बात कह सकते हैं।

डा. वी. सरोजा : मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इसकी गहराई में जाने के लिए तत्काल एक उच्च स्तरीय समिति गठित करें और इसे समाप्त करें। वित्त मंत्रालय,

भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्वेषण ब्यूरो को देश में नकली नोटों के मुद्रण, तस्करी और परिचालन को रोकने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में रिपोर्ट सभा के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर भयंकर अकाल की स्थिति है। इस समय देश के जितने राज्यों के अकाल है, उसमें राजस्थान में अकाल की सबसे विषम स्थिति है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मई और जून के दो माह शेष रह गये हैं। पेयजल की दृष्टि से, पशुधन को बचाने और उसके लिए चारे की व्यवस्था की दृष्टि से और लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से यह क्लाइमैक्स पीरियड होता है। लाखों लोगों को अभी काम में लगाना है। मैं चाहूंगा कि राहत कार्यों के लिए केन्द्र सरकार राजस्थान को अविलम्ब अतिरिक्त सहायता प्रदान करे। मान्यवर, एक और बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वैसे तो केन्द्र सरकार ने राजस्थान को इस भयावह अकाल से निपटने के लिए लाखों लोगों को राहत कार्यों में लगाने, काम पर लगाने, पेयजल समस्या के निवारण और पशुधन की रक्षा करने के लिए उदारतापूर्वक काफी नकद राशि तथा गेहूं और चारे के रूप में राज्यों को सहायता प्रदान की है, उसके लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन मई जून में जब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक इन सारे कामों को चलाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कम से कम 25 दिन एक गरीब परिवार के एक व्यक्ति को काम पर लगाया जाए। अभी तक केवल 10 दिन लगाया जा रहा है। इस पर लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली बात, 25 दिन तक रोजगार प्रदान करने वाली बात होनी चाहिए। भयावह अकाल के कारण एपीएल और बीपीएल में कोई अंतर नहीं रह गया। इसलिए दोनों को काम पर लगाने की आवश्यकता है। केवल सड़कों और धूल के कामों में ही नहीं बल्कि अन्य निर्माण के कार्यों में भी उनको लगाया जाना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देश दें कि अतिरिक्त सहायता राजस्थान को आने वाले दो–ढाई महीनों के लिए विशेष रूप से प्रदान करें।

श्री ब्रजमोहन राम (पलामू) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। अभी गर्मी का प्रथम चरण है लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में पेयजल की कमी को देखते हुए हाहाकार मचा हुआ है और किल्लत हो गई है। समाचार पत्रों की सुर्खियों में यह खबर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में देश के कई हिस्सों में पानी के लिए मार–पीट होती है। पेयजल की आपूर्ति की जो समस्या सामने आई है, उससे एक तो भूमिगत जल स्तर नीचे गिर गया है और दूसरे बिजली आपूर्ति भी बाधित हो रही है। हम विशेष रूप से झारखंड की बात कर रहे हैं। वहां पानी की भारी किल्लत हो गई है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों के अलावा जानवरों के लिए भी पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां जानवरों के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है जिसके चलने लोगों को परेशानी हो रही है। वहां पर 400 फीट वाटर लैवल नीचे चला गया है जिसके चलते चापाकल और बोरिंग वगैरह सब फेल हो गए हैं। शहरों में लोग एक–एक बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। पानी नहीं मिल रहा है। पूरे झारखंड में विद्युत आपूर्ति मखौल बनकर रह गई है। ...*(व्यवधान)* वहां मीटरों की जो व्यवस्था है, उसे भी कंप्यूटराइज्ड किया गया है जिसके चलते और समस्या हो गई है। बिहार और झारखंड में कैडर के बंटवारे को लेकर जो परेशानी उत्पन्न हुई है, उसके चलते भी काम नहीं हो रहा है और परेशानी हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि अविलम्ब वहां पेयजल की व्यवस्था कराई जाए और झारखंड में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सभी सांसदों को ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को देखने के लिए जिला निगरानी समितियों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया है। सभी पार्टियों ने इसको अच्छा कदम माना। लेकिन एक तरफ सभी सांसदों को निगरानी समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया और दूसरी तरफ इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना और स्वर्ण जयन्ती स्वरोज़गार योजना और पीने के पानी की योजना में 800 रुपये की कटौती की गई है। राम विलास पासवान जी चले गए। वे वैशाली जिला के अध्यक्ष हैं। वहां 7 करोड़ रुपये संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना में कटौती हुई। इसी तरह से सरकार दावा करती है कि हम ग्रामीण विकास पर ज़ोर दे रहे हैं, बजट का प्रावधान भी दिया है और दूसरी तरफ कटौती की जा रही है। देखा जाए तो बिहार में 300 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। पश्चिम बंगाल में करीब 85 करोड़ रुपये की कटौती की गई। उत्तर प्रदेश में 69 करोड़ रुपये की कटौती की गई।

महोदय, इसका मतलब यह है कि इस तरह से कोई

राज्य ऐसा बाकी नहीं है, पांच–छः राज्यों को छोड़कर कि जिनके पैसे की कटौती नहीं की गई हो। झारखंड के एक माननीय सदस्य यहां बोल रहे थे, उन्हें जानकारी भी नहीं होगी कि उनके राज्य की इंदिरा आवास योजना में 41 करोड़ रुपये, संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना में 33 करोड़ रुपये और फिर 38 करोड रुपये, फिर 9 करोड़ रुपये, फिर 11 करोड़ रुपये की कटौती की गई है।

श्री सुरेश रामराव जाधव : बिहार में खर्च नहीं हुआ है, इसलिए कटौती की गई है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : खर्च कैसे नहीं हुआ, मैं बताता हूं।

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप अपनी बात बोलिए। उन्हें नहीं मुझे सम्बोधित कर के बोलिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का पैसा भी काटा गया है। जवाहर रोज़गार योजना के 9.68 करोड़, संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना के 3.83 करोड़ काटे गए हैं। इस तरह से कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसका पैसा नहीं काटा गया हो।

महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में मुजफ्फरपुर और वैशाली दो क्षेत्र हैं, जिनके बारे में मुझे जानकारी है। वहां सभी औपचारिकताएं 31 मार्च, 2003 के पहले पूरी कर दी गईं और सभी कागज़ात जमा करा दिए गए, लेकिन कोई न कोई पेंच लगाकर पैसा काट दिया गया। यह धन राज्य सरकार को नहीं जाता है। यह पैसा सीधा डी.आर.डी.ए. के अंतर्गत प्रखंड में आता है, लेकिन वह पैसा नहीं दिया गया। एक दूसरी बात यह है कि यदि किसी एक डी.आर.डी.ए. की परफॉरमेन्स खराब है, तो उसी राज्य के किसी दूसरे डी.आर.डी.ए. को वह पैसा दिया जाना चाहिए, लेकिन राज्य के बाहर किसी भी हालत में वह पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। मान लीजिए किसी एक डी.आर. डी.ए. का काम ठीक नहीं है, तो क्या पूरे राज्य के सभी डी. आर.डी.ए. का काम खराब हो जाएगा? ऐसा नहीं है और न ऐसा होना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक राज्य का पैसा काटकर दूसरे राज्य को नहीं दिया जाना चाहिए।

महोदय, एक राज्य के पैसे को काटकर दूसरे राज्य को यदि दिया जाएगा, जो इससे रीज़नल इम्बैलेंस पैदा होगा और रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ेगी। इससे जिस राज्य का पैसा काटा जा रहा है उस राज्य के गरीबों का अहित होगा, क्योकि इसमें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को घर बनाने हेतु धन मिलता है। मेरा निवेदन है कि इसको दिखवा लीजिए और किसी भी राज्य की हिस्सेमारी न की जाए, ऐसी व्यवस्था कीजिए।

महोदय, सचिवालय में धन आबंटन के समय रुपये–पैसे भी चलते हैं। उसी के आधार पर आबंटन होता है। इसलिए सरकार इसका उत्तर दे। ग्रामीण विकास की जो ये योजनाएं हैं, इन सबसे गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रगति होती है। यदि इसके अंतर्गत धन की कटौती की जाएगी, तो यह गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए महोदय, मैं इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दूंगा। इससे लोक सभा के सभी सदस्य कलंकित होंगे क्योंकि उनके रहते हुए गरीबों के उत्थान की योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले धन की कटौती की जा रही है। इसमें सभी शामिल हैं। किसी को अध्यक्ष बना दिया, किसी को उपाध्यक्ष, लेकिन वे जनता को जाकर क्या मुंह दिखाएंगे कि उनके विकास हेतु दिए जाने वाले धन की कटौती भारत सरकार द्वारा क्यों की गई? इसलिए यह सवाल बहुत गंभीर सवाल है और सभी सदस्यों, सभी जिलों और क्षेत्रों से संबंधित है। भारत सरकार राज्यों के धन की हिस्सेमारी कर रही है। राज्यों के हिसाब को ठीक ढंग से देखा जाए। ग्रामीण विकास की योजनाओं में इस तरह कटौती कर के गरीबों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उसे बंद किया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय सेना, फिल्मी दुनिया और स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का प्रयत्न कर रही हूं। मुझे दुःख है कि मैं जब अपनी बात कह रही हूं तो चैम्बर खाली है। यहां सत्ता पक्ष से कोई भी उपस्थित नहीं है। लेकिन आप यहां उपस्थित हैं और अभी भी विपक्ष के कुछ विशिष्ट सदस्य यहां उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि वह इस बात को ध्यान से सुनें।

महोदय, भारतीय सेना सामान्यतः लड़ाई के दृश्यों को फिल्माने के लिए फिल्मी दुनिया की सहायता करती है। वह नकली लडाइयों में भी भाग लेते हैं अर्थात् यदि आप भारत–चीन युद्ध की शूटिंग करते हैं तो कुछ भारतीय सिपाही चीनी सेना की वर्दी पहनते हैं और दूसरी सेना की भूमिका निभाते हैं। यदि भारत–पाकिस्तान युद्ध को फिल्माना होता है तो उन्हें पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहनाई जाएगी। हम अनेक फिल्मों में देखते हैं कि कुछ लोगों ने पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहनी होती है और वह नकली लडाइयों में भाग लेते हैं।

हाल ही में यह बात मेरे ध्यान में लाई गई है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर फिल्म की शूटिंग करते हुए उन्हें बताया गया कि भारतीय सेना हमारी मुक्ति सेना, आई.एन.ए. जिसे आजाद हिन्द फौज के रूप में जाना जाता है की वर्दी नहीं पहनेगी क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मुझे यह सुनकर धक्का लगा। स्वतंत्रता के 57 वर्षों बाद, आप दुश्मन देश की वर्दी पहन सकते हैं लेकिन आप उस सेना की वर्दी नहीं पहन सकते जिसने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और जिनके बलिदान से हम यहां खड़े हैं और भारत का भविष्य बनाने में भाग ले रहे हैं। यह बहुत शर्मनाक और हास्यास्पद है।

अपराह्न 1.00 बजे

महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्रालय को इस मामले की जांच करने के लिए कहूंगा। इस तरह की बातें उपनिवेशवाद के अवशेष हैं और इन्हें अभी से ही समाप्त करना चाहिए। मुझे यह सुनकर शर्मिंदगी हो रही है कि इस देश में अभी भी यह भावना विद्यमान है। मुझे एक जाने–माने फिल्म निर्देशक द्वारा इस बात का पता चला है जो कि एक फिल्म की शूटिंग नहीं कर सके क्योंकि सिपाहियों ने आजाद हिन्द फौज (आई.एन.ए.) की वर्दी पहनने के लिए मना कर दिया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम उनके द्वारा व्यक्त भावनाओं से पूर्णतः सहमत हैं।

श्रीमती कृष्णा बोस : यह अच्छी बात है कि आपने स्वयं को इस प्रयोजन से संबद्ध किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह यह मामला रक्षा मंत्री के ध्यान में लाएं।

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : महोदय, निश्चय ही इस बात को उनके ध्यान में लाया जाएगा।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : महोदय, आज कृषक चावल और गेहूं की बिक्री के संबंध में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देश में पंद्रह राज्यों द्वारा सूखे की स्थिति का सामना किया जा रहा है। कृषकों को चावल और गेहूं के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार, विशेषकर कृषि मंत्रालय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस समस्या का हल निकाले। भारतीय खाद्य निगम और सरकार की अन्य नामित एजेंसियों को कृषकों से चावल और गेहूं खरीदना चाहिए और उन्हें उसके लिए उचित मूल्य दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' के सभी नोटिस समाप्त हो गए हैं।

अब सभा आराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न् 1.02 बजे.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2003 - विचाराधीन

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह प्रस्ताव करेगें कि वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

माननीय सदस्यगण, जैसाकि आपको विदित है कि कार्य मन्त्रणा समिति के 22 अप्रैल 2003 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि वित्त विधेयक पर चर्चा 25, 28 और 29 अप्रैल 2003 को की जाएगी। वित्त मंत्री बुधवार 30 अप्रैल 2003 को उत्तर देंगे। यदि सभा सहमत है तो वित्त विधेयक 2003 के सभी तीन चरणों के लिए 12 घंटे आबंटित किए जा सकते हैं अर्थात सामान्य चर्चा के लिए 10 घंटे 30 मिनट, खंडवार विचार हेतु 1 घंटा और तृतीय वाचन के लिए आधा घंटा।

अब हम वित्त विधेयक पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। श्री जसवन्त सिंह।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : *

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, जैसा कि आपको मालूम है और सभी माननीय सदस्यों को विदित है कि वित्त विधेयक पर विचार अपनी सम्पूर्ण प्रक्रिया के अन्तिम चरण में है जिसका अनुसरण विधायिका को अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को निभाने के लिए करना पड़ता है। वित्त मंत्रियों के भाग्य में अपने सहयोगियों अथवा साथियों का अनुमोदन अथवा प्रशंसा प्राप्त करना नहीं लिखा होता है लेकिन दुर्भाग्यवश सभी वित्त मंत्रियों से यही भाग्य से होता है।

मैं 1774 में अमरीकी कर प्रणाली पर एडमंड बर्क द्वारा एक भाषण में की गई टिप्पणी से वास्तव में बहुत अभिभूत हूं। यह विस्मयकारी है कि यह बात हमें कितने वर्ष पीछे ले जाती है। अब लगभग दो शताब्दियां बीत चुकी हैं। एक एंग्लो–आयरिश राजनीतिक सिद्धांतकार एडमंड बर्क ने अमरीकी कराधान प्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा था:

"टू टैक्स एण्ड टु प्लीज नो मोर दैन टु लव एण्ड बी वाइज इज नॉट गिगेन टु मैन हुड।"

(लोगों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उन पर कर लगाया जाए और वे खुश रहें)

दुर्भाग्यवश यह सभी वित्त मंत्रियों का कर्त्तव्य है कि वह कर लगाएं और कर लगाने के बाद लोगों की प्रशंसा प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन उसके बावजूद, मैं अत्यन्त आभारी हूं कि 28 फरवरी से लेकर आजतक बजट की प्रमुख बातों को काफी हद तक राष्ट्रीय अनुमोदन मिला है। फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बारे में बातें कही गई हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर विचार व्यक्त किए गए हैं। आज कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनपर और अधिक ध्यान दिए जाने जी हमनें स्वयं आवश्यकता समझी है। यह पूरी तरह सम्भव है कि ब्यौरे के मामलों में कुछ पहलुओं में संशोधन परिमार्जन और बदलाव की आवश्यकता है जो वैसे भी बजट प्रक्रिया के पूर्णतः समाप्त होने में लगने वाले समय में किए जाते हैं

चालू वर्ष में मोटे तौर पर तीन–चार मुद्दे उभर कर सामने आए जिस पर विभिन्न प्रकार के नागरिकों ने चिंता व्यक्त की और मैं उन्हीं मुद्दों से चर्चा आरम्भ करता हूं।

मैं अत्यन्त संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि आबंटित किया गया समय सीमित है। मुझे अन्य सदस्यों की टिप्पणियों से लाभ मिलेगा। पहला मुद्दा 'मूल्य वर्धित कर' का है। यह मामला इसमें पहले सभा में प्रश्न काल के दौरान आया था और तब मैंने कहा था कि वैट वास्तव में कराधान के मूल्य में वृद्धि करता है न कि कराधान में मुसीबत लाता है। इसलिए यह मुसीबत बढ़ाने वाला कर नहीं है यह मूल्य वर्धित कर है। इसलिए, हमें यह बात माननी चाहिए कि यह एक आधुनिक और प्रगतिशील कर है और इस सन्दर्भ में मैं विश्वस्त हूं कि यह जब भी कार्यान्वित किया जाएगा यह न केवल राज्यों को लाभ पहुंचाएगा बल्कि यह देश के पूरे राजस्व ढांचे के लिए भी लाभकारी होगा। लेकिन मूल्य वर्धित कर के सन्दर्भ में विवाद जिस प्रकार सामने आया है उसके बारे में मुझे बताने दीजिए।

बजट भाषण में मैंने कहा था कि चालू वर्ष में राज्यों में मूल्य वर्धित कर प्रणाली लाई जाएगी और केन्द्र सरकार सहकारी संघवाद की उच्चतम परम्पराओं के अनुरूप यह अभूतपूर्व सुधार करेगी। मैं उस बात को पुनः दोहराऊंगा जिसे मैंने प्रश्न काल के दौरान कहा था। केन्द्र सरकार तो केवल सुविधा देने वाली है। यह राज्यों का कर है। यह बिक्री कर और विभिन्न अन्य करों का स्थान लेगा और कराधान की अतिव्यक्ति को रोकेगा। यह राज्यों का कर ही होगा।

इसीलिए राज्य वित्त मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति ने 8 अप्रैल की अपनी अंतिम बैठक में सूचित किया है कि 16 राज्य 1 जून से मूल्य वर्धित कर प्रणाली को शुरू करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा यथापारित मध्य प्रदेश के 'वैट विधान' को नवम्बर 2002 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मार्च 2003 के अंत में और अप्रैल 2003 के शुरू में हमें और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित वैट विधान राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए प्राप्त हुए थे। इन सोलह राज्यों मे से जिनके बारे में शक्ति प्राप्त समिति ने कहा था कि वे वैट लागू करने के लिए राजी और तैयार हैं, मात्र 8 राज्यों ने वास्तव में विधान बनाना है। यह इसका एक पहलू है।

तत्पश्चात्, मूल्य वर्धित कर विधानों के कुछ महत्वपूर्ण उपबन्धों के संबंध में जिन्हें राज्यों द्वारा राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है वे स्वयं शक्ति प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित उपबंधों के सदृश्य नहीं है। मुझे उनमें सदृश्यता नजर नहीं आई। इसीलिए प्रश्न काल के दौरान मैंने कहा था कि हम राज्यों के लिए एक विस्तृत 'चैक लिस्ट' तैयार करेंगे ताकि वे इसका अनुपालन करें क्योंकि इसका पालन किए जाने की आवश्यकता है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है।

(श्री जसवन्त सिंह)

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि कर प्रशासन को आसान बनाने हेतु विधि के मूल ढांचे ओर राज्यों में कर की दर एक समान रखी जाए। यदि ढांचे अलग–2 होंगे यदि कर की दरें भिन्न–भिन्न और परिवर्तनीय होंगी तो आप देखेंगे कि प्रशासन और अधिक कठिन हो जाएगा। यह विसंगतियों को दूर करने और देश के बाजार को एकीकृत करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह भी सच है कि बहुत से व्यापार निकाय विशेषकर व्यापारी संघ इसका विरोध कर रहे हैं। हमने हाल ही में ऐसी स्थिति को देखा है, समाज ने भी राज्यों द्वारा पारित वैट संबंधी विधेयकों में और सुधार की ओर संकेत किया है।

शक्ति प्राप्त समिति ने 23 अप्रैल को हुई बैठक में इन मुद्दों पर विचार किया था। उन्होंने मत भिन्नता और सुझावों पर भी विचार किया। अब समिति ने 29 अप्रैल को पुनः बैठक करने का प्रस्ताव और निर्णय किया है जिसमें उनका इसमें से कुछ मुद्दों पर विचार करने का प्रस्ताव है मुझे विश्वास है और मुझे आशा है कि जो वैट विधेयक भविष्य में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएंगे और वे भी जिन्हें पहले ही अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, ये न केवल एक समान और हमारे द्वारा सिफारिश किए गए मानदण्डों अथवा दिशानिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए बल्कि ये इस संबंध में शक्ति प्राप्त समिति की अद्यतन सिफारिशों के अनुरूप भी होने चाहिए। भारत सरकार का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। वैट एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहल है। इस महत्वपूर्ण पहल को त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन के कारण विफल नहीं होना और करना चाहिए। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत के सभी क्षेत्रों के सभी प्रमुख राज्यों को एक साथ वैट लागू करना चाहिए ताकि इस प्रगतिशील कराधान प्रणाली के लाभ हमारे सभी नागरिकों और राज्यों तक पहुंचे और कुछ लोगों तक ही सीमित न रहे। इस संदर्भ में हमारी स्थिति यही है।

मैं एक महत्वपूर्ण उद्धरण आपको बताना चाहता हूं जिसे मेरे एक अधिकारी ने मुझे बताया, यह इस प्रकार है:

"वैट को करों की दुनिया का 'माता हारी' माना जा सकता है। बहुतों ने प्रयास किया और विफल रहे। कुछ कांपें और पलकें झपकाई जबकि कुछ वापस लौटने के लिए इसे छोड गए। परन्तु अंत में, 'माता हारी' के प्रति आकर्षण को रोकना कठिन है।

हम अन्तिम परिणामों के लिए इन्तजार करेंगे। मैं समझता हूं कि वैट के संबंध में मैं यही कह सकता हूं।

एक अन्य मुद्दा जिसने चिन्ता बढ़ाई है और जिस पर टिप्पणी की गई है वह समूचे वस्त्र उद्योग के बारे में है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपने बजट भाषण में इस बात पर जोर दिया था कि वस्त्र उद्योग का देश के लिए कितना महत्व है। बजट भाषण में जो कुछ मैंने कहा था उसे दोहराना नहीं चाहता। लेकिन वस्त्र उद्योग के महत्व को मान्यता देते हुए ही मैं कहता हूं कि वस्त्र उद्योग हमारे सबसे पुराने कृषि–उद्योगों में से एक है। हमें इस बात को भी मान्यता देनी चाहिए कि अन्ततः वस्त्र कृषि कर्म का ही एक भाग है। वस्त्र उद्योग जितना सक्षम होगा कपास के किसानों को उतना ही अधिक फायदा होगा। इसी क्रम की मैंने चर्चा की थी। चीनी के संदर्भ में सुबह मैंने कहा था कि चीनी एक कृषि उद्योग है। इसी तरीके से हमें स्वीकार करना चाहिए कि वस्त्र वास्तव में एक कृषि उद्योग है जबकि अब हमारे पास प्लास्टिक और हाइड्रोकार्बन आधारित कुछ उत्पाद उस उद्योग के आधार हैं। लेकिन फिर भी तथ्य यही है कि कृषि के पश्चात् देश में सबसे बड़े नियोक्ता होने के नाते मैं इस उद्योग को सहायता देने और आधुनिकीकरण करने के लिए वचनबद्ध हूं। इसी संदर्भ में मैं संक्षेप में यही कहना चाहूंगा जिसे मैंने बजट भाषण के दौरान कहा था। मैंने उन उठाए जा रहे सभी उन कदमों के बारे में कहा था। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि वस्त्र उद्योग में जैसा कि इस्पात के संदर्भ में किया है, हमने पूरे वस्त्र उद्योग को विशेषकर विद्युत करघा को जो बड़ा ज्यादा परेशान हैं; एक बड़ा आर्थिक पुनरुद्धार पैकेज प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। मैं वही बात दोहराना चाहता हूं जिसे मैंने पहले कहा है। यह वस्त्र उद्योग के वित्तीय पैकेज के साथ–साथ कई अन्य उपायों के बारे में है। मैं उद्धित करता हूं:–

"इसके साथ ही साथ पावरलूम को सहायता प्रदान करना भी आवश्यक है। इस विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के लिए, "आधुनिकीकरण हेतु पावरलूम पैकेज प्रदान करके बुनाई क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का सूत्रपात कर मौजूदा कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस पैकेज की निम्नलिखित तीन विशेषताएं होंगी।

पहला, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम को पावरलूम के आधुनिकीकरण हेतु विस्तार किया जाएगा।

दूसरा, बेहतर–कार्य दशाएं सृजित करने तथा अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक नई पावरलूम वर्कशेड स्कीम प्रारंभ की जाएगी। मौजूदा पावरलूम समूहों के अन्य ढांचागत सुधार को संशोधित वस्त्र उद्योग क्षेत्र ढांचागत विकास स्कीम के अंतर्गत चलाया जाएगा।

तीसरा, कल्याण उपाय के तौर पर, सभी पावरलूम कामगारों को विशेष बीमा स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जो कामगारों को मृत्यु, दुर्घटना तथा अपंगता की स्थिति में बीमा कवच प्रदान करेगा।"

अब, यह वित्तीय पैकेज जिसके बारे में मैंने कहा उसके अतिरिक्त है। यहां, जो प्रस्ताव हमारे पास था उस पर मुख्य बल यह है।

इससे पहले कि मैं प्रस्ताव पर आऊं मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि जहां तक हस्तकरघा क्षेत्र का संबंध है, हस्तकरघा इससे पूरी तरह से अप्रभावित है। इसके अंतर्गत हस्तकरघा कवर नहीं है। हस्तकरघा के बारे में कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। हस्तकरघा पूरी तरह से अप्रभावित है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यह नोट करना रुचिकर है कि कैसे वाद-विवाद दूसरे विषय पर चला गया क्योंकि 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध में और 1970 के दशक के आरम्भ में यह वाद-विवाद हस्तकरघा को पॉवरलूम से प्रतिस्थापित करने पर केन्द्रित है।

और ठीक वहीं बातें जो आज मैं सुनता हूं उस समय उठाई गई थीं। हस्तकरघा टिका रहा है, विद्युत करघा का भी विकास हुआ है किंतु अब विद्युत करघा को अपना उन्नयन करना है तथा आगे बढ़ना है। इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि हस्तकरघा अप्रभावित है, यह अप्रभावित रहेगा और चाहे यह बनारसी सिल्क साड़ी हो या कांचीपुरम या महेश्वर या चन्देरी; इनमें से कोई भी प्रभावित नहीं होगा।

इस प्रस्ताव का मुख्य जोर किस पर है? दर संरचना सामान्य होनी चाहिए और आप नोट करेंगे कि पूरे वस्त्र उद्योग में संपूर्ण दर संरचना को कम किया गया है। हमें सेनवैट श्रृंखला को पूरा करना चाहिए। सेनवैट श्रृंखला नहीं होने और टूटी श्रृंखला से देश का हित नहीं हुआ है। इसने उस उद्देश्य को पूरा किया है जिसके लिए उसका इरादा था किंतु इससे कल का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और मानद ऋण को समाप्त करेगा जो अब आवश्यक नहीं रह गया है। इस प्रकार, हमें उस व्यवस्था को बढ़ावा देना है जो कर-रियायत है और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना तथा-अपवंचन को समाप्त करना है।

महोदय, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमें मल्टी फाइबर समझौता जो हमें विरासत में मिला है की वास्तविकता से निपटना है। मल्टी फाइबर समझौता 2004 के अंत तक समाप्त हो जायेगा। इसलिए, वास्तविकता में, इस स्थिति से निबटने के लिए तथा अपने आप को तैयार करने के लिए हमारे पास 18 महीने हैं। भारत वास्तव में मिस्र के साथ कपास का स्थान था और यह मेरे लिए कुछ अफसोस और चिन्ता दोनों की बात है कि विश्व में पहले कपास के उत्पादक के स्थान से हम खिसक कर भूमंडलीय वस्त्र प्रतिस्पर्धा में चौथे नम्बर पर पहुंच गए हैं। यह मेरे लिए अत्याधिक चिन्ता और दुःख का विषय है कि आज हम बांगलादेश से भी पीछे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही स्थिति की उपज हैं। उन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया। चीन हमसे आगे है, थाईलैण्ड हमसे आगे है और इसलिए हमारे लिए यह दिखलाना आवश्यक है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है जिससे कि यदि हम अपनी स्थिति को दुबारा नहीं पाते हैं तो भी शेष विश्व के साथ चल सकें।

इस पृष्ठभूमि में, मुझे इसे रेखांकित करना चाहिए कि हस्तकरघा और फैब्रिक्स के उत्पादक किसी भी कर संरचना से पूरी तरह बाहर हैं और वे ऐसे ही रहेंगे। उन्हें उत्पाद उद्देश्यों के लिए पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार, वित्त विधेयक के पारित करने के समय उत्पाद आवश्यकताओं के संबंध में उपयुक्त संशोधन के माध्यम से मेरे द्वारा स्व-नियोजित और छोटे विद्युत करघा बुनकर के हितों की रक्षा की जाएगी मंत्रालय पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि समान सिद्धान्त लागू होगा और उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि कई केन्द्रों में - मुझे बताया गया है - जिससे मालेगांव, भिवाड़ी, तिरूपुर और अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं, उत्पादन शुरू हो चुका है। यह हमारा विश्वास बढ़ाने वाला है और मैं इस समय उन सबको जिन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया है बता देना चाहता हूं कि मैंने जो कहा है उस पर अडिग रहूंगा। हम ध्यान रखेंगे और स्व-नियोजित तथा छोटे बुनकरों के हितों की रक्षा करेंगे। इस संबंध में कोई अस्पष्टता न होगी।

मैं रेडीमेडी वस्त्र उत्पादकों के संबंध में ठीक यही बात कहता हूं और रेडीमेड वस्त्र उत्पादकों के संबंध में एक पूरी योजना प्रस्तुत करूंगा जो कि वाद-विवाद के बढ़ने के साथ ही आयी है और जब वित्त विधेयक पर मतदान की बात आती है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वांचल में जिन छोट-छोटे लोगों ने पावरलूम के एक-दो करघे रखे

(श्री बालकृष्ण चौहान)

हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी है। वे 20 दिन से भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यही बात हो रही है।

श्री जसवन्त सिंह : आप उन्हें कहिए वे काम पर आएं। इसमें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। वे बिना रजिस्ट्री किए काम शुरू करें। हम सैल्फ एम्पलॉयड लोगों के हितों की पूरी रखा करेंगे।

[अनुवाद]

इसी प्रकार, गारमेंट उद्योग के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ही सिद्धान्त गारमेंट उद्योग पर लागू होता है। मैं गारमेन्ट उद्योग तथा रेडीमेड वस्त्र उद्योग के विनिर्माण का भी ध्यान रखूंगा। यहां जो कारक लागू होगा वह यह है कि रेडीमेड वस्त्र के संदर्भ में, क्योंकि वस्त्र के उत्पादन की श्रृंखला के पश्चात् रेडीमेड वस्त्र बनते हैं आवश्यक रूप से इसमें अधिक मूल्य संवर्धन होगा जब यह गारमेन्ट विनिर्माण चरण में आता है। हम उस संबंध में पूरा ध्यान रखेंगे। मैं यहां पुनः यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे जो स्व–नियोजित है, जो छोटे प्रचालक हैं, अथवा जो किसी अन्य का ट्रेड मार्क इस्तेमाल नहीं करते अपितु जिनका अपना ट्रेडमार्क होता है, मैं पूरा ब्यौरा दूंगा कि उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा।

मैं अंत में तीसरे सैक्टर, जो कि हैण्ड प्रोसेसिंग सैक्टर है पर ध्यान दूंगा। हैण्ड प्रोसेसिंग सैक्टर वास्तव में भारत के कुछ भागों तक ही मुख्यतः सीमित है। मैं इसको सीमित नहीं करना चाहता किंतु हैण्ड प्रोसेसिंग उद्योग की इस संबंध में कुछ चिंताएं हैं। हैण्ड प्रोसेसिंग उद्योग की चिन्ताओं पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा

अब मैं तीसरे मुद्दे को उठाना चाहता हूं जो यूनिट ट्रस्ट के संबंध में है। यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि संसद में यूनिट ट्रस्ट (ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एण्ड रिपील) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करते समय सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पूरे कर लिए गए हैं, अर्थात दो भागों में विभाजन किया जा चुका है। यह सब माननीय सदस्यों की जानकारी में है।

किंतु यूनिट 64 के जन निवेशकों के हित की सुरक्षा के लिए सरकार ने कर मुक्त, सरकारी गारन्टी प्राप्त 6.75 प्रतिशत बॉण्ड की पेशकश की थी। इन बॉण्डों के प्रति जनता में भारी उत्साह था। सेकण्डरी मार्केट में मई 2003 में आश्वास्त मूल्यों की तुलना में यू एस 64 के यूनिट प्रीमियम पर उपलब्ध थे और कारोबार की भारी मात्रा पुनगर्ठन स्कीम की सफलता के प्रमाण हैं। यू एस–12 और यू एस–10 के लिए जो अंतिम आंकड़े उपलब्ध हैं वह क्रमशः 12.34 और 10.25 हैं। इस स्कीम द्वारा अर्जित लाभांश सर्टिफिकेट धारकों को कर मुक्त दे दिया जायेगा। और यूनिट 64 का करोबार 'कैपिटल गेन टैक्स' से मुक्त होगा।

इसलिए, सरकार सुनिश्चित प्रतिलाभ सदस्यों को पहले बंद करने पर विचार कर रही है। क्योंकि गारंटीकृत लाभांश/मूल वर्तमान ब्याज दर परिदृश्य में धारणीय नहीं है। आगे, सरकार स्वयं इन स्कीमों की आप के अनुरूप कुछ स्कीमों पर लाभांश को पुनः निश्चित करेगी।

मैं खाद्य तेल के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूं। बजट में, मैंने ब्राण्ड वाले रिफाइन्ड खाद्य तेल, किंतु सिर्फ ब्राण्ड वाले और खुदरा बिक्री के लिए बंद डब्बों में पैक वनस्पति पर 8 प्रतिशत सेनवैट का प्रस्ताव किया था। मैंने इस स्कीम के प्रचालन में कुछ विसंगति देखी। यह मुझे स्वीकार्य नहीं है। इन्हें सुधारा जाएगा और मैं वित्त विधेयक को पारित करने के समय इस संबंध में ब्यौरे की जानकारी इस सभा को दूंगा।

मैं बुनियादी ढांचे के संबंध में भी इस सभा को बताना चाहता हूं। बजट में मैंने पांच प्राथमिकताओं में एक बुनियादी ढांचा रखा है। यह हमारे विकास और अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसकी दक्षता और विकास के महत्व के मद्देनजर था। मैं सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं कि बुनियादी ढांचा मोर्चे पर महत्वपूर्ण प्रगति हो चुकी है।

सबसे पहले मैं रेलवे पर आता हूं। राष्ट्रीय रेल विकास निगम, विशेष प्रयोजन वाहन, का पहले ही गठन किया जा चुका है। राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाएं जिनका कार्यान्वयन इस विशेष प्रयोजन वाहन (एसजीवी) के माध्यम से किया जाएगा, की पहले ही पहचान की जा चुकी है। और इसमें से, 153 मिलियन डॉलर मूल्य की चार परियोजनाएं: एशियाई विकास बैंक से बाहरी वित्तपोषण के साथ, बोली के लिए तैयार हैं।

मैं इस सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली मैट्रो रेल निगम के संबंध में परियोजना की पूंजी लागत को कम करने के लिए और इसके द्वारा किराया ढांचा को कम

रखने के लिए सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए देश से या विदेश से खरीदे गए सभी उपकरणों, मशीनों और रॉलिंग स्टॉक सहित पर सभी शुल्क–उत्पाद और सीमा–समाप्त कर दिए हैं।

हमारे स्वतंत्र अस्तित्व की आधी शताब्दी में इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। भारत क्षेत्र में आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच में व्यवस्थित रूप से भारत की महत्वपूर्ण आवाज सुनी जाती है। हमारे सुदृढ़ आर्थिक आधारों को प्रदर्शित करने के लिए मैंने अपने बजट प्रस्तावों में उत्पादन केन्द्र और निवेश गंतव्य के रूप में भारत को बढ़ावा देने के लिए एक 'पहल' की घोषणा की है और एक कोष की स्थापना की है जिसका नाम 'इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव' है, जो मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, कि वित्त मंत्रालय में औपचारिक रूप से गठित हो गई है जिसका 2003–2004 के लिए विदेश में राजनीतिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रु. का प्रस्तावित बजट है। इस कोष का सुचारु कार्यकरण सुनिश्चित करने का प्रशासनिक उत्तरदायित्व आर्थिक कार्य विभाग पर है।

इस कोष का बुनियादी लक्ष्य निवेश और भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है तथा अन्य विकासशील देशों को भारत द्वारा दी गई सभी सहायता को एक साथ रख कर सामंजस्य सुनिश्चित करके संसाधनों का एक सामान्य पूल के रूप में कार्य करना है। यह हमें सामाजिक क्षेत्रों सहित परियोजनाओं के लिए अनुदान उपलब्ध करा कर तकनीकी सहायता और अन्य संवर्धनात्मक गतिविधियों के माध्यम से विदेशों में भारत की छवि को बढ़िया बनाने में समर्थ बनाएगा। इस निधि का प्रयोग उपयुक्त प्रचार उपायों से विदेशों में भारत को बढ़ावो देने के लिए भी किया जाएगा, जिसके लिए हम लोग पहले ही कदम उठा चुके हैं तथा आशा करते हैं कि जल्द ही निर्णय ले सकेंगे।

अगली बात मैं कृषि क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचारों का आदान–प्रदान करना चाहता हूं।

मैंने सभा को पीएलआर से दो प्रतिशत अधिक या कम ब्याज दर के बारे में आश्वस्त किया था जो अब लागू है। मैं प्रणाली में इस प्रकार सुधार लाने हेतु कटिबद्ध हूं कि कृषि क्षेत्र में और अधिक सरलता और सुगमता से ऋण उपलब्ध हो सके। मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिन के प्रारम्भ में पूछे गए प्रश्न का अत्यंत संक्षिप्त उत्तर देना चाहूंगा। सरकार की कृषि क्षेत्र में दो अत्यंत महत्वपूर्ण पहल हैं, पहला दक्षिण में बागान उद्योग और दूसरा चीनी उद्योग है।

बागान उद्योग हेतु 500 करोड़ की निधि निश्चित की गई है। यह शुरू हो चुका है और 100 करोड़ रुपये इस उद्देश्य हेतु इस अवधि के दौरान पहले ही आबंटित किए जा चुके हैं।

एक अन्य कृषि उद्योग, चीनी के संबंध में मैं सभा को पहले ही बता चुका हूं कि प्रधान मंत्री के निदेश के अंतर्गत अंतर मंत्रालयीन दल गठित किया जा चुका है और इसने लगभग अपना कार्य पूरा कर लिया है और मैं आशा करता हूं कि हम उत्तर प्रदेश, बिहार के भाग, मध्य प्रदेश और अति महत्वपूर्ण महाराष्ट्र सहित दक्षिणी राज्यों को शामिल करते हुए पूरे चीनी उद्योग हेतु एक व्यापक योजना लेकर आयेंगे।

मैं बजट· के दौरान घोषित किए गए अन्य ऐसे उपायों जिनका क्रियान्वयन किया गया है को भी बताना चाहता हूं। मुझे नकद प्रबंधन के बारे में बताते हुए प्रसन्नता हो रही है।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि मैंने कहा था कि मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के आबंटन का प्रबंधन करने हेतु हम नकद प्रबंधन प्रणाली शुरू करेंगे। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि खाद्य, उर्वरक, मानव संसाधन विकास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और कृषि मंत्रालयों में यह प्रणाली शुरू की जा चुकी है। यह नकद प्रबंधन प्रणालियां प्राप्तियों और व्यय में अंतर और राजकोषीय वर्ष के अंत में व्यय में तेजी जैसाकि अधिकांश रूप से होता है को रोकने हेतु किया गया है।

दूसरे केन्द्र सरकार के घरेलू ऋण के संबंध में, मैंने यह घोषणा की थी कि सरकार का विचार उच्च लागत वाले ऋणों जिसके परिसमापन की आवश्यकता है को बैंकों से पुनः खरीद लेने का है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि ऋण पुर्नखरीद योजना को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अंतिम रूप दे दिया गया है। यह आशा है कि बैंकों के साथ विचार करने के पश्चात पुर्नखरीद की यह योजना जून के अंत तक प्रभावी हो जायेगी।

राज्य सरकारों के ऋण जो अगला उद्देश्य है, के संबंध में हमने ऋण अदला–बदली–योजना शुरू की है जिससे राज्यों को उच्च लागत वाले ऋण का पूर्व भुगतान और इसके स्थान पर चालू कम मूल्य के कूपन वाले लघु बचत और खुले बाजार वाले ऋण की प्रतिस्थापित करने की छूट दी गई है। गत महीने 14000 करोड़ रुपये के उच्च लागत वाले ऋण का

(श्री जसवन्त सिंह)

समय पूर्व भुगतान किया गया है। हम आशा करते हैं कि चालू वर्ष के दौरान हम राज्यों की कम से कम और 30,000 करोड़ रुपये की उच्च लागत वाली ऋण प्रतिस्थापित कर सकेंगे जिसके परिणामस्वरूप संघ के राज्यों के समग्र ब्याज भार में कमी आएगी।

मैं अंत में सभा को सूचित करना चाहता हूं कि परिभाषित अंशदान के आधार पर एक नई पेंशन योजना को अंतिम रूप दिया गया है। हम पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण स्थापित करने वाले हैं। यह योजना सरकारी सेवाओं में नई भर्ती पाने वालों और असंगठित क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू होगी।

मैंने केवल अनिवार्य मदों की संक्षिप्त जानकारी दी है। अब मैं माननीय सदस्यगण के विचार को जानकर लाभान्वित होउंगा। लेकिन अंतिम निष्कर्ष के रूप में मैं पुनः बल देना चाहूंगा कि पॉवरलूम और सिले–सिलाए वस्त्र के संबंध में व्याप्त चिंता समाप्त होनी चाहिए। मैं पुनः दुहराता हूं कि हस्तकरघा किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। हम हस्तकरघा उद्योग के साथ हैं और पूरी तरह से मदद करते रहेंगे।

जहां तक पावरलूम का प्रश्न है सेनवैट (सीईएनवीएटी) प्रणाली की कड़ी कार्यान्वित की गई है और अब मान्य ऋण समाप्त कर दिया गया है, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पॉवरलूम क्षेत्र में स्वरोजगार प्राप्त बुनकरों और लघु निर्माताओं को पूरी तरह सुरक्षा की जाए हालांकि पूरे पॉवर लूम क्षेत्र के आधुनिकीकरण की योजना है। इसी प्रकार यही सिद्धान्त सिले–सिलाये वस्त्र उद्योग पर भी उन्हीं प्राथमिकताओं जिसके लिए ये स्थापित की गई हैं के साथ लागू की जायेंगी। हम प्रसंस्करण उद्योग पर भी ध्यान देंगे। मैंने सभी सदस्यों से उठाए गए सभी कदमों के महत्व की पहचान करने और इस पहल हेतु सरकार को अपना समर्थन देने हेतु अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, हमने अभी–अभी वित्त मंत्री महोदय के विचारों को सुना। वर्तमान सरकार को चलाने हेतु कर, राजस्व और पूंजी व्यय और योजना और गैर–योजनागत व्यय को पूरा करने हेतु इसके संसाधन को जुटाने की योजना वित्त विधेयक में परिलक्षित होती है। हम अनेक वर्षों से सरकार में रहे हैं। हम सरकार, विशेषकर वित्त विधेयक मामलों में वित्त मंत्री की कठिनाइयों को समझते हैं। लेकिन अंततः किसी सरकार का राजनीतिक उद्देश्य और प्राथमिकताएं अधिकांशतया इसकी वित्त विधेयक द्वारा संवारी जाती है, ध्यान दी जाती है और परिलक्षित होती हैं जिसमें युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और सूखा अपवाद हैं।

महोदय, 161 खंडों और 13 अनुसूचियों वाले इस वित्त विधेयक में सभा के किसी माननीय सदस्य द्वारा विधेयक की खंडवार/अनुसूचीवार व्यख्या करना संभव नहीं होगा। मैं इस मामले में संक्षिप्त रहकर विधेयक की मुख्य बातों पर अपनी बात कहूंगा।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने घोषित एक घोषणा पत्र में अपने पूर्ण उद्देश्यों के बारे में कहा था और मैं उद्धृत करता हूं:

".....और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7 से 8 प्रतिशत के बीच प्राप्त करेगी।"

तीन वर्ष और छः महीने के कर वसूली और व्यय के संबंध में अपने सभी प्रयोगों के बावजूद स्थिति अत्यंत खराब है और इसे आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाया गया है। उनका कहना है कि वे राजकोषीय और राजस्व घाटे पर नियंत्रण पा सकते है:

"हम ऐसे सभी कदम उठायेंगे जिससे हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी आयेगी और पूर्ण राष्ट्रीय विकास गरीबी का पूर्ण उन्मूलन करने के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करके मानवीय स्वरूप धारण करेगी। गरीबी हटाओ हमारा लक्ष्य है।"

यह चर्चा सामान्य बजट पर नहीं है लेकिन माननीय मंत्री महोदय मेरी बात को गलत न समझे कि मैं इन मुद्दों का उल्लेख करने अर्थवावाद–विवाद को वित्त विधेयक को छोड़कर आम बजट की चर्चा की ओर से जाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं यह केवल इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वित्त विधेयक के माध्यम से राजस्व और पूंजी व्यय दोनों हेतु जुटाए गए राजस्व का अंतिम लक्ष्य गरीबी से लड़ने, सर्वाधिक गरीबों को संरक्षण देने और देश में आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ाकर एक ऊंचाई देने का है जिसमें मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरह विफल रही है।

यदि मैं वित्त मंत्रियों के तीन उत्तरों जो वित्त विधेयक पर चर्चाओं के पश्चात् दिए गए थे विद्यमान मंत्री महोदय आज

उत्तर देंगे, लेकिन उनके पूर्व मंत्रियों ने दो बार उत्तर दिया है, हम प्रत्येक बार यह पाते हैं कि उन्होंने जो योजना बनायी जो आश्वासन दिया और जो प्रस्ताव किया पूरी तरह विफल रही और पूरी तरह से यह देश के लिए गुमराह करने वाली रही। अब मैं कतिपय तथ्य बताना चाहूंगा। वर्ष 2003–2004 के प्राप्ति बजट में हम पाते हैं कि केन्द्र का मुख्य प्रस्तावित कर राजस्व जो बजटीय अनुमानों में 1,72,965 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमानों में 1,64,177 करोड़ था। वह 1,84,169 करोड़ रुपये था। यह कर संग्रहण प्रयास में वृद्धि को दर्शाता है। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हमारे दल में भारत सरकार के कर प्रशासन की सत्यनिष्ठा में पूर्ण विश्वास और उच्चतम आदर देते हैं। एक दो अपवाद को छोड़कर कुल मिलाकर इस देश में कर प्रशासन की सत्यनिष्ठा सर्वोत्तम है और यह अपना कार्य दशकों से प्रशंसनीय रूप से कर रही है। हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है।

आपके द्वारा लगाया गया मूल्य वर्द्धित कर कृतक बल की सिफारिश पर आधारित है। क्या आप मानते हैं कि इससे कर वसूली की प्रक्रिया सरल हो गई है। यदि हां, तो व्यापारी समुदाय आंदोलन क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके अपने दल के अंदर भी गंभीर खतरा और दबाव है मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं। केन्द्र और राज्यों के कर विभाग व्यापारिक समुदाय की बुनियादी कमियों को शीर्ष से धरातल तक समझने में असफल रहे हैं। मैं एक दिन यह उदाहरण दे रहा था कि हम राजस्थान की किसी छोटी बेकरी जिसका कारोबार 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष है से आशा न करके 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के कारोबार वाले मार्डन बेकरी से आशा करते हैं। छोटी बेकरी का कार्य एक छोटा परिवार चलाता है जो रोज सुबह साईकिल पर ब्रेड लेकर घर–घर जाता है। यदि 'वैट' में ऐसा विनियामन है कि यदि उसका कुल कारोबार 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 1 जून से वैट के प्रावधानों के अंतर्गत लाया जाएगा तो वह यह गणना कैसे करेगा कि उसे क्या भुगतान करना है? उसकी पत्नी अशिक्षित हो सकती है और हो सकता है वह भी पूरी तरह शिक्षित न हो। सुबह यदि उसका लड़का साईकिल से जाता है और शाम को दिन भर की आमदनी एकत्र करके लौटता है तो वह कैसे गणना करेगा और योजना बनाएगा कि उसे आपको कितना भुगतान करना है?

अपराह्न् 2.45 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

इसलिए, हम इस मामले पर अनुरोध करते रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि वाम मोर्चा सरकार के वित्त मंत्री श्री असीम दासगुप्ता जो इस समिति के अध्यक्ष बनकर और यह सोचकर कि अपने दल सहित देश के सभी वित्त मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करना एक बड़ा कार्य है अपने को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करते हैं, के ऊपर जिम्मेदारी डालकर आपने इस परेशानी से बचने के लिए बुद्धिमानी का कार्य है। लेकिन मैं राज्य सरकारों की अपनी अन्य समस्याओं के खिलाफ नहीं हूं। मैं वैट की अवधारणा का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम अपने दल की तरफ से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आपको सारी बातों को विवेकसंगत बनाना चाहिए। कनॉट प्लेस का एक शीतल पेय विक्रेता, मुम्बई शहर का एक शीतलपेय विक्रेता और पुणे के नजदीक किसी गांव का शीतल पेय विक्रेता या केरल के किसी गांव का शीतल पेय विक्रेता सभी समान नहीं हैं जिनके पास आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसी प्रकार की अवसंरचना हो। इसी बात के लिए मैं किसी को राजी नहीं कर सका हूं।

इसलिए मेरा केवल यही कहना है कि आप वैट को और इसके नियमों को बनाए रखें। इसे समाप्त न करें लेकिन इसे एक साल तक रोकें; आप पहले इसके स्लैब को समझें एवं इसके औचित्य को समझें और किसी ऐसे तंत्र या प्रणाली को खोजें जिससे यह ज्ञात हो कि किस प्रकार के व्यक्ति, किस प्रकार के व्यापारी वर्ग का व्यापार पांच लाख रुपये से अधिक और 50 लाख रुपये से कम है और यह देखें कि उनके पास क्या अवसंरचना मौजूद है और तब इसे लागू करें। इसलिए हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आप इसे मनमाने तरीके से या जानबूझकर लागू करेंगे कि राज्य असफल हो गए हैं और केन्द्र ने राज्यों को उनका देय हिस्सा समय पर नहीं दिया है और वित्तीय प्रबंधन में केन्द्र–राज्य संबंध खतरे में है और इसलिए उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए, उन पर कर लगाया जाना चाहिए – यह स्थिति उचित नहीं है। मैंने भाजपा के अनेक सदस्यों से बात की और उनके भी वही विचार थे। सम्भवतः उन्होंने आपके दल की बैठकों में यह बात बताई होगी।

वित्त मंत्री महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कहता कि यह आपकी योजना है। लेकिन यह आपके कार्य बल की सिफारिश है और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी

(श्री प्रियरंजन दासमुंशी)

जिम्मेदारी बनती है और इसलिए, आज वित्त विधेयक पर होने वाली चर्चा में मेरा पहला अनुरोध यह है कि 'वैट' व्यवस्था को एक वर्ष तक रोका जाए; आप इसे स्लैब के अनुसार औचित्वपूर्ण बनाए और अवसंरचना के लिए सहायता दीजिए और सभी को विश्वास में लेकर कोई प्रणाली बनाएं, आप इसे कम से कम एक वर्ष तक रोकें। यही मेरा पहला निवेदन है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार और माननीय वित्त मंत्री ने भी रक्षा के प्रति अपनी काफी चिन्ता प्रकट की है। हमारे वित्त मंत्री को बहुत अल्प समय तक रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था और अपने कैरियर में वे एक उत्कृष्ट सैन्यकर्मी थे जिनके प्रति हमारे मन में अत्यंत प्रशंसा एवं सम्मान है। उन्हें सेना के बोझ, उसकी प्रतिबद्धता और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में सभा के किसी भी सदस्य से बेहतर जानकारी है।

गत वर्ष, सरकार में आपके पूर्ववर्ती मंत्री ने कर पर पांच प्रतिशत का अधिभार लगाया था और इस वर्ष आपने उसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता का नाम दिया गया है। यह सुनने में अच्छा लगता है। लोग यह कहते हुए सामने आए कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थोड़ा और भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए वित्त मंत्री महोदय, आप इसे बेहतर जानते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि इस विशेष कर संग्रह का उपयोग रक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए, उनको अद्यतन और आधुनिक बनाने के लिए किया जाना चाहिए और आपने इसे अपने इस वर्ष के बजट भाषण में भी कहा था। मैं आपके भाषण के संगत पैराग्राफ का उद्धरण दे सकता हूं; लेकिन मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता।

लेकिन इस अधिभार के उपबंध का क्या हुआ है जिसके बारे में मैंने एक दिन बोला था? रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन के पैरा 44 में कहा गया है और मैं उद्धृत करता हूं:

"समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2002–2003 के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर करदाताओं पर पांच प्रतिशत अधिभार लगाकर सरकार द्वारा कितनी निधि एकत्रित की गई है, रक्षा मंत्रालय ने इस खाते में मोटे तौर पर लगभग 4,253 करोड़ रुपये एकत्रित करने का अनुमान लगाया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2003–2004 के दौरान 8.5 लाख रु. प्रति वर्ष कमाने वाले करदाताओं पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाए जाने के परिणामस्वरूप लगभग 2,800 करोड़ रुपये एकत्रित किए जाने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय ने आगे सूचित किया कि 'सरकार द्वारा लगाए गए अधिभार के माध्यम से एकत्रित धनराशि केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व का हिस्सा होती है और मंत्रालयों/विभागों की अनुदान की मांगों हेतु खर्च के प्रावधान संसद द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।"

मैं सहमत हूं कि इसे सामान्य राजस्व के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, लेकिन रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने पाया कि इसे पूर्णतः रक्षा कार्यों में ही उपयोग नहीं किया गया था। क्या आपके विचार से यह उन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है जिन्होंने भारतीय सेना और सशस्त्र बलों को और अद्यतन एवं आधुनिक बनाने के लिए इस अधिभार का भुगतान किया। मैं वित्त विधेयक पर चर्चा का लाभ उठाकर रक्षा मामलों की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही यह आम धारणा रही है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जितने कर की आवश्यकता हो लोग देने को तैयार होते हैं। संसद ने दलगत भावना से ऊपर उठते हुए यह बात कही और आज ही एक रिपोर्ट के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि पूंजीगत व्यय के लिए रक्षा संबंधी 10,000 करोड़ रुपये के आबंटन का उपयोग नहीं किया जा सका। आपके मंत्रिमंडल, डीपीसी की 50,000 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की रक्षा सामग्री खरीदने की सिफारिशों को कार्य रूप नहीं दिया गया है। इसलिए, परसों हमने यह मुद्दा उठाया था कि यदि करदाताओं का धन जिसके लिए हम वित्त विधेयक के माध्यम से आदेश देते हैं, देश की रक्षा करने वाली सशस्त्र सेनाओं के कार्य हेतु उपयोग नहीं होता है तो यह ठीक बात नहीं है। आज समाचार पत्र में एक स्तब्ध कर देने वाला समाचार प्रकाशित हुआ है कि भारत जैसा शक्तिशाली देश सीमा पर अपनी सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक की व्यवस्था नहीं कर सका। आपने कारगिल के संबंध में सुब्रहमणयम् समिति की रिपोर्ट देखी है और इस संबंध में आपने मंत्रियों की भी एक समिति बनाई थी। आपको सिफारिशें मिल गई फिर भी रक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है।

इस सरकार को उन्नत जेट ट्रेनर खरीदने से किसने रोका? हमें यह नहीं मालूम क्योंकि इस सरकार ने हमें कभी विश्वास में नहीं लिया। हमें केवल समाचार पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि सरकार दिग्भ्रमित है या अभी भी उसे तय करना

है कि ये चेक गणराज्य से खरीदे जायें या ब्रिटेन से। यह चेक गणराज्य की कौन सी फर्म है? यह कौन सी ब्रिटिश फर्म है?

मैं बिना किसी वास्तविकता के इस प्रकार के आरोप या कटाक्ष नहीं करना चाहता लेकिन जब प्रिंट मीडिया में इस प्रकार के समाचार आते हैं और उनका प्रतिवाद नहीं किया जाता है तो करदाताओं को कष्ट होता है और वे महसूस करते हैं कि संसद जो भी मांगती है हम देते हैं और अंत में हमें इस प्रकार का परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन को पढ़ने का अनुरोध करता हूं। एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में वे स्वयं इस मुद्दे पर वायु सेना, नौसेना और सशस्त्र बलों का दर्द एवं पीड़ा समझते हैं।

आज विनियोग विधेयक में हस्तक्षेप के दौरान आपने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों का ध्यान रखा गया है। जब मैंने यह मुद्दा उठाया तो आपने सभा को इस संबंध में सूचित नहीं किया। शिकायतों के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि एक रैंक एक पेंशन नीति की जो मांग रही है और जिसकी सिफारिश चौथे और पांचवे वेतन आयोग में की गई थी, उस पर मंत्रिमंडल में अभी भी विचार नहीं किया गया है। इसलिए, आप नहीं कह सकते कि भूतपूर्व सैनिकों की मुख्य परेशानी दूर कर दी गई है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें करदाताओं का धन संलिप्त है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003–2004 के संशोधित अनुमान के अनुसार बजट अनुमानों में कुल 4,38,795 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया है जिसमें 1,20,974 करोड़ रुपये योजना व्यय और शेष गैर योजना व्यय के लिए हैं। वित्त मंत्री के अनुसार केन्द्र के कुल राजस्व प्राप्ति हेतु 2,53,935 करोड़ रुपये और राजकोषिय घाटे के रूप में 1,53,637 करोड़ रुपये के प्रस्ताव हैं। यह देश का भयावह एवं दयनीय परिदृश्य है जहां आप असफल रहे हैं।

मुझे ज्ञात है कि अपनी प्रारम्भिक टिप्पणी में आपने वैसे क्षेत्रों के बारे में सभा को विश्वास में लेने की कोशिश की है जिनमें बिना किसी संशोधन को पेश किए छूट और रियायत देने पर विचार किया जा सकता है। संभवतः अगले तीन दिनों तक आप हमारे विचार जानना चाहते हैं और अंत में भाजपा के विचार हावी हो जाएंगे कि चुनाव की दृष्टि से किससे उद्देश्य हल होगा और किससे हल नहीं होगा। यह अलग बात है। मुझे यह ज्ञात है। यह आपका राजनीतिक प्रयास है। जब आप सत्ता में आए तो आपने सुशासन का दावा किया। सुशासन आपका मूल नारा है।

तब आप करों में वृद्धि क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जैसे हम चाहते हैं, उस तरीके से शासन नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कल ही की बात है 24 अप्रैल को मेरे अतारंकित प्रश्न 4817 में मैंने पूछा कि किन चालू जलविद्युत परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है – मैं केवल एक परियोजना के बारे में बात कर रहा हूं, अन्य परियोजना के बारे में नहीं – श्री गीते यहां उपस्थित हैं – और उनकों स्थापित करने की लागत क्या है? मैं सुशासन का उदाहरण देता हूं। महोदय, आंकड़ा चौंकाने वाला है। इसमें एक परियोजना जो 1999 में 601 करोड़ रुपये से शुरू की गई थी अब 1,578 करोड़ रुपये की हो गई है; एक परियोजना जो 1994 में 1,200 करोड़ रुपये से शुरू की गई थी अब 3560 करोड़ रुपये की हो गई है; एक परियोजना जो दिसम्बर 2001 में शुरू की गई थी याद रखिए दिसम्बर 2007 और जिसे मार्च 2002 में संशोधित करके 15,780 करोड़ रुपये का कर दिया गया था अब 70,666 करोड़ रुपये की हो गई है; एक परियोजना जो 1996 में 1,551 करोड़ रुपये से शुरू की गई थी, अब 3267 करोड़ रुपये की हो गई है; और कुल अतिरिक्त परियोजना लागत अब 16,000 करोड़ रुपये तक पहुंच रही है। किसी परियोजना पर अतिरिक्त लागत आने के क्या कारण होते हैं? ऐसा कानून एवं व्यवस्था की समस्या वित्तपोषण में विलम्ब, विश्व बैंक द्वारा धनराशि वापस लेना, किसी बड़े समूह के तैयार न होने, निधियों के अभाव, भूमि अधिग्रहण में देरी, आदि कारणों से हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि कोई कारण नहीं हो सकते। तो सुशासन क्या है? यदि भारत की 100 परियोजना में से किसी एक परियोजना में एक क्षेत्र की लागत में 20,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाती है तो आप संसद को कैसे विश्वास में लेंगे कि राजग द्वारा घोषित सुशासन का एजेन्डा प्रगति पर है? मैं कदम उठाए जाने के संबंध में बात कर रहा हूं और मैं जल विद्युत के अतिरिक्त इसी तरह की अन्य परियोजनाओं के बारे में भी आपको बता सकता हूं। मेरा अनुमान यह है कि आज की तारीख में परियोजना की आधिकारिक लागत में वृद्धि अब एक लाख करोड़ रु. है। सरकारें आएंगी और जाएंगी लेकिन भुगतान कौन करेगा? वह होंगे देश के करदाता। क्या ऐसा निगरानी मंत्रिमंडल द्वारा किए गए मूल्यांकन और साहस में कमी के कारण है?

अब मैं आपको एक अन्य उदाहरण दूंगा। हम देश की न्यायापालिका के बारे में जानते हैं और हम उसका सम्मान

(श्री प्रियरंजन दासमुंशी)

करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि संसद सर्वोपरि है। वित्त मंत्री कृपया मेरी बात समझें, मैं वित्त मंत्री को दोष नहीं देता। यदि एक छोटा व्यापारी 'वैट' समय पर अदा नहीं कर सकता, तो पुलिस इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेगा, यदि एक छोटा कर दाता समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर सकता – उसका कोई वकील नहीं है और वह वकील नियुक्त करने में सक्षम नहीं है – तो उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन आई.टी.सी. कम्पनी ने राष्ट्र को 20,000 करोड़ के बराबर उत्पाद शुल्क का धोखा दिया और अब किसी भी तरह से समय नष्ट करने के लिए अपने वकील को पैसा दे रही है और आई.टी.सी. जैसी कम्पनी द्वारा 20,000 हजार करोड़ रुपये उत्पाद के मूल्य अपवंचन के संबंध मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। ऐसा क्यों है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं क्या कर सकता हूं और अभी भी वह मामला निपटाया नहीं गया है। क्या यह हमारी निगरानी में कमी रह जाने के कारण हुआ है; क्या यह हमारे वकीलों में कमी रह जाने के कारण हुआ है, क्या यह हमारे गलत शपथ–पत्रों के कारण हुआ है? इन दिनों लोग कहते हैं कि कुछ मिली भगत है। सरकार 20,000 करोड़ रुपये तक की वसूली से वंचित क्यों रहे? मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय आई टी सी की पूरी स्थिति पर एक स्थिति–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि इस बारे में क्या हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रूपचंद पाल को बोलने का अवसर देने के लिए अब मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि वह भी हमारे विरुद्ध पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए वापस जा रहे हैं और मैं भी उनके विरुद्ध पंचायत के चुनावों में लड़ने के लिए वापस जा रहा हूं। अतः मुझे उन्हें अवसर देना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी–अभी मैट्रो पर कुछ छूट के बारे में उल्लेख किया है। मैं इस सुन्दर मैट्रो के संबंध में दिल्ली वालों के प्रति आपकी चिन्ता के लिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन कृपया सभा को समझाइए कि उस सीमा शुल्क और इन सभी शुल्कों में छूट दिए जाने से किसे लाभ होगा? इसमें लाभार्थी कौन होंगे? ठेकेदार इसके लाभार्थी होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठेकेदार मैट्रो रेल के संबंध में दिल्ली में पहले ही आपस में समझौता कर चुके हैं। हमारे माननीय मित्र श्री मदन लाल खुराना जिसके अध्यक्ष हैं।

अपराह्न् 3.00 बजे

यदि आप अभी सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों को वापस ले लेते हैं तो इससे किसको लाभ होगा – सरकार को टिकट की दरों में कमी के रूप में जनता को अथवा ठेकेदार को चर्चा का उत्तर देते समय आपको यह बात स्पष्ट करनी चाहिए। एक ओर मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं लेकिन दूसरी ओर, मैं नहीं जानता कि अन्दर ही अन्दर क्या हो रहा है। इसलिए, कृपया अचानक यह छूट दिए जाने से सम्बन्धित इस मामले के बारे में स्थिति स्पष्ट करें।

वर्ष 2003–2004 के लिए केन्द्रीय बजट प्रस्तावों में कृषि आधारित उत्पादों पर आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क पुनः लगा दिया गया है। हमें उप शीर्ष 4407 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क में छूट को जारी रखने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। आप इस पर विचार कर सकते हैं क्योंकि आपके चुनाव घोषणा–पत्र में यह वचन दिया गया था, जिसे मैं उद्धृत कर सकता हूं कि आप कृषि आधारित उद्योगों और उनके उत्पादों का ध्यान रखेंगे।

सिले–सिलाए वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क में छूट दिए जाने के संबंध में उन्होंने एक युक्ति का उल्लेख किया यद्यपि यह बहुत स्पष्ट नहीं है। श्री जसवन्त सिंह जहां तक ब्रांड के नाम का संबंध है मैं आपसे सहमत हूं। आप इन्हें मत छोड़िए क्योंकि मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। हालांकि, भारत में, यदि आप आंकड़े देखें तो आप पायेंगे कि भारतीय लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिले–सिलाए वस्त्रों का प्रतिशत देश के केन्द्र और दूरस्थ स्थानों में रहने वाले छोटे–छोटे दर्जियों और छोटे समूहों द्वारा सिले जाते हैं। वह कपड़ा खरीदते हैं और उन्हें सिलते हैं। उन्हें कर से पूर्णतः छूट देने के लिए आप किस तरह की प्रणाली चाहते हैं? जब आप कहते हैं 'ट्रेडमार्क', तो यह एक खतरनाक शब्द है, क्योंकि हावड़ा जैसे शहर में, जिसका मैंने दो बार प्रतिनिधित्व किया, लोग घरेलू नाम देकर सिले–सिलाए वस्त्र तैयार करते हैं – कभी–कभी वह कॉलर के ऊपर दर्जी का नाम ही दे देते हैं, उदाहरण के लिए 'मौलाना', और कभी–कभी वह 'ए एल ओ' के नाम पर उसे पंजीकृत करा देते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : यदि यह उनका अपना ब्रांड है, तो वह इस दायरे के बारह हैं लेकिन यदि किसी अन्य का ब्रांड–नाम है तो वह इस दायरे में आयेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह ठीक है। यदि आप स्पष्टीकरण देते हैं तो यह हमारे लिए समझ में आने वाली बात है कि सरकार का इरादा क्या है। मेरी आपसे अपील है कि आप अपने कर विभाग से पूछें, जो कि सबसे अधिक सक्षम, ईमानदार और मुझे उनकी सत्य–निष्ठा के बारे में भी कोई संदेह नहीं है, कि वह आपको देश–भर में ब्रांड–नाम अथवा ट्रेडमार्क के अंतर्गत बनाए जाने वाले सिले–सिलाए वस्त्रों की प्रतिशतता और आम आदमी द्वारा बनाए जाने वाले सिले–सिलाए वस्त्रों की प्रतिशतता के बारे में 30 तारीख से पहले आंकड़े प्रस्तुत करें। यदि मेरे आंकड़े गलत हैं तो मैं सुधार करूंगा। मेरे अध्ययन के अनुसार, मैं मेतियाबुरूज और अन्य स्थानों पर बहुत करीब से इन लोगों की सेवा करता रहा हूं, 85 प्रतिशत लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। यहां तक कि उत्तर–प्रदेश में भी मुझे बताया गया है कि केवल नौ प्रतिशत लोग ब्रांड–नाम के सिले–सिलाए वस्त्र पहनते हैं और शेष लोग स्थानीय सिले–सिलाए वस्त्र पहनते हैं। इन लोगों को संरक्षण प्रदान करने का एकमात्र तरीका यही है कि इसमें सभी को कर में छूट दी जाए।

जहां तक कि पूर्वोत्तर राज्यों का संबंध है, मैं सरकार के दृष्टिकोण से सहमत हूं – देवगौड़ा सरकार ने औद्योगिक विकास और अन्य चीजों के लिए उस क्षेत्र को उत्पाद शुल्क में छूट दी थी – जो कि कुछ समय तक जारी रहा – लेकिन कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग वहां गए और उसका फायदा उठाया। वह वांछित न्याय नहीं कर पाए; उन्होंने कलकत्ता और दिल्ली में सामान बनाया और वहां यूं जमा कर दिया जैसे कि उन्हें वहीं बनाया गया हो और छूट प्राप्त कर ली। मैं आपके विचारों से सहमत हूं। आपको उन्हें सज़ा देनी चाहिए। फिर भी एक, दो अथवा तीन बुरे व्यक्तियों के चलते पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को रद्दी की टोकरी में डालें और फिर छूट संबंधी सभी सुविधाओं को वापस न लें।

अनेक स्थानों में विद्रोह की समस्या हल हो जाने के बाद – मैं आशा करता हूं कि आपकी अनुमति से लाभप्रद हल निकलेगा – वहां के युवा लोग अपने आपको कुछ रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहते हैं और रोज़गार सृजन करना चाहते हैं। हो सकता है, कछ उद्योगों को केवल असम में स्थानांतरित करना पड़े। मैं गुटका, सभी तरह के पान मसालों, तम्बाकू और चबाने वाले तम्बाकू उत्पादों के विरुद्ध हूं। मैं इन वस्तुओं का पूर्णतः विरोध करता हूं। आप इन उत्पादों पर कुछ भी कर लगा सकते हैं क्योंकि केवल यही एक तरीका हैं जिससे हम लोगों को इन आदतों में पड़ने से रोक सकते हैं।

मुझे बताया गया है कि इन क्षेत्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग इतनी बड़ी संख्या में कार्य कर रहे हैं कि यदि उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका रोजगार छिन जाएगा तो वे वापस जाकर पुनः अपनी बन्दूकें उठा सकते हैं। यह गंभीर मनोवैज्ञानिक मुद्दा है। आप कृपया इस पर विचार करें। मेरे साथी, श्री सांगतम, कुछ समय बाद इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।

अब मैं कश्मीरी पंडितों की आय पर कर लगाने के मुद्दे की बात करता हूं। वित्त मंत्री जानते हैं कि आय कर अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों के किसी विशिष्ट वर्ग को कोई छूट नहीं दी जा सकती है। हांलाकि, उनके कुछ प्रतिनिधि कल शाम मुझसे मिले और बताया कि सरकारी सेवा में लगे और अपने राज्य से दूर रह रहे कश्मीरियों के वेतन पर डा. मनमोहन सिंह के दिनों से आय कर में छूट दी जा रही है। मुझे बताया गया कि इसे एक सरकारी आदेश द्वारा प्रति वर्ष ऐसा किया जा रहा था लेकिन इस वर्ष वह आदेश वापस ले लिया गया। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मुद्दे पर विचार करें और उन लोगों को यह सुविधा प्रदान करें। यह बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। प्रधानमंत्री देश और प्रत्येक व्यक्ति–दलगत भावना से ऊपर उठकर – इसके प्रति वचनबद्ध है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया इस मुद्दे पर विचार करें और आवश्यक कार्यवाही करें।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, जिन पर मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री विचार करें। मेरा एक सुझाव खेलों से जुड़े लोगों के बारे में है। यद्यपि पंडित भीमसेन जोशी 80 वर्ष की उम्र में अच्छा शास्त्रीय संगीत गा सकते हैं लेकिन सुनील गावस्कर 30 वर्ष की आयु के बाद मैदान में नहीं खेल सकते। अब जो अपील मैं करना चाहता हूं वह सभी प्रकार के खेलों का प्रतिनिधित्व करने वाले खेल से जुड़े लोगों द्वारा की जा रही है। उनके जीवन का उत्कृष्ट समय देश के लिए खेलने में व्यतीत होता है। जब उनकी आयु अधिक हो जाती है तब वह अपनी प्रतिभा से आय अर्जित नहीं कर सकते हैं। अतः उन सभी ने मेरे माध्यम से अपील की है कि 30 वर्ष की आयु तक उन्हें उनकी आय पर कर में छूट दी जाए। क्या आप 30 वर्ष की आयु तक सक्रिय खिलाड़ियों की आय पर कर न लगाने के इस प्रस्ताव पर विशेष रूप से विचार कर सकते हैं?

(श्री प्रियरंजन दासमुंशी)

मैं आपको ऐसे अनेक खिलाड़ियों के बारे में बता सकता हूं जिनकी स्थिति अब ऐसी है कि वह अपनी चिकित्सा संबंधी बिलों का भी भुगतान नहीं कर सकते हैं। ओलम्पिक के महान खिलाड़ी महावीर प्रसाद की धन के अभाव में मृत्यु हो गयी। बिहार के चन्द्रशेखर, जो कि अब सेवा–निवृत्त हैं के पास खाने के लिए भी पैसे की कमी है। आन्ध्र प्रदेश में मोहम्मद हबीब हैं ...*(व्यवधान)* तीस वर्ष की आयु के बाद न तो सचिन तेंदुलकर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे और न ही प्रकाश पादुकोणे। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह 30 वर्ष की आयु तक खेलों के क्षेत्र में सक्रिय खिलाड़ियों की आय पर कर में छूट प्रदान करें।

ग्रामीण विकास योजनाओं में इन्दिरा आवास योजना प्रमुख है जो गांवों में निर्धनतम लोगों के लिए बनाई गई है। इसे ग्रामीण विकास निधि से धन दिया जाता है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि सीमित है। सरकार एक ब्लॉक में दो–तीन लोगों से अधिक की सहायता नहीं कर सकती है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे पंचायती राज के माध्यम से भारत के किसी भी भाग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूमिहीन श्रमिकों हेतु बनाई गई आवास योजनाओं के लिए किसी व्यक्ति विशेष और संगठनों द्वारा किए जा रहे योगदान को कर में छूट दी जा सके। इससे गांवों में आवास संबंधी कार्य कलापों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और गरीबी से लड़ने तथा भूमिहीन श्रमिकों को संरक्षण देने में सहायता मिलेगी। किसी धनी व्यक्ति अथवा औद्योगिक घराने के लिए ग्रामीण आवास योजना के लिए 1 लाख से 10 लाख रुपये अदा करना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। यदि उसे कर में छूट दी जाए तो वह तीस आवास बना सकता है।

अब मैं बेरोजगारी की समस्या का उल्लेख करता हूं। निश्चय ही प्रधानमंत्री द्वारा प्रति वर्ष एक करोड़ रोज़गारों के सृजन के आश्वासन के संबंध में देश में तीखी चर्चा हो सकती है और हम इसे बाद में उठायेंगे। मैं स्व–रोजगार योजनाओं के संबंध में माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा। जिन मामलों में एक बेरोज़गार युवा, अथवा रोज़गार केन्द्र द्वारा प्रमाणित उनका कोई समूह बैंक से ऋण लेता है और 50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा सहित कोई उद्योग स्थापित करता है तो पांच वर्ष तक उनसे कोई कर नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो इससे देश में बेरोजगार युवाओं के मनोबल को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे पहले मैंने केवल 5 लाख रुपये तक की अधिकतम सीमा तक छूट देने की मांग की थी। अब मैं कहता हूं कि अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये किये जाएं क्योंकि मशीनरी की लागत ही 15 लाख से 18 लाख रुपये है। जिस किसी प्रकार का उद्योग हो बेरोजगार युवक शुरू करना चाहें तो उन्हें छूट दी जाए। अनेक बेरोजगार युवकों ने इस सम्बन्ध में मुझे पत्र लिखे हैं। वे उसी महीने से बैंकों को ऋण की अदायगी कर रहे हैं जिस माह से उन्होंने ऋण लिया होता है। पहले वे बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज अदा करते हैं उसके पश्चात वह बिजली के कनैक्शनों आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं के लिए भुगतान करते हैं। तत्पश्चात् यदि उन्हें कर का भुगतान करना शुरू करना पड़ेगा तो वे इस बात से उकता जाएंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह पांच वर्षों के लिए उन्हें छूट देने पर विचार करें। कम्प्यूटर उद्योग को यह छूट दी गई है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे देश के इन बेरोज़गार युवकों के मामले में भी दिया जाए।

मेरा अगला सुझाव चाय उद्योग से संबंधित है। चाय उद्योग भारत में निस्तेज हो रहा है। चाय उद्योग दो भागों में बंटा हुआ है। मैं उन कम्पनियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो ब्रांडयुक्त चाय का परिष्करण करते हैं, पैकिंग करते हैं और उसे बेचते हैं। मैं उन्हें किसी प्रकार की छूट दिये जाने के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं तो चाय बागानों, चाय उत्पादकों के बारे में बात कर रहा हूं। जो अपने स्वयं के बागानों में वास्तव में चाय उगाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस उद्योग को उदारीकरण और अन्य बातों के मद्देनज़र विदेशी प्रतिस्पर्धियों द्वारा रखी गई चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी सक्षम बनाया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उन्हें दो वर्षों तक उत्पादन शुल्क में छूट दें।

महोदय, जूट मिलों के बारे में माननीय मंत्री जी ने एक शर्त पर उत्पाद शुल्क में छूट दी है कि जूट उत्पादों के लाभकारी मूल्य बढ़ाए जाएं।

तत्पश्चात् अवसंरचना के बारे में इन्होंने काफी कुछ कर रहे हैं। मेरा अपने निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य होने के नाते भारत बांग्लादेश खाद्य निर्यात परियोजना के बारे में व्यक्तिगत अनुरोध राधिकापुर में किया था। जिसका जिक्र मैंने पहले

किया है। मेरे जिले राधिकापुर में मात्र 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यदि यह राशि दे दी जाए तो चाहे आप विश्वास करें या न करें इससे सीधे 15,000 से 20,000 लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। वे इसे पुलों और अवसंरचना के अभाव में नहीं कर सकते। श्री अरुण जेटली जी ने मुझे उत्तर दिया है कि वह वाणिज्य मंत्री होने के नाते इस मामले पर विचार कर रहे हैं। इस संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री से मदद करने के लिए भी अनुरोध कर रहा हूं। हमें संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास में भी इस परियोजना के लिए अंशदान दे रहे हैं।

महोदय, मैं आशा करता हूं कि बिल के अंत में माननीय मंत्री जी 30 अप्रैल को सकारात्मक घोषणा करेंगे। मैं उन्हें सुन नहीं सकूंगा।

मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बता दिया है और मैं पुनः उन्हें कह रहा हूं कि उन्हें खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि कोई उद्योग खेलों, जिन्हें भारत सरकार और ओलम्पिक के शीर्ष निकाय द्वारा मान्यता दी गई है, को मान्यता प्रदान करता है और यदि खेल मंत्रालय के वार्षिक लेखों में नियमित रूप से ब्यौरा दिया जाता है तो इसे सहायता दी जाए। उनको कर में छूट दी जाए जो प्रशिक्षण, अवसंरचना और सम्वर्द्धन पर अपना धन खर्च करते हैं।

अन्त में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के बारे में कहूंगा। सभी माननीय सदस्यों के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह मामला प्रधानमंत्री जी के पास भेजा है। कृपया उत्तर प्रदेश की एक दो घटनाओं के लिए हमें गलत मत समझिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 13वीं लोकसभा के माननीय सदस्य एमपीएलएडी कोष को अपने क्षेत्र के विकास के लिए अधिकतम राशि का उपयोग कर रहे हैं इसलिए महोदय, यदि माननीय मंत्री जी एमपीएलएडी राशि को कम से कम एक करोड़ तक बढ़ा दें तो यह विकास के लिए अतिरिक्त सहायता राशि होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद और मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी को भी अच्छा भाषण देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अत्यंत संक्षेप में बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल जी आप के पास 20 मिनट का समय है। उसके बाद अपराह्न 3.30 बजे से हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, उस समय तक तो मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

महोदय, हमारे कराधान प्रणाली में समस्या यह है कि डॉ. राजा चलिया से लेकर डॉ. केलकर तक के प्रसिद्ध व्यक्तियों और विशेषज्ञों द्वारा की गई अत्यन्त न्याय–संगत सिफारिशों के बावजूद कराधान प्रणाली में आधारभूत विकृतियां पाई जाती हैं। आधारभूत विकृति यह है कि जो कर दे सकते हैं वह कर अदा नहीं करते और जो कर नहीं दे सकते हैं को कर भार वहन करना पड़ता है।

मैं प्रत्यक्ष कर के सम्बन्ध में एक उदाहरण दे रहा हूं। जब सरकार देश में कम कर–सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त कर रही है तो हमें 10 लाख रुपये से अधिक प्रति वर्ष वाले उच्च आयकरदातों की संख्या में निरन्तर कमी होती नजर आती है। इस वर्ष पिछले सात वर्षों में पहली बार 10 लाख से ज्यादा वार्षिक आय घोषित करने वालों की संख्या घटी है। यह घटकर 71,000 व्यक्तिगत/हिन्दू संयुक्त परिवार पर पहुंची है। वर्ष 2001–02 के दौरान पिछले वर्ष यह संख्या 76,140 थी।

महोदय, 110 करोड़ लोगों वाले देश में मात्र 71,000 व्यक्तियों ने घोषणा की है कि उनकी वर्ष में आय 10 लाख से अधिक है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इस अवधि के दौरान इस देश में कितनी महंगी कारों की बिक्री की गई है? सरकार द्वारा दिये गये अत्यन्त विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार एक लाख से भी अधिक मंहगी कारों की बिक्री इस अवधि के दौरान की गई है।

एक लाख से अधिक मंहगी कारें बेची गई हैं और 10 लाख से अधिक अपनी आय घोषित करने वालों की संख्या मात्र 71,000 है। कर दर नीचे आई है लेकिन कम से कम अनुपालन हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वे लोग जो कर अदा कर सकते हैं, जिन्हें कर देना चाहिए जो अमीर हैं जो अधिकतम आय वाले समूह में हैं कर का भुगतान नहीं करते हैं और वेतनभोगी जो कर का भुगतान नहीं कर सकते हैं, पेंशनभोगी जो छोटी बचतों पर मिलने वाले ब्याज पर निर्भर होते हैं को यह भुगतना पड़ता है। यह इस प्रणाली में विसंगति है। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं। सरकार का क्या करने का प्रस्ताव है?

(श्री रुपचन्द पाल)

मुझे बताया गया है कि दिल्ली के दक्षिण भाग में स्थित फार्महाउस के मालिकों के पास बिना हिसाब अर्थात काला धन है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों में तुलना की जाती है। उनके द्वारा कितनी राशि आयकर के रूप में अदा की जाती है? यह एक प्रश्न है।

काला धन, समानान्तर अर्थव्यवस्था, बिना हिसाब के धन, कई समितियों, घोषणाओं, उद्घोषणओं आदि के बारे में कई बातें कही गई हैं। लेकिन आज हम भूल गए हैं कि भारत से धन बाहर जा रहा है और वहां से कई स्कीमों के जरिए वह भारत में वापस आ रहा है। मैं किसी विशेष पुनरुत्थान योजना के बारे में जहां सेवा का मूल्य अभी भी काफी अधिक है चर्चा नहीं कर रहा हूं भारतीय परिस्थिति में, सरकार इस तथ्य को नजरअंदाज कर रही है कि अधिकतम आय समूह में व्यक्तिगत/हिन्दु संयुक्त परिवार और नियमित क्षेत्र में भी लोगों पर कर नहीं लगाया जा रहा है ऐसे व्यक्तियों की संख्या 71,000 है।

इसके बाद मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के बारे में बात करूंगा। सीमा शुल्क दरों को करार के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के उपबन्धों के अनुसार कम किया जा रहा है। हमारे घरेलू उद्योग को क्या हो रहा है? यह पूछा जा रहा है कि क्या किया जाए। यदि आप देखें कि अन्य देशों में क्या किया जा रहा है जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन की सहायता ली वे अपने घरेलू उद्योगों की किसी प्रकार रक्षा कर रहे हैं। किस प्रकार वे अपने लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों आदि की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार लघु/कुटीर स्तर के उद्योगों घरेलू स्वदेशी क्षेत्र के उद्योगों के हितों की रक्षा नहीं कर रही है बल्कि जो आरक्षण उनकी रक्षा के लिए किए गए थे को भी वापस ले रही है। एक के बाद एक करके अनारक्षण करती जा रही है। माननीय मंत्री जी ने आरम्भ में ही कहा है कि सिले–सिलाए वस्त्रों के क्षेत्र में, विद्युत करघा हथकरघा और इन सभी क्षेत्रों के लोग इस कार्य में शामिल हो सकते हैं उन्हें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है आदि। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि उत्पाद शुल्क छूट को वापस लेने को सरकार द्वारा पुनः हटाया जा रहा है। उन्होंने इस बारे में कुछ विशेष कहा भी नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि यदि यह आरक्षण समाप्त किया जाता है तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में संरक्षण वापस लिया जाता है और छूट हटा ली जाती है जब सीमा शुल्क में तेजी में कटौती होती है उस विशेष स्थिति में लघु क्षेत्र में वास्तव में क्या होने जा रहा है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। मैं सेवा क्षेत्र में लगने वाले करों के बारे में बात करूंगा। यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि 8000 करोड़ रुपये सेवा क्षेत्र में अर्जित होंगे। क्या यह सम्भव है? मैं पूछता हूं क्या यह सम्भव है? नई श्रेणियों के बारे में भी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। कई विशेषज्ञों ने उन श्रेणियों के बारे में भ्रम व्यक्त किया है। मैं यहां एक श्रेणी के बारे में पूछता हूं अर्थात् बिजनेस ऑक्ज़लरी सर्विसेज का क्या होगा। इसका अर्थ क्या है? इन्होंने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है:

"उत्पादित वस्तुओं का समवर्द्धन, विपणन अथवा बिक्री अथवा किसी क्लाईंट द्वारा प्रदान किया जाना अथवा उसका होना किसी प्रासंगिक अथवा सहायक सेवा जैसे बिलिंग चैकों लेखाओं और देयताओं की वसूली अथवा एकत्र करना।"

वह पुनः कहते हैं कि आपूर्ति सेवा, सेवा क्षेत्र के दायरे से बाहर है। बी पी ओ कम्पनियों और कॉल सेन्टरों का क्या होगा जो विदेशी मुद्रा में अदा की जा रही है। ये कॉल सेंटर पूरी तरह से आई टी बेस के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं इसका कुछ भाग श्रम के अधीन है और कुछ भाग आईटी सेवा के अधीन है उन लोगों का क्या होगा जो देश के भीतर कार्य्र कर रहे हैं और पुनः उन्हें विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जा रहा है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का क्या होगा जिसे सेवा क्षेत्र के दायरे से बाहर रखा गया था। भारत जैसे देश में कॉल सेन्टरों का अच्छा भविष्य है इस बात से कौन इनकार करेगा कि आई टी सक्षम सेवा ऐसा क्षेत्र है जिसकी यदि उचित प्रकार से आयोजना की जाए और उचित प्रोत्साहन दिया जाए तो यह रोजगार प्रदान करेगी। फिलीपीन्स, पूर्वी एशिया के देशों के साथ–साथ हमारे पड़ोसी देशों से होने वाली प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखते हुए मैं इसके बारे में विशेष रूप से जानना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त सबसे ऊपर न्यू जर्सी विधयक भी आ रहा है। वे कहते हैं कि किसी गतिविधि का आउट सोर्सिंग करना जैसा कि इस समय भारत और अन्य स्थानों में कॉल सेंटरों के माध्यम से कराया जा रहा है को अब देश के भीतर ही कराया जाए। एक ओर तो प्रतिस्पर्धा उभर रही है और दूसरी ओर खतरे भी हैं।

61 नई वस्तुओं पर सेवा कर लगाया जा रहा है। उस स्थिति में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों पर कर लगाया जाता है, को सुपरिभाषित होना चाहिए, अन्यथा पूरी अवधि में कानूनी लड़ाई ही चलती रहेगी और मैं नहीं समझता कि सेवा क्षेत्र में 8000 करोड़ रु. निवेश करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

मेरे साथी श्री दासमुंशी ने कहा था कि पूर्वोत्तर में, औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कतिपय छूट दी गई थीं जिनका दुरुपयोग किया गया। उन्होंने सिगरेट के एक बड़े विनिर्माता का उल्लेख किया जो वास्तव में कहीं और सिगरेट बना रहा था। वे कहते हैं कि 'जॉब' कार्य किया जाता है और चूंकि यह 'जॉब' कार्य है इसलिए कोई कर नहीं लगाया जाता है। 1987 से स्थिति बिगड़ रही है। इस बड़े सिगरेट विनिर्माता ने सैंकड़ों हजारों करोड़ रुपये का करवंचन किया है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैंने एक प्रश्न पूछा है क्या विनिर्माण की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत परिभाषा को इस विशेष क्षेत्र में लागू नहीं किया जाना चाहिए? वे यह कह कर कमी का लाभ उठा रहे हैं कि इसका विनिर्माण गतिविधि से कोई लेना–देना नहीं है क्योंकि वे 'जॉब' कार्य कर रहे हैं। क्या इस कमी को दूर नहीं किया जा सकता? कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है और कह सकता है, 'सभी छूटों को समाप्त कर दें'। मैं पान मसाला और गुटखा के पक्ष में नहीं हूं किंतु यह सत्य है कि बड़ी संख्या में युवक और महिलाएं इसमें नियोजित हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पूरी स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए।

अब मैं उपदान अधिनियम, 1972 पर आता हूं। वर्ष 1997 में श्री पी चिदम्बरम, जब वह वित्त मंत्री थे, ने कहा था कि उस समय केन्द्र सरकार कर्मचारियों के मामले में 2.5 लाख की अधिकतम सीमा अन्य सभी कर्मचारियों को दी जाएगी। चौथे वेतन आयोग ने सुझाव दिया था कि इस तरह की कोई अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यह बंगाल में जूट मिलों में हो रहा है। पूर्वी भाग में, किसी भी साधारण कर्मकार की आय ऐसी है कि यह अधिकतम सीमा से बाहर है।

जो हो रहा है वह यह है कि उन्हें उपदान के रूप में कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐतिहासिक कारणों से अच्छे किस्म का जूट बांग्लादेश में पैदा किया जाता था किंतु जूट मिल बंगाल के इस भाग में थी। जूट उद्योग को प्लास्टिक सेक्टर से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। कई अन्य नई समस्याएं हैं जिनका इस क्षेत्र को सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, मैं निवेदन करता हूं कि इस क्षेत्र को आवश्यक रियायत देने की आवश्यकता है। शक्तिशाली प्लास्टिक और सिन्थेटिक लॉबी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करने के बावजूद जूट का भविष्य है। हम लॉबी करने के बारे में जानते हैं। किंतु फिर भी मैं माननीय वित्त मंत्री से जूट सेक्टर को कुछ रियायत देने पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूं। चाय उद्योग को भी कुछ रियायतें देनी चाहिए। चाय उद्योग में रुग्णता है। पूर्वी भारत में जहां तक चाय क्षेत्र का संबंध है कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, यह आश्वासन दिया गया था कि निश्चित समय में 'पैन' उपलब्ध करा दिया जाएगा, किन्तु अभी तक कई शिकायतें देखने को मिलती हैं। मुझे पैन नहीं मिलने की कई शिकायतें मिली हैं। क्या यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जो पैन चाहते हैं उन्हें यह तत्काल मिल जाए? दूसरी ओर, पैन का दुरुपयोग हो रहा है। कभी–कभी पिता का नाम समान है तो कभी–कभी माता का नाम समान है। कभी–कभी तो पता भी एक है। मैंने सुझाव दिया था कि फील्डों की संख्या बढ़ाई जाए। जैसा कि क्रेडिट कार्डों के मामले में है, गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए जन्म तिथि ली जाती है और माता का पहला नाम लिया जाता है इत्यादि, इसलिए इस तरह से फील्ड की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मैंने संबंधित व्यक्तियों को सुझाव दिया था और वे सहमत थे कि विद्यमान सॉफ्टवेयर में इस तरह से सुधार की आवश्यकता है कि पैन का दुरुपयोग नहीं किया जा सके जैसा कि आज किया जा रहा है।

अंत में, इस सरकार ने कई वायदें किए थे। मैंने एक मुददा बार बार उठाया था और माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि यह उनकी चिन्ता नहीं है यह कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति की दर जो कि कम हो गयी है के मद्देनजर ब्याज दर में कटौती की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि अब प्रशासनिक ब्याज दरें सेकंडरी बाजारों में समतुल्य परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों के औसत वार्षिक लाभ के स्तर पर होंगी। तदनुरूप, इसमें कमी की जा रही है। डा. रंगराजन ने सांख्यिकी आयोग के अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि भारतीय परिस्थिति में मुद्रास्फीति की गणना गलत है। मैं भाषा के बारे में भाग ॥ उद्धृत नहीं कर रहा हूं। जब मैंने उचित स्तर पर इस मुद्दे को उठाया तो मुझसे कहा गया कि कृतिक बल गठित कर दिया गया है और गलत बास्केट के संबंध में बातचीत चल रही है। यही कारण है कि कई बार हम पाते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आपस में कोई संबंध नहीं है।

मुद्रास्फीति की दर की गणना गलत की जाती है। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है। किंतु

(श्री रुपचन्द पाल)

अभी भी सेवा क्षेत्र की थोक मूल्य सूचकांक के लिए गणना की जाती है। यह एक विसंगति है। यह नहीं है जो मैं कह रहा हूं। मैंने जो बार–बार कहा है उसका डा. सी रंगराजन ने पुष्टि की है।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं – यद्यपि उन्होंने कहा है कि ये सभी विषय, जैसे मुद्रास्फीति दर की गणना, ब्याज दर में कमी और सेवा क्षेत्र में कर का ध्यान दूसरे विभागों द्वारा रखा जाएगा – वह इन मुद्दों को देखें।

अपराह्न् 3.32 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के सामाजिक - आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा श्री रामदास आठवले द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. आदि के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधी संकल्प पर विचार करेगी।

इससे पहले कि हम इस संकल्प पर चर्चा शुरू करें, हमें इस संकल्प पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करना होगा। सामान्यतया, पहली बार में दो घंटे का समय आबंटित किया जाता है। यदि सभा सहमत है, तो इस चर्चा के लिए दो घंटे आबंटित किए जा सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब हम श्री रामदास आठवले की बात सुनते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सभा सिफारिश करती है कि वह प्रशासन को सुदृढ़ बनाकर और उपयुक्त विधान लाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए नीतियों और कार्यक्रनों के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह इश्यू बहुत गम्भीर है। हमारे देश में दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इन वर्गों के समाज को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम अनेक वर्षों से मांग करते रहे हैं, लेकिन उन्हें जिस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए उस प्रकार से अभी तक नहीं मिला है।

महोदय, बाबा साहेब अम्बेडकर, जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे, उन्होंने जो बातें बताईं और जो संविधान उनके नेतृत्व में बना, उसी प्रकार से समाज को न्याय देने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उन लोगों तक न्याय पहुंच नहीं पा रहा है। यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव सदन में पुस्तुत किया है। आज हमारे देश को आजाद हुए 55 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और हम अपनी आजादी के 56वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं इस विषय पर सदन में अनेक बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी तक कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिला है। हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हर बार इस विषय पर सदन में चर्चा हो और तभी उन्हें न्याय मिले, ऐसा भी हम नहीं मानते। यह ठीक नहीं है। अपने संविधान में इन वर्गों के लोगों को जितनी सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है वे बिना किसी अड़ंगे और अड़चन के मिलनी चाहिए।

महोदय, जो बलशाली हैं, उन्हें अपना बल, जो कमजोर हैं, जो बलहीन हैं, उन्हें देना चहिए। सामाजिक और आर्थिक समानता का जो वातावरण है, वह हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भारत के संविधान की जो मूल भावना है, उसे लागू करने, उसके अनुसार काम करने, उसके प्रॉवीजन्स को इम्पलीमेंट करने की आवश्यकता है, मगर अपने देश में उस तरह का काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें बार–बार इस विषय पर, इस सदन में चर्चा करनी पड़ती है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया था कि –

> "मैं उन देशवासियों में से हूं जो प्रजातंत्र के प्रेमी हैं और समाज में किसी भी रूप में विद्यमान एकाधिकार की स्थिति का अंत करना चाहते हैं।
>
> "मेरा मुख्य उद्देश्य जीवन के सभी पहलुओं राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से, एक मनुष्य एक मूल्य के सिद्धांत की स्थापना करना है।"

बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने यह भी बताया था कि सामाजिक एकता के संयुक्त भावों का आभास ही राष्ट्रीयता है, जिसमें व्यक्ति एक–दूसरे को अपना सगा–सम्बन्धी समझने

लगता है। इसी तरह बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने ये बातें बताई हैं और सारे पक्ष के लोग भी इसी तरह की भूमिका रखते हैं, मगर न्याय उस वर्ग तक नहीं पहुंच रहा है। शिक्षा के बारे में बाबासाहेब अम्बेडकर ने बताया था कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। शिक्षा सस्ती से सस्ती हो, जिससे कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सके। अगर जीवन में हमें कोई परिवर्तन करना है तो शिक्षा भी बहुत जरूरी है। अगर इन्होंने भारत के संविधान में हमें शिक्षा देने की स्वतंत्रता नहीं दी होती तो मेरे जैसे कार्यकर्ता को पार्लियामेंट में आने का मौका न मिलता। हमें भारत के संविधान में बोलने की आजादी दी है, हमें अपनी ओपिनियन रखने का पूरा अधिकार है। सरकार किसी की भी हो, मगर हमें यहां अपनी भूमिका रखने का पूरा अधिकार है। अगर हमें इस वर्ग को न्याय देना है तो हम सब लोगों को इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। एससी, एसटी के लिए 15 प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत, टोटल साढ़े 22 प्रतिशत रिजर्वेशन है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है।

महोदय, सरकार की तरफ से प्रयत्न हो रहा है, हमारे मंत्री जी प्रयत्न कर रहे हैं, मगर ब्यूरोक्रेसी इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोच रही है। इसलिए हम पार्लियामेंट को बताना चाहते हैं कि दलितों को कानून के माध्यम से जो अधिकार मिले हैं, उसके मुताबिक उन्हें न्याय मिलना चाहिए। 1.1.98 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विसेज़ क्लास में, क्लास वन, ग्रुप ए में एस.सी. के लिए 10.80 प्रतिशत रिजर्वेशन है और एस.टी. के लिए 3.44 प्रतिशत है, टोटल 14.24 प्रतिशत है, मतलब साढ़े 22 प्रतिशत इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मगर खाली 14.24 प्रतिशत ही है। एस.सी., एस.टी. की पापुलेशन 26–27 प्रतिशत तक हो गई है, इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जो साढ़े 22 प्रतिशत रिजर्वेशन एससी, एसटी को मिलता है उसे 27 प्रतिशत करने की आवश्यकता है। उसी तरह इसमें 18 प्रतिशत एससी को और नौ प्रतिशत एसटी को मिलना चाहिए, इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। महोदय, आपके लक्षद्वीप का भी सवाल है। जब कोई एसटी का व्यक्ति लक्षद्वीप छोड़ कर दिल्ली आता है या किसी अन्य स्टेट में रहता है तो उसे एसटी नहीं कहा जायेगा। इसी तरह का रेजोल्यूशन या आदेश सरकार ने निकाला है।

महोदय, मैं सरकार से अपील करता हूं कि अगर कोई एसटी का आदमी दिल्ली में आता है या दूसरी जगह जाता है तो उसे उसी केटेगिरी से हटाना ठीक नहीं है। अगर एससी, एसटी का कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में जाता है तो हमारी मांग है कि वहां उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस तरह का कानून आपको बनाना चाहिए। इस बारे में भी भारत सरकार को सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुपर क्लास वन तथा हर केटेगिरी में साढ़े 22 प्रतिशत रिजर्वेशन इन्हें देने की आवश्यकता है, इन्हें यहां रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, यह अच्छी बात नहीं है। अगर हमें इस वर्ग को ऊपर उठाना है तो इन जगहों पर भी इन्हें रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। रिजर्वेशन को 10वें शेड्यूल में डालने की आवश्यकता है ताकि इन्हें पूरा प्रोटेक्शन मिले।

उसी तरह से जो पांच ओ.एम. निकले थे, उनमें से तीन ओ.एम. विदड्रा हो चुके हैं, मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। हमारी मांग यह भी है कि उनमें से तीन विदड्रा हुए ओ.एम. को अमल में लाने की आवश्यकता है। बाकी दो ओ. एम. को विदड्रा करने के बारे में सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। उसके साथ–साथ एक रिजर्वेशन एक्ट बनाने की आवश्यकता है। अगर रिजर्वेशन एक्ट बन जाता है तो फिर रिजर्वेशन को और दलितों को न्याय दिलाने के लिए एक कानून बन जायेगा और जो अधिकारी रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा तो उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है, उसे कानून में सजा भी दी जा सकती है। इसलिए रिजर्वेशन एक्ट भी बनाने की आवश्यकता है।

उसके साथ–साथ निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन लागू करने के बारे में संविधान संशोधन कराने की आवश्यकता है, इसलिए पार्लियामेंट में यह कानून बनाना चाहिए कि निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन एस.सी. एस.टी. को मिलना चाहिए। उसके साथ–साथ हमारी मांग यह भी है कि जमीन में भी रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। गांवों में जो जमीन है, एस.सी. एस.टी. की जितनी पोपुलेशन है, उतना रिजर्वेशन उनको उसमे मिलने की आवश्यकता है। जमीन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस तरह की हमारी मांग है।

उसके साथ–साथ हमारी यह भी मांग है कि राज्य सभा, विधान परिषद्, केन्द्र और राज्यों के जो मंत्रिमंडल हैं, इनमें भी रिजर्वेशन रखने की आवश्यकता है। उसके साथ–साथ महाराष्ट्र में जो एस.सी. के लोगों की लिस्ट बनने के बाद उनका रिजर्वेशन खत्म हो चुका था, उनको सुविधा देने का जो प्रस्ताव है, यह केन्द्र सरकार ने मंजूर कर दिया है। इसलिए महाराष्ट्र में हमारी जो 18 जगह विधान सभा की हैं और तीन जगह लोक सभा की हैं, इनको बढ़ाने की आवश्यकता है।

(श्री रामदास आठवले)

फिजीएण्टी समाज ऐसा समाज है, जिसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उनकी एक कैटेगरी बनाकर उन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए, इस तरह की हमारी मांग है। उसके साथ–साथ जो मुस्लिम समाज है, उसी भी 15 परसेंट रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस तरह की हमारी मांग है।

दलितों पर जो एट्रासिटीज हैं, 1997 में 27944, एस.टी. पर 4644, 1998 में एस.सी. पर 25638, एस.टी. पर 4276, 1999 में एस.टी., पर 25093, एस.टी. पर 4450, 2000 में एस. सी. पर 25455, एस.टी. पर 4190 और 2001 में एस.टी. पर 25562 और एस.टी. पर 4121 एट्रासिटीज हुई हैं। इस तरह दलित समाज पर जो अत्याचार हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए भी कड़ा से कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। यह जो समाज है, इस समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से न्याय देने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए, इस तरह की हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में इसके संबंध में ज्यादा से ज्यादा बहस हो और सरकार हमारे राइट के बारे में अपना कानून बनाने के बारे में जिस तरह से सोचती है, उसी तरह इसके बारे में भी विचार करना चाहिए।

मैं समझता हूं कि हमें इसके बारे में अपने विचार सदन में बताने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

जो मुद्दा श्री रामदास आठवले द्वारा उठाया गया है वह वास्तव में अत्याधिक महत्वपूर्ण है।

हमारे संविधान में हमने सकारात्मक विभेदीकरण की व्यवस्था की है। उसका अर्थ है जो कमजोर हैं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, की अन्य साधारण नागरिकों की तुलना में अधिक सहायता प्रदान करनी चाहिए यह हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो डा. अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था और जिसका संविधान सभा ने अनुमोदन किया था।

जहां तक शिक्षा का संबंध है, हमने व्यवस्था की है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए, जहां तक शिक्षा का संबंध है, मैं समझता हूं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों द्वारा शत–प्रतिशत लाभ लिया जाता है। कभी–कभी यह अधिक भी होता है। ऐसा इसलिए है कि आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उपलब्ध हैं, किंतु यदि कोई छात्र योग्यता के आधार पर आता है, तो वह उस आधार पर स्कूलों, कॉलेजों तथा तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश पा सकता है। इसलिए, जहां तक शिक्षा का संबंध है अ.जा और अ.ज.जा को शत प्रतिशत लाभ मिल रहा है। किंतु सेवा के मामले में यह स्थिति नहीं है। सबसे ऊपर समूह क और ख सेवाओं में, आरक्षण का प्रतिशत जो कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उपलब्ध है वस्तुतः भरा नहीं जाता है। श्री रामदास आठवले ने उसका उल्लेख किया है। समूह ख और ग में स्थिति अलग है।

निचले स्तरों पर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां भरी जाती हैं, किंतु मध्यस्तर पर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। उच्च स्तर पर आरक्षण अत्यंत कम है। जब इस मुद्दे को उठाया गया था, यह कहा गया था कि इन पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य व्यक्ति नहीं हैं। मैं समझता हूं कि पचास वर्षों की अवधि में, हमारे लिए यह पता करना संभव होना चाहिए कि क्या हममें से कुछ द्वारा दिया गया यह वक्तव्य सही है; या नहीं। ठीक यहीं पर कुछ करना है। ठीक यहीं पर सरकार को विशेष ध्यान रखना होगा। जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि ये रिक्तियां उपयुक्त तरीके से भर दी जाएं। फिर, उस समय प्रयास किया गया और कई रिक्तियां भरी गई थीं। इसी स्तर पर कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार का आरक्षण सिर्फ सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए उपलब्ध है। दुर्भाग्यवश, इस सरकार और राज्यों में भी अन्य सरकारों की सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के निजीकरण की नीति है। जब सार्वजनिक क्षेत्र के एककों का निजीकरण किया जाता है, तो उन पर आरक्षण कानून लागू नहीं होता है। इसलिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियां भरी नहीं जा सकती हैं। एक स्थायी समिति की बैठक में मुझे इस संबंध में क्या हो रहा है की जांच करने का अवसर मिला था। मुझे यह कहा गया कि जब सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जाता है तो सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को लेने वाले के साथ एक समझौता किया जाता है जिसके अंतर्गत वे कहते हैं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को संरक्षण दिया जा सकता है।

मुझे उन समझौतों की जांच करने का अवसर मिला था। इन समझौतों में क्या कहा गया है? वे कहते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समान लाभ दिया जाना चाहिए। यदि समान लाभ नहीं दिया जाता है, तो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या उपचार है? उनके पास न्यायालय में जाने का उपाय है। वह जब न्यायालय जाता है, उसे न्यायालय में अपना केस एक वर्ष नहीं अपितु

दस या पन्द्रह वर्ष लड़ना पड़ता है। इसलिए, समझौते में इस प्रकार के प्रावधान, जो कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को लेने वाले व्यक्ति के बीच हुआ है, से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को वास्तव में कोई लाभ नहीं मिलता है। इस संबंध में क्या किया जाना है? यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर जोर दिया गया है। कुछ समय पहले इस विषय पर चर्चा की गई थी। दस या पन्द्रह वर्ष पहले इस विषय पर चर्चा की गई थी। वे जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं, उस ओर से बोल रहे थे। कई घंटों तक वे कह रहे थे कि यह समस्या में यह त्रुटि थी और उसे दूर करना था। अब वे दूसरी ओर बैठे हैं। वे यह कहते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण और सरकारी क्षेत्र के शेयरों का विनिवेश किया जा रहा है। विनिवेश और निजीकरण करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। केवल कागज पर हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि आप कोई सरकारी क्षेत्र की इकाई अथवा उद्योग अथवा उद्यम लगाने जा रहे हैं, आपको इसके लिए अत्याधिक प्रयास करना होगा। आपको इसमें वर्षों तक ध्यान देना होगा और परिश्रम करना होगा। आप ये सारे प्रयास उस संस्था के निर्माण के लिए करेंगे। इन संस्थाओं का निर्माण किया जा चुका है और ये समाप्त हो चुके हैं। लेकिन आज हमारे सामने यह मुद्दा नहीं है। आज हमारे सामने यह मुद्दा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु उपलब्ध सुविधा इस प्रकार की नीतियों के कारण समाप्त हो रही है। सरकार की ओर से माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि वह इस कठिनाई से कैसे उबर पाएंगी।

सरकारी सेवा में आरक्षण उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में आरक्षण उपलब्ध है। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सेवा के अवसर गैर सरकारी क्षेत्र की तुलना में नगण्य हैं। गैर सरकारी क्षेत्र अधिक विस्तृत है। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 2.5 प्रतिशत सेवा उपलब्ध होगी। इसका लगभग 95 प्रतिशत भाग गैर सरकारी क्षेत्र में है। गैर सरकारी क्षेत्र में आरक्षण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप गैर सरकारी क्षेत्र में आरक्षण नहीं देते हैं। यदि आप वास्तव में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, हमें निश्चित रूप से कुछ करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इन दिनों हम कभी–कभी सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन आर्थिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। हम आर्थिक न्याय को भूल चुके हैं। हम सामाजिक न्याय पर बल दे रहे हैं। आर्थिक न्याय भुला दिया गया है। यदि आप वास्तव में आर्थिक न्याय देना चाहते हैं तो क्या हमें कतिपय तरीकों पर नहीं सोचना चाहिए जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग भी गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें। गैर सरकारी क्षेत्र में अत्याधिक संख्या में सेवाएं उपलब्ध हैं जबकि सरकारी क्षेत्र में यह सीमित हैं। अतः सरकार द्वारा इस संबंध में कुछ करना चाहिए।

श्री रामदास आठवले द्वारा कृषि भूमि से संबंधित तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था। सौभाग्यवश हमारे यहां अभिधृति कानून और भूमि अधिकतम सीमा कानून है। यह एक अलग बात है कि अभिधृति कानूनों को कतिपय अन्य राज्यों में उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। लेकिन कानून है। भूमि अधिकतम सीमा कानून भी है। पूर्व में सरकार ने बड़े जमींदारों और समाज में अधिक भूमि वाले वर्गों से भूमि अधिग्रहीत की थी। इस भूमि को भूमिहीनों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों के बीच बांटा जाना था। कई कानूनों में यह उपबंध किया गया था कि पहली प्राथमिकता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को दी जायेगी। कम से कम आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में यह कानून है और मैंने स्वयं पढ़ा है कि भूमि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीच बांटी जायेगी। यह इसी प्रकार का होना चाहए। सामाजिक न्याय तभी प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसकी भी सीमा है। आप भूमि बढ़ा नहीं सकते हैं। भूमि सीमित है और जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। भूमि का बंटवारा भी हो रहा है। किसी परिवार के पास अधिकतम 50 एकड़ भूमि रह सकती है। यदि किसी परिवार के पास 50 एकड़ भूमि है इसके आगामी दो पीढ़ियों में भूमि का बंटवारा होने पर 5 अथवा 6 एकड़ रह जाती है। अतः भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता है। भूमि को वितरित किए जाने की एक सीमा है।

मैं कहना चाहूंगा कि भूमि अधिकतम सीमा कानून में पहली प्राथमिकता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को दी जानी है। अभिधृति कानून में भी यह प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन भूमि वितरित करने की सीमा है। इसे समझा जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है। हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को गैर सरकारी उद्यमों में आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन ऐसा करना कठिन होगा और लोग इस पर आपत्ति करेंगे। वे इसका पूरी तरह विरोध करेंगे। अतः यह कठिन होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है।

संसद में बैठे हुए लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। मेरे विचार में, हमारे पास दो समाधान उपलब्ध हैं। सबसे पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का केवल शिक्षित होना पर्याप्त नहीं है। उन्हें दूसरा कदम यह उठाना होगा कि वे आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त करें जो रोजगार

(श्री शिवराज वि. पाटील)

अथवा भूमि से प्राप्त होगी। लेकिन रोजगार और भूमि दोनों की भी सीमाएं हैं। उनके लिए व्यापार और औद्योगिक कार्यों में असीमित गुंजाइश है। उद्योग में विस्तार हो रहा है, व्यापार उतना सुदृढ़ नहीं हुआ है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित लोगों के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना है। लेकिन उनके पास धन नहीं है। उनके पास अनुभव भी नहीं है और इन्हीं क्षेत्रों में उन्हें सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। संसद द्वारा और अन्य विधानमंडलों द्वारा भी कानून बनाया जाना चाहिए कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोग स्वावलम्बी होना चाहते हैं तो उन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधाएं प्रदान करायी जानी चाहिए। यदि उन्हें देश में व्यापार कार्य शुरू करने हेतु अच्छी ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, यह समस्या बहुत हद तक सुलझायी जा सकती है।

तीसरी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें उद्योग लगाने हेतु धन दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि यदि धन दिया जाता है तो उसे शायद वापिस नहीं किया जायेगा और उद्योग नहीं चल पायेंगे। हमें मालूम है कि अन्य उद्योगों में क्या हो रहा है। हम इस देश की अलाभकारी आस्तियों से अवगत हैं, मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपये का निर्यात है। कई लोगों ने वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से ऋण लिया है और उन्होंने इसे अभी तक वापिस नहीं किया है जो उन्हें करना चाहिए था।

अब मान लीजिए कि हम अर्थात सरकार और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण और वित्त संबंधी सुविधाएं देने का जोखिम लेती है, इसमें कुछ गलत नही है इसमें कुछ जोखिम हो सकता है। मैं यह समझता हूं कि इसमें कुछ जोखिम हो सकता है लेकिन हमें यह उठाना होगा। युद्ध शुरू होने में भी जोखिम है और जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को धन देते हैं, उसमें भी जोखिम शामिल है। यदि हम समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को धन देगें तो हम उनके लिए आर्थिक न्याय कर पायेंगे।

मेरे विचार से इस मुद्दे पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और भारत सरकार, राज्य सरकारें और वित्तीय संस्थानों को उन्हें धन दिए जाने के संबंध में कतिपय निर्णय भी लेना चाहिए। यदि समाज के कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति कुछ धन की मांग करता है उसे यह आसानी से उपलब्ध नहीं होता है लेकिन यदि कोई व्यक्ति 5000 करोड़ रुपये अथवा 1000 करोड़ रुपये की मांग करता है उसे यह वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा आसानी से दे दिया जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 5 लाख अथवा इससे कमोबेश की मांग करता है उसके लिए इसे प्राप्त करने में कठिनाई होगी। अतः यदि समाज के कमजोर वर्गों के लोगों की इच्छा व्यापार अथवा उद्योग संबंधी कार्य करने में हो तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्त हो सके। मेरे विचार से यही एक मात्र समाधान है जो उन्हें वित्तीय साधन, वित्तीय सुदृढ़ता और वित्तीय शक्ति प्रदान करेगा। हमने और तरीके अपनाये हैं जिनसे उन्हें कतिपय सहायता मिली है लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं।

अपराह्न् 4.00 बजे

कुछ और अधिक किए जाने की आवश्यकता है। कतिपय नए क्षेत्रों का पता लगाना होगा। अभी तक यही एक मात्र क्षेत्र है जिसपर कार्य नहीं हुआ था वह व्यापार और उद्योग कार्य से संबंधित है। हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अवसर प्रदान करने होंगे ताकि वे अपने आपको साबित कर सकें। ये बहादुर और बुद्धिमान लोग हैं। यदि आप इन्हें बंदूक लेकर युद्ध लड़ने को कहेंगे ये इसे आसानी से कर देंगे। जहां तक वित्तीय जोखिम लेने का प्रश्न है, वे इसे अस्वीकार कर देते। इस प्रकार की मनोदशा, वित्तीय जोखिम और वित्तीय उद्यमिता की क्षमता का उनमें विकास करने हेतु हमें इस संबंध में कतिपय कदम उठाने होंगे।

यदि सरकार और अन्य राज्य सरकारें उन्हें धन उपलब्ध कराये, श्री रामदास आठवले की जिम्मेवारी है कि वे उन्हें जाकर जोखिम लेने हेतु प्रेरित करें और कहें कि उन्हें इस प्रकार का कार्य करने, दूसरों और अपने आप की सहायता करने हेतु साहसी बनना चाहिए। उनसे कहा जाए कि रोजगार मांगने के बजाए, किसी सेवा में नौकरी करने के बजाए, जहां वे शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं, जहां वे किसी दूसरे को रोजगार देने की स्थिति में नहीं होंगे, आप स्वयं किसी उद्यम, दुकान, व्यापारिक संगठन अथवा औद्योगिक संगठन के मालिक हो सकते हैं। वे दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझता हूं कि समस्या सुलझायी जा सकती है।

यदि इसके लिए पहले एक कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, इसके लिए एक कानून बनाया जाए। यदि निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाना है तो ऐसा ही किया जाए। यदि इस उद्देश्य हेतु किसी संकल्प को पारित कराए जाने की आवश्यकता है तो वह संकल्प लाया जाए। इसके पश्चात् ही हम अपनी उन बहनों और भाइयों जो इस देश में हजारों वर्षों से पीड़ित रहे हैं को वास्तविक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दे पायेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामदास आठवले जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उन्होंने सदन का ध्यान समाज के दुर्बल, पीड़ित, उपेक्षित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा जो नीतियां, कार्यक्रम बनाये जाते हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक और ठोस कदम उठाये जाएं, इस प्रकार की बात इन्होंने अपने प्रस्ताव में कही है।

मैं समझता हूं कि जहां तक उनके प्रस्ताव का प्रश्न है, इसमें आवश्यकता इस बात की है कि एक बार और हमें विचार करना चाहिए कि भारत का संविधान बना, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर और अनेक लोगों के योगदान के आधार पर समाज के जो वंचित वर्ग थे या सैंकड़ो वर्षों से जो वर्ग उपेक्षा की दृष्टि से देखे गये या जिनको एक प्रकार से शोषित और पीड़ित वर्ग कहा जाता है, उसे समरसता की स्थिति में लाने के लिए, समाज के लोगों में ऐसे वर्ग के प्रति ममत्व की भावना लाने के लिए जो–जो संविधान में प्रावधान किए गए, उन सारे प्रावधानों के बावजूद भी आज 53 वर्षों के बाद कितना परिवर्तन उनके जीवन में आया है, यह समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इतना खर्च होने के बाद, चाहे शिक्षा, प्रशिक्षण या आवास के रूप में जो अन्य सुविधाएं देकर उन्हें ऊंचा बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बावजूद यह देखने में आया है कि उनमें से कुछ लोग ही इन सुविधाओं का फायदा लेते हैं। फायदा उठाने के बाद उस वर्ग में भी ऐसे लोग अलग हो जाते हैं और एक अलग प्रकार की श्रेणी बन जाती है। जिस समाज में वे पैदा हुए, पाले–पोसे गये, ऐसे लोग पढ़–लिखकर योग्य बन गये लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि जिस समाज से वे संबंध रखते हैं, उस समाज में जहां एससी, एसटी में वे पैदा हुए हैं, उन लोगों के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, यह बात वे भूल जाते हैं और परिणामस्वरूप एक नयी क्लास पैदा हो जाती है। आखिर यह स्थिति पैदा क्यों हो रही है? मुझे कल ही समाचार–पत्रों में पढ़ने को मिला कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर क्रीमी लेयर जो कही जाती है, वह एससीएसटी के अंदर भी लागू होनी चाहिए।

राजस्थान के अंदर अनुसूचित जनजातियों के अंदर कई जातियों के नाम दिए गए हैं। इनमें दो जातियों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो भील जाति है। इस जाति का इतिहास बड़ा ही गौरवपूर्ण रहा है। मेवाड़ के अंदर यह आदिवासी कहलाते थे। महराणा प्रताप की सेनाओं के साथ शौर्य और साहस का परिचय इस जाति ने दिया था। ये लोग जंगलों में जीवन व्यतीत करते हैं। वे अनुसूचित जनजाति में हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत कम लोग पढ़े–लिखें हैं और उच्च पदों पर पहुंचे हैं। उनके उत्थान और विकास के लिए उनकी बस्तियों के विकास के लिए जितना प्रयास होना चाहिए, उतना नहीं हो पाया है। इसी तरह राजस्थान में दूसरी जाति मीणा है। राजस्थान में ही नहीं, गुजरात में भी इस जाति के लोग हैं और कई राज्यों में भी है। देश का हर तीसरा आई.ए.एस. और आई.पी.एस. मीणा जाति से संबंधित है। इसी प्रकार से जो अनुसूचित जाति के अंदर देखा जाता है, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक वर्ग विशेष अनुसूचित जाति में होकर उच्च पदों पर पहुंच गया, लेकिन उन्हीं की जाति के अंदर जो वास्तव में सबसे अधिक दलित है, डाउनट्राडन है, जिनको गांधी जी हरिजन कहकर पुकारा करते थे, जो सफाई कर्मी थे, उनका जितना उत्थान या विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पाया। हम उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास की बात करते हैं, उसके लिए सरकारी नीतियां बनाने और कार्यान्वयन करने की बात करते हैं, वहां हमें इस बात का भी आत्मलोचन या समीक्षा करनी चाहिए कि जिन समाजों के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है, उन समाजों में कुछ वर्ग बहुत आगे बढ़ गए और कुछ बहुत पीछे रह गए। आखिर यह भेदभाव क्यों, हम फिर उनमें ऊंच–नीच की भावना पैदा करने की बात तो नहीं कर रहे हैं। छुआछूत एक सामाजिक कलंक है। उसका उच्छेदन, मूलोच्छेदन होना चाहिए।

आज सुबह शून्य काल में आठवले जी ने सवाल यहां उठाया था कि महाराष्ट्र के अंदर एक दलित की हत्या हो गई। दो–तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश के बारे में आया था कि जिस प्रदेश की मुख्य मंत्री दलित की बेटी है, वहीं दलितों के साथ दुर्व्यवहार और उनकी हत्या हो रही है। बिहार के बारे में हमें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार से सम्पन्न लोग इन अनुसूचित जातियों के लोगों की, दलित वर्ग के लोगों की बस्तियों में ज़ाकर संहार करते हैं और उनके घरों को आग लगा देते हैं। वहां जिन लोगों का शासन है, वे इस बात के लिए प्रयत्नशील है, प्रतिबद्ध हैं कि दलितों का उत्थान और उद्धार हो। लेकिन फिर क्यों ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि उनके साथ अत्याचार होता है।

राजस्थान के अंदर भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। जैसे वहां दलित वर्ग का दूल्हा अगर घोड़ी पर चढ़ कर बारात लेकर, बैंड बजाता हुआ गांव से जाता है तो तथाकथित ऊंचे वर्ग के लोग कहते हैं कि यह नहीं हो सकता और गांव की चौपाल के पास ही उसे घोड़ी से उतार दिया जाता है। यहां तक कि वहां पीने के पानी के लिए भी भेदभाव किया जाता है। इतने वर्षों के बाद भी, इतनी शिक्षा और साक्षरता बढ़ जाने के बाद भी तथा बड़े–बड़े नेताओं के प्रयास करने के बाद भी

(प्रो. रासा सिंह रावत)

यह हालत है। महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा जो छुआछूत मिटाने के प्रयास किए गए थे, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं देश में घटित होती रहती हैं। कई जगह क्षेत्रीय दलों द्वारा भी ऐसा हुआ, जिन्होंने सुधारवादी आंदोलन चलाकर छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी समाज के अंदर कहीं न कहीं यह भावना व्याप्त है। कबीर जी ने इसी भावना के तहत कहा था कि –

को बामन, को शूद्रा। न कोई ब्राह्मण है और न कोई शूद्र है। कबीर ने इस जात–पांत की व्यवस्था को फटकार लगाते हुए समाज की एकता के लिए कहा था :

एक ईश्वर के पुत्र हैं, जात–पात पूछे न कोई,

जो हरि को भजे, सो हरि का होई।

यह बात वेदों के अंदर भी आई, उसमें भी कहा गया कि मानव मानव समान हैं और वेदों का ज्ञान मानव मात्र के लिए है। मध्य कालीन के लोगों ने अपने स्वार्थों की खातिर कहा था – स्त्री शूद्रो नाडधीयनाम्। यह वास्तव में हमारे संकीर्णता का परिचायक था, लेकिन वेदों में कहीं इस बात को नहीं कहा गया था।

इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों के बारे में हम विचार करें और यह भी विचार करें कि इतने प्रयास करने के बाद भी समाज में जो उत्थान इन दलित, कमजोर और पिछड़े वर्गों का होना चाहिए था, जो स्वाभिमान की भावना इनके अंदर आनी चाहिए थी और राष्ट्र की मुख्य धारा के अंदर लाकर, इनमें एक–रसता की भावना आनी चाहिए थी, वह क्यों नहीं आ रही है।

देश में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, इनके उत्थान के लिए नीतियां और कानून तो अच्छे बने हैं लेकिन जैसी उन कानूनों और नीतियों का क्रियान्वयन होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। यह कौन सी मानसिकता का परिचायक है। क्या बड़े अधिकारियों के मन में उन वंचित लोगों के प्रति कोई भावना नहीं है। एट्रोसिटीज दूर करने के नाम पर गांवों में लड़ाई–झगड़े पैदा होने की स्थिति आ रही है। अनुसूचित जाति के हमारे बंधू, छोटी–छोटी बातों के ऊपर जाकर शिकायत कर देते हैं कि फलाने ठाकुर साहब ने, फलाने सेठ ने या फलाने आदमी ने हमें यह कह दिया। बैंकों के अंदर अधिकारी लोग काम के लिए कहते हुए डरते हैं। अगर वह किसी को काम के लिए कह देते हैं तो वह एट्रोसिटीज का आरोप लगा देते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही गलत है। दोनों एक समान हैं और एक ईश्वर के पुत्र हैं। संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया है।

अपराह्न 4.42 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए)

दोनों एक समान हैं, न कोई छोटा है न काई बड़ा है। लेकिन तथाकथित उच्च–वर्ग के लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा और साथ में हर बात को लेकर जो प्रतिक्रिया अनुसूचित जाति के लोगों की तरफ से होती है, समाज के प्रति विद्रोह की भावना जो उनमें आती है, उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। सारे समाज में एक–रसता की स्थिति पैदा करनी होगी। दोनों को एक–दूसरे में दूध और पानी की तरह घुलमिल जाना है। जैसे पानी को जब दूध में मिलाया जाता है तो दूध पानी को अपने समान बना लेता है लेकिन जब उसे आग पर चढ़ाया है तो पानी दूध को जलने नहीं देता है। हमारे समाज की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें समता हो, ममता हो और एकत्व की स्थिति और भावना समाज में आये, जिससे हमारे समाज का विकास हो, उन्नति हो।

भगवान बुद्ध, भगवान महावीर व अन्य महापुरुष हजारों सालों से छुआछूत और जाति–प्रथा की बुराई को दूर करने का प्रयास करते आ रहे हैं लेकिन समाज से यह बुराई मिटी नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का बैकलॉग नौकरियों में बढ़ता ही चला जाता है, अनुसूचित जाति के लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है। मैंने दस चिट्ठियां कार्मिक विभाग को लिखी, उन्होंने आगे भेजी और फिर कहा कि संसद में अमेंडमेंट आना चाहिए। संसद में अमेंडमेंट भी हो गया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इसमें यह कमी रह गयी है, वह कमी रह गयी है। इतने रिलैक्सेशन और योग्यता में रिलैक्सेशन करने के बाद भी बैकलॉग भरा नहीं जा रहा है और हमारे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भाइयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम उन पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं। हजारों सालों से उनको उनके हक से वंचित रखा गया है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम उन लोगों को समाज के अंदर सम–स्थिति में लाने का प्रयास करें और सरकारी नौकरियों और अन्य सेवाओं में उनके प्रति किसी प्रकार का भेदभाव न करें। उनके लिए जो पन्द्रह और साढ़े सात प्रतिशत आरक्षित स्थान हैं उनकी पूर्ति की जानी चाहिए।

स्कॉलरशिप के लिए एनडीए की सरकार ने संशोधन तो किया है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो स्कॉलरशिप इन वर्गों के विद्यार्थियों को दी जाती है चाहे वह माध्यमिक स्तर पर हो, उच्च–माध्यमिक स्तर पर हो, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर हो, उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

समाज कल्याण मंत्रालय के जो छात्रावास चलते हैं उनमें खुराक के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वहां तो सारी सुविधाएं हैं।

डैस्टीचुड्स चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत जो आनुदानिक सहायता दी जा रही है, आवास के लिए, भोजन के लिए, शिक्षा के लिए या प्रशिक्षण के लिए, वह अनुदान दिया जाना चाहिए, ताकि वे स्वावलम्बी हो सकें। मैं समझता हूं कि दिए जाने वाले अनुदान की मात्रा के बारे में पुनः विचार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार एससी और एसटी लोगों के लिए आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल खोले गये हैं। इन आवासों की छतें टपकती हैं। उन भवनों के पुनरुद्धार के लिए, भवनों के मेंटेनेंस के लिए, उनकी उचित देख–रेख करने के ग्रान्ट दिए जाने की आवश्यकता है। सुविधा न होने की वजह से उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। इसलिए आश्रम विद्यालयों की ओर भी पुनः ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कोचिंग के लिए जो व्यवस्था है, उसमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। यह बहुत अच्छी बात है, विभिन्न परीक्षाओं के लिए कम्पीटीशन के लिए तैयार किया जाए। देखने में यह आ रहा है कि नियमित रूप से वे कक्षायें नहीं चल रही हैं। उन पर जितना खर्च किया जा रहा है, उसको भी देखने की आवश्यकता है। नीतियां और कार्यक्रम तो सरकार द्वारा अनेक बना दिए गए हैं, लेकिन जब कार्यान्वयन का प्रश्न आता है, तो मुझे कबीर की सूक्ति याद आती है – "कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तम सार। कह कबीर – करनी सबल, उतरे भवजल पारा।" कथनी और करनी अलग–अलग बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि कार्यक्रम और नीतियां तो बहुत बन चुकी हैं और सिद्धान्तों के बारे में बहुत बाते कर ली है, लेकिन व्यावहारिक जगत के अंदर उन नीतियों और कार्यक्रमों को यथार्थ रूप में कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार स्पेशल कम्पोनेंट प्लान आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा गरीब तबके के लिए इंदिरा आवास योजना में जो अनुदान दिया जाता है, उस अनुदान के अनुपात में मकान बनाने का सामान कितना महंगा हो गया है, जितना पैसा सैंक्शन है, वह उन पैसों में मकान तैयार कर सकता है या बैंक व लोन देने वाली संस्थाओं के पास उनको कितने चक्कर लगाने पडते हैं, इन सारी व्यवस्थाओं पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आठवले जी का प्रस्ताव बहुत सामयिक है, अनुकूल है और जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि सम्पूर्ण स्थिति पर समग्र रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है, जिससे समाज में व्याप्त ऊंच–नीच की दीवार टूट जाए। इंसान इंसान से प्यार करने लगे। इंसान इंसान के दुख में भागीदार बनें, जैसे व्यवहार में भाई भाई के लिए काम आता है, लेकिन फिर भी अमानवीय व्यवहार देखने को मिलता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नौकरियों के अंदर जो बैकलाग बढ़ रहा है, उस स्थिति के बारे में समीक्षा करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा, उन तबकों में भी क्रिमीलेयर पैदा हो गए हैं कि मैजिस्ट्रेट का लड़का मैजिस्ट्रेट बनता है, कलैक्टर का लड़का कलैक्टर बनता है, लेकिन दूसरी तरफ मोची का जो काम कर रहा है या जो गांव में झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, वह अपने बच्चे के लिए सपने देखता रहता है कि उसका लड़का कब शिक्षा प्राप्त करके ऊंचा बनेगा। उन लोगों को भी अधिकार मिले, यह प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सरकार इन चीजों पर ध्यान देने के लिए एक आयोग बना सकती है जो विशेष रूप से इन परिस्थितियों पर विचार करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं रामदास आठवले के प्रस्ताव "प्रशासन को सुदृढ़ बनाकर और उपयुक्त विधान लाकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक और राजनैतिक उत्थान के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाए" का समर्थन करता हूं। अभी इस चर्चा में श्री शिवराज पाटील जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। इस बहस का मतलब यही है कि सम्मानित सदस्यों की बातों को गम्भीरता के साथ सुना जाए और सुनने के बाद सरकार सकारात्मक और कारगर कदम उठाए। सदन में जब कभी व्यवधान होता है तो उसका मूल कारण यह होता है कि गुण–दोष और तथ्यों के आधार पर सरकार को जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, उनमें जब वह ढिलाई बरतती है तो संसद में तनाव पैदा होता है।

श्री जटिया इस विभाग के मंत्री हैं लेकिन वह चले गए हैं। डा. संजय पासवान जो इस विभाग के राज्य मंत्री हैं, वह यहां बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि आज की चर्चा मात्र औपचारिकता मात्र बन कर न रह जाए। सरकार काई ठोस कदम उठाएगी तभी इस चर्चा की सार्थकता होगी।

सभपति महोदय, भारत एक कल्याणकारी राज्य है और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। ऐसा हमने संविधान में भी स्वीकार किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। संविधान के अनुच्छेद 38, 39 और 46 विशेष अनुच्छेद हैं और वे कमजोर वर्गों के लिए सरकार की वचनबद्धता के प्रमाण हैं। अनुसूचित

(श्री रामजीलाल सुमन)

जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का काम ठीक ढंग से हो और आरक्षण ठीक ढंग से लागू हो, उनके लिए बनायी गई योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो, इसके लिए 25 सितम्बर 1985 को कल्याण मंत्रालय बना दिया गया और बाद में उसमें एक नया नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जोड़ दिया। 13 अक्तूबर 1999 से इसमें जनजातीय मंत्रालय को अलग कर दिया गया और एक अलग विभाग बना दिया। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत 13.82 था लेकिन उस समय देश की आबादी का जो आकलन किया गया उसके अनुसार वह 84.63 करोड़ थी। कुल मिला कर 1991 की जनगणना को आधार मान लें तो उसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत 16.8 है। हर पंचवर्षीय योजना में इन वर्गों के कल्याण के लिए प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं बनायी जाती हैं लेकिन इनका कितना लाभ कमजोर वर्ग के लोगों को होता है यह देखेन की आवश्यकता है। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के अंतर्गत, अनुच्छेद 388 के तहत हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग भी बना दिया। इस आयोग को काम सुपुर्द किया – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा संबंधी मामलों की जांच, निगरानी, आर्थिक विकास में सहयोग, और परामर्श देना। इस प्रकार कुल मिलाकर, मैं कह सकता हूं कि आयोग को कोई संवैधानिक दायित्व नहीं दिया गया है, कोई कानूनी दायित्व नहीं दिया गया है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की जाती है, सदन के पटल पर रख दी जाती है लेकिन उस पर बहस नहीं की जाती है। अगर ईमानदारी से सरकार सदन में उस आयोग की रिपोर्ट पर विचार करे, सांसदों के पक्ष को सुने और जो निष्कर्ष निकले, उस दिशा में कुछ पहल करने की कोशिश करे तो अच्छा परिणाम निकल सकता है। सभापति महोदय, मुझे बेहद ही तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट पर इस सदन में चर्चा नहीं की जाती है। मेरा अनुरोध है कि उस रिपोर्ट पर बहस कराये जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, कानून के अनुसार हमारे देश में अस्पृश्यता का निवारण हो गया है लेकिन आये दिन अखबारों में ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। मैं किसी दल की बात नहीं करना चाहता। यह मामला मनोवृत्ति से जुड़ा हुआ है। हमारी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। समाज में कुछ लोग अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आज हिन्दुस्तान के कमजोर वर्ग के लोग रूस और फ्रांस में हुई क्रान्ति के बारे में पढ़ते हैं। जिस वातावरण में हमारे पुरखे आज से 100–150 साल पहले रहते थे, उस वातावरण में नई पीढ़ी रहने के लिए तैयार नहीं है। वह सामाजिक विद्रोह पर उतारू है। आज जितने मामले प्रकाश में आते हैं, हमें यह सोचना होगा कि उन पर अंकुश कैसे लगे। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये। मैं श्री संजय पासवान जी की सामाजिक अधिकारिता संबंधी समिति का सदस्य हूं।

सभापति जी, भारत सरकार राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष आर्थिक सहयोग देती है। मैंने एक बार नहीं अनेक बार इस बात का जिक्र किया है कि राज्य सरकारों को जो धनराशि दी जाती है, उसका सदुपयोग भी होता है या नहीं, यह देखा जाये। राज्य सरकार को पैसा तो यहां से चला जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल करने के मामले में उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं आता कि जो पैसा केन्द्र से गया है, उसका सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वह पैसा किसी और मद में खर्च कर दिया जाता है। इस मामले की निगरानी करने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को भेजे गये पैसे को खर्च करने के जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं, वे संतोषजनक नहीं होते। इसलिए मैंने बार–बार कहा कि इसका निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। जब आपने अगला पैसा भेज दिया, आपका काम शुरू हो गया, इसके लिए तंत्र विकसित करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जो पैसा भेजा गया, उसका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं? जब तक सरकार इस ओर नहीं देखेगी, तब तक जन–कल्याण के नाम पर पैसे का सदुपयोग नहीं होगा।

मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि समाज में एक कौकस बन गया है। समाज के जिस पात्र व्यक्ति को सहायता मिलनी चाहिए, वह उससे वंचित रह जाता है लेकिन जो तिकड़मबाज और चतुर व्यक्ति होता है, वह जानता है कि सरकार से पैसा कैसे लेना है। इसलिए वही एक विशेष वर्ग इन सरकारी पैसे का इस्तेमाल करता है। फलतः पात्र व्यक्ति उस पैसे से वंचित रह जाता है। इसे देखने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक से पूर्व अैर मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति दी जाती है। उसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। सरकार की तरफ से जो शिक्षा दी जाती है, आज उसमें आकर्षण नहीं रहा। निजी शिक्षण संस्थान आकर्षण का केन्द्र बन गये हैं। उसकी तुलना में या स्पर्द्धा में सरकारी शिक्षा कहीं टिकती नहीं है।

गैर सरकारी शिक्षा लेना अनुसूचित जाति और जनजाति

के लोगों के काबू के बाहर की बात है। आज ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों में प्रतिभा नहीं है। उनके मां–बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते। मैं सभ वर्गों की बात कर रहा हूं। आज स्थिति यह है कि 12वीं कक्षा तक पहुंचते–पहुंचते 87 प्रतिशत बच्चे घर बैठ जाते हैं। उसका कारण यह नहीं है कि उनके मां–बाप बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते। आप जो यहां सहायता राशि देते हैं, आज के समय में उस सहायता राशि का कोई अर्थ नहीं है।

सभापति महोदय, आज हम आई.टी. की बात करते हैं। आज इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी का जमाना है। आप मुझे माफ करें, इसका लाभ भी उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो उच्च श्रेणी की शिक्षा तक जा सकेंगे। हर व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल सकता। आज उसमें भी एक निश्चित वर्ग बन गया है, जिसे इसका लाभ मिलना है। अनुसूचित जाति और जनजाति के कमजोर बच्चों को इसका ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए आज शिक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है, शिक्षा का जिस तरह से व्यावसायीकरण हुआ है, उसके कारण गरीब आदमी, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, उसके लिए अपने बच्चों को तालीम देना उसके बस की बात नहीं है। आपके विभाग द्वारा कहा जाता है कि हमने इतने छात्रावास बनवा दिये, हम छात्रों को छात्रवृति भी दे रहे हैं, लेकिन आपके विभाग द्वारा संचालित जो छात्रावास हैं, आप जरा उनकी दशा देख लीजिए और जो निजी संस्थान हैं, जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके छात्रावासों की दशा देख लीजिए, उनमें जमीन–आसमान का अंतर है। इसलिए आज जो परिस्थिति है, उसके बदलने के लिए हमें सकारात्मक सोच की आवयकता है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि 24 मार्च, 1992 को डा. बाबासाहेब अम्बेडकर फाउंडेशन बना। पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और इस बार श्री जयप्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह के जन्म शताब्दी समारोह मनाये जा रहे हैं। इन सब महापुरुषों के जन्म शताब्दी समारोह एक वर्ष में मने हैं। लेकिन डा. बाबासाहेब अम्बेडकर का जन्म शताब्दी समारोह तीन वर्षों तक मना है। यह मेरी खुशनसीबी है कि उस समय मैं इस विभाग का मंत्री था और जब डा. बाबासाहेब अम्बेडकर का जन्म शताब्दी समारोह मना उस समय विभिन्न विषयों जैसे शिक्षा, आरक्षण, आर्थिक सवाल और जमीन के बंटवारे आदि पर छः उप–समितियां बनाई गई थीं। उन छः उप–समितियों की सिफारिशें आने के बाद सरकार ने वायदा किया था कि हम इनकी सिफारिशों को लागू करने का काम करेंगे, श्री रासा सिंह रावत जी, मैं आपको याद दिला दूं कि वाजपेयी जी ने भी कमिट किया था और केबिनेट ने भी मंजूर किया था कि डा. बाबासाहेब अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह की सिफारिशों को हम लागू करने का काम करेंगे, लेकिन उन पर आज तक अमल नहीं हुआ है। उसमें यह भी कहा गया था कि डा. बाबासाहेब अम्बेडकर का जो साहित्य है, उस साहित्य को विभिन्न भाषाओं में छपवाने का काम भी करेंगे। आपका जो कार्यालय है, मेहरबानी करके जरा उसे देखिये, उसकी हालत ठीक नहीं है। जिस मंशा से आपने इस फाउंडेशन की स्थापना की थी, यह फाउंडेशन उन मंशाओं को पूरी नहीं कर रहा है। इसे देखने की आवश्यकता है। डा. बाबासाहेब अम्बेडकर का निवास स्थान अलीपुर रोड़ दिल्ली में था। इसके स्मारक निर्माण की बात हुई थी, लेकिन मुझे जो सूचना है, उसके अनुसार उस स्मारक के निर्माण का काम भी पूरा नहीं हुआ है। इन सब चीजों पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

मैं आपकी मार्फत यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो विनिवेश और आर्थिक उदारीकरण है, इनके चलते सबसे अधिक नुकसान कमजोर वर्गों, दलितों, गरीबों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को होगा। जब निजी क्षेत्रों में कोई सरकारी उपक्रम जायेगा जो वहां सेवा–शर्तें तय करने का काम भी इन्हीं निजी क्षेत्रों का होगा। इसका सीधा–सीधा मतलब होगा कि आरक्षण समाप्त हो जाए।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उसके परिणाम क्या निकलेंगे, वह अलग बात है, लेकिन स्वरोजगार वाला जो बजट है, उसको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो और जैसे शिवराज पाटिल जी ने कहा कि लोगों को दौलत मिलनी चाहिए कि वे अपने उद्योग चला सकें। इसके लिए स्वरोजगार के लिए जो धन का आबंटन होता है, उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। अभी रासा सिंह रावत जी ने ज़िक्र किया कि इंदिरा आवास योजना में 20 हजार रुपये मिलते हैं और ईमानदारी से जो लाभ पाने वाला व्यक्ति है, उसके पास 20 हजार रुपये कहां पहुंचते हैं? जब 20 हजार रुपये देना शुरू किया था, तब से तुलनात्मक अध्ययन करें तो चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। आज के संदर्भ में इतनी राशि व्यावहारिक नहीं है। 20 हजार रुपये में भी शर्तें होती हैं कि आपको इस तरह का मकान बनाना है। कौन सा मकान 20 हजार रुपये में बन जाएगा? इसलिए गरीबों के लिए जो मकान बनाने के लिए पैसा भेजते हैं, उसको भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

सभापति जी, मैं एक निवेदन आपके मार्फत और करना

(श्री रामजीलाल सुमन)

चाहूंगा। अभी रासा सिंह जी कह रहे थे कि लोगों को स्वाभिमान के साथ जिन्दा रहना चाहिए। स्वाभिमान और कंगाली का आपस में कोई तालमेल नहीं है। स्वाभिमान का मतलब होता है कि आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो। गरीब आदमी, जिसकी माली हालत ठीक नहीं है, उसमें वह भाव पैदा नहीं हो सकता। अगर लोगों की माली हालत ठीक करेंगे तो उनमें स्वाभिमान की भावना पैदा होगी। असल और बुनियादी सवाल यह है कि जब तक कमजोर वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, उनको अपने पैरों पर खड़ा नहीं करेंगे, उनके परंपरागत उद्योगों को संरक्षण नहीं देंगे, उनके लिए बाजार की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक उनको लाभ मिलने वाला नहीं है। उदारहण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि आगरा में एक कुटीर उद्योग है जूता उद्योग। एक घर–परिवार के पांच साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के बूढ़े लोग सब जूता बनाने के उस कुटीर उद्योग में लगे हैं। वह जूता बनाकर सिर पर डलिया रखकर जो उनकी मंडी होती है, वहां ले जाता है। उसको एक जोड़ी जूते पर 20 रुपए मिलते हैं और बाजार में वह 300 रुपये में बिकता है। फिर जिसका कोई संबंध जूता बनाने से नहीं है, वह उस जूते को एक अच्छे डिब्बे में बंद करके अपना ट्रेड मार्क लगाकर बाजार में 3000 रुपये में बेचता है। लाभ उसको हो रहा है जिसका जूता बनाने से कोई संबंध नहीं है। जिनका कुटीर उद्योग से संबंध है, अगर उनके लिए बाजार की व्यवस्था करें, उनके लिए सामान की व्यवस्था करें, उनके लिए ऋण की व्यवस्था करें तो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि कमजोर वर्गों के हाथ में जहां कहीं भी जो परंपरागत उद्योग हैं, उन उद्योंगों को संरक्षण दिया जाए और उनको सशक्त बनाया जाए। इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। रामदास जी ने ठीक कहा कि आरक्षण का जो सवाल है, उसमें लोग कोर्ट में चले जाते हैं, इसलिए इसको नौवीं अनुसूची में डालने की आवश्यकता है।

अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि असल सवाल भूमि सुधार का है। शिवराज पाटिल जी ने इसका जिक्र किया है। एक तो अभी भी कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। तिकड़मबाजी से तमाम लोगों ने जमीन को अपने कब्जे में कर रखा है, वह एक पक्ष है। इसके बाद जो देश में बंजर और बेकार भूमि पड़ी हुई है, अगर वह दलितों में बांट दी जाए और उसको कृषि योग्य बना दें तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक उन्हें सहारा मिल सकता है। यह काम भी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। असल सवाल यह है कि अगर यह काम हम नहीं करेंगे तो उनमें आत्मविश्वास कैसे पैदा होगा। अंत में मुझे आपकी मार्फत निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है कि आज जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि उस स्थिति को हमें बदलना होगा। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की घटनाएं बढ़ रही हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक सबसे अधिक दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि झज्झर में जो घटना हुई दुलिना चौकी पर हरियाणा में और उसके बाद जो खबरें समाचार पत्रों में आई दलितों की मौत के बाद, वह ठीक नहीं है। कहा गया कि जिन लोगों ने दुलिना चौकी से खींचकर पांच दलितों की हत्या की है, उनको हम सम्मानित करने का काम करेंगे।

महोदय, कानून दंड देता है। अगर उन्होंने कोई गलती की है, तो कानून उन्हें दंड देगा, लोग दंड देने वाले कौन होते हैं। यदि ऐसा होगा, तो राज्य क्यों बना है, राज्य का कंसैप्ट क्यों बना है, राज्य की अवधारणा क्यों बनी है। यह इसीलिए है कि कोई किसी की जान न ले, कोई किसी की सम्पत्ति न छीने। दंड देने का काम राज्य का है। यदि लोग एक दूसरे को दंड देना शुरू कर देंगे, तो राज्य की अवधारणा समाप्त हो जाएगी और लोगों में राज्य के प्रति अविश्वास पैदा हो जाएगा, निराशा पैदा हो जाएगी। उसके बाद यह भी कहा गया कि जिन लोगों ने 5 दलितों की हत्या की उन लोगों का कोई गुनाह नहीं था, उन्होंने ठीक किया। इस प्रकार की मनोवृत्ति यदि देश में चलेगी, तो यह देश के लिए घातक होगी।

महोदय, हमारे पासवान जी, अभी धर्मान्तरण की बात कह रहे थे कि कुछ लोग प्रलोभनवश धर्मान्तरण करते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। आप इसे इस दृष्टि से भी देखिए कि उनके साथ समाज में भेदभाव होता है, इसलिए वे धर्मान्तरण करते हैं। मैंने इस बारे में जो अभी कहा है, उसके ऊपर ध्यान दें। धर्मान्तरण का एक कारण यह भी है। मैं कोई बड़ा शायर नहीं हूं, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं किसी ने चार लाइनें लिखी हैं –

"रात का इन्तजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता,

कुछ तो मजबूरियां रहीं होंगी, यों ही कोई बेवफा नहीं होता।"

महोदय, हमारे व्यवहार, आचरण, सोच, संस्कार, इन सब चीजों में परिवर्तन लाना होगा। इसके लिए ये सब जिम्मेदार हैं। बदलते संदर्भों में सामन्तवादी वृत्ति के जो लोग हैं, उन्हें अपने को बदलना होगा। अगर वे नहीं बदलेंगे, तो हालात बहुत खराब होंगे और गम्भीर परिस्थितियां उत्पन्न होंगी।

महोदय, अन्त में मैं आपकी मार्फत यही निवेदन करना

चाहता हूं कि असली और बुनियादी सवाल, जो शिवराज जी पाटिल ने उठाया कि न सिर्फ सामाजिक न्याय हो बल्कि आर्थिक न्याय भी होना चाहिए। आज अगर हमारी जेब में 500 रुपए हों, तो हमारे बात करने का तौर–तरीका कुछ और होगा, अगर हमारी जेब में 5000 रुपए हों, तो हमारा मिजाज बदल जाएगा। आज अगर सही मायने में दलितों को अपने बराबर लाना है, तो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की आवश्यकता है। उनकी माली हालत ऊपर उठाने की आवश्यकता है। परम्परागत उद्योगों को चलाने की आवश्यकता है। स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि श्री रामदास आठवले जी के प्रस्ताव से यदि चार कदम आगे जाकर, हम इसे सार्थक बना सकें, तो दलितों के लिए इससे अच्छा कोई और काम नहीं होगा।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : सभापति महोदय, श्री रामदास आठवले द्वारा लाए गए संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करने का यह अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं। इस संकल्प में सरकार से प्रशासन को सुदृढ़ बनाना और उपयुक्त कानून लाकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर तबके के लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए कहा गया है।

संकल्प में ही उसका उद्देश्य परिभाषित है। इसमें सरकारी तंत्र की भूमिका पर बल दिया गया है। हम नीति निर्माताओं को इन कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को महसूस करना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के 55 वर्ष बाद भी हमें इस पर चर्चा करनी है। जैसा कि श्री रामजीलाल सुमन ने ठीक ही उल्लेख किया है कि इस संबंध में हमें दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष में ठोस नीतियां बनानी हैं।

बाबासाहेब डा. अम्बेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, ने भारत के संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूचियों में नीतियों एवं कार्यक्रमों और सुरक्षोपायों को परिभाषित किया है।

डा. बी. आर. अम्बेडकर ने पहले ही कहा है। मैं उनके भाषण की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगी जो उन्होंने अस्पृश्यता के बारे में, 1927 में लोगों की एक सभा में, अपने भाषण में कही थीं। उन्होंने कहा:

"अस्पृश्य अपना उत्थान स्व–सहायता का पाठ पढ़कर, आत्म ज्ञान प्राप्त कर और आत्म सम्मान प्राप्त करके कर सकते हैं।"

क्या हमारे कार्यक्रम एवं नीतियां उन लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका स्वप्न संविधान निर्माता ने देखा था? हम कहां पिछड़ रहे हैं?

महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं कि जैसा कि कहा गया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातियों की विभिन्न लम्बित समस्याओं को हल करने के लिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना में समेकित विकास के माध्यम से जनजातियों को अधिकार प्रदान करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाई जायेगी जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों पर जिम्मेदारियां और उपयुक्त जबावदेही डाली जाएगी।

महोदय, इन वर्षों के दौरान अपने महान राष्ट्र की इस 22.5 प्रतिशत जनसंख्या के सामाजिक–राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में इनके उत्थान का स्तर क्या है? क्या यह नीति निर्माताओं की गलती है; या क्या यह क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा किए जा रहे क्रियान्वयन की समस्या है; या क्या इन योजनाओं को निचले स्तर पर क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध अधिकारियों की गलती है; या क्या कोई और कमी है जिससे हम इन वर्षों के दौरान इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे सके?

महोदय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने एक पुस्तक प्रकाशित की है "माइल्सस्टोन्स ऑफ सक्सेज़" इस पुस्तक के "ट्राइबल अफेयर्स" शीर्षक के अंतर्गत 15–16 स्कीमों का उल्लेख किया गया है, मैं केवल तीन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगी। जनजातीय योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का स्तर 1999–2000 के 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2001–02 में 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह आठ प्रतिशत जनजातीय आबादी के उत्थान के लिए बजट आबंटन है। यहा मैं दुःख के साथ एक बात पुनः सूचित करना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति, गरीब और दलित लोगों में बहुत क्षेत्रीय असमानता है। यह आठ प्रतिशत जनजातीय आबादी देश के 20 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में बिखरी हुई है, वहां रह रही है। पंजाब और हरियाणा राज्यों के अलावा वे पूरे देश में फैले हुए हैं। वे मुख्यतः भारत के केन्द्रीय भाग अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में केन्द्रित हैं। उनमें से लगभग 85 प्रतिशत इन क्षेत्रों में रहते हैं। इनकी

(डा. वी. सरोजा)

जनसंख्या पूर्वोत्तर के क्षेत्र में निवास करती है, वहां इस प्रकार की 12 प्रतिशत जनजातीय आबादी निवास करती है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने भी विशेष बजट आबंटन की घोषणा की है। वे स्कीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

क्या हम ऐसी स्कीमों को क्रियान्वित करने में सक्षम एवं प्रतिबद्ध नहीं है जिनसे इन जनजातीय समुदाय की आवश्यकताएं पूरी होंगी और उनकी सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा?

सभी क्षेत्रों में विकेन्द्रीयकरण किया जा रहा है। बजट में उचित आबंटन नहीं है, वह जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। यह पहली कमी है। दूसरी कमी है कि बजट आबंटन के समय भी हम नीतियों एवं कार्यक्रमों पर आवश्यकता के आधार पर ध्यान नहीं देते हैं! मंत्री महोदय इस बात का ठोस उत्तर दें कि भारत सरकार ने कौन सी स्कीमों पर ध्यान दिया है और कौन सी स्कीमें बनाई हैं; और उन क्षेत्रों के लिए कितना बजट आबंटित किया गया है जहां क्षेत्रीय असमानता अधिक है जैसे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच और उत्तर भारत के राज्यों में और जहां जनजातीय जनसंख्या अधिक है। क्या इन जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए हमारे पास विशेष कार्यक्रम नहीं है?

मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 337 के अंतर्गत जनजातीय कल्याण के लिए आयोग का गठन करने हेतु भारत सरकार को धन्यवाद देती हूं। इस आयोग में सदस्यों को जिम्मेदारियां दी गई हैं; भारत के राजपत्र में यह दिया गया है कि उन्हें यह रिपोर्ट तैयार होते ही या इस आदेश के प्रकाशित होने के एक वर्ष तक भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। आयोग को कुछ बातों पर ध्यान देना है जिन्हें मैं समय की कमी के कारण सभा पटल पर रखती हूं। राजपत्र में जो उल्लेख किया गया है उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं कि इस पर अलग से बहस हो। आयोग को राज्य–वार बजट आबंटन, विभिन्न कार्यक्रमों, उपलब्धियों आदि का ठोस उत्तर देना होगा ताकि यह रिपोर्ट हमें एक वर्ष प्रतीक्षा करने के बजाए छह माह के बाद मिल जाए। यदि सभा कुछ कहती है तो इसे उसमें सम्मिलित किया जा सकेगा और हम कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुधार कर सकते हैं ताकि आयोग निश्चित तौर पर जनजातीय समुदाय के उत्थान में सहायक हो सके। श्री शिवराज पाटील ने अच्छे सुझाव दिए हैं। क्या मंत्री महोदय, इन सुझावों पर ध्यान देंगे? सुझाव और बातें जो हम यहां कर रहे हैं उनका प्रभाव कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर भी पड़ना चाहिए। यहां केवल बोलने का कोई मतलब नहीं है। भारत के संविधान में सारी स्कीमें हैं लेकिन वे केवल किताब में पड़ी हैं। यह निचले स्तर तक नहीं पहुंची हैं।

इस संदर्भ में मैं आयोग को तमिलनाडु आमंत्रित करना चाहूंगी जहां कम से कम, वे सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य में देख सकेंगे कि गरीब एवं दलित समुदाय का उत्थान किया गया है; वे यह देख सकेंगे कि राज्य सरकार ने क्या स्कीमें शुरू की है और ऐसा परिणाम कैसे मिला है; आदि।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. वी. सरोजा : मैंने अभी अपनी बात शुरु भी नहीं की है।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : महोदय, गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

गणपूर्ति की घंटी बजाई जाए –

सभापति महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है इसलिए सभा अपराह्न 5.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 5.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

अपराह्न 5.34 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 28 अप्रैल, 2003/8 वैशाख, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* अपराह्न 5.30 बजे गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई।

गणपूर्ति नहीं हुई। तत्पश्चात् महासचिव ने उपस्थित सदस्यों को निम्नलिखित सूचना दी:

"सभा में गणपूर्ति नहीं है। इसलिए सभा की बैठक नहीं हो सकती, और जब तक गणपूर्ति न हो हम सभा में कार्य की शुरूआत नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि सभा सोमवार, 28 अप्रैल, 2003 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाए।"

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।